राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय, सत्र 1968 का 9 वां दिवस। संख्या 7

मंगलवार

दिनांक 3 सितम्बर, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

... .

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, श्रम, समाज कल्याण, राजस्थान केनाल, वित्त, वन, अकाल सहायता, चिकित्सा, सिंचाई, खाद्य, पंचायत, उपनिवेशन, देवस्थान विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री आईदानसिंह।

मौजा होथीगांव व दुठवा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

146. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला जालोर के मौजा होथीगांव व दुठवा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सन् 1965 से आज तक कितनी कितनी भूमि एलॉट की गई है और उसमें से किन किन व्यक्तियों को कब्जा पटवारी द्वारा दिया गया व किन किन को नहीं दिया गया, व नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उप - मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जिला जालोर के मौजा होथीगांव में सन् 1965 से आज तक कुल 31 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 450 बीघा भूमि आवंटन की गई जिसमें से 20 व्यक्तियों को 300 बीघा भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है व शेष 11 व्यक्तियों को जिनकी सूची (क) संलग्न है 150 बीघा भूमि पर कब्जा निम्नलिखित कारणों के कारण नहीं दिया जा सका :

(1) 7 व्यक्तियों ने जिन्हें खसरा नं० 648 व 663 में भूमि आवंटन किया गया था, कब्जा लेने से इन्कार किया क्योंकि इन खसरा नम्बरान का एस० डी० ओ० भीनमाल में इस्तकरार हक का दावा चल रहा है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) 2 व्यक्तियों जिन्होंने अपनी सकूनत शिवपुरा की प्रार्थना पत्र में दिखाई है वह शिवपुरा में नहीं रह रहे हैं तथा न आज तक तहसीलदार से कब्जा लेने हेतु आग्रह किया है।

(3) एक व्यक्ति को खसरा नं० 412 में आवंटन किया गया था जो एस०डी०ओ० भीनमाल द्वारा करनसिंह के नाम खातेदारी में दे दिया गया।

(4) एक व्यक्ति को खसरा नं० 580 में भूमि आवंटन की गई थी, किन्तु इस रकबे में रकबे से अधिक आवंटन होने से कब्जा नहीं दिया गया।

मौजा दुठवा में 22 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने के कारण अभी तक कब्जा नहीं दिया जा सका है जिनकी सूची (ख) संलग्न है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तहसील सांचोर में कार्यवाही जेरतजवीज है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आपने आग्रह बताया हैं इसका मतलब क्या उन्होंने बार बार दरख्वास्तें दी है उसकी तहसीलदार ने सुनवाई क्यों नहीं की ?

श्री गंगाराम चौधरी : कब्जा देने के संबंध में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हां।

श्री गंगाराम चौधरी : कब्जा देने के सम्बन्ध में कार्यवाही और जिसके कारण से कब्जा नहीं दिया उसके कारण मैने आपको बता दिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने बताया है कि तहसीलदार ने कहा है कि कब्जा लेने के लिए नहीं आये और आग्रह नहीं किया। बाकी तो आपने कारण बता दिये।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी सूचना है तो इसमें और जांच कर ली जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जब राजस्व मंत्री अलाट कराते हैं तो अनआकुपाइड लेण्ड अलाट करते हैं तो उसी समय मौके पर कब्जा क्यों नही दे दिया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 22 आदमियों को कब्जा नहीं दिया है, क्या यह सही है कि जिनको अलाट की थी उस समय कब्जा नहीं था ?

श्री गंगाराम चौधरी : जमीन अलाट की थी उस समय रेकर्ड के अनुसार कब्जा नहीं था। उसका आवंटन कर दिया गया था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी सीरियस बात है कि 22 आदमी जो कि अनुसूचित जाति के हैं इनको 3-4 साल पहले अलाट कर दिया गया था और पटवारी की रिपोर्ट है और कब्जा 22 आदमियों को इसलिये आज दिन तक नहीं दिया गया है यह क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अतिक्रमणी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है धारा 91 के अन्तर्गत।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उनको सनदें जारी हो गईं और लिख दिया गया कि कब्जा दे दिया और आप कहते हैं कि कब्जा दूसरों का है आप इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लेते ?

श्री गंगाराम चौधरी : धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही जुडीशियल है और उसका निपटारा होने के बाद ही इसमें कुछ किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा

महाराजा श्री उम्मेद मिल के मजदूरों की सभा

147. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर में महाराजा श्री उम्मेद मिल के मजदूर अपनी सभाओं का आयोजन मिल के गेट के सामने करते हैं ? यदि हां, तो विशेषतया किस किस समय पर करते हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि मिल मालिक उन सभाओं के समय अपना रेकार्डिंग जान बूझकर चालू रखता है और उससे मजदूर लोग अपनी मिटिंगों का लाभ नहीं उठा पाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मजदूर यूनियन के पास लाउड स्पीकर आदि की व्यवस्था नहीं है और मिल मालिकों द्वारा रेकार्ड बजाने के कारण सभा में बोलने वालों की आवाज सुनाई नहीं देती है ? यदि हां, तो क्या श्रम विभाग मिल मालिकों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देगा ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) इस विभाग में इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं है। हां, प्रायः ऐसा देखा गया है कि पाली के मजदूर मिल गेट के सामने ज्यों ही 1/2 घण्टे की रिसेस होती है उस समय के दौरान मीटिंग करते हैं। कभी कभी शहर के अन्य स्थानों पर भी मजदूरों की मीटिंग का आयोजन हुआ है।

(2) इस विभाग के पास इस विषय पर कभी भी किसी भी यूनियन या मजदूर से कोई परिवाद-पत्र नहीं आया है न इस विभाग को कोई पूर्व सूचना दी सिर्फ दिनांक 11-12-67 को जब मैं गया था उस वक्त एक परिवाद-पत्र इस विषय पर मुझको पेश किया गया था।

(3) इस विभाग में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मजदूर यूनियन के पास लाउड स्पीकर आदि की व्यवस्था है या नहीं। उपरोक्त प्रश्न में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय श्रम विभाग में ऐसा कोई परिवाद-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि मजदूरों को मालिकों द्वारा लाउड स्पीकर बजाने से बोलने वालों की आवाज सुनाई नहीं देती। मुझको जो परिवाद-पत्र पाली शहर में दिया गया था उसके आधार पर मैंने मौखिक निर्देश पाली मिल के व्यवस्थापकों को दिया कि मजदूरों की मीटिंगों के वक्त लाउड स्पीकर नहीं बजावें।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर जो यूनियन है वहां पर माईक्रोफोन नहीं है और जब जब भी मीटिंग का आयोजन करते हैं तो जानबूझकर मिल मालिक रेकडिंग करते

(श्री मूलचन्द डागा)

हैं और उसके कारण हमारी मीटिंगों का जो आब्जेक्ट होता है उस आब्जेक्ट को फस्ट्रेट करने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनको बाध्य करें कि वह ऐसा नहीं करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 28 दिसम्बर, 67 को यहां से हिदायतें जरूर की गई है कि इस तरह का नही करना चाहिये। उनको बाध्य करने के लिए मेरे पास तो कोई कानून नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

बाड़मेर जिले में गाडोलिया लुहारों को जमीन का एलॉटमेंट

148. **श्री बृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में कितने गाड़ोलिया लुहारों को किन किन स्थानों में बसाया गया?

(2) कितनी कितनी आवादी की जमीन किन किन को एलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उन्हें मकान बनाने के लिए कितनी कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि यह राशि पर्याप्त नहीं थी ?

(5) क्या इस विषय में अभी तक गाड़ोलिया लुहारों की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं ?

(6) उनके बारे में कब तक निर्णय लेकर उन्हें सहायता पहुंचाई जा सकेगी ?

राज्य मन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) बाड़मेर जिले में 42 गाड़ोलिया लुहारों को बसाया गया। इनमें से 31 बाड़मेर में, 8 शिव में, और 3 परिवार गडरारोड़ पर बसाये गये हैं।

(2) गाड़ोलिया लुहारों के 28 परिवारों को 25/52 आवादी की जमीन दी गई थी जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बाड़मेर में 20 व्यक्तियों को 350 रु. प्रति परिवार की दर से 750 रुपये एक परिवार को, कुल 7050 रुपये दिये गये।

(4) यह राशि पर्याप्त नहीं है किन्तु नियमानुसार मकान सहायता की जो दर निर्धारित की उसके हिसाब से मकान सहायता दे दी गई थी।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जिन जिन गाड़ोलिया लुहारों को 350 रुपया दिया गया है, वह इन्सफीसिएंट है। इसके लिए अधिक अमाउण्ट देने की व्यवस्था क्या सरकार द्वारा की जाएगी ?

राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) : ऐसा है, जब इनको 350 रु० दिया गया था तो स्केल यही था। अब वह स्केल बढ़ा दिया गया है। एक हजार तक कर दिया गया है।

Page No.5

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जो अपूर्ण हैं, उनके बारे में ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कई दरखास्तें पेंडिंग हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : पेंडिंग नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : यह जो धनराशि सरकार द्वारा दी गई है यह क्या नियमों के अनुसार ही दी गई है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : नियमों के अनुसार ही दी गई है। प्रारम्भ में 350 रु. था, फिर 750 हुआ अब एक हजार तक हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अपूर्ण मकान कब पूर्ण होंगे ?

श्री श्रवणलाल : इन परिवारों को 350 रु० प्रति परिवार के हिसाब से दिया गया है, उनको बाकी रकम पाने की सुविधा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जो अपूर्ण रह जायें तो पूर्ण करने के लिए हम कह देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 350 रु. में मकान का जो मसाला, लकड़ी, चूना और पत्थर आदि हैं, उनके भावों को देखते हुए मकान बन ही नहीं सकता है। आपकी योजना ही ऐसी हैं कि अनुदान है वह ऋण में शामिल हो जायगा। जब मकान है तो आप ऋण वसूल करने के लिए अत्याचार करेंगे। योजना ही बेसिकली कमियों से भरपूर है। क्या इस योजना के बजाय ऐसी योजना बनायेंगे जिससे मकान बन सके, ऐसा प्रयास हो सके ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : स्केल पहले 350 था। फिर 750 हुआ। अब एक हजार कर दिया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 3 हजार रु० से कम में मकान बनना असम्भव है। उनके अन्दर क्या रेपुटिज्म भरा हुआ है, पता नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह वित्तीय सहायता में आंशिक सहायता दी जाती है। अगर फाइनेंस अलाऊ करेगा तो फर्दर सहायता की जा सकेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 350 रु० जिन लोगों को दिये गये, जिनके मकान बन नहीं सके हैं, एक हजार रु० की सहायता उनको गवर्नमेंट कब देगी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कोई मामला ही ऐसा पेंडिंग नहीं हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पेंडिंग है। सोशिल वेलफेयर में है।

श्री श्रवणलाल : क्या माननीय मन्त्री इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि 1 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है, इसके साथ साथ 2 हजार, 3 हजार में उनको मकान उपलब्ध हो सके। इसके अन्दर ही वह लोन देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर हाउसिंग सोसाइटी वह बना लेते है तो 2-2 हजार रुपया भी लोन मिल सकता है। अगर वह हाऊसिंग को-आपरेटिव बना लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : क्या सरकार हाऊसिंग को-आपरेटिव बनाने का विचार नहीं करेगी ? आखिरकार 20 वर्ष हो गये हैं स्वतन्त्र हुए। राज्य को बीस वर्ष हो गये हैं । कच्ची बस्तियां हैं, गन्दी बस्तियां हैं। कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। गाडोलिया लुहारों की खुद मकान बनाकर रहने की आदत नहीं है। सरकार उनको मकान बनाकर दे। हजार रुपये के हमें मकान बनाकर रखना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। कैसे हजार रुपये में मकान बनायेंगे। लोगों से टैक्स द्वारा लिये हुए रुपये का दुरुपयोग क्यों करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य ।

सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी से सिंचाई

149. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या मन्त्री राजस्थान केनाल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील सूरतगढ़ के गांव सरदारपुरा बीका को जाने वाली सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी राजस्थान नहर से निकलती है ?

(2) यदि हां, तो इस डिस्ट्रीब्यूटरी से कितना रकबा सिंचित होता है ?

(3) यदि सिंचित नहीं होता तो इस का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि जब से यह माइनर खुदा है तब से आज तक पानी अधिक रेती होने के कारण आगे नहीं पहुंच सका है ?

(5) क्या यह सही है कि गांव भेरूसरी व सरदारपुरा बीका की जनता व मवेशियान को पीने तक पानी नहीं मिल रहा है ?

(6) यदि हां, तो सरकार इस माइनर को मुख्य नहर से 7 बुरजी तक पक्की बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं करती ?

(7) क्या यह सही है कि हजारों बीघा भूमि पानी नहीं चलने से असिंचित पड़ी रहती है ?

(8) यदि हां, तो आज अन्न संकट को दूर करने के लिए इस पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ?

(9) इस नहर में पानी कितने दिन में टेल तक पहुंचा दिया जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1967-68 में सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी से 1300 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई थी ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) इस राजवाहे में "घाघर बाढ़" नहर के बीच में पड़ने के कारण उसके कार्यों

(श्री रामप्रसाद लडढा)

के अपूर्ण होने की वजह से अब तक टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है।

(5) जी नहीं ।

(6) इस सम्बन्ध में मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था की जावेगी ।

(7) जी हां।

(8) स्थिति बराबर ध्यान में है किन्तु "घग्धर बाढ़ नहर" सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी को पृथक करती है और इसके लिए जो साइफन बनना है, वह तैयार नहीं हो सका है इस कारण सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का 10 कि० मी० से आगे का काम स्थगित करना पड़ रहा है।

(9) "घग्धर बाढ़ नहर" का साइफन तैयार होने के करीबन एक वर्ष में सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी पूरी कर ली जावेगी और तब टेल तक पानी पहुंच सकेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न संख्या 7 में आपने जी हां कहा हैं। टेल पर पानी अंधड़ ज्यादा चलने से और नहर की सफाई महकमें द्वारा नहीं कराने से पानी नहीं पहुंचा। उसका आज तक क्या प्रबंध किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहर का 10 कि०मी० तक पानी पहुंचा है। पहले भी पहुंचा है, इस साल भी पहुंचेगा। जो भी आवश्यक होगा, मैं व्यवस्था करूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : अन्य नहरों में व्यवस्था करायेंगे। अंधड़ बहुत ज्यादा चली थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं है। टेल पर पानी पहुंचने का जहां तक प्रश्न है, 27 कि०मी० नहर बनी। 10 कि०मी० पानी पहुंचता है। आगे घग्घर साइफन आ जाने से आगे मामला स्थगित करना पड़ा। ये सारा मामला सेन्ट्रल कमिश्नर के पास चल रहा है। इसके बाद आगे का काम किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही हैं कि लोगों की जमीन काटी है वहां पानी आज तक नहीं दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाइजेशन में स्कीम डिक्लेयर की जाती है। यह जरूरी नहीं है कि सब जगह एक साथ पानी मिल जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आठ साल हो गये हैं। उनकी जमीन आपने काट दी है। पानी नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहर पहुंचाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जब तक योजना को पूरा करने की गुंजाइश नहीं है तब तक इससे पहले जमीन क्यों छीन ली जाती है। यदि छीन ली जाती है तो योजना को पूरा करने के अन्दर देरी हो रही हैं। वैसे छीनी हुई भूमि को नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हीराभाई : इसका उत्तर नहीं आया। इस तरह काश्तकारों के साथ कोलोनाइजेशन विभाग के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिये कि जब जमीन को पानी नहीं लगता है तो ऐसी जमीन में कोलोनाइजेशन एक्ट क्यों लागू किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! नेक्स्ट ।

अकलेरा तहसील में अल्प बचत आन्दोलन के अन्तर्गत इकट्ठी की गई धन-राशि ।

150. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा तहसील में अल्प बचत आन्दोलन के अन्तर्गत गत वर्ष (अप्रेल, 68 के पूर्व) कितनी राशि इकट्ठी हुई थी ?

(2) किस किस गांव के किस किस कृषक से कितनी कितनी राशि ली गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त इकट्ठी राशि के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट काश्तकारों को दिये जा चुके हैं ? या अभी नहीं दिये जा सके हैं ? यदि नहीं दिये गये हैं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 58, 59 व 60 में भी तहसील मनोहर थाना में हजारों रुपया नेशनल सर्टीफिकेट के नाम पर वसूल किया गया था, किन्तु आज 10 साल से भी उन कृषकों को एन. एस. सी. नहीं मिले ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उक्त रकम का गबन किसने किया था, किसने रकम सीधी पोस्ट आफिस से ली ?

(6) क्या इस बाबत कभी झालावाड़ जिलाधीश को भी तवज्जह दिलाई गई थी ? यदि हां, तो उन्होंने क्या सक्रियता बरती ?

राज्य मंत्री (श्री बी. एन. जोशी) : (1) जिला झालावाड़ की तहसीलों द्वारा राष्ट्रीय बचत कोष के नाम पर उनके नाम के सामने अंकित राशि एकत्रित की जो निम्न प्रकार है :

नाम-तहसील	रकम जो बचत कोष में जमा कराई गई
झालरा पाटन	73,986
पचपहाड़	42,060
पिड़ावा	36,840
गंगधार	65,610
अकलेरा	71,340
खानपुर	41,232
कुल	3,310,68

(2) काश्तकारों को एन. एस. सी. रकम जमा कराते ही नहीं दिये जाते हैं। एजेन्टों द्वारा रकम प्राप्त करते ही काश्तकारों को रसीद दे दी जाती है इसके पश्चात् एजेन्ट रसीदों को पोस्ट आफिस में देते हैं और वहां से एन. एस. सी. बनाकर एजेन्टों को मिलने पर एजेन्ट संबंधित कृषकों को वितरण करते हैं।

(3) यह सही नहीं है। पटवारी बिना रसीद रकम संग्रह नहीं कर रहे हैं।

Page No.9

(श्री बी.एन. जोशी)

(4) यह सही है कि अब से पहले कुछ कृषकों से एन. एस. सी. के नाम पर राशि इकट्ठी की गई थी और उनको एन. एस. सी. प्राप्त नहीं हुए थे। प्राप्त हुए विवाद की जांच की जा चुकी है।

(5) अब तक ऐसा कोई मामला तहसील अथवा इस कार्यालय के नोटिस में नहीं आया है।

(6) प्रश्न नं० 4 व 5 के उत्तर की उपस्थिति में यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे सूची दिलवाई जाय, जिसके बारे में मैंने निवेदन किया कि मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : भाग 2 की सूची।

श्री बी. एन. जोशी : भाग 2 की सूची, साहब ? इसमें सूची मांगने का उल्लेख ही नहीं किया गया है। माननीय सदस्य जो सूची चाहते हैं, तो भाग 2 में सूची का सवाल नहीं था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं उठता। उत्तर दे दिया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कोटा जिले में इस नाम से पैसा लिया गया और लेकर लोगों को एन. एस. सी. नहीं दिये गये ?

श्री बी. एन. जोशी : सुनाई नहीं पड़ा। रिपीट कर दीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि कोटा जिले में भी इस तरह काश्तकारों से रुपया लेकर एन. एस. सी. नहीं दिया गया है ?

श्री बी. एन. जोशी : गलत है। सही नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : गलत क्या है ? यह एक आम शिकायत है राजस्थान में और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह गलत है। यह आम शिकायत है राजस्थान में कि अब तक एन. एस. सी. नहीं दिये जा रहे हैं। गरीब काश्तकारों का पैसा सरकार ने किसी तरह से ले लिया और उसको डकार लिया। अब आगे उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! वह खड़े हुए हैं। प्रश्न पूछने वाले खड़े हुए हैं। उनके प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। आगे प्रश्न मत पूछिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं और असत्य बोलने के आदी हैं।

श्रीविट्ठलप्रसाद शर्मा : यह रकम किस एजेन्सी के द्वारा प्राप्त की थी ? एन. एस. सी. के लिए एकत्रित की जाने वाली राशि के लिए क्या कोई एजेन्सी थी ?

श्री बी. एन. जोशी : बाकायदा एजेन्ट नियुक्त किये गये थे जिसमें प्राइवेट पर्सन्स भी थे और मुलाजिम भी थे।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं पूछ रहा हूं कि यह रकम एकत्रित पटवारा के मार्फत की गई या किसी अन्य प्रतिनिधि के मार्फत वसूल की गई ? कौन कौन सी एजेन्सी थीं ?

श्री बी. एन. जोशी : पटवारी आथोराईज्ड थे, टीचर्स भी थे और दूसरे लोग भी थे, जिसमें प्राइवेट पर्सन्स भी थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): इस प्रश्न के भाग चार का आपने उत्तर दिया है, जी हां। तो क्या यह सही है कि मनोहर थाना में सन् 58,59, 60, में जो रकम ली गई थी, उस रकम का गबन किया गया था और वह रकम बाकायदा जमा नहीं कराई गई थी इसलिए लोगों को एन. एस. सी. प्राप्त नहीं हुए ?

श्री बी. एन. जोशी : भाग चार के बारे में जैसा आपने बतलाया है, कुछ कैसेज आये थे, उनकी जांच की जा चुकी है और उन सारे केसेज में एक्शन लिया जा चुका है। उनकी तफसील में निवेदन कर देता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मेरा प्रश्न है कि 58, 59 और 60 के अन्दर लोगों से जो पैसा लिया गया था जिसकी रसीद देदी गई थी लेकिन लोगों को नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या यह सही है कि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं हुए—इसके पीछे कारण यह था कि जिन एजेन्सी ने इस रकम को वसूल किया था: उनके द्वारा इसका गबन हुआ है और पोस्ट आफिस में जमा नहीं हुई है ?

श्री बी. एन. जोशी : नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट की रकम एजेन्टों ने प्राप्त कर ली उसका गबन हुआ—यह सूचना नहीं है। इस प्रकार के दो केसेज थे जिनमें किसानों से रकम ले ली थी और उसको जमा करके रसीद नहीं दी गई।

उसमें से एक में पटवारी था, जिसको मोअत्तिल कर दिया गया है, उसको, सर्विस से रिमूव भी कर दिया गया है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : कौन से पटवारी को मोअत्तिल किया गया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : काम से मतलब है या नाम से ?

श्री बी. एन. जोशी : मदन लाल पटवारी तहसील गंगधार मोजा ....

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं अकलेरा के बारे में पूछ रहा हूं और आप बात कर रहे हैं गंगधार की। मेरा प्रश्न यह है कि मनोहर थाना में किस पटवारी को मोअत्तिल किया गया है ?

श्री बी. एन. जोशी : दो केस हैं, एक पाटन का है, एक गंगधार का है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप गंगधार की बात कह रहे हैं और प्रश्न में अकलेरा की बात पूछ रहे हैं। प्रश्न का भाग चार स्पष्ट है, सन् 58, 59 व 60 में भी तहसील मनोहर थाना में हजारों रुपया नेशनल सर्टीफिकेट के नाम पर वसूल किया गया था किन्तु आज 10 साल से भी उन कृषकों को एन. एस. सी. नहीं मिले ? आपने कहा, जी हां। इसकी जांच कर ली

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

गई है। तो हम जानकारी चाहते हैं कि क्या यह सही है कि तहसील मनोहर थाना के किसानों से हजारों रुपये इकट्ठे किये गये वह जमा नहीं कराये गये और उनका गबन किया गया है ?

श्री बी. एन. जोशी : इस प्रश्न का भाग चार है वह मनोहर थाना से किसी तरह सम्बन्धित नहीं है। मनोहर थाना से सम्बन्ध नहीं है और जवाब दिया है वह··
· ·

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : प्रश्नकर्ता मनोहर थाना के बारे में पूछ रहे है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के भाग चार में है, तहसील मनोहर थाना में हजारों रुपया नेशनल सर्टीफिकेट के नाम पर वसूल किया गया था। भाग चार।

श्री बी. एन. जोशी : भाग चार जो मेरे पास है, उसमें यह है, क्या यह भी सत्य है कि आज से 6-- 7 साल पहले इन कृषकों से इस ही प्रकार एन. एस. सी. के नाम पर जो राशि इकट्ठी की गई थी उनको आज तक भी एन. एस. सी. प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य कर्मचारियों को आपने किस आदेश से रकम वसूल करने के अधिकार दिये ?

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न चल रहा है। अभी वह मनोहर थाना ढूंढ रहे हैं।

श्री बी. एन. जोशी : इसका जवाब यह है, यह गलत है, दिश इज नोट करेक्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने उत्तर दिया है, जी हां। क्वेश्चन के भाग चार में उत्तर दिया है जी हां, जांच कराई जा रही है।

श्री बी. एन. जोशी : मेरे पास रिप्लाई है, उसमें भाग चार दूसरी तरह है। I am very sorry for the mistake how it could happen ! इसमें यह लिखा हुआ है : इस ही प्रकार एन. एस. सी. के नाम पर जो राशि इकट्ठी की गई थी उनको आज तक भी एन. एस. सी. प्राप्त नहीं हुए हैं ? इसका जवाब मैंने दिया है। आपने जो प्रश्न इस तरह लिखा है, इसका उत्तर भी मेरे पास है ·········

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ! प्रश्न बदल गया आपके यहां से ?

श्री बी. एन. जोशी : मेरे पास यह है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या स्वयं वह प्रश्न को समझते हैं और··

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले यह उलझन हल होने दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री स्वयं प्रश्न को पढ़ते हैं, उन्हें राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त होता है उसको समझते हैं और उसके बाद में सदन के सामने उत्तर प्रस्तुत करते हैं ?

Page No.12

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्ट हो जाने दीजिये, फिर देख लीजिये। मंत्री महोदय, दूसरा प्रश्न तो नहीं पढ़ दिया है।

श्री बी. एन. जोशी : प्रश्न तो वही है, स्माल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, प्रश्न के भाग चार को वापिस पढ़ दीजिये। आपके यहां क्या लिखा हुआ है ? भाग चार यह है, क्या यह सही है ... ...

श्री दौलतराम सारण : इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आगे देख लीजिये, जो प्रश्न का है। आर्डर प्लीज !

श्री बी. एन. जोशी : मेरे पास लिखा हुआ है, भाग 4 : क्या यह भी सत्य है कि आज से 6-7 साल पहले इन कृषकों से इसी ही प्रकार एन. एस. सी. के नाम पर जो राशि इकट्ठी की गई थी उनको आज तक भी एन. एस. सी. प्राप्त नहीं हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : सारा बदल दिया गया है। इसकी आप जांच करिये। इससे मुश्किल होती है। अध्यक्ष को भी मुश्किल होती है।

श्री बी. एन. जोशी : अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः ऐसा हुआ है कि माननीय सदस्य के दो प्रश्न हों...........

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। माननीय मंत्री की एक माननीय सदस्य निवेदन करते हैं कि गलत है तो भी माननीय मंत्री क्यों नहीं मानते हैं कि गलत है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं और माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों हुआ ? यह भयंकर भूल है। यह डिपार्टमेंट की भयंकर भूल है कि इस तरह प्रश्न बदल दिया गया।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : I am sorry Sir, इसका मैं रिप्लाई जल्दी ही भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बृज बल्लभ बोहरा !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में इस बात की जांच कराई जाय अपने स्तर पर भी विधान सभा कार्यालय द्वारा कि इस प्रश्न में चैंज अपने यहां प्रश्न भेजा है, इसमें किया है या डिपार्टमेंट में किया गया है, अगर डिपार्टमेंट ने किया है तो यह सीरियस प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही देख लिया जायगा।

श्री बृज वल्लभ बोहरा !

चमड़ा रंगने के लिये धोकड़े की पत्ती।

151. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कैथून के रैगरों को चमड़ा रंगने के लिये धोकड़े की पत्ती बार बार मांगने पर भी रेंज लाड़पुरा अथवा मंडाना से नहीं दी जाती ?

(2) क्या यह भी सही है कि वन अधिकारी कूप कटवाने से पहले दरख्वास्त देने पर भी उन रेगरों को इजाजत न देकर कूप कटवा डालते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार जंगल के कूप कटाने से रेगरों के के साथ साथ राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुंचता है ?

(4) यदि हां, तो क्या इस साल कूप कटने से पहले इन रेगरों को लिखित में इत्तला दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उपमंत्री वन (कन्हैयालाल) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है बिलकुल असत्य दिया है। क्या यह सही है कि 4 साल से लोग प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, क्या उसका आपके पास रेकार्ड है ?

(वन मंत्री श्री नारायण सिंह उत्तर देने के लिये खड़े हुए)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं नहीं·····

श्री बृजवल्लभ बोहरा : उन्हीं को जवाब देने दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : विभाग में इस प्रकार के कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, गत वर्ष में कोई प्रार्थनापत्र इस प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : बरसात के बाद में धोकड़े के पत्ते आते हैं, चमड़े को रंगने के लिये रेगरों द्वारा पते मांगे जाते हैं, इस इलाके में कहीं प्राप्त नहीं होते हैं, तो क्या यह पते उनको प्राप्त करवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कैथून के लिये पूछा गया था। इसके लिये निवेदन करूं कि कन्सेसनिस्ट कूप अलग दिये जाते हैं, उनकी सूचना पंचायत समिति और पंचायतों को दे दी जाती है, वे सूचना नहीं दें यह अलग बात है, वे सूचना दे दें उसके बाद प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रेंज आफिसर उनको सूचना दे देता है। गत वर्ष रेगरों के इस प्रकार के प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : अध्यक्ष महोदय, हर साल प्रार्थना पत्र देते हैं, पर विभाग की ओर से उनको टहलाया जाता है। वैसे तो कहने को सरकार कहती है कि वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के के लोगों को मालदार करना चाहती है, उनको ऊंचा उठाना चाहती है पर यह सब गलत है। इन लोगों के बार बार मांगने पर भी चमड़ा रंगने के लिये पत्तियां इनको नहीं दी जाती हैं, भ्रष्टाचार महकमे में फैला हुआ है··· ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के पास कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है गत वर्ष कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ•••

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब प्रार्थना पत्र ही नहीं दिये तो कैसे पत्तियां दें ?

श्री बृजवल्लभ बोहरा : मैंने अपने हाथ से प्रार्थना पत्र दिये हैं, अध्यक्ष महोदय,•••

श्री नारायणसिंह मसूदा : कन्सेसनल कूप्स होते हैं, उनके लिये पंचायत समितियों और पंचायतों को सूचना दे दी जाती है, फिर उनका दायित्व होता है कि वे डिसाइड कर दें, उसके उपरान्त प्रार्थना-पत्र आ जाय। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर रेंज ऑफिसर डील करता है। पर कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह पंचायत समितियों और पंचायतों का कर्त्तव्य है कि उनको सूचना दे। हर जगह वन विभाग ही सूचित करे, इसमें दिक्कत होती है। अभी परिपाटी यह है। अभी कोई प्रार्थना-पत्र हमारे पास प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) **:** एज ए मेटर आफ पोलिसी फोरेस्ट वाले धोकड़े की नई पत्ती चमड़ा रंगने के लिये नहीं देते और कहते हैं कि नई पत्ती देने से वृक्षों को नुकसान पहुँचता है, तो क्या पोलिसी के लिहाज से धोकड़े की पत्तियां देना आपके विभाग ने बन्द किया है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आदिवासियों को कन्सेशनल कूप्स दिये जाते हैं, इनको भी कन्सेशन है, इनके प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर धोकड़े की पत्तियां चमड़ा रंगने के लिये दी जाती हैं। पर इनके प्रार्थना पत्र ही प्राप्त नहीं हुए। यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस विषय में जो भी सुविधा हो सकती है, वह मैं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : अर्ज यह है कि इसका कोई न कोई निर्णय करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इसको देख लेंगे, कोई गड़बड़ी तो नहीं है इसको देख लेगें।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : इसकी आड़ में बहुत भ्रष्टाचार होता है, और उन गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष : अभी आड़ में ही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यह सही है कि इनको धोकड़े के पत्ते चमड़ा रंगने के लियें इसलिये नहीं दिये जाते हैं कि मंत्री महोदय अपना रंग साफ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, नेक्स्ट श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य और मजदूरी का भुगतान

152. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु०) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1968 में कुल कितने फेमिन केम्प चले और किस किस केम्प पर मजदूरों की कुल संख्या क्या क्या रही ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के फेमिन केम्पों पर लगने वाले मजदूरों को 2½ महीने तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के फेमिन केम्पों पर लगने वाले मजदूरों को सरकारी रेट न देकर कहीं पर 20 पैसे कहीं पर 25 पैसे तथा कहीं पर 50 पैसे भुगतान किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(4) बीकानेर जिले के जिस केम्प पर मजदूरों को जो भुगतान किया गया वह किस किस तारीख पर तथा किस तारीख से किस तारीख तक का किया गया है और किस किस केम्प पर किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि नापासर से जसरासर रोड़ वाया तमामदेशर व साधासर व बांधनूं इन केम्पों को खुलवाने के लिए कोई सरकार ने व जिलाधीश ने कोई आदेश दिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(6) क्या यह सही है कि इन फेमिन केम्पों को खुलवाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत बांधनूं, साधासर व सनीवाला द्वारा राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी इन केम्पों को नहीं खोला गया ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(7) क्या यह सही है कि जिला अकाल सहायता कमेटी ने उपरोक्त केम्पों को खुलवाने की मांग की ?

(8) क्या यह सही है कि उत्तर फेमिन केम्प खुलवाने के सम्बन्ध में जिला परिषद बीकानेर व पंचायत समिति नोखा द्वारा प्रस्ताव पारित करके मांग की गई थी ?

उपमंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के विषय में जिला स्तर पर सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है इसलिए इसे स्थगित करने के लिये प्रार्थना की जाती है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काफी समय से उठ रहा है, अखबारों में इस बारे में निरन्तर सूचना आ रही है और मंत्री महोदय कहें कि सूचना नहीं आई है, यह खेद कि बात है। गवर्नमेंट को खुद को जैसे ही यह प्रश्न आया, वहां ठीक तरह से करवाना चाहिये था। मन्त्री महोदय यह तो बता दें कि 20 पैसे और 25 पैसे के हिसाब से मजदूरों को मजदूरी दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इसकी आधी सूचना नहीं दी जा सकती।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा,) : अध्यक्ष महोदय, पूर्ण सूचना के अभाव में राज्य सरकार इस पोजिशन में नहीं है कि इसका कोई उ र दे सके। अखबारों में सूचना आई है, अखबारों के कटिंग्स मेरे पास है, कलेक्टर को, एक्स. ई. एन. को सूचना दी है, कलेक्टर ने कहा कि पी. डब्लू. डी. से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह निवेदन कर दूं कि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिये आज सुबह तक हम टेलिफोन पर प्रयत्न कर रहे थे कि ट्रंक से इसकी सूचना प्राप्त कर ली जाय। हम चाहते हैं कि जल्दी राहत मिलनी चाहिये। लेकिन जब तक डिस्ट्रिक्ट की कम्पलीट सूचना नहीं आ जाय तब तक मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इसका उत्तर दे सकूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, मजदूरों को उजरत नहीं मिली हैं, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि मजदूरों को वहां 20 पैसे और 25 पैसे उजरत दी जाती है, तो क्या सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य नहीं है कि ज्योंहीं प्रश्न सरकार के पास आया, जो आरोप प्रश्नकर्त्ता ने लगाये हैं, उनके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र जानकारी प्राप्त करते। गरीब लोग मारे जा रहे हैं, डूंगरपुर में पड़ा था, उसका मुझे कटु अनुभव है, गरीब मजदूरों को एक एक महीने तक उजरत नहीं दी, उनकी आधी उजरत लोग खा गये, मैंने वहां जाकर दस दस हजार रुपये का पेमेंट एक एक दिन में करवाया। वहां पर जाकर छाती पर बैठ कर काम कराने से काम करते हैं, तो क्या मंत्री महोदय खुद जाकर निरीक्षण नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी तसल्ली के लिये नहीं देखेंगे कि यह जो आरोप लगाये गये हैं तथ्यहीन हैं या इनमें तथ्य है ? अगर तथ्य है तो जो कसूरवार हो, उनको सस्पेन्ड किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें और आश्वासन दें कि अमुक समय में जवाब नहीं आता है तो वे खुद मौके पर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप कितने दिन में जवाब दे देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा, : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अधिवेशन नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से वहां जाता पर क्योंकि विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है इसलिए वहां इस समय मेरे लिये जाना संभव नहीं है कि बीकानेर में जिन सड़कों पर पेमेंट नहीं हुआ है, वह मैं खुद जाकर देखूं। मैं सदन को कान्फिडेन्स में लेना चाहता हूं कि यह पेमेंट का प्रोसिजर कैसे चेन्ज किया जाय जिससे कि डिले नहीं हो, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जल्दी ही निर्णय लेने वाली है। आज तक जो एजेंसी रही है, उसमें तरमीम करके किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल में इसे रखा जाय ताकि जल्दी पेमेंट हो जाय।

इस सदन में इसी सत्र में मैं सूचना दे दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं मंत्री महोदय के उत्तर का तो आभारी हूं पर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम इस बात के आदी हैं, चाट खाने के आदी हैं, हजारों लाखों रुपया गबन करने के आदी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं जायं और इनकी जांच करें।

श्री राम किशन शर्मा (बैर) : इसमें ऐसा है कि फेमिन पर कल परसों बहस होने वाली है, हम नहीं चाहते कि चार दिन के लिये डिले करें फेमिन पर ढील हो। निश्चित मुद्दे उठाये हैं कि फेमिन पर काम करने वालों को कहीं 20 पैसे रोज और कहीं 12 पैसे रोज दिये जाते हैं तो इस पर निश्चिततौर पर आपका जवाब, बहस हो उस दिन हो जाना चाहिये। ऐसा नहीं होता है तो स्थगन प्रस्ताव लाने की परिस्थितियां पैदा होती हैं। इसलिए निश्चित बतायें कि उस दिन आपका जवाब होगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह कहते हैं कि सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। इनको चिट्ठियां लिखी हैं गई इनके नाम से। इनके पास तार भेजे गये हैं और पंचायतों के प्रस्ताव भेजे गये हैं और अब तक आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सदन सेशन में नहीं था उस समय ये प्रक्रियायें अपनाई गई लेकिन पत्रों का जवाब देना नदारद, तार का जवाब देना नदारद, प्रस्तावों का जबाव नदारद, कार्यवाही नदारद और यह प्रश्न पूछे तो उत्तर नदारद फिर आप ही बताइये कि क्या तरीका है कि मजदूरों को मजदूरी मिल सके और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार 1 तारीख को फेमिन के सम्बन्ध में कलेक्टर्स की मीटिंग हुई थी। यदि वह सही है तो पत्रों के जरिये, अखबारों के जरिये और प्रस्तावों के जरिये मंत्री महोदय के पास यह मामला गया और उनको उनके जरिये से इत्तला मिल गई होगी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न खुद ने मिटिंग में उठाया था। चीफ इन्जीनियर बी. एन्ड. आर. वहां मौजूद थे। मैंने उनको कहा था कि कम वेजेज का पेमेन्ट करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी जानकारी कराई हैं, टास्क वर्क्स हैं। कलेक्टर्स को भी कहा गया कि उनको जाकर वहां देखना चाहिये कि टास्क से जो कार्य कर रहे हैं तो कौन कौन से केम्प में इन मजदूरों का यह मामला इन्वाल्व्ड है। पी. डबल्यू. डी. से मेरे पास अभी तक जानकारी आयी नहीं है, आने पर मैं भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस ववेश्चन के द्वारा सही तथ्य रखे गये हैं। हालत यह है कि मैंने खुदने मंत्री महोदय को चिट्ठियां लिखी हैं कई बार। आज तक एक का भी जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सारण।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या 153।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत जरूरी है। वहां पर जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जिला परिषद्, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने टेलीग्राम

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

दिये हैं कि फेमिन के केम्प खोले जायें और मंत्री महोदय ने पिछले सेशन में घोषणा भी की थी कि दस मील के अन्दर अन्दर किसी आदमी को मजदूरी के बगैर नहीं रहने दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। यह कह दिया गया है। मंत्री महोदय फूड की डिबेट में भी इसका स्पष्टीकरण करने वाले हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लोगों को जान बूझ कर ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लेकिन अध्यक्ष महोदय, बीस पैसे उनको मजदूरी के दिये गये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। यस राजस्व मंत्रीजी।

तहसीलदार निवाई द्वारा पेनल्टी की वसूली

153. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कलेक्टर टोंक को यह शिकायत मिली थी कि डांगरथल, तहसील निवाई, जिला टोंक के रोडू धोबी को सिवाय चक की भूमि के अतिक्रमण की पेनल्टी के पैसे वसूल करने के लिये तहसीलदार निवाई श्री सुवालाल जैन ने डांगरथल में पैसे न दे सकने के आरोप में चारपाई पर टांगे चौड़ी करके खड़ा कर दिया और सिर पर भारी पत्थर रख दिया था और भद्दी और अश्लील गालियां भी दी थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कलेक्टर ने शिकायतकर्ता को टोंक बुलाकर बयान लिये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि गवाहों को भी बुलाया गया था परन्तु बयान नहीं लिये गये और शिकायतकर्ता को राजीनामा करने के लिये कहा गया ?

(4) क्या यह सही है कि उस शिकायत पर आगे कोई जांच नहीं की गई, कोई बयान नहीं लिये गये और कोई कार्यवाही भी नहीं की गई ?

(5) यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी)

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिलकुल गलत है। यह तथ्य सही है जो मैंने प्रश्न में पूछा है। यह आपको गलत उत्तर दिया गया है यहां सदन में देने के लिये। आप इसकी असलियत को मालूम कीजिएगा।

Page No.19

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): जो जवाब दिया गया है यह सही नहीं है और आप फरमाते हैं कि वह गलत है तो और तथ्य लावेंगे तो जानकारी करूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उसमें जो तथ्य है वे सही हैं। क्या आप यह नहीं मानते हैं कि सुवालाल जैन नायब तहसीलदार नहीं था? क्या आप यह भी नहीं मानते हैं कि वह किसान नहीं है धोबी ? क्या आप यह भी नहीं मानते कि जबरदस्ती वसूल नहीं किया गया था ? फिर क्या सही नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही नहीं है कि उसको खाट पर चढाया गया और उसकी टांगे चौड़ी करके उसके सिर पर पत्थर रखा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : नायब तहसीलदार वही है जिसका आपने नाम बताया। इस सम्बन्ध में उसकी कोई शिकायत नहीं हुई है जिससे उसकी जांच की जा सके।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब वह नायब तहसीदार बदल गया है।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, शिकायतकर्ता खुद मुझ से मिला है। शिकायती को बयान देने के लिये बुलाया और उसके बाद कहा गया कि राजीनामा कर लीजिये और बयान नहीं लिये। यह हकीकत है और सही तथ्य है। रोड़ा धोबी को चारपाई पर खड़ा करके टांगें चौड़ी करके उसके सिर पर पत्थर रखा गया। गरीब को जलील किया गया। सारे गांव वालों ने प्रार्थना की इसके पास कुछ नहीं है। इसके पैसे आजावेंगे इसलिये महरबानी करके इसको इनायत बख्शें। लेकिन किसी की बात नहीं सुनी गयी और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, स्वतन्त्र जांच करा लें।

श्री रामकिशोर व्यास: कलेक्टर टोंक ने जो इन्फौरमेशन दी है वह यहां बतायी गयी है। अब आप कह रहे हैं तो उसकी तहकीकात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

फिजियोलोजी विभाग में ड्रमों की खरीद

154. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आर. एन. टी. मेडीकल कालेज, उदयपुर के प्रिन्सिपल साहब ने इन्स्ट्रूमेन्ट मेन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन अम्बाला केन्ट से फिजियोलोजी विभाग के मेकेनिकल ड्रमों को बदल कर इलेक्ट्रिक ड्रम लगाने का कान्ट्रेक्ट किया था ? कृपया एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मेकेनिकल ड्रम उक्त कारपोरेशन को सौंपने के साथ साथ उस कारपोरेशन के आग्रह पर अपराइट रोड्स और बेसिस प्लेटफार्म भी लौटा दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त चीजें मेकेनिकल ड्रमों के साथ खरीदते समय भी नहीं

Page No.20

(रामानन्द अग्रवाल)

आयीं थी और इनको ड्रमों के साथ देने का मुआयदा भी नहीं किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि विभागीय इंचार्ज ने इन मेकेनिकल ड्रमों के साथ अपराइट रॉड्स और बेसिस प्लेटफार्म दिये जाने पर ऐतराज किया था ? यदि हां, तो इन चीजों को मेकेनिकल ड्रमों के साथ क्यों लौटाया गया।

(5) उपरोक्त अपराइट रॉड्स और बेसिस प्लेटफार्म कब खरीदे गये थे, किस कम्पनी से खरीदे गये थे और कितनी कितनी कीमत में खरीदे गये थे।

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रश्न की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिये अगली टर्न के लिये इसको पोस्टपोन कर दिया जाय ।

श्री विजयसिंह (मकरना) : पहले आदेश दिये गये थे कि जानकारी लेकर आयें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि पिछले सत्र में भी मैंने यह प्रश्न रखा था ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रश्न का उत्तर आया तो मैंने इसको अपूर्ण पाया और मैं इस हैसियत में नहीं था कि इसका जवाब दे सकता इसलिये दुबारा प्रिन्सिपल, मेडिकल कालेज को पूछा है । इसके विषय में कल समाचार प्राप्त नहीं हो सके। समाचार प्राप्त हो जाने पर इसका पूर्णरूप से उत्तर दिया और जो बात होगी वह सदन के सामने रखी जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेशन के समाप्त होने से पहले इसका उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : पहले पहले

नेक्स्ट । श्री दौलतराम आगरी ।

जवाई बांध में अवाप्त भूमि का मुआवजा

155. **श्री दौलतराम आगरी** (देसूरी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सैणा, जीवदा तथा दुदणी तहसील बाली, जिला पाली की कुल कितनी भूमि जवाई बांध के लिये अवाप्त योग्य मानी गई क्या उक्त भूमि में से अब तक भी अवाप्त योग्य भूमि का कुछ हिस्सा अवाप्त नहीं किया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अवाप्त भूमि में से कितनी खातेदारी भूमि का कितना मुआवजा कब दिया गया तथा कितनी खातेदारी भूमि का मुआवजा अब तक देना बाकी है ?

(3) देय मुआवजे का भुगतान अब तक न करने का क्या कारण है तथा कौन-कौन से खातेदारों को मुआवजा दिया जाना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) ग्राम सैणा की 1863 बीघा व 4 बिस्वा, जीवदा की 786 बीघा व 6 बिस्वा व दूदणी की भूमि 3373 बीघा व 17 बिस्वा भूमि जवाई बांध के लिये अवाप्त योग्य पाई गई । कुछ भूमि अवाप्त की है ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(2) सेणा ग्राम की 1176 बीघा व 4 बिस्वा, जीवदा ग्राम की 766 बीघा व 3 बिस्वा व दूदनी ग्राम की 2007 बीघा व 4 बिस्वा का मुआवजा दिया जा चुका है। सेणा ग्राम में 687 बीघा, जीवदा में 20 बीघा व 3 बिस्वा और दूदनी में 1366 बीघा व 13 बिस्वा मुआवजा देना बाकी है।

(3) खातेदार भूमि की एवज में जवाई कमाण्ड में जमीन लेना चाहते हैं इसलिये मुआवजा लेने से इनकार करते हैं। जिन खातेदारों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : यह करीब दो हजार बीघा जमीन ली गयी है उसको लेने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अवार्ड हो गया। मुआवजे की रकम सरकार के खजाने में जमा है। पहले कहा गया कि जमीन के बदले जमीन दी जाय। फिर यह दरख्वास्त पेश की कि जमीन अवाप्त की गई वह ही वापिस दे दी जाय और वहीं पर रहने के लिये बार-बार मांग की. इसलिए मुआवजा भी नहीं लिया और दूसरी जमीन भी नहीं ली।

श्री पृथ्वीसिंह : वह जमीन अवाप्त हो जाती है तो देने में क्या दिक्कत है ? वह चाहते हैं कि वही जमीन दे दी जाय तो मुआवजा नहीं मांगेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका यह कहना है कि वह जमीन दे दी जाय और वह मुआवजा नहीं मांगेंगे, यह इसलिये कहते हैं कि अभी उस स्थान पर पानी कम पहुंचता है और कभी-कभी पहुंचता है। माननीय सदस्य को मालूम है कि निकट भविष्य में ही साइड डाइवर्शन की स्कीम चल रही है। यह बांध कभी भी भर सकता है। वह जमीन डूब में रहेगी इसलिये सरकार यह रिस्क लेना नहीं चाहती और वहीं की वही जमीन वापिस देना नहीं चाहती।

श्री पृथ्वीसिंह : जवाई कमान्डेड एरिया में मांग की। वहां बहुत बड़े-बड़े प्लाट्स पड़े हुए थे वहां पर जमीन अलाट कर दी जाय तो क्या दिक्कत होने वाली है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये तो हम तैयार थे लेकिन इन्होंने ही इनकार किया। मेरे पास लिखित में दरख्वास्त है। अभी भी कहीं जमीन उपलब्ध हो जवाई कमान्ड में और अलाट करने योग्य है तो प्रार्थना-पत्र दें।

श्री पृथ्वीसिंह : अलाट करने योग्य थी तब तो अलाट नहीं की और ट्रेसपास हो गयी, लोगों ने कब्जा कर लिया और उसको रेगुलेराइज करवा लिया अब आप कहते हैं कि उपलब्ध नहीं है इससे बड़ा तो क्या विश्वासघात हो सकता है जबकि आपने उनके कुए, गांव सब कुछ ले लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी भी जहां जमीन बताये जमीन के बदले में जमीन देने का जरूर प्रयत्न करूंगा या जो नकद रुपयों का अवार्ड हो गया वह ले लें। नकद रुपयों का अवार्ड होते हुए भी जमीन हमको बताये तो हम देने लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री पृथ्वीसिंह : जो ट्रेसपास हुए हैं, उनको इजेक्ट करके उनका अलाटमेंट खारिज करने की क्या आप सोचते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ट्रेसपास यदि किसी ने किया है, तो मैं जानकारी करूंगा। किन्तु राज्य सरकार के जो नियम हैं, उनमें ट्रेसपासर को अनियमित कब्जे को भी रेगुलराइज कराने का अधिकार है। जो ट्रेसपास नियमों की सीमा में नहीं आता ऐसे लोगों से जरूर जमीने खाली करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। श्री जुझारसिंह ।

प्रश्न संख्या 156

पेडोक्स में आई भूमि

156. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा किये गये फॉरेस्ट सेटलमेंट में विलेज बाउन्ड्रीज को ध्यान में नहीं रख कर बड़े-बड़े वन खण्ड बना दिये गये हैं जिनका गांव के नक्शों में अमलदरामद नहीं हो सकने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अलाटमेंट किये जा रहे हैं और फारेस्ट द्वारा बेदखल किया जा रहा है ? यदि हां, तो लाडपुरा व मेन्डाना रेन्ज में ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रेल रोझाला व बाघाणी टोला में करीब 4 हजार एकड़ के पेडोक्स बनाये गये हैं जिनमें केशोपुरा के काश्तकारों की रेल रोझना के तालाब की जमीन भी शामिल कर ली गई है व घास की कटाई संबंधी झगड़े होते हैं ?

(3) क्या सरकार पेडोक्स में आई जमीन की एवज में इन लोगों को अन्य जमीन बताने का विचार करेगी ? यदि हां तो किस स्थान पर ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ... (श्री पृथ्वीसिह द्वारा पूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर) ।

वन मन्त्री महोदय ।

उपमन्त्री वन (श्री कन्हैयालाल पटेल):

(1) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी हां। झगड़े की जानकारी नहीं है। यह भूमि खातेदारों के अधीन होकर अन्दरूनी सीमांकन द्वारा वन खण्ड से बाहर बन्दोबस्त होते समय कर दी गई है ।

(3) चूंकि संबंधित भूमि संबंधित खातेदारों के पास है अतः इस भूमि के एवज में अन्य भूमि देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुझारसिंह : कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। यह जान गये कि आपको पढ़ना आ गया है। मास्टर रख कर आपको पढ़ा दिया गया है ।

[उप मन्त्री (वन विभाग) द्वारा उत्तर दुबारा पढ़ा गया]

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि पेडोक्स का निर्माण चम्बल भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत किया गया है ?

वनमन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह प्रश्न में स्पष्ट है। पेडोक्स को लेकर ही प्रश्न किया गया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह प्रश्न उन काश्तकारों का है, जिनके विशेष परिस्थिति के कारण खेत आ गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न के खण्ड (1) में यह स्पष्ट पूछा गया है कि क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा दिये गये फारेस्ट सेटलमेंट में विलेज बाउन्डरीज को ध्यान में नहीं रख कर बड़े बड़े वन खंड बना दिये गये हैं? जिनका गांव के नक्शों में अमलदरामद नहीं हो सकने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अलाटमेंट किया जा रहा है ? यह क्वेश्चन पेडोक्स के बारे में है। इसके कारण ही सारे झगड़े पैदा हुए हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह एक जनरल प्रश्न है। विलेज की बाउन्डरी का ख्याल न करके पेडोक्स बनाये हैं अथवा कहीं जंगल रखे हैं। इस प्रकार से विलेज की बाउण्डरी का अतिक्रमण कहीं कहीं पर हुआ है। परन्तु ऐसे केसेज को सेटल करने का प्रोवीजन रखा गया है और कार्यवाही की जा रही है। जिनकी जमीन इसमें आ गई होगी तो उसके लिये विशेष कार्यवाही की जायेगी। जो पेडोक्स बनाये गये हैं, जंगलात बनाये गये हैं, उनमें तालाब की जमीन भी है। उसके लिये आवश्यक कार्यवाही जैसा कि बताया गया है, कर दी गई है।

श्री जुझारसिंह : पेडोक्स के निर्माण की स्कीम बनाते समय क्या राजस्व विभाग से भी सलाह ली गई थी या नहीं ? राजस्व विभाग को इसमें कान्फीडेन्स में लिया गया था ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कान्फीडेंस में लेने का प्रश्न नहीं है। जब कोई स्कीम केबिनेट द्वारा स्वीकार की जाती है, तो उसमें सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी होती है। गांव या किसी के हित को लेकर स्कीम नहीं होती। इस प्रकार जो खेत आ गये हैं उनको सीमा के बाहर निकाल दिया गया है। काश्तकारों के बारे में आपने पूछा है। तालाब की जो जमीन है वह संबंधित काश्तकारों के पास ही है। किसी को भी इस जमीन से बेदखल नहीं किया गया हैं। उनके हक में ही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रोफेसर केदारनाथ।

बीकानेर में राशन की दुकानों में चोरी एवं ब्लेक के मामले

157. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में कलेक्टर श्री गोवर्धनसिंह ने राशन की दूकानों में चोरी एवं ब्लेक करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी ?

(श्री केदारनाथ)

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने स्वयं सम्बन्धित फाइलों को मंगवाकर उनके खिलाफ चलने वाली कानूनी कार्यवाहियों को रुकवाया ? यदि नहीं तो कार्यवाही किसके पास और किस कोर्ट में चल रही है और जो चल चुकी है उनका क्या परिणाम रहा ?

(3) यदि कलेक्टर, सप्लाई, श्री गोवर्धन सिंह ने गलत कार्यवाही की है तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। निम्नांकित तीन डिपो होल्डर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

(1) टी. प्रकाश वार्ड नं. 10

(2) नन्द किशोर घनश्यामदास वार्ड नं. 17

(3) रामप्रताप आचार्य वार्ड नं 18

इन पार्टीज के विरुद्ध अब तक की कार्यवाही में उक्त डिपोज को बहाल किया जाकर पार्टीज को नियमानुसार सुनवाई का मौका देकर कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं। पार्टी नं. 3 के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के यहां चालू है। अभी निर्णय नहीं हुआ है।

(3) श्री गोवर्धनसिंह, भूतपूर्व कलेक्टर, बीकानेर ने कोई गलत कार्यवाही नहीं की।

श्री केदारनाथ : कलेक्टर गोवर्धनसिंह ने कितने डिपोज के खिलाफ ब्लेक के केसेज तैयार किये ?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने तीन पार्टीज के खिलाफ केसेज तैयार किये।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि खाद्य मन्त्रीजी ने स्वयं, पर्सनली इन केसेज को एग्जामिन किया है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्री जी के पास एक पार्टी ने शिकायत की। शिकायत करने वाली पार्टी थी नन्दराम घन श्याम दास। मुख्य मन्त्री जी को उन्होंने शिकायत की कि उनका डिपो बिला वजह केन्सिल कर दिया गया है। इस पर मुख्य मन्त्रीजी ने खाद्य मन्त्रीजी को लिखा कि अगर यह आरोप सही है तो इसकी जांच की जाकर न्याय किया जाना चाहिए। इस पर फाइल मंगाई गई। उसको मंगाने के बाद फूड कमिश्नर ने इसको एग्जामिन किया। उन्होने इस केस को एग्जामिन किया और इस तथ्य पर पहुंचे कि फूडग्रेन लाइसेन्स आर्डर के नियमों के अन्दर कार्यवाही नहीं की गई है और रिमाण्ड कर दिया गया है। पार्टी ने कमिश्नर के पास अपील की। उस अपील पर यह आदेश दिया कि इस पार्टी को हियरिंग का मौका नहीं दिया गया इसलिए सुनवाई का मौका देकर फैसला होना चाहिये। ये तीनों मामले अभी विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : फूडग्रेन लाइसेन्सिंग आर्डर के अन्तर्गत अपील पेश हुई या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अपील केस के माफिक की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या केस की फाइल इसी ऑर्डर के तहत पर मंगाई गई ?

श्री परसराम मदेरणा : इनहरेन्ट पावर है गवर्नमेंट को फाइल मंगाने की। एक व्यक्ति का लाइसेन्स रद्द कर दिया और उसने शिकायत की। उसमें कई पर्टीकुलर रीजन दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इसे लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन क्यों नहीं कराया ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्री के अ. यह शिकायत हुई थी। उसमें शिकायत-कर्ता ने राजनैतिक कारण लिखे हैं। इसको कमिश्नर फूड एण्ड सप्लाइज के पास भेजा। कमिश्नर फूड को ऐसे केसेज के लिए कानूनी पावर है।

उस आधार पर इसको एग्जामिन करके पार्टी को सुनने का मौका दिया है।

(12 मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : न कि मुख्य मंत्री महोदय को अपील व निगरानी में लाने का प्रावधान था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

स्थगित प्रश्न। श्री विजयसिंह।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु) : यह जयपुर के अन्दर ऐसा मसला चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय ·······

श्री अध्यक्ष: इसको बाद में देखलूंगा।

श्री परसराम गंगाराम: जयपुर में यह मसला ·········

श्री अध्यक्ष: मैं इसको स्थगित प्रश्नों के बाद देख लूंगा।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर): यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यह जरूर लिया जाना चाहिये

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्नों के बाद ले लूंगा, आपको भी सहूलियत हो जायगी साढे बारह बजे बाद भी समय रहेगा तो ले लूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पहले तो चुपचाप बैठे रहते हैं और बाद में फिर ले लेते हैं।

श्री विजय सिंह: प्रश्न सं० 1

स्थगित प्रश्न

(27-8-68)

पटवारी के विरुद्ध शिकायत

1. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पटवारी नवाब-अली मकराना को ससपेन्ड किया गया था। अगर हां, तो किस तारीख को ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी को श्री बाघसिंह ने अपने खेत की बीघोड़ी के रु० 100 जमा करवाकर कच्ची रसीद प्राप्त करली और वे रुपये पटवारी ने खयानत कर जमा नहीं किये ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, नागौर को उन 100 रु० की कच्ची रसीद की सही प्रतिलिपि दे दी गई है ? अगर हां, तो जिलाधीश नागौर ने क्या कार्यवाही की है ?

(श्री विजय सिंह)

(4) क्या यह सही है कि श्री बाघसिंह ने तहसीलदार परबतसर को भी इन 100 रु० के गबन की शिकायत की है परन्तु तहसीलदार परबतसर उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि पटवारी मकराना ने ससपेन्ड होने पर जो चार्ज पटवारी छोटूराम को दिया था उसमें वह 100) रु० जमा नहीं कराये थे ? कृपया उस चार्ज लिस्ट की ओरिजिनल कापी सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां । श्री नवाबखां पटवारी मकराना को दिनांक 13-11-67 को श्री उगमसिंह मकराना की शिकायत पर कि उसने नामान्तरण के लिये 500) रु० की मांग की थी, के आरोप में निलम्बित किया गया था ।

(2) जी नहीं । ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे कि पता चल सके और न ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ।

(3) जिलाधीश नागौर के कार्यालय में कच्ची रसीद की कोई प्रतिलिपि नहीं दी गई है ।

(4) ऐसी कोई शिकायत तहसीलदार परबतसर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(5) प्रश्न के भाग 2 से 4 के उत्तर में वर्णित स्थिति को देखते हुये इस सम्बन्ध में अभी कुछ ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस प्रश्न द्वारा यह बात ध्यान में आने पर जिलाधीश इसकी जांच करा रहे हैं । चार्ज लिस्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि तहसीलदार परबतसर को आज से 6 महीने पहले लिखित में रिपोर्ट दी थी, उसको तहसीलदार परबतसर ने दबा दिया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है ।

श्री विजयसिंह : यह आपको क्या पता । उस कच्ची रसीद को आपके सामने सुपुर्द करता हूं यह चार्ज लिस्ट है उसमें यह नहीं बताया है कि 100) रु० जमा थे । इसको श्री मथुरादास माथुर ने दबा दिया है और इस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया है उसको फौरन ससपेन्ड किया जाय । अगर उपमंत्री महोदय में दम नहीं है तो यह मामला एन्टीकरप्शन को दिया जाय । मैंने उसकी सही प्रतिलिपि••••••

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री गंगाराम चौधरी : कलेक्टर नागौर को दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर । स्पष्टीकरण दें ।

श्री गंगाराम चौधरी : जहां तक 100) रु० की शिकायत का सवाल है । जिलाधीश को इस प्रसंग के बाद जानकारी हुई । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं श्री बाघसिंह के 99-04 पैसे उनके लगान के खाते के मार्च महीने में जमा है । इससे पहले कोई कच्ची रसीद का प्रश्न है तो यह जानकारी बाद की है ।

श्री विजयसिंह : यह पैसे जमा कैसे हुये। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय कि जो जमा कराये हैं चार्ज लिस्ट में 100) रु० कहीं नहीं है। जो सही चार्ज है उस पर मैं साइन करके आया हूं ताकि कोई गड़बड़ घोटाला न हो जाय। माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इस प्रकार के पैसे जमा करा दिये हैं। उसके कोई जमा नहीं हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आपने 100) रु० जमा के लिये कहा है उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री विजयसिंह : उसको ससपेन्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जांच के सम्बन्ध में जिस प्रकार के ऑर्डर, जांच हो जायगी। श्री हरजीराम बुरड़क।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को क्या आपत्ति है एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को सुपुर्द करने में ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्राईमाफेसी कोई बननी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को सुपुर्द किया जाय। आखिरकार सरकार के ऊपर आरोप हैं, मंत्री महोदय के ऊपर आरोप है। इसको सुपुर्द किया जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जिलाधीश का यह फरमाना है कि हम इसकी दुबारा जांच करके बतायेंगे। दुबारा कोई बात पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री विजयसिंह : तहसीलदार परबतसर को टेलीफोन किया था और यह पूछा कि कच्ची रसीद दी है। तहसीलदार परबतसर ने यह कहा है कि यह सही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह : इन करप्शन वालों को पनपाने में सरकार का हाथ है।

श्री अध्यक्ष : प्राईमाफेसी देखकर किया जायगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री विजयसिंह : मथुरादास जी इसको फिर दबा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बुरड़क।

प्रश्न सं० 11
स्थगित प्रश्न
(27-8-68)

पंचायत क्षेत्र ललासरी में चीनी का वितरण।

11. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत क्षेत्र ललासरी, तहसील डीडवाना में दिनांक 1 अप्रेल, 66 से 31 मार्च, 67 तक माहवार कितनी कितनी चीनी रिटेलर को वितरण के लिये दी गई तथा उक्त पंचायत क्षेत्र की कितनी जन संख्या के लिये प्रति व्यक्ति कितनी चीनी का हिसाब लगाया गया ?

(2) रिटेलर ने उपरोक्त महीनों की चीनी गांवों में प्रतिव्यक्ति कितनी कितनी बांटी ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) उपरोक्त समय में विभागीय अधिकारियों ने उक्त रिटेलर का कितनी बार निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय इस बात का भी पता लगाया गया या नहीं कि रिटेलर के रेकार्ड में जिन व्यक्तियों को चीनी दी गई बताई है उन व्यक्तियों को चीनी नहीं दी गई और राशन कार्ड उनके पास कोरे ही पड़े हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस पंचायत क्षेत्र में राशन कार्ड देने वाला और चीनी वितरण करने वाला एक ही व्यक्ति है और इसी कारण से चीनी वितरण नियमानुसार नहीं होती है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) इस अवधि में पंचायत क्षेत्र ललासरी की 1961 की मरदुमशुमारी के आधार पर कुल 1757 जनसंख्या के लिए 300 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से 5 क्विटल 72 किलोग्राम चीनी दी जाती रही।

(2) रिटेलर द्वारा चीनी 200 ग्राम प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति के हिसाब से 2,817 जनसंख्या पर वितरित की गई।

(3) उक्त समय में रिटेलर के रेकार्ड का निरीक्षण किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया।

(4) जी नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : खंड (3) में बताया, उक्त समय में किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। क्या प्रश्न पूछने के बाद में इसका निरीक्षण नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न पूछने के बाद 30-31 को हो सकता है। वहां के सरपंच नहीं मिले हैं। इसलिये जांच करना जरूरी है। जिलाधीश ने उन्हीं एस० डी० ओ० को पूरी जानकारी के करने के लिये आदेश दे दिये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या उस चार्ज रिपोर्ट में यह सही पाया कि चीनी नहीं दी और रजिस्टर में उनका इन्द्राज लिख दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : वितरण के रजिस्टर को देखने से अनियमितताएं नजर आ रही थीं लेकिन जब तक वेरीफाइ नहीं कर लें तब तक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

श्री हरजीराम बुरड़क : खन्ड 1 में आपने बताया है कि प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के हिसाब से 5 क्विटल 72 किलोग्राम चीनी दी जाती रही, क्या आप यह ठीक समझते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : 1961 की जनसंख्या के आधार पर 1,757 का युनिट मानकर चीनी दी गई थी और वास्तव में जो वहां राशन कार्ड थे वह 2,817 इस लिये एस० डी० ओ० ने यह रिपोर्ट दी है। 200 ग्राम से ज्यादा रिटेलर चीनी वितरण नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामचन्द्र आर्य।

(व्यवधान, अश्रव्य)

ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या इस प्रकार के आरोप होते हुए रिटेलर को ससपेन्ड नहीं कर सकते ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक जांच नहीं हुई है और जांच नहीं होने के अभाव में ससपेन्शन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री हरजीराम बुरड़क। वह दोषी पाया गया है फिर भी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। राजस्व मंत्री जी

श्री रामचन्द्र आर्य। प्रश्न संख्या 18।

स्थगित प्रश्न

(27-8-68)

तहसील नोहर में भूमि का अलॉटमेंट

18. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर, जिला श्री गंगानगर में गतवर्ष कितने काश्तकारों को कितनी बीघा भूमि अलॉट की गई ?

(2) उक्त काश्तकारों की भूमि का पट्टा क्यों नहीं दिया गया ?

(3) क्या सिंचित क्षेत्र से बाहर की भूमि एलॉटमेंट का नियम 10 साला है ?

(4) अगर हां, तो नोहर में एक साला अलॉटमेंट करने से सरकार को क्या लाभ है ?

(5) क्या यह सही है कि साल दर साल भूमि को अलॉट करने से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में बाधा पहुंचती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस प्रश्न की सूचना एकत्रित नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल जयपुर) : स्थगित प्रश्न को कब तक स्थगित किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पिछले साल जनवरी में यह उत्तर दिया था कि अलॉटमेंट बदस्तूर रखा जायगा, वह उन लोगों की जमीनें बदस्तूर नहीं रखी गई हैं। एक साला पट्टा रिन्यूअल नहीं किया गया। यह नोटिस अभी भी नहीं निकल रहा है। काश्तकार लोग हैडक्वार्टर पर बेचारे चक्कर लगा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट शीघ्र मंगाई जाय।

स्थगित प्रश्न

(27-8-68)

बाड़मेर जिले के ग्राम

21. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर)। क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(1) बाड़मेर जिले के सुन्दरा, हरसाणी, बेदूसर गिराव एवं जैसिंघर ग्रामो का क्षेत्रफल कितना है ?

(2) उन गांवों को कितने रेवेन्यू गांवों में विभाजित करने के लिये राजस्व विभाग में कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही में अत्यधिक विलम्ब हुआ है ? यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) इन ग्रामों का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्षेत्रफल
1.	सुन्दरा	8,29,610।।।)1
2.	हरसाणी	2,73,333।।।)1
3.	मेवूसर	1,98,816।।।)4
4.	गिराव	2,50,403।।।)2
5.	जेसिंघर	2,47,221।।।)3

(2) इन ग्रामों को 14 इकाइयों में विभाजित करने की कार्यवाही दिनांक 21–5–65 से चल रही है ।

(3) जी हां । आपत्कालीन स्थिति के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका ।

(4) यह मामला विचाराधीन है । शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 14 इकाइयों में विभाजित करने जा रहे हैं वे इकाइयां कौन कौन सी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इकाइयों के सम्बन्ध में विचार चल रहा है राजस्व मंडल के समक्ष और राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है इसलिये इस पर विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस विभाजन की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिये कितना समय लग जायगा आपको यह कब तक पूरी करनी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व मंडल की राय आने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल ।

स्थगित प्रश्न

(27-8-68)

झालावाड़ जिले में छात्रवृत्ति

23. **श्री लक्ष्मण तानीवाल**(डग-सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रों को छात्र-वृत्ति झालावाड़ जिले में दी गई और कितने छात्रों ने छात्र-वृत्ति के लिये आवेदन किया था ?

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

(2) गतवर्ष झालावाड़ जिले में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(3) इन छात्रावासों में गतवर्ष कितने छात्र थे और इस वर्ष कितने हैं ?

(4) गत पांच वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को छात्र-वृत्ति की कितनी कितनी राशि दी गई है ?

(5) इस वर्ष प्रत्येक जिले को छात्र-वृत्ति हेतु कितनी कितनी राशि दी गई और प्रत्येक जिले में कितने कितने आवेदन-पत्र छात्र-वृत्ति के लिये आये हैं ?

राज्यमंत्री समाज कल्याण : (श्री विश्वंभरनाथ जोशी):

(1) समाज कल्याण विभाग की मद में 173 छात्रवृत्तियों के लिए 491 आवेदन-पत्र आये थे ।

(2) गत वर्ष छात्रावासों पर 1.60.74 रुपये व्यय हुए ।

(3) इन छात्रावासों में गतवर्ष 149 और इस वर्ष 161 छात्र हैं ।

(4) समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई जिलेवार छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पिछड़े वर्ग के लिए जो धनराशि देती है वह धनराशि इस विभाग द्वारा हस्तान्तरित की जाती है जिलों की मांग के अनुसार आवंटित की जाती है ।

(5) गत पांच वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्रावधान किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगस्त तक आपके पास प्रार्थना-पत्र आ रहे थे । इसी सिलसिले में झालावाड़ जिले के अन्दर जो एक कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल है उसके अन्दर पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपना आवेदन-पत्र छात्रवृति प्राप्त करने हेतु दिया था । मेरे पास उस छात्रों का पत्र है उसमें उसने शिकायत की है कि मेरा आवेदन-पत्र तो यहां से चला गया लेकिन उसके जाने के बाद इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के कार्यालय के किसी कर्मचारी ने उस आवेदन-पत्र को जो छात्रवृत्ति के लिये दिया गया था, दाखिल नहीं किया । जिसके कारण वह छात्रा छात्र-वृत्ति पाने से महरूम रह सकती है उस क्लर्क की गलती के कारण उस छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है क्या इसको देने पर आप विचार करेंगे ?

श्री बी. एन. जोशी : अगस्त के अन्त तक प्रार्थना-पत्र आते रहे हैं मेरी समझ में अब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ होगा । अगर उस छात्रा का फार्म गल्ती से रह गया है सारी सूचना प्राप्त होने पर उस छात्रा को छात्रवृत्ति देने का प्रयत्न करेंगे । अगर उसका गलती से फार्म रुक गया है तो आप नया फार्म भरवा कर भिजवा दें उस पर विचार करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति के फार्म अगस्त के अन्त तक विभाग को प्राप्त होते हैं और

(श्री भैरोंसिंह)

वह छात्रवृत्ति जाकर दिसम्बर के माह में मिलती है उससे पहले किसी को नहीं मिलती दिसम्बर के बाद में भी दी जाती है ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति देने का काम समाज कल्याण विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग को दे दिया है इसलिये समाज कल्याण विभाग का नियन्त्रण उस पर नहीं रहा है। शिक्षा विभाग उन फार्मों की जांच करने के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृत करता है। इस कार्यवाही से विलम्ब हो जाता है और वह छात्रवृत्ति जाकर नवंबर दिसम्बर तक मिलती है। वैसे समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग से कान्ट्रेक्ट रखता है फिर भी विलम्ब हो जाता है हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे छात्रवृत्ति समय पर और यथाशीघ्र मिल जाय।

कई जिलों में ऐसा है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी रहते हैं वे इस बारे में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस के कार्यालय से संबन्ध रखते है उनको समय समय पर लिखते रहते है फिर असलियत में इसका डिसबर्समेन्ट शिक्षा विभाग से होता है।

श्री भैरोंसिंह : इसका अर्थ यह है कि शिक्षा विभाग में देरी होती है उसमें समाज कल्याण विभाग का कोई दायित्व नहीं है ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : यह मतलब नहीं है। आफ्टरआल उन को सभी काम करना पड़ता है यह उनके पास अतिरिक्त काम है इसलिये विलम्ब हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह छात्रवृत्ति साल के अन्तिम महीने में यानि मार्च के महीने में डिसबर्स होती है जब यह डर लगता है, रकम लेप्स हो जायगी तो उस समय इसको वितरित किया जाता है इससे उसका कोई उपयोग नहीं होता पूरे वर्ष तक छात्र उधार लेकर अपना खर्चा चलाता है। अन्त में जाकर जब पैसा मिलता है तो उसका उपयोग बिल्कुल नहीं हो पाता। अगस्त में जब फार्म लिये जाते हैं तो समाज कल्याण विभाग इसकी जिम्मेदारी लेकर उन छात्रों को सितम्बर में ही वह मिल जाय इस बात का प्रयत्न क्यों नहीं करते। मार्च के महीने में मिलना यह तो आपका निकम्मापन जाहिर करता है क्या आप इस निकम्मेपन को दूर नहीं कर सकते ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत यह काम ले लिया जाय इस पर विचार कर रहे हैं और समाज कल्याण विभाग अपने अधिकारियों द्वारा इसका वितरण करावे यह सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

स्थगित प्रश्न

(27-8-68)

मन्दिरों की चल व अचल सम्पत्ति

30. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रत्येक जिले में देवस्थान विभाग के डाइरेक्ट चार्ज के मन्दिरों की चल व

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अचल सम्पत्ति कितने कितने रुपयों की है और क्या क्या हैं ?

(2) देवस्थान विभाग के मकानों, दुकानों आदि को किराये पर देने के क्या नियम हैं ? क्या किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग से तय करवाया जाता है ?

देवस्थान मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) डाइरेक्ट चार्ज के 332 मन्दिरों में चल सम्पत्ति 10,29,851 रु० की है और अचल सम्पत्ति लगभग 1,79,69,481 रु. की है। सूची संलग्न है। अत सम्पत्ति में सोना चांदी के आभूषण एवं बर्तन हैं व अचल सम्पत्ति में मकान दुकान व भूमि आदि है।

(2) ऐसे कोई नियम नहीं बने हुए हैं। दुकानें व मकानात नीलाम से अथवा पड़ोस की अन्य जायदाद के वर्तमान किराये को दृष्टि में रखकर किराये पर दिये जाते हैं। राजकीय विभागों के पास जो मकान हैं उनका किराया सार्वजनिक विभाग द्वारा ऐसेस किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : यह प्रश्न जिलों से सूचना के अभाव में स्थगित किया गया था फिर क्या अब सब जगह से सूचना आ गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसीलिये तो आज जवाब दिया। पूरे जिलों के आंकड़े आ गये।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये पूरे जिले के नहीं हैं। ये दस जिलों के ही हैं। जिले जबकि 26 हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डाइरेक्ट चार्ज के मन्दिर इन्हीं जिलों में हैं।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्ट चार्ज के मन्दिरों के अन्तर्गत जो एक करोड़ से अधिक की सम्पत्ति है उसके सुपरविजन के लिये या उसको रेगुलेट करने के लिये क्या कोई अधिनियम, नियम या व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी अभी तक तो सूची बनकर तैयार नहीं हुई है। जहां जहां डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर हैं उनसे इसके बारे में कि कैसी जायदाद है, यह टूटी है, साबित है कैसी कहां है इसकी जानकारी मांगी है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है। यह पालिसी का सवाल है। जानकारी का सवाल नहीं है। इस प्रोपर्टी को रेगुलेट करने के लिये सुपरवाइज करने के लिये या डिस्पोज करने के लिये सरकार ने कानून, नियम या विज्ञप्ति कुछ जारी कर रखी है क्या ? यह जानना चाहता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : देवस्थान की प्रोपर्टी का जहां तक ताल्लुक है इसकी सुपरविजन के बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का निर्माण किया है। यह उनके सुपरविजन और अधिकार में रहेगी। जो जो जायदाद खारिज हो गई है उसको पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से और कलेक्टर से मिलकर बिकवाने का प्रबन्ध वे करते हैं और जो मरम्मत के लायक है उसकी मरम्मत कराते जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। सीधा सा सवाल है। करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी को आपने डाइरेक्ट चार्ज में लिया है उसको रेगुलेट करने के लिये मैनेज करने के लिये डिस्पोज ऑफ का भी काम पूरा करने के लिये वैधानिक व्यवस्था की है या नहीं। कानून, नियम या ऐसी कोई व्यवस्था की है या नहीं की है तो हां कह दें, नहीं तो ना कह दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : देवस्थान कमिश्नर अपनी निगरानी में यह सब करता है वही जिम्मेदार है। देवस्थान कमिश्नर की सहायता के लिये हरएक जगह पर एक एक कमेटी बनाई हुई है। यह गवर्नमेंट की प्रोपर्टी है। जैसे और प्रापर्टी डील करते हैं वैसे ही इसको भी डील करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि इस प्रोपर्टी के सम्बन्ध में सरकारी प्रोपर्टी के तौर पर डिस्पोज ऑफ करने के लिये जो सरकारी नियम बने हुए हैं इस प्रोपर्टी पर भी वही नियम लागू होंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इन नियमों के अनुसार डाइरेक्ट चार्ज की प्रोपर्टी का फिजिकल वेरीफिकेशन हो गया है और इसके अकाउन्ट्स की ऑडिट की भी व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऑडिट होता है डाइरेक्ट चार्ज के टेम्पलों की प्रोपर्टी का। फिजिकल वेरीफिकेशन भी होता है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब हुआ ?

श्री दुर्गालाल बाददार : मेरा एक प्रश्न रह गया है अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 158।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दुर्गालाल बाददार: आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में ब्रीफ रूप से मैंने निवेदन किया था। माननीय आसन ने इस पर बाद में विचार करने के लिये कहा था।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष है, या आसन है ? आसन का मतलब तो कुर्सी है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कुर्सी पूजनीय है, अध्यक्ष माननीय हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधा के लिये इसको ले लेते है।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

158. **श्री दुर्गालाल बाद्दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर नगर की बढ़ती हुई आबादी को दृष्टि रखते में हुए राज्य सरकार ने 12 मील के क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन किये जाने के आदेश दिये थे ?

(2) क्या कृषि भूमि में लोगों ने आवास हेतु बड़े बड़े भवन निर्मित कर लिये है ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति ने कृषि भूमि मे भवन निर्मित किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

(3) क्या राज्य सरकार इन बने हुए भवनों को रेगुलराइज करने की सोच रही है? यदि हां, तो इन्हे रेगुलराइज करने हेतु क्या नियम बनाये गये हैं ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिया है।

(2) जी हां, जयपुर के आसपास के 12 मील की परिधि में लोगों ने कृषि भूमि में पक्के मकान बिना स्वीकृति बना लिये हैं। सूची संलग्न है।

(3) 1 नवम्बर 67 के पूर्व बने के हुए अनधिकृत भवनों तथा 29 तारीख के पश्चात् बने हुए भवनों के विषय में कार्यवाही किये जाने के विषय में आज्ञा एफ. 6 (63) राज/ख/63 दिनांक 28 फरवरी, 68 जारी की गई है आदेश की प्रति संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दुर्गालाल बादृदार : क्या यह सही है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत एक खातेदारी काश्तकार को यह अधिकार है कि अपनी खातेदारी की भूमि में कुछ अंश के अन्दर वह अपने इम्प्रूवमेंट के रूप में मकान का निर्माण करा सकता है।

श्री गंगाराम चौधरी : वैसे यह कानूनी प्रश्न है पर यह सही है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : कानूनी प्रश्न का प्रश्न नहीं है। मैं तो यह पूछ रहा हूं राजस्व मन्त्री से कि ऐसा कानून में प्रावधान है क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने कहा न कि प्रावधान है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : यह जो लम्बी चौड़ी लिस्ट दी है इसमें से कितने मामले रेगुलेराइज कर दिये है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उनको रेगुलेराइज करने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दुर्गालाल बादृदार : अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि करीब 800 से ऊपर की यह लिस्ट सदन में प्रस्तुत की गई है। जयपुर का यह दुर्भाग्य है कि यहां की आबादी बढ़ती जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : आबादी बढ़ना तो सौभाग्य का चिन्ह है। दुर्भाग्य कैसा ?

श्री अध्यक्ष : यह आपस में तय कर लीजिये।

श्री दुर्गालाल बादृदार : अध्यक्ष महोदय, मै आपको सही रूप से निवेदन करता हूं कि मनमाने ढंग से जमीन अलाट करने का सवाल आता है और यहां गरीब काश्तकार जिन्होंने अपने छोटे छोटे मकानात बना लिये रहने के लिए, इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपने उनको रेगुलेराइज करने का नोटिफिकेशन निकाला है, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लीगल इम्प्लीकेशन का सवाल है न्यायालय इसका निर्णय

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
करेगा। पर वह अधिकार भी इन्होंने अपने हाथ में रखा है। मरजी आवेगा उसको ऐतराज कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।

आप तो सूची के आधार पर बता दीजियेगा कि कितने केस आप रेगुलेराइज कर चुके हैं कितने पेन्डिग में हैं। अगर यह जानकारी नहीं है तो फिर सूची किस आधार पर दे दी यह आपने ?

श्री गंगाराम चौधरी : अविकसित जो कस्बे हैं उनकी सूची है, नाजायज राजकीय भूमि पर कब्जे वाले केस भी हो सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 67 से पहले के कितने हैं और बाद के कितने हैं। 67 के पहलों को आपको रेगुलेराइज कर देना चाहिये था, पर आपने वैसे स्टेप लिये नहीं तो फिर सूची यह किस आधार पर दे दी। मुझे तो ऐसा लगता है कोई प्रश्न पूछा जाता है, अधिकारियों के पास आप भेज देते हैं और वे मनमाना जवाब दे देते हैं, बस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): किसी भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार नियम बना रही है ? राज्य सरकार नियम बना रही है। ऐसी घोषणा सदन में सरकार ने की थी। इसके सम्बन्ध में अन्तिम तौर पर क्या निर्णय लिया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है नियम बना रही है, या यह निर्णय ही निरस्तर कर दिया गया है। इस प्रश्न को 28 फरवरी को सरकूलेट किया गया था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह सर्कुलेशन का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय आपको स्मरण होगा कि राजस्थान सरकार की ओर से सदन में यह घोषणा की गई थी वित्त मन्त्री ने की थी, अपने अभिभाषण में की थी कि कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है और इससे सरकार को इतने लाख की आमदनी होने का अंदाज है। अब या तो बिना केबिनेट में निर्णय लिये वित्त मन्त्री ने अपनी इच्छा से ही घोषणा कर दी हो यह हो सकता है अगर कर दी घोषणा तो नियम बना कर व्यवस्था क्यों नहीं की। मैं तो पालिसी की बात पूछ रहा हूं।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : वित्त मन्त्री ने जो कहा है, ठीक कहा है। निर्णय इस तरह का लिया गया हैं। इसके डिटेल एग्जामिनेशन के लिये केबिनेट की सब कमेटी बनाई गई है। इसका फैसला जल्दी हो जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अवेदचन ऐसा कि जो घोषणा यहां फ्लोर ऑफ दी हाउस पर कर दी और अब जैसा कहा गया राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है तो इसके व्यापक दूरगामी परिणाम निकले है। कृषि भूमि की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ऐसा लगता है राज्य सरकार पर दबाव आया है और इस कारण से यह देरी की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जा रही है, ब्लेक मेल करने का लोगों को मौका दिया गया है। इसके सिवा देरी का और कारण समझ में नहीं आता। राज्य-सरकार शीघ्रता से निश्चित रूप से यह घोषणा करें और सदन को बतावें कि वह आगे क्या नियम इसके लिये बना रही है और कैसे इसे कर रही है। यह बड़ा भारी पालिसी का सवाल है। आपकी इस ढील से अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। यह रेगुलेराइजेशन का सवाल नहीं है। निश्चित नीति सरकार को इस बारे मे शीघ्र घोषित करनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की इस घोषणा के बाद समाचार पत्रों में यह भी समाचार प्रकाशित हुए हैं कि एक केबिनेट की मीटिंग में सरकार ने अपनी इस नीति में परिवर्तन करके कन्वर्शन की जो घोषणा वित्त मंत्रीजी ने की थी उसको रद्द कर दिया और सरकार ने उस नीति को तब्दील कर दिया इस प्रकार के समाचार अखबारों में प्रकाशित हुए हैं जिनका असर आम जनता के ऊपर लाजिमी तौर पर पड़ता है इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करें कि गवर्नमेंट अभी भी वह नीति जो वित्त मंत्री महोदय ने घोषित की थी उसको बनाये रखना चाहती है या आप उससे रिट्रीट करके इसको कैंसिल कर दिया है और इस समय इस तरह का कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया गया है असल में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान के कई नगरों से और कई कस्बों से इसका संबंध है। बहुत सी जगहों पर जो कृषि की भूमि है और कृषि भूमि में बिना मन्जूरी के उसको तब्दील कर दिया गया है उसमें बहुत सी जगहों पर मकानात भी बनाये गये हैं और बहुत सी जगहों पर और भी काम में ली गई है तो अब तक जो नीति है गवर्नमेंट की कृषि भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्ट करने के लिए एक तो यह है कि अगर पंचायतें चाहें और जिस एरिया में म्युनिसिपैलिटी है तो म्युनिसिपैलिटी चाहे कि वह अपने पास के क्षेत्र की भूमि आबादी में परिवर्तित करना चाहती है तो उसकी ऐसी प्रार्थना आने पर और उनके ऐसा प्रपोजल आने पर गवर्नमेंट उनसे लेन्ड रेवेन्यू का 20 गुना लेकर चाहे तो सरकार परिवर्तित कर सकती है और कई जगहों पर ऐसा किया भी हैं।

दूसरे गवर्नमेंट ने फरवरी, 1968 में एक फैसला किया था जिसमें जयपुर के आसपास की और दीगर जगह भी कि जिन कृषि भूमि पर लोगों ने मकानात बना लिये हैं जो कि आपने प्रश्न उठाया है और भी कृषि कामों के लिये उसका इस्तेमाल किया है उसके लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अक्टूबर 1967 से पहले के जितने केसेज हैं और उससे पहले जो तामीरात हुई है उनको एक तरह से रैगुलेराइज किया जाये। इस तरह से उन केसेज को इन्डीविजुअल मैरिट्स पर जांचा जावे और उसका फैसला किया जावे। उसमें यह भी निर्धारित करना पड़ेगा कि किस किस एरिया में वह मकानात तामीर हुए हैं और

Page No.38

(श्री रामकिशोर व्यास)

उसके लिए अलग अलग रेट्स सोचनी पड़ेगी क्योंकि 12½ मील के एरिया में एक ही रेट्स नहीं हो सकती। जो बिलकुल सड़क पर भूमि है उसकी और शरा हो सकती है और जो जयपुर से बिलकुल मिली जुली भूमि है उसकी और शरा हो सकती है।

इसके अलावा जो आपने कहा है कि अनधिकृत तामीरात के भी केसेज हो सकते है जिनको टैनेन्सी एक्ट में अधिकार है कि ५०वें हिस्से में तामीरात कर सकते हैं लेकिन अगर किसी ने वह अनधिकृत तामीरात 12 मील के अन्दर कर लिया है और बिना मन्जूरी के कोई मकान बना लिया है तो अनधिकृत वह हो जायेगा। वैसे उसको टैनेन्सी एक्ट में अधिकार है लेकिन उसकी परमीशन लेनी चाहिए थी वह नहीं ली-- ऐसे केसेज भी हैं और ऐसे केसेज भी हैं जो प्योरली नॉन-एग्रीकल्चर परपज के लिए है। हर केस की मैरिट्स को देखना पड़ेगा। उसके लिए सजेस्ट किया गया है कि हर जगह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, कलेक्टर और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन और म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन सब यह बैठकर तजवीज करें कि किस क्षेत्र के लिए क्या रेट्स ठीक हो सकती हैं और फिर वह गवर्नमेंट के पास भेजें और फिर उसकी सेंक्शन की जायेगी। आपने कहा है कि जो लिस्ट दी गई है काफी बड़ी लिस्ट है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसे तो छोड़ दो।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके काम की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेन्ट की पालिसी क्या है, वह हम जानना चाहते हैं। आपके कहने के मुताबिक यह होगा कि अक्टूबर, 68 से पहले कृषि भूमि पर जिन जिन ने मकानों का निर्माण करा लिया है उन पर लैण्ड रेवेन्यू का 20 गुना चार्ज करके रेगुलेराइज कर दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैंने नहीं कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें यह इम्प्रेशन है। या तो हाउस को समझ नहीं है या फिर आपमें समझ नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो भी इनफरेन्स निकालें वह अलग बात है। जो नोटीफिकेशन दिया है उसकी कापी दे दी है उसमें बहुत सी बातें हैं उसका आप मुलाहिजा कर लीजिए। "देट वी हैव गिवन।"

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप एक्सप्लेन कर दीजिए ना।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दुर्गालाल बादवार : 2 महीने, 6 महीने, 10 वर्ष में कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बादवार : कोई आश्वासन नहीं आ रहा है राज्य सरकार से...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अर्ज करूंगा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ......

श्री भैरोंसिंह : केवल एक मिनट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज

श्री भैरोंसिंह : मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। इस सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कन्वर्शन के सम्बंध में अब तक सरकार ने जो अलग अलग विज्ञप्तियां निकाली हैं इसके साथ यदि सदन की मेज पर रख दें उनको, तो सारे भ्रम का निराकरण हो सकता है। एक विज्ञप्ति रखी है इसके बाद की और पहले की जो भी नीति गवर्नमेंट ने निर्धारित की है उसकी कापी सदन की मेज पर रख दें तो ठीक होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैंने कहा हैं कि केबीनेट ने एक सब-कमेटी बनाई है उनकी भी रिपोर्ट आ जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर के लिए)
परिशिष्ट 4 देखिये

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेल्स टैक्स व पेसेन्जर टैक्स से आय

160. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार को पिछले दो साल में सेल्स टैक्स व पैसेंजर टैक्स से प्रत्येक जिले से कितनी कितनी आमदनी हुई है ? कृपया जिलेवार वसूली की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कॉमर्शियल टैक्सेज विभाग की प्रत्येक जिले में कितनी कितनी रकम वसूल होनी बाकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) विवरण संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंदिर वासूवाला करौली की चल एवं अचल सम्पत्ति

161. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि मंदिर वासूवाला (श्री कल्याण रायजी) करोली की चल, अचल सम्पत्ति के संबंध में उप-जिलाधीश अधिकारी करोली ने दिनांक १०-८-६६ को कोई जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर की चल अचल सम्पत्ति इससे संबंधित मंदिरान की चल अचल सम्पत्ति में से किसी अनाधिकृत व्यक्ति के अस्तव्यस्त व फरोक्त की है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने अब

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तक क्या क्या चल अचल सम्पत्ति को किस कानून के अन्तर्गत बेचा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत तीस हजार रुपयों की सम्पत्ति पर राज्य सरकार द्वारा एक ट्रस्ट कायम कर दिया जाता है ? यदि हां तो इस मंदिर की सम्पत्ति पर भी सरकार ने एक ट्रस्ट कायम क्यों नहीं किया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह मंदिर सहायता प्राप्त श्रेणी का है। देवस्थान विभाग के अधीन नहीं है। मंदिर की जायदाद को हरिदास एवं घनश्याम दास महन्त ने बेचा है। बेचान की गई जायदाद की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। जो जायदाद बेची गई है वह ट्रस्ट एक्ट के लागू होने से पहले तथा रजिस्ट्रेशन होने से पहले बेची गई है।

(3) जी हां, इन मंदिरों का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 29-3-65 को हो चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण विभाग का निर्धारित लक्ष्य

162. **श्री रामकिशन (वैर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण विभाग के जो लक्ष्य निर्धारित थे उनकी प्राप्ति हुई अथवा नहीं ?

(2) अगर नहीं तो क्या कारण है ?

(3) क्या समस्त निर्धारित धन का इन योजनाओं के काल में उपयोग हो गया ? अगर नहीं, तो कितना बचा और क्यों ?

उत्तर

(1) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित थे लगभग उन सबकी पूर्ति हो गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) तीन योजनाओं में कुछ धनराशि की बचत हुई है जो नहीं के बराबर हुई है। प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल में धनराशि की बचत का कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति देरी से दी जानी थी। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में बचत का कारण प्रारम्भ में दी गई स्वीकृति में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कटौती करना ही रहा है।

बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्शन के मामले

163. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मार्च, 1966 से फरवरी, 1968 तक बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्शन कुल

Page No.41

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कितने लोगों को मिली ? नामों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विषय में किन‌किन की दरख्वास्तें पैन्डिग हैं उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त दरख्वास्तों पर कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची अ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची ब सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्रीमती दुर्गा, पुत्री पांचा व श्री मीर पुत्र रहीम के लिये राज्य सरकार को नियम संशोधन के लिये लिखा गया है। नियम संशोधन होने पर निर्णय लिया जायेगा। श्रीमती लच्छी का प्रार्थना-पत्र उप-कोषाधिकारी, चोहटन को पूर्ण जांच हेतु भेजा गया है वहां से प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। श्रीमती किस्तूरी व भीखी का निर्णय शीघ्र ही किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जहाजपुर तहसील में आदिवासी विकास खन्ड

164. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जहाजपुर तहसील में जहां आदिवासी निवास करते हैं, सरकार आदिवासी विकास खण्ड खोलने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आदिवासी विकास खन्ड केन्द्रीय अनुदान से भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही खोले जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान 18 आदिवासी विकास खन्डों के अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान में 20 आदिवासी विकास खन्ड स्वीकृत किये गये थे जिनमें जहाजपुर भी सम्मिलित है। तदनंतर केन्द्रीय अनुदान से संचालित योजनाओं में भारत सरकार द्वारा देश के सब भागों में कटौती कर दी गई जिससे आदिवासी विकास खन्डों में भी कटौती की गई और 1966-67 के पश्चात राजस्थान में आदिवासी विकास खन्ड नहीं खोले गये और 1968-69 के बजट में भी प्रावधान नहीं रखा गया। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि अब जहाजपुर में आदिवासी विकास खन्ड खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कब स्वीकृति दी जा सकेगी।

हरिजन बस्तियों के निर्माण की योजना

165. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सन 1967-68 में हरिजन कोलोनीज के निर्माण के लिये

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कोई योजना बनाई थी ? यदि हां तो किस किस जिले में, कितने कितने रुपयों की लागत से, कितने कितने घरों की कोलोनी बनाने की योजना है ?

(2) क्या सरकार ने बारां नगर में हरिजन कोलोनी बनाने का निर्णय किया है?

(3) यदि हां तो कितने घरों की कोलोनी कितने कितने रुपयों की लागत के घर बनाने का निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

मकान-बाड़ा बनाने के लिए कृषकों को जमीन

166. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नियमों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसानों को मकान, बाड़ा आदि बनाने के लिए बिना कीमत कुछ जमीनें एलोट की जायें ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने नियमों में प्रावधान करने के अलावा इन नियमों के पालन के लिये कोई कदम नहीं उठाया है यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि इस प्रकार से किसानों को देने के लिये भूमि किन किन गांवों में उपलब्ध है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और नहीं है तो उपरोक्त नियमों के तहत काश्तकार को मिलने वाली सुविधा का लाभ सरकार किस तरह से काश्तकार को दे सकेगी ?

(दिनांक 10–9–68 के लिये स्थगित किया गया)

बंजर भूमि की खातेदारी

167. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में काश्तकारों के पास जो खातेदारी की भूमि है उसमे बंजर भूमि भी है ?

(2) बंजर भूमि की खातेदारी किस प्रकार होती है तथा कितने साल बिना काश्त रहने पर बंजर मानते हैं ?

(दिनांक 10–9–68 के लिये स्थगित किया गया)

गंगापुर तहसील के निकट बने नये पटवारघर पर व्यय

168. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सू.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि गंगापुर तहसील के निकट नया पटवारघर बनाया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितनी राशि व्यय की गई है ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, नया पटवारघर बनवाने के लिये सरकार द्वारा 4500) रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी, वह पूरी धनराशि पटवारघर के निर्माण में खर्च हुई है

भूतपूर्व राजाओं को काश्त योग्य भूमि का लगान

169. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपर्व राजाओं के कब्जे में जो काश्त योग्य भूमि है क्या उसका लगान वसूल किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो कितना कितना, किन किन से, कब कब से वसूल किया जाता रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, भूतपूर्व नरेशों की भू-सम्पत्ति का भूराजस्व राजस्थान भूमि सुधार तथा भूस्वामियों की भूसम्पदा अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत 1-4-63 से वसूल किये जाने का प्रावधान है किन्तु आठ भूतपूर्व नरेशों द्वारा उक्त अधिनियम के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत करके उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं जिससे वसूली स्थगित रक्खी गई है। स्थगन आदेशों के कानूनी मुद्दे पर विचार करने के लिये मामला विधि विभाग को भेजा गया है।

भूदान की भूमि का आवंटन

170. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम श्री कृष्णपुरा (रोड़ू), तहसील लाडनूं, जिला नागौर ग्रामदानी ग्राम घोषित हो चुका है ? यदि हां, तो कब और उक्त ग्राम के कुल कितने परिवार हैं और उनके पास कितने कितने बीघा भूमि थी, जिसमें से कितनी कितनी बीघा भूमि भूदान में कब कब दी है और भूदान में दी गई भूमि को किस किस परिवारों में कब कब बांटा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त ग्राम में ग्रामदान होने के समय कोई भूमिहीन काश्तकार थे ? यदि हां, तो कौन कौन और उनको कितनी कितनी भूमि कब कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जो भूमि इस ग्राम के काश्तकारों से भूदान में मिली और जिसको वापिस किसी के नाम एलोट की उसकी खातेदारी एलोटमेंट में लेने वालों को कब कब मिली और यह जमीन अब किस किस के कब्जे में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त ग्राम की भूमि में किसी ने कोई भूमि किसी को नहीं दी है और अपने पूर्व के कब्जे के आधार पर ही मालिक है तथा जो भी कागजी कार्यवाही दान देने

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आदि की हुई है, वह सब कागजों तक ही सीमित है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त ग्राम ग्रामदानी होने के कारण उक्त ग्राम को पंचायत समिति अथवा राज्य सरकार के किसी दूसरे विभाग से कोई आर्थिक सहायता मिली है ? यदि हां, तो कब कितनी सहायता कहां से और किसके द्वारा गांव को मिली और उसका उपयोग क्या क्या किया गया ?

उत्तर

1. ग्राम कृष्णपुरा (रोड़ू) दिनांक 1-2-61 को ग्रामदान ग्राम घोषित हो चुका है। इस ग्राम में कुल 21 परिवार हैं। जिन्होंने भूमि दान में दी हैं जिनकी सूची संलग्न है। बंटवारा नहीं किया गया है।

2. कृष्णपुरा ग्राम दान होने के समय कोई भूमिहीन काश्तकार नहीं था।

3. जो भूमि इस ग्राम के काश्तकारों से भूदान में मिली है उसको वापिस किसी के नाम अलोट नहीं की गई, इसलिए खातेदारी देने का प्रश्न नहीं उठता। सूची जो संलग्न है उसके अनुसार ही उनके कब्जे में है।

4. हां, जानकारी है कि उक्त ग्रामदान होने के पश्चात् भूमि किसी को नहीं दी गई और अपने पूर्व के आधार पर ही मालिक है।

5. पंचायत समिति लाडनूं द्वारा इस ग्राम को सरकार से ग्रामदानी ग्राम के लिये जो सहायता प्राप्त हुई थी उसमें आर्थिक सहायता दी है। यह सहायता तालाब की मरम्मत हेतु दिनांक 12-7 को 1000) श्री गोदाराम अध्यक्ष, ग्रामदानी, ग्राम कृष्णपुरा को दी गई। उपयोगिता प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सेठ श्री बांगड़ की छुड़वाई हुई चारागाह भूमि

171. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नागौर जिले के कुछ गांवों में डीडवाना के सेठ श्री बांगड़ की छुड़वाई हुई चरागाह भूमि है ? यदि हां, तो कौन कौन से गांव में कितनी भूमि है तथा उसका प्रबंध किस के हाथ में है व उनकी कुदरती पैदावार की आय किसके पास रहती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जोधपुर राज्य के समय नागौर जिले के कई गांवों में गोचर भूमि, सेठ श्री बांगड के निवेदन पर कायम की गई थी जिसको बांगड भूमि कहते हैं मगर सभी गांवों में जहां पर यह भूमि कायम की गई थी वह बांगड़ भूमि के नाम से दर्ज नहीं है। इसलिये सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(श्री राजस्व मंत्री)

चारागाह भूमि की देखरेख पंचायतें करती हैं क्योंकि जिस गांव में जो चारागाह भूमि होती है उसका इन्तजाम वहां की पंचायत के द्वारा ही करने का नियमों में प्रावधान है। कुदरती पैदावार की आय पंचायतों को ही लेने का हक है।

चूरू जिले में सम्मिलित खाते पर सरचार्ज

172. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले में सरचार्ज देने वाले कितने आसामी हैं? क्या इसमें सम्मिलित खातेवाले भी शामिल हैं? यदि हां, तो कितने? अलग अलग बतलाया जाये।

(2) सम्मिलित खाते पर सरचार्ज किस आधार पर वसूल किया जा रहा है? जिले में सरचार्ज के कितने केसेज पैंन्डिग हैं?

उत्तर

1. संख्या 908 है जिनमें सम्मिलित खातेवाले 274 व पृथक खाते वाले 634 हैं।

2. नियमों के अन्तर्गत जिन खातों की भूमि के बन्दोबस्त द्वारा भूमिधारियों के हिस्से दर्ज नहीं होकर कुल खाते पर 75)रु० का लगान कायम हुवा हो उनसे अधिभार लिया जायगा यदि बाद में ऐसे खातों की भूमि का बेचान, विरासत या अन्य प्रकार का विभाजन हुवा हो तो जब तक उनका अन्तिम नामान्तकरण नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो जावे तब तक वो मूल खाते में ही शुमार किया जावेगा और उस पर अधिभार लगेगा। सरचार्ज के कोई केस पैन्डिग नहीं है।

एक सदस्यीय आयोग को नियुक्ति

173. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि पंचायत समितियों व पंचायतों के लिए एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया जाय? क्या उसकी नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो कब की गई?

(2) क्या उक्त कमीशन द्वारा कार्य आरम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो उसके द्वारा रिपोर्ट कब तक दे दी जावेगी?

(3) क्या सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव 1969 जनवरी तक करवा देगी?

(4) इस कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के लिए कितना समय दिया गया है।

उत्तर

1. जी हां।

दिनांक 15 फरवरी, 1968 को आयोग की नियुक्ति के आदेश हो गये थे और 8 अप्रेल, 1968 से कमीशन ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

(श्री राजस्व मंत्री)

2. जी हां।

कमीशन को 6 माह के अन्दर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

3. रिपोर्ट पर विचार एवं अंतिम निर्णय हो जाने पर ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

4. 6 माह का।

रेडियोलोजिस्ट के पद

174. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में रेडियोलोजिस्ट की ट्रेनिंग के लिए सेन्टर कहां कहां है और इनमें अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ?

(2) विभाग में रेडियोलोजिस्ट के पद कितने हैं ?

(3) राज्य में एक्स-रे प्लान्ट्स कितने हैं और उन पर किस किस योग्यता के व्यक्ति कहां कहां कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों को रेडियोलोजिस्ट के पद पर नियुक्त किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. राज्य में रेडियोग्राफर की ट्रेनिंग सेन्टर जयपुर और बीकानेर में हैं। इन दोनों केन्द्रों पर अब तक कुल 43 व्यक्ति प्रशिक्षित हुए हैं।

2. विभाग में रेडियोग्राफर के 10 पद स्वीकृत हैं।

3. चाही गई सूची संलग्न है।

4. जी नहीं। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मलेरिया के केस

175. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राजस्थान में सन् 67-68 में मलेरिया के कितने केस हुए ? हर जिले के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच है कि गांवों में मलेरिया का लोग प्राइवेट इलाज कराते हैं। और कुछ प्रतिशत ही सरकारी शफाखानों में जाते हैं और उनकी भी बीमारी मलेरिया नहीं लिखते हैं ? क्या गत दो तीन वर्षों में वर्षा नहीं होने से मलेरिया नहीं हुआ था और इस साल वर्षा होने से हुआ है ?

उत्तर

1. वर्ष 1967-68 में कुल 24428 मलेरिया के केस हुए। जिलेवार मलेरिया केसों की सूची संलग्न है।

2. जी नहीं ऐसा नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बढ़िया किस्म के वृक्ष

176. श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में बढ़िया किस्म के वृक्षों की दृष्टि से कौनसे फोरेस्ट डिविजन्स में सबसे अधिक तादाद में जंगल उपलब्ध हैं? कृपया प्रत्येक फोरेस्ट डिविजन का रकबा व उसमें मिलने वाली बढ़िया किस्म की इमारती व चालू जलाऊ लकड़ी का अनुपात अलग अलग बताने का कष्ट करें ?

(2) राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे जंगलों को जिनमें बढ़िया किस्म के पेड़ पैदा होते आये हैं सुधारने व बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

(3) राजस्थान के किन किन जंगलों में बढ़िया किस्म का बांस पैदा होता है ? कृपया जिलेवार बांस से होने वाली आमदनी व रकबा बताने की कृपा करें। यह भी बतावें कि बांस के जंगल बढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

उत्तर

1. प्रत्येक फारेस्ट डिविजन का रकवा व उनमें मिलने वाली बढ़िया किस्म की इमारती व चालू जलाऊ लकड़ी के अनुपात की सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

2. कल्चरल आपरेशन्स द्वारा वर्तमान में टेढे मेढे, खोखले तथा अनियमितरूप से काटने के कारण खराब हो गए वृक्षों से नई फूटन प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि इस प्रकार प्राप्त नई पौध की सुरक्षा व उपचार से अति मूल्यवान वृक्ष बन सके।

3. बढ़िया किस्म का बांस मुख्यत: भरतपुर, चित्तौड़गढ, उदयपुर, कोटा व सिरोही वन मण्डलों में होता है। बांस से 1966-67 में हुई जिलेवार आय तथा रकबों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

बांस के जंगल बढ़ाने तथा उन्हे सुधारने के लिये अब तक 1,574 हेक्टर में कल्चरल आपरेशन किया तथा 161 हेक्टर्स में बांस के पौधे लगाये गये।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

वन विभाग के अधीन कृषि योग्य भूमि

177. श्री नन्दलाल (पाटन सु.): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में वन विभाग के अधीन कितनी ऐसी जमीन है जिसमें खेती हो सकती है ?

(2) क्या सरकार यह जमीन राजस्व विभाग के अधीन करके भूमिहीनों को देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

1. अभी तक इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है अत: यह बताना कठिन है कि बून्दी जिले में वन विभाग के अधीन खेती योग्य कितनी भूमि है।

2. वन विभाग की भूमि कृषि हेतु राजस्व विभाग में देने हेतु राज्य सरकार ने वन जांच समिति के अनुच्छेद 23 के सुझावों के अनुसार पंचायत तथा जिलास्तर पर मोटी सूक्ष्मता सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रक्रिया

(श्री वन मंत्री)

निश्चित की हुई है । तदनुसार बूंदी जिले में 1-4-1950 से 31-3-67 तक की अवधि में 26,734 एकड़ वन भूमि कृषि हेतु दी जा चुकी है तथा कुछ भूमि हेतु पंचायत तथा जिलास्तर समितियों में कार्यवाही चल रही है ।

कोटा नगर विकास क्षेत्र में नालियां बनाने का कार्य

178. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर विकास क्षेत्र में गुमानपुरा, बल्लभनगर, शॉपिंग सेन्टर आदि में नालियां बनाने के लिये जमीन की खुदाई कब करवाई गई थी ?

(2) क्या सन् 67 में आम चुनावों के पूर्व इन क्षेत्रों में नालियां बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था और चुनावों के तत्काल बाद ही बन्द कर दिया गया ?

(3) क्या वर्षाऋतु में इन खोदी नालियों से पुल का पानी मकानों में घुस जाता है और कालोनी निवासियों के सामने एक विषम परिस्थिति पैदा कर देता है ?

(4) क्या राज्य के वर्तमान राजस्व मंत्री को भी उक्त स्थानों का निरीक्षण यथासमय करवाया गया था ?

(5) सरकार उक्त पानी को निकालने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

1. गुमानपुरा, शॉपिंग सेन्टर योजना कोटा में नालियों के बनाने के लिए खुदाई का कार्य सन् 1965-66 में प्रारम्भ कर दिया गया था ।

2. गुमानपुरा व शॉपिंग सेन्टर में नालियां बनाने का कार्य क्रमशः दिनांक 15-3-66 व फरवरी, 66 से सवेंदक को अधिशाषी अभियन्ता मंडी खंड द्वारा दिया गया लेकिन ठेकेदार के कुछ विवादों की वजह से कार्य 3-67 में ठेकेदार ने काम करना बन्द कर दिया ।

3. वर्षाऋतु में समय समय पर कच्ची नालियां खोदकर वर्षा के पानी का निकास कर दिया जाता है फिर भी जो कुछ मकान नीचे हैं उनमें पानी की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है ।

4. इसकी विभाग को जानकारी नहीं है ।

5. नालियों के निर्माण का कार्य ठेकेदार को दिया हुआ था परन्तु कतिपय विवादों के कारण कार्य में स्थगन आ गया है । इस समय यह विवाद मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भ० व प०) जयपुर के यहां विचाराधीन है ।

राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि

179. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं और उनकी कितनी जन-संख्या है व भूमि कुल कितनी है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) सरकारी भूमि कितनी एकड़ है और सन् 1955 से पूर्व के कब्जे की कितनी खातेदारी है ? सिंचित कितनी और बारानी कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के ग्रामों में आबादी भूमि आज तक मंजूर नहीं की गई है ? यदि हां, तो पंचायत के भूमि बेचने के अधिकार सरकार ने कब कौनसी तारीख से वापिस लिये ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामों की आबादी नहीं काटने से जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो आबादी भूमि क्यों नहीं काटी जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि निकट भविष्य में सरकार ग्राम पंचायतों को भूमि बेचने का अधिकार राजस्थान नहर क्षेत्र में देने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. राजस्थान नहर क्षेत्र में कुल गांव 535 हैं जिनमें से 437 फ्लो एरिया में व 98 लिफ्ट एरिया में है। उनकी जन संख्या सन् 1961 के अनुसार 1,65,410 है कुल भूमि (एकड़ों में) है:–

(अ) लिफ्ट क्षेत्र 8.50 लाख

(ब) फ्लो क्षेत्र 50.37 लाख

2. (क) कुल सरकारी भूमि एकड़ों में) (फर्स्ट और सैकिन्ड फैज मिलाकर) 35.93 लाख

(ख) (अ) खातेदारी (1955 से पूर्व) 6.97 लाख

(ब) टेम्परेरी कल्टीवेशन होल्डर 5.15 लाख

(ग) गैर मुमकिन 2.32 लाख

(घ) सिंचित भूमि:—

(अ) फ्लो 36.86 लाख

(ब) लिफ्ट 7.53 लाख

(ङ) बारानी भूमि :—

(अ) फ्लो 13.51 लाख

(ब) लिफ्ट 0.97 लाख

3. जी नहीं। चक आबादी मन्जूर की गई है और की जाती है। 5-5-1959 के नोटिफिकेशन द्वारा यह अधिकार पंचायतों से लिये गये थे।

4. यह सही नहीं है।

5. मामला सरकार के विचाराधीन है।

लघु सिंचाई योजनाएं

180. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

इस वर्ष 1968-69 में सिंचाई विभाग द्वारा कौन कौन सी लघु सिंचाई योजनायें चालू की गई है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

1. केवल एक मोरिया की कडिया नामक योजना उदयपुर जिले में प्रारम्भ की गई है।

हालेण्ड सागर बांध की मरम्मत

181. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हालेण्ड सागर बांध तहसील उनियारा, जिला टौंक में टूटा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उसको तैयार करवा कर सिचाई करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या इस बांध को तैयार करवाने के लिए सिंचाई विभाग टौंक द्वरा कोई एस्टीमेट्स उच्चाधिकारियों को भेज दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब और इसे कब पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां। तखमीना तैयार करवाया जा रहा है।

2. जी नहीं।

तेलियों का तालाब व चत्रभुजी तालाब से सिंचाई

182. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक शहर के दोनों ओर तेलियों का तालाब और चत्रभुजी का तालाब किस विभाग के अधीन है ?

(2) क्या यह भी सच है कि इन दोनों तालाबों में पानी की कमी से आस-पास के सिंचाई के कुओं में भी पानी की कमी हो गई है जिससे हर कुऐं से पहले जितनी जमीन की सिचाई नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग इनको अपने अधिकार में लेकर इनकी खुदाई व मरम्मत आदि कराने का विचार रखती है ?

उतर

1. यह दोनों तालाब सिंचाई विभाग के अधीन नहीं हैं।

2. इस विभाग को इसका कोई जानकारी नहीं है और सिंचाई विभाग के अधीन न होने के कारण सिंचाई विभाग कोई कारतामीर का कार्य नहीं कर सकती।

डीग सब-डिवीजन में सर्वेयर

183. श्री मजलिस खां (कामां) :- क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग सब-डिवीजन में सर्वेयर नहीं हैं ? यदि हां, तो कब से।

(2) क्या डीग सब-डिवीजन में सर्वेयर की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है, तो क्या वजह है कि वहां पर सर्वेयर नहीं रखा जाता ?

(3) क्या सरकार वहां पर इस कमी को महसूस करते हुए सर्वेयर की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

धीवरी नहर में लिंक ड्रेन का निर्माण

184. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धीवरी नहर में सन् 1958 से आज तक पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो कितनी कृषि भूमि में ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामवासियों ने बार बार यह मांग की है कि धीवरी से एक लिंक ड्रेन निर्माण करा कर भोरी नहर में कामां पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल से मिलाई जाकर पानी निकाला जा सकता है ? यदि हां, तो फिर लिंक ड्रेन का निर्माण क्यों नहीं कराया जाता है ?

(3) क्या राज्य सरकार, उक्त लिंक ड्रेन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, 100 एकड़ भूमि में पानी भरा है।

(2) जी हां, लिंक ड्रेन का निर्माण शीघ्र करवाने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

(3) चालू द्वितीय वर्ष में यह कार्य अवश्य पूरा करवा दिया जायेगा।

गांव ठुकराना को नहर से पानी

185. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के गांव ठुकराना, तहसील सूरतगढ़ के रकबे में होकर नहर गई है ? यदि हां, तो ठुकराना की भूमि को पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

(2) गांव ठुकराना के रकबे में कितने बीघा भूमि में पानी नहर से लग सकता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी तक ठुकराना गांव तक राजस्थान नहर अथवा उसकी कोई शाखा नहीं पहुंच पाई है।

(2) राजस्थान नहर से एक सोमासर माइनर के निकालने का तकमीना मंजूर हो चुका है जिसका काम निकट भविष्य में शुरु होने वाला है। इस माइनर से गांव ठुकराना की करीब 200 बीघा भूमि में पानी लग सकता है।

गिरोलिया बांध का कार्य

186. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(1) पाली तहसील में गिरोलिया बांध का काम कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) इस बांध पर कितनी धन राशि लगेगी और उसके निर्माण में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(2) इसकी अनुमानित लागत 25 लाख रुपया होगी, समय के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

ग्राम पंचायत सांचोर द्वारा पब्लिक शौचालयों के निर्माण का ठेका

187. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालोर की सांचोर ग्राम पंचायत ने पब्लिक शौचालय बनाने हेतु ठेका किसको दिया व उसके टेन्डर कब मांगे व अखबार में प्रकाशित कराये गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि टेन्डर में लीड देने का उल्लेख नहीं है ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की रेट से ज्यादा रेट देने के उपरांत भी लीड क्यों दी गई है व क्या वह रकम वापिस वसूल करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शौचालय बनाने का ठेका श्री हुरक चन्द को दिया गया टेण्डर दिनांक 18—12—67 को मांगे गये टेण्डर की प्रतिलिपियां विज्ञापन हेतु नगर पालिका जालोर एवं भीनमाल के कार्यालयों में भेजी गई इसलिए विज्ञापन अखबारों में नहीं छपवाया गया ।

(2) जी हां, टेण्डर लीड देने का उल्लेख नहीं है किन्तु ऐस्टीमेट में लीड शामिल है सांचोर में खण्डा, कॉंकरीट आदि 45 किलोमीटर दूरी से उपलब्ध होता है । पी. डब्लू. डी. की दर से अधिक दर पर ठेका देने और लीड देने का कोई संबंध नहीं है ।

ग्राम पंचायत सांचोर द्वारा दुकानें बनाने का ठेका

188. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जालोर की सांचोर ग्राम पंचायत ने सांचोर में दुकान बनाने का ठेका दिया था ? यदि हां, तो कितनी दुकानें बनाने का ?

(2) क्या यह सत्य है कि नक्शे में स्वीकृति दो दुकानों की थी और दुकानें ज्यादा ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि ठेके के मुताबिक टेन्डर मांगने का विज्ञापन अखबारों में छापा नहीं कराया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की रेट से भी 50 प्रतिशत ज्यादा का ठेका दिया गया है तथा निर्माण विभाग की रेट से ऊपर दिये जाने के उपरांत

Page No.53

(श्री आईदान सिंह)

19 प्रतिशत लीड देने का पंचायत ने तय किया यद्यपि लीड का टेन्डर में कोई उल्लेख नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, 6 दुकानों का।

(2) जी नहीं।

(3) विज्ञापन अखबारों में नहीं छपाया गया किन्तु म्यूनिसिपल कार्यालय भीनमाल, जालौर व पंचायत समिति जालौर व जिलाधीश महोदय जालौर के कार्यालय में इश्तिहार की प्रतियां भेजी गईं ?

(4) जी हां, 50 प्रतिशत ऊपर दर का टेण्डर स्वीकृत किया गया। यह दर टेण्डर प्राप्त हुए उनमें सबसे कम थी। लीड देने का पंचायत समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया।

पंचायत समिति परबतसर के सरपंच को दी गई रकम

189. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति परबतसर द्वारा समाज कल्याण विभाग से मिली हुई रकम में से सरपंच भीदीयाद को कितनी रकम दी गई ?

(2) रकम किस कार्य में लगाई गई ? क्या तत्संबंधी युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रुपये 1000) स्वीकृत किये गये व रुपये 900) दिये गये।

(2) स्वीकृति के अनुसार कुआं रेगरान व कुआं भांबीयान के लिये धनराशि काम में ली गई। सरपंच के हिसाब पेश नहीं करने से युटिलजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है।

मनोरंजन कार्यक्रम पर व्यय

190. **श्री जयनारायण साळोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 29-10-67 को रात्रि के 8 बजे पंचायत समिति, निवाई द्वारा आकाशवाणी जयपुर के कलाकारों को बुलाकर मनोरंजन का कार्यक्रम किया गया ? यदि हां, तो उस कार्यक्रम पर कुल कितना रुपया किस मद से खर्च किया गया ?

(2) क्या उक्त खर्च का बजट में प्रावधान था या पंचायत समिति या सम्बन्धित उप-समिति की स्वीकृति ली गई थी ?

(3) क्या यह भी सच है कि इस कार्यक्रम की सूचना पंचायत समिति के अधिकतर सदस्यों को नहीं दी गई ?

(4) दिनांक 1-10-67 से 30-10-67 तक मनोरंजन के कितने कार्यक्रम नाटक व लोकनृत्य के नाम से किये गये और उन पर कितना खर्चा किस मद से किया गया ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(5) क्या यह सच है कि इन कार्यक्रमों के लिए पंचायत समिति के प्रांगण में एक स्टेज का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्चा किस मद से किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, 450) रु. समाज शिक्षा के मद से व्यय किया गया।

(2) जी हां, शिक्षा स्थायी समिति ने स्वीकृति दी।

(3) जी हां, सूचना पंचायत समिति के समस्त सदस्यों को नहीं दी गई केवल शिक्षा स्थाई समिति के सदस्यों को ही सूचित किया गया क्योंकि यह कार्यक्रम शिक्षक सम्मेलन से सम्बन्धित था।

(4) इस अवधि में प्राथमिक शालाओं की खेलकूद प्रतियोगिता तथा शिक्षक सम्मेलन आयोजित हुए थे। इन्हीं के साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उन पर केवल 450) रु. समाज शिक्षा के मद से व्यय किये गये।

(5) पंचायत समिति के प्रांगण में एक खुले चबूतरे का निर्माण हुआ है जो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिये ही नहीं बल्कि किसी भी सभा, सम्मेलन तथा आयोजन के अवसर पर मंच के रूप में काम में लिया जाता है। इसके निर्माण पर 364–26 पैसे का व्यय पंचायत समिति की निजि आय से हुआ।

ग्राम पंचायत सांचोर को विकास कार्यों के लिये दी गई धनराशि

191. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत सांचोर, पंचायत समिति सांचोर को पिछले 6 सालों में ग्राम के विकास के लिये कब-कब कितनी-कितनी रकमें सरकार द्वारा दी गई ?

(2) ग्राम पंचायत की अपनी निजी आय से ग्राम के विकास के लिये पिछले 6 सालों में कब-कब कितनी-कितनी रकमें खर्च की गईं ? दोनों प्रकार की रकमों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। किस किस कार्य के लिये रकम खर्च की गई ? कृपया उसका विवरण भी सूची में दें।

(3) उपरोक्त खर्च की गई रकमों के उपयोगिता के कितने प्रमाण-पत्र अब तक पंचायत को मिल चुके हैं और कितने अब तक बाकी हैं ? अगर बाकी है, तो क्यों ? कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं ? अगर अपूर्ण हैं, तो क्यों ?

(4) क्या इस पंचायत के इन कार्यों का पिछले 6 सालों का ऑडिट हो चुका है ? अगर हां, तो कब कब ? पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं के बारे में अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों नहीं ? उक्त सालों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत सांचोर द्वारा किराये के लिए दुकानें बनाने का निर्णय किया गया था, अगर हां, तो कितनी ? वे दुकानें बनकर कब तक तैयार हो जानी थी ? अब तक क्यों नहीं पूरी हो पाई हैं ? दुकानें पूरी कराकर कब तक किराये पर देदी जावेंगी ?

उत्तर

(1 व 2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कार्य के पूर्ण होने व प्रमाण-पत्र दिये जाने की सूचना भी सूची में दे दी गई है ?

(4) पंचायत सांचोर का ऑडिट निम्न प्रकार से हुआ है :—

वर्ष	तारीख
61–62	6-3-62
62-63	3-11-62, 6-11-62, 11-11-62
63-64	28-12-63,31-12-63
64-65	1,3,5,6,8-2-65
65-66	15,16,19-1-66
66-67	8,14,22-9-66

अनुपालना रिपोर्ट जिलाधीश जालौर को प्रेषित कर दी गई है वहां कार्यवाही चल रही है।

(5) जी हां, 6 दुकानें बनाने का निर्णय लिया गया। दुकानों का काम अपूर्ण पड़ा है क्योंकि ठेकादार को रकम पूरी नहीं दी जा सकी। पंचायत समिति से धनराशि प्राप्त होने पर दुकानें पूरी कराई जायेंगी और फिर किराये पर उठाई जायेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रोहट पंचायत समिति को उधार दिया गया बीज व खाद

192. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रोहट पंचायत समिति ने सन् 1956 से आज तक किन-किन पंचायतों को किस-किस वर्ष कितना-कितना बीज व खाद उधार दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखियेगा।

(2) क्या यह सत्य है कि जो बीज व खाद आज तक दिया गया है, उसकी वसूली नहीं हुई ? यदि नहीं तो कितनी और किस-किस से वसूली हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति रोहट के पास उसका रिकार्ड भी पूरा नहीं है।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(2) सूची में वसूली का विवरण भी दिया गया है।

(3) पंचायत समिति बना तब से रिकार्ड पंचायत समिति में मौजूद है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली पंचायत समिति द्वारा उधार दिया गया बीज व खाद

193. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली पंचायत समिति ने सन् 1956 से आज तक किन किन पंचायतों को किस-किस वर्ष कितना-कितना बीज व खाद उधार दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि जो बीज व खाद आज तक दिया गया उसकी वसूली नहीं हुई ? यदि नहीं तो कितनी और किस-किस से वसूली हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति पाली के पास उसका रिकार्ड भी पूरा नहीं है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति ने खाद और बीज के लिए ऋण दिया, जिसकी कुल राशि बीज की सन् 63 से 1,16,612) 09 तथा खाद की 21,365)08 पैसे बकाया हैं जिसके वर्षवार विवरण की सूची सदन की मेज रख दी गई है।

(2) वसूली के लिए मांग पत्र तैयार किये जा चुके हैं तथा पंचायतों को नोटिस दिये गये हैं। वसूली में दिक्कत आ रही है। प्रयत्न जारी है। अब तक की वसूली की सूची भी सदन की मेज पर रखी गयी है।

(3) पंचायत समिति में वैसे तो बीज तथा खाद का पूरा रिकार्ड है परन्तु 1959 से 62 तक के कागजात का चार्ज भूतपूर्व फील्डमैन के नहीं देने से समय पर मांग पत्र तैयार नहीं किये जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पाली व रोहट पंचायत समितियों द्वारा मुर्गीपालन के लिए दी गई धनराशि

194. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली व रोहट पंचायत समितियों ने आज तक कितनी-कितनी धनराशि किन-किन व्यक्तियों को मुर्गी पालने के लिये कब-कब दी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह धनराशि सहायता के रूप में दी गई है ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग हुआ ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर, रख दी गई है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(2) धनराशि ऋण और सहायता दोनों में दी गई है जिसका उल्लेख सूची में कर दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र बारां

195. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करगे :—

(1) बारां पंचायत समिति के अन्तर्गत चलने वाले लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र पर कितने रुपयों की लागत का क्या सामान कितने समय से स्टाक में पड़ा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) बारां पंचायत समिति का यह प्रशिक्षण केन्द्र कब बन्द हुआ और किन कारणों से हुआ ?

(3) स्टाक में पड़े हुए सामान का अब सरकार क्या उपयोग करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) योजना से वांछित लाभ नहीं होने से केन्द्र सन् 1963 से बन्द किये गये ।

(3) पंचायत समिति में काम में नहीं आने वाला सामान बेच दिया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर शहर की फेयर प्राइस शॉप्स

196. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर शहर में कितनी फेयर प्राइस दुकाने हैं ? उनको कितने यूनिट प्रति दुकानदार के हिसाब से दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नए राशन कार्ड देते समय दुकानदारों को 2100 यूनिट रखने की आज्ञा दी गई थी ? यदि हां, तो फिर उनको ज्यादा यूनिट किन कारणों से दिये गये ?

(3) किन दुकानदारों के पास कम यूनिट हैं और उनको बढ़ाकर दूसरों के समान क्यों नहीं किया जाता है ?

(4) जब कि जयपुर में सप्लाई ऑफिसर स्वयं यूनिट वितरित करता है फिर अजमेर में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) अजमेर शहर में कुल 119 फेयर प्राइस दुकानें हैं तथा प्रत्येक दुकानदार हेतु यूनिटों की अधिकतम सीमा 2,500 यूनिट निर्धारित है ।

(2) प्रारम्भ में हर दुकानदार को 2,100 यूनिट रखने की आज्ञा दी गई थी, साथ साथ उपभोक्ता को यह छूट दी गई थी कि वे अपने निकट की दुकानों पर उनके सुविधानुसार राशन कार्ड रजिस्टर करालें ताकि नगर की समस्त दुकानों पर यूनिट भी बराबर रहे और दुकानों के निकट रहने वाले उपभोक्ताओं को असुविधा भी न हो । बाद में

(श्री खाद्य मंत्री)

यह पाया गया कि बहुत से उपभोक्ताओं के कार्ड उनके निकट की दुकानों पर रजिस्टर नहीं हो पाये। अतः उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये यूनिट की अधिकतम संख्या 2,100 से बढ़ाकर 2,500 कर दी गई।

(3) कुल 28 दुकानदारों के पास, जिनमें से अधिकांश कोऑपरेटिव सोसायटीज व उपभोक्ता भंडार की शाखायें हैं, 2,500 यूनिट से कम यूनिट हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए इनमें से किसी दुकानदार के पास यूनिटों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक होगा तो चैकिंग के पश्चात् ही यूनिटों की संख्या में हेरफेर की कार्यवाही की जावेगी।

(4) नये राशन कार्ड जैसे जैसे बनते हैं ऐरिया सप्लाई ऑफिसर ही उन कार्डों को राशन की दुकानों पर भेजते हैं।

लूनी नदी की बाढ़ से नुकसान

197. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) गत वर्षा ऋतु में लूनी नदी की बाढ़ से कितने घर डूबे और कितनी खड़ी फसल डूब कर नष्ट हो गई और कहां-कहां ?

(2) जिनके घर बाढ़ में डूब गये थे और जिनकी फसल नष्ट हो गई थी उन्हें राज्य सरकार ने क्या क्या सहायता दी और कितनी-कितनी और किन-किन को तथा कहां-कहां ?

(3) बालोतरा कस्बा में लूनी की बाढ़ से कितनी हानि हुई थी ? कितने घर डूब में आए थे और कितनी फसलें बालोतरा की नष्ट हुई थी ?

(4) उन बाढ़ पीड़ितों के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

(5) फिर नदी की बाढ़ से हानि न होने पावे इसके लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(6) क्या यह सही है कि नदी की धारा बालोतरा कस्बे की ओर भूमि काटती जा रही है और इससे बालोतरा की आबादी को खतरा हो गया है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(7) क्या यह सही है कि बालोतरा कस्बा और नदी के बीच चार पक्की ठोकर बांधने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो यह काम कब तक हो जायगा ?

उत्तर

(1) गत वर्षा ऋतु में लूनी नदी की बाढ़ से 140 घरों को क्षति हुई, और 6680 एकड़ फसल तहसील पचपदरा के ग्राम बालोतरा, मेकरना, तिलवाड़ा, सोमावास, जसोल, सेड, बिठवा, कानाना, वारलू, विन्डा कुआ व बोरावास में और 4881 एकड़ फसल तहसील बाड़मेर के गांव सिणवरी, फटाला, सडारू, टाकिया, लोलावा जाली, खेड़ा, नई ऊदड़ी, मोडावास, अमलीयाला, गोलियावला, कला नगर, वाघलावास गुडा, अनड़, वाटा, भाखरपुरा, सिदावस चौहान, मावरली, कुम्बावास, भूडी, गाघव कलां, गादव कुर्द,

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

डागरिया, रतनपुरा, डेडवास, बारणान, फसल को क्षति पहुंची।

(2) जिनके घर बाढ़ में डूब गये हैं और जिनकी फसल नष्ट हो गई थी उनको राज्य सरकार ने जो रकम सहायता के रूप में दी उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) बालोतरा कस्बे में :—

(i) मकान क्षतिग्रस्त 2210

(ii) फसल का नुकसान 1500 बीघा।

(4) बाढ़ ग्रस्त व्यक्तियों को दी गई सहायता की सूची संलग्न है।

(5) बाढ़ से हानि न होने पावे इसके लिए बालोतरा में ठोकरें बनाई जा रही हैं।

(6) जी हां, बालोतरा की आबादी को नदी के पानी के बहाव से सुरक्षित रखने के लिए जो ठोकरें बनाई जा रही हैं उनसे काफी हद तक सुरक्षा हो जावेगी।

(7) जी हां, 3 ठोकरें बनाई जा चुकी और चौथी निर्माणाधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गुवार की निकासी

198. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर गुवार की निकासी बन्द है?

(2) क्या यह सही है कि गत 3-4 वर्षों में सरकार ने राजस्थान के बाहर गुवार ले जाने के लिये किसी फर्म या इन्डस्ट्रीज को गुवार के परमिट दिये हैं?

(3) यदि हां, तो जनवरी, 65 से मई 68 तक किन-किन फर्मों व इन्डस्ट्रीज को किस-किस तारीख को कितनी-कितनी तादाद के परमिट हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

27-3-68

स्थगित प्रश्न

न्याय पंचायत पांचला

21. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पांचला न्याय पंचायत, पंचायत समिति, सांचोर में कितने न्याय पंच हैं? तथा कौन से पंच कब-कब न्याय पंच पद पर हैं?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त न्याय पंचायत में कुछ पंच अपनी अवधि से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं ? अगर हां, तो कौन-कौन व कितनी ज्यादा अवधि से व क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि कई पंचों की अवधि निकलने पर भी उनका स्थान रिक्त घोषित कर नई गोलियां नहीं निकाली गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अब गोलियां निकाल कर नये पंच कब तक ले लिये जावेंगे ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि इस न्याय पंचायत के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं ? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि इस न्याय पंचायत का काफी अर्से से निरीक्षण भी नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ? अब निरीक्षण कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) छः सदस्य हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं:—

सदस्य का नाम	दिनांक जबसे पद पर आसीन हैं।
1. श्री पाबूराम	2-2-1961
2. ,, पीरदान	20-5-1963
3. ,, दुर्गासिंह	2-2-1961
4. श्री बागाराम	2-2-1961
5. ,, बिरदीचन्द	20-5-1963
6. ,, लुम्बाराम	2-2-1961

(2) जी हां। चार सदस्य सर्वश्री पाबूराम, दुर्गासिंह, बागाराम तथा लुम्बाराम अवधि समाप्ति के बाद भी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 2 सदस्यों की निवृत्ति सन् 1965 में तथा 2 सदस्यों की निवृत्ति सन् 1967 में होनी थी। समय समय पर चुनावों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप निवृत्ति भी नहीं कराई गई।

(3) जी हां। जिलाधीश को शीघ्र निवृत्ति की कार्यवाही कराने हेतु लिख दिया गया है।

(4) जिलाधीश कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(5) जी नहीं। इस न्याय पंचायत का निरीक्षण मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सांचोर द्वारा 22-8-68 को किया गया है।

स्थगित प्रश्न

27-8-68

पंचायतों को गृह आवास व्यवस्था के लिये दिया गया रुपया

24. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने पंचायत समितियों की स्थापना से सन् 1965-66 तक गृह आवास

(श्री हरजीराम बुरड़क)

व्यवस्था के लिये कितना कितना रुपया किन किन पंचायत समितियों को दिया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि बहुत सी समितियों ने इस राशि का उपयोग नहीं किया या उपयोग किया तो इतना ही किया कि राशि को पार्टियों को दे दी, और क्या यह सही है कि उन पार्टियों ने मकान नहीं बनाये ? यदि हां, तो ऐसी दोनों प्रकार की कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं? विस्तृत ब्यौरा रकम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम की वसूल नहीं हुई है ? यदि हां, तो किन-किन समितियों में कितनी-कितनी रकम किन-किन पार्टियों में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) सूची सदन की मेज रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

27-8-68

श्री राम रसायनिक खाद कारखाने में दुर्घटना

26. **श्री विटठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 5-4-68 को कोटा स्थित श्री राम रसायनिक खाद कारखाने में कोई दुर्घटना हुई है ?

(2) दुर्घटना के कारण क्या थे ?

(3) दुर्घटना में कितने आदमी किस किस श्रेणी के मरे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितना कितना मुआवजा दिया गया ? सूची देने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्रीतिन्या टावर, जोकि सीमेन्ट कंकरीट का बना हुआ पाइप की तरह गोलाकार 230 फीट ऊंचा तथा 55 फीट व्यास का है, भीतरी भाग में बॉयलर की पुरानी 9-3/4-2 इन्च व्यास की ट्यूब मचान (Scaffolding) से बनाया गया था । तथा यह मचान टावर के ऊपरी भाग तक बनाया गया था । मचान के बनाने में विविध नलों (पाईप्स) को आपस में जोड़ने हेतु लोहे के क्लीप्स का प्रयोग किया गया था तथा नट बोल्ट्स से इसे बांधा गया था । उनको आपस में ब्रेसिंग (Bracing)

(श्री श्रम मंत्री)

भी क्लीपों से ही किया गया था। इतनी ऊंचाई पर ढल रहे रीएन्फोर्सड सीमेंट की 8"-9" छत का भार तथा उस पर काम कर रहे 30-35 व्यक्ति और आधे टन सीमेंट कंक्रीट से भरी हुई ऊपर ले जाने वाली ट्रॉली जो कि टावर के बाहर लगे इलेक्ट्रिकल विन्च द्वारा ऊपर खींची जा रही थी, इन सभी के संयुक्त वजन के लिये पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल विन्च जो 20 हार्स पॉवर की मोटर से चल रहा था तथा सीमेन्ट कंक्रीट से भरी आधी टन की बाल्टी जो जमीन से 230 फीट की ऊंचाई तक खींची जाती थी, के खिंचाव के कारण भी इतने जोर से झटके लगते थे कि सारा मचान भूकंप की तरह हिल जाता था। ऐसा अनुमान वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं वाष्प यंत्र जिन्हें जांच के लिये श्रम विभाग की ओर से भेजा था, ने लगाया है। सरकार की ओर से जांच के लिये एक टेक्निकल कमेटी भी नियुक्त की गयी थी यह निष्पक्ष रूप से मामले की जांच कर रही है।

(3) दुर्घटना में कुल 13 आदमी मरे। इस में 3 इन्जीनियर तथा बाकी 10 व्यक्ति कारीगर थे। मृतकों की सूची संलग्न है।

(4) मृतकों के परिवारों को जो मुआवजा दिया गया उसकी सूची भी संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

स्थगित प्रश्न

27-8-68

अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही।

31. श्री आइदानसिंह (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के सांचोर ग्राम पंचायत द्वारा बस स्टेण्ड के पास सरकारी बेरे के नजदीक नाजायज कब्जा करने पर 91 एल. आर. एक्ट के तहत श्री रायचन्द को हटाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस फैसले की अभी तक तामील नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों व कब तक हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला जालोर के सांचोर ग्राम में तहसीलदार सांचोर द्वारा बस स्टेण्ड के पास सरकारी बेरे के नजदीक नाजायज कब्जा करने पर दिनांक 4-5-63 को श्री रायचन्द माली के खिलाफ तहसीलदार द्वारा कब्जा हटाने का आदेश व 1800) रु० जुर्माना किये गये थे जिसकी अपील श्री रायचन्द द्वारा जिलाधीश को की गई थी जो दिनांक 23-7-63 को खारिज हो जाने पर उसकी दूसरी अपील रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी, जोधपुर को की जिस का फैसला तारीख 22-6-64 को हुआ जिसमें 11) रु० जुर्माना रखा।

(2) जी नहीं। फैसले की तामील कराई जा कर श्री रायचन्द माली का उस भूमि पर से कब्जा हटा दिया गया था।

(12.38 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री भैरोंसिह व श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने समाचार पत्र उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की हड़ताल के कारण कई दिनों से देश के बड़े समाचार-पत्रों का प्रकाशन का स्थगित होने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित स्थगन प्रस्ताव ।

(2) ज़ोधपुर इन्जीनियरिंग कॉलेज में कथित 25 हजार रुपये के गबन से संबंधित श्री विजयसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) दिनांक 22-8-68 के आसपास ग्राम परसरामपुरा पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के एक निवासी की स्त्री के साथ बलात्कार व मार पीट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराये जाने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के बारे में श्री शिवनाथसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) सीकर जिले के काश्तकारों को समय पर बिजली न मिलने व प्रायोरिटी के आधार पर उनको कनेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति के आधार में श्री हरलाल सिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(5) राजस्थान पंचायत समिति, दांता रामगढ़, जिला सीकर में गुप्ता कृषि फार्म, अलवर द्वारा खरीदी गई हाई ब्रीड बाजरे में खराबी के बारे में श्री ठाकुर मदनसिंह दांता द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(6) खाद्य विभाग में एन्फोर्समेन्ट ऑफिसरों और इन्सपेक्टरों की नियुक्ति पदोन्नति, आदि से संबंधित श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री केदारनाथ द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

प्रथम स्थगन प्रस्ताव का संबंध मुख्यतया केन्द्रीय सरकार से है । अन्य स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये ।

अत: मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, पहले स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल केन्द्रीय सरकार से ही नहीं है बल्कि राजस्थान प्रदेश की सरकार से भी इसका सम्बन्ध है— .... —

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

निम्न दो स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है......

श्री भैरोंसिंह : पॉन्इट ऑफ आॅर्डर ...

श्री अध्यक्ष : जब अध्यक्ष खड़े हों तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर अराइज नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : कायदा यह है कि कोई सदस्य पांइट ऑफ आर्डर करे तो अध्यक्ष को आसन पर बैठ जाना चाहिए । परम्परा तो यह है..........

श्री अध्यक्ष : परम्पराओं का मैंने भी अध्ययन किया है। जब अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय दे रहे हों उस समय पॉइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठाए जाते रहे हैं। यह परम्परा भी है और नियम भी है।

श्री भैरोंसिंह : परम्परा यह भी है कि पॉइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया जावे तो अध्यक्ष महोदय को बैठ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : निम्न दो स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायेगा :-

(1) महाराजा कालेज छात्र संघ की मांगों को न मानने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भैरोंसिंह, श्री श्रवणलाल व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) खेतड़ी की तांबे की खानों के लिए काटली नदी के क्षेत्र में कुओं का निर्माण करने से इस एरिया के कुओं की पानी की सतह नीची होने के कारण सिचाई न होने से सम्बन्धित श्री शिवनाथ सिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व अन्य 11 माननीय सदस्यों के एक स्थगन प्रस्ताव, मुख्य सचिव को सतर्कता आयोग के पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो गई है कि मुख्य सचिव को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। इस नियुक्ति के बाद यह स्थगन प्रस्ताव निष्फल हो जाता है। अतः अस्वीकार किया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव राज्य के मुख्य सचिव के० पी० यू० मेनन की सतर्कता आयोग में नियुक्ति के विषय पर सदन के 12 सदस्यों ने दिया था आपने राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है, इस आधार पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूं के०पी०यू० मेनन को नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश कब जारी किये। जिससे कि हमें इस बात की पूरी जानकारी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : 20 अगस्त का मन्त्रि-मंडल का फैसला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियुक्ति कब की गई है?

श्री अध्यक्ष : यह मालूम नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी जानकारी में इस नियुक्ति के आदेश इस स्थगन प्रस्ताव के बाद जारी किये गये। स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत हो, अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार से जानकारी चाहें, राज्य सरकार महोदय अध्यक्ष को जानकारी दे नहीं, सदन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा टाली जाय और यह राजस्थान की सरकार इस दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के पहले श्री मेनन को नियुक्त कर दे। इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, सदन के 12 सदस्यों ने इस बात के स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। उसके उपरांत भी उनको नियुक्त किया गया। सरकार इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बात पर अड़ी रही। इस आधार पर कि हिन्दुस्तान में हम वदनाम हो जायेंगे। जिस आदमी की सैंट्रल इण्टेलीजेंस ब्यूरो ने प्रिलिमनरी इन्क्वायरी की हो जिसमें उनको दोषी पाया गया हो। जिस पर फायलों में घोटाला करने के चार्जेज हो। वकीलों का जिसपर चार्ज हो मद्रास में जिस पर चार्ज लगाये गये हों। उस आदमी के स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के बाद में मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार का यह निकम्मापन है, इससे अधिक और कोई लज्जा की बात नहीं हो सकती है। कौनसी ऐसी बात है कि राजस्थान सरकार ने स्थगन प्रस्ताव पर विचार होने से पूर्व ही नियुक्ति के आदेश निकाले। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि पिछले साल राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की आयु सीमा 58 से घटा कर 55 कर रहे हैं। हम सदन के सदस्यों ने यह मांग की थी कि क्या राजस्थान स्टेट सर्विसेज के मन में यह जलन है कि आई० ए० एस० और केन्द्रीय कर्मचारियों की आयु सीमा 58 साल है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को अपनी भावना से अवगत कराए। राज्य सरकार की ओर से भी केन्द्रीय सरकार के समान ही 55 के स्थान पर 58 साल किये जायें। केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा गया। तो अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार अपनी घोषित नीति के विपरीत कार्य करती है। उन लोगों को 58 साल के बाद भी सेवा में स्थान दे। यह नियम के विरूद्ध है। केन्द्रीय सरकार हमारे हाथ में नहीं है। आइ०पी० एस० और आई०ए०एस० हमारे हाथ में नहीं है। इस नियुक्ति से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों में जलन होगी। राज्य सरकार आई०पी०एस० और आई०ए०एस० के साथ पक्षपात करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 58 के बाद रिएम्प्लॉयमेंट क्या राजस्थान सरकार के हाथ में है? एक तरफ 58 साल को रिएम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं और राजस्थान स्टेट सर्विसेज के के लोगों को 55 साल में रिटायरमेंट करते हैं। यह राज्य सरकार की नीति राज्य कर्मचारियों के साथ में निन्दनीय है। अगर राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है तो इसका मतलब होगा. इससे पहले मुख्य सचिव भगवतसिंह मेहता को राजस्थान मिनरल्स का चेयरमेन बनाइये। खुराना ....

(12.45 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

साहब भी बनाए जायेंगे। आर०डी० माथुर भी बनाए जायेंगे। राज्य सरकार को यह तय करना पड़ेगा। भगवतसिंह मेहता, आर०डी० माथुर, खुराना, दूजा उनके भी स्थान आएग उनको भी हम उसी पद पर बैठाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संक्षेप में नहीं होगा मा० उपाध्यक्ष महोदय। यह प्रश्न ही ऐसा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह किस बात पर चर्चा हो रही है। स्थगन प्रस्ताव सब रिजेक्ट कर दिये हैं। कोई तरीका नहीं है। एडजोर्नमेंट मोशन कैसे हुआ? इतना भाषण क्यों हो रहा है?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भाषण इसलिए हो रहा है कि हम 12-13 सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा। विधान सभा में आए हुए प्रस्ताव को टाला जाये इससे अधिक निन्दनीय कार्य और क्या हो सकता है। इसके बारे में यह भी सही है कि जयपुर में गोलीकाण्ड हुआ है। इसके सम्बन्ध में उनसे फर्जी कागजात बनवाये हैं। हमारी संस्थाओं में जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनके एक दो वर्ष का समय बढ़ाने की बात करें तो मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम नियम नहीं तोड़ेंगे। आप अपने चहेतों को इस तरह से लगाते हैं। आप इस तरह से पहचान में किसी को रखना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला होजाना चाहिए कि क्या सरकार यह एग्जीक्युटिव सदन के ऊपर है? क्या यह सरकार सदन की मंशा को मार सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर चर्चा किसी नियम के अनुसार ही हो सकती है। अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से उठा सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम पालन की बात होती है। यह सरकार तो खुद नियम को तोड़ती है। लगातार, यह तो खुद नियम भंग सरकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप की व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : शिरोधार्य है तो मानने का कष्ट करें।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय चले गये हैं। वह शायद यह समझ कर चले गये हैं कि मैनन की नियुक्ति को विरोधी पक्ष पर सरकार जबरदस्ती थोप देगी। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह थोपी हुई चीज विरोधी पक्ष कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अगर विधान सभा के नियमों का वायोलेशन करना पड़ा तो वह भी करेंगे। (हियर, हियर) उसको भी तोड़ेंगे।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवा महल-जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर पहले से ही चार्जेज लगे हुए हों और उसको चेअरमैन नियुक्त करती है राज्य सरकार विरोध के करने के बावजूद, इस सदन के बाहर माननीय सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बावजूद जो विरोधी दल की भावनाओं की उपेक्षा की जाती है और फिर विरोधी दल के समक्ष नियमों की दुहाई दी जाती है और विरोधी दल का मुंह नियमों के आधार पर बन्द किया जाता है और यह कहा जाता है कि हम इस सदन के समक्ष यह भावनायें व्यक्त नहीं करें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर किसी प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न होती है या कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार के ऊपर है। यह राज्य सरकार को समझ कर चलना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने मैनन साहब की नियुक्ति के सम्बन्ध में अभी बात की और कहा कि इस सदन के बारह माननीय सदस्यों

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

के द्वारा यहां पर यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया है और उस स्थगन प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जो हमारे यहां के मुख्य सचिव हैं उनकी विजिलेन्स कमीशन के कमिश्नर पद पर नियुक्ति नहीं की जाय। जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी जानकारी के अनुसार सदन को बताया कि यह जो निर्णय के० पी० यू० मैनन को विजिलेन्स कमीशन के कमिश्नर पद पर नियुक्त करने के लिए कैबिनेट ने लिया यह बीस अगस्त का है बीस अगस्त को कैबिनेट ने निर्णय लिया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्डर कब जारी हुआ ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह आर्डर जारी हुआ ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर्डर हो जाता है तो वह कन्टेम्प्ट आफ हाऊस है।

श्री गिरधारी लाल व्यास मैं आर्डर के सम्बन्ध में नहीं कह रहा। मैं तो जो अध्यक्ष महोदय ने हाऊस को जानकारी दी है उसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की जानकारी हाउस में दी है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं और उसके सम्बन्ध में ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री दुर्गालाल बाद्दार : यह जानकारी नहीं दी गई है।

(इसके पश्चात् श्री गिरधारीलाल व्यास के भाषण के साथ-साथ श्री दुर्गालाल वाद्दार भी भाषण देते रहे जो प्रतिवेदित नहीं किया जा सका)

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस हाउस के अन्दर 184 सदस्य हैं, विरोधी दल के सदस्यों के अलावा जो सदस्य हैं उन सदस्य की भावनाओं की भी आपको कद्र करनी पड़ेगी। उसकी कद्र न करके यह यहां पर कहना, और यह चैलेंज करना कि हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और हम अपने तौर तरीके अपनायेंगे- मेरा निवेदन है कि यह एटीट्यूड नहीं चल सकता है। हमारे देश में प्रजातंत्र है और लोकतंत्र में हम और आप विश्वास करते है तो हर मामले में बहुमत ही फैसला करेगा, न कि अल्पमत......

(इसके पश्चात् श्री विजयसिंह श्री गिरधारी लाल व्यास के भाषण के साथ साथ भाषण देते रहे जो प्रतिवेदित नहीं किया जा सका)

मेरा निवेदन है कि इस विधान सभा में इस प्रश्न के ऊपर आप मत ले सकते हैं और मत के द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि के० पी० यू० मैनन की नियुक्ति के सम्बन्ध में कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे विधान सभा के कितने सदस्यों की सहमति है। मेरा निवेदन है कि उनके पीछे इस विधान सभा का बहुमत है और बहुमत के आधार पर ही उनको नियुक्त किया गया है। आप चाहते हैं कि विधान सभा के बहुमत का फैसला इस प्रकार के कंसेज पर मालूम करके चलें तो आप यह भी कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आपको अपने तौर तरीकों को छोड़ना चाहिये। आप इस विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इस प्रकार की बात

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

कहें कि यह विरोधी दल है यह अपनी बात को मनवा कर रहेगा चाहे किसी प्रकार की कार्यवाही करनी पड़े तो मैं समझता हूं इस प्रकार की बात अलोकतांत्रिक बात होगी और इस तरह से हमारे यहां पर व्यवस्था नहीं चल सकती है। हमको जिस प्रकार की व्यवस्थायें लोकतांत्रिक प्रणाली में बराबर चलती आई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के ऊपर चलना पड़ेगा और उन्हीं व्यवस्थाओं को मान कर हम आगे कार्यवाही चला सकते हैं। हो सकता कि आपको किसी बात पर विरोध हो तो आप अपने विरोध को तरीके से, जो हमारे कायदे कानून बने हुए हैं उन कानून और कायदों में दिये गये तरीके से उठा सकते हैं, और तरीके से उठा सकते हैं लेकिन इस तरीके को अख्तियार करके कह कर चलें कि आप यहां पर सत्तर आदमी हो हाउस को कमाण्ड करते हैं और 110 आदमी जो इधर बैठे हुए हैं इनका कोई महत्व नहीं है, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की भावनाओं से काम चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुमत को ऐसे प्रश्न पर और इस तरह की सारी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पर अल्पमत को बहुमत पर रखते हैं। यह उचित नहीं है। यह सरकार के देखने की बात है, जिस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त करना वह उचित समझती है। उसको ही करती है। जहां तक विजिलेन्स कमीशन के कमिश्नर का सवाल है, उसका कमिश्नर कोई पुराना आदमी होना चाहिये, जो अनुभवी हो। इसमें 58 वर्ष या इससे ज्यादा वर्ष का होने का किसी प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होता। वैसे विजिलेन्स कमीशन के कमिश्नर के लिए 65 वर्ष की उम्र रखी हुई है, 65 वर्ष का कोई व्यक्ति इसमें रखा जा सकता है। तो सरकार ने जो भी निर्णय किया है वह सोच समझ कर किया है, सही दृष्टिकोण से किया है। आप बारबार एक प्रश्न को ही उठाते हैं लेकिन यह नहीं बताया कि इनके ऊपर कौनसा केस लगा। आप एक केस के अन्दर भी इनके खिलाफ कोई निर्णय बता दीजिये। किसी प्रकार के केस के अंदर आज तक इनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपने सैन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो का उदाहरण दिया। मैं यह कह सकता हूं कि सैन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो ने उनके खिलाफ किसी केस में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद भी आप किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात कहते हैं········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप कैसे कह सकते हैं ? सी. आई. बी. ने अपनी प्रेलिमिनरी इन्क्वायरी में मैनन के खिलाफ टायर स्कैण्डल में साबित किया है। गिरधारीलाल जी, इस प्रकार की बात मत कहिये। अगर यह बात गलत है ··

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं समझता हूं कि यह अन्यायपूर्ण है और न्यायोचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और अगर यह सच है तो आप इस्तीफा दे दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें।

श्री विजयसिंह : इस्तीफा देने की बात तो गिरधारीलाल जी को ले डूबेगी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष जी, के.पी यू. मेनन की विजिलेन्स कमिश्नर के तौरपर नियुक्ति के सम्बन्ध में में यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली बीस तारीख को ही कैबिनेट ने उनको नियुक्त करने के बारे में फैसला किया था। उसके बाद राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा गया। उनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ..

श्री भैरों सिंह : कब हुई है ? आज हुई है ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : शायद कल आई है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कल आई है ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : आज या कल। लेकिन जहां तक एपोइन्टमेंट का आदेश होने का सवाल है, जो नियुक्ति का विधिवत आदेश जारी किया जाता है वह अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को किसी व्यक्तिगत या राजनैतिक पहलू ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल नहीं

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : ...से न देख कर मैं उनके एपॉइन्टमेंट के लिए नसद को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अन्दर अगर कान्क्रीट एलीगेशन्स उनके खिलाफ आप लायेंगे तो उसके उपर मैं पूरी तौर से छानबीन कराने के लिए तैयार रहूंगा। इसमें कोई जल्दी करके एपॉइन्टमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर एलीगेशन्स में तथ्य नहीं पाया जाता है तो केवल विरोध करने की वजह से आदेश जारी नहीं किये जायें - वह मैं नहीं कर पाऊंगा।

श्री दुर्गालाल बादशाह : आप यह आदेश एक वीक के लिए स्थगित करते हैं, क्या हम यह मान कर चलें ? क्या आपने यह आश्वासन दिया है कि एक वीक के लिए आप एपॉइन्टमेंट के आदेश को स्थगित कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरों सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला जरूरी है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा जो आदेश निकले है कि विजिलेन्स कमिश्नर की नियुक्ति किस प्रकार की जायगी, विजिलेन्स कमीशन में किस प्रकार का व्यक्ति रहेगा, कितने वर्ष तक वह कार्य कर सकता है, कितने वर्ष की उम्र को पार करने के बाद वह नहीं रहेगा, किस प्रकार की उसकी क्वालिफिकेशन्स होगी। उस सम्बन्ध में मैं जानकारी देकर मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने इस विजिलेन्स कमीशन में नियुक्ति करने...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया एक मिनिट के लिए स्थान ग्रहण करें। मैं समझता हूं कि सदन के नेता महोदय ने बात कही है उसके बाद में इस मामले को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। अभी कोई तथ्य हों तो उसको कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन के नेता ने बात कही। सदन के नेता महोदय ने बात कही है, वह नेता हैं और नेता की जगह उनकी इज्जत है, लेकिन वह कोई खुदा नहीं हैं। यह निश्चित रूप से हमें मान कर चलना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी कहा जाय उसको पांच दस मिनिट सुना जाय और उसके बाद..........

श्री भैरोंसिंह : मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल आदेश के सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा। उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को जो कहना हो वह बता दें। यह ठीक है कि विजिलेन्स कमिश्नर की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या निर्णय करना है वह फैसला करेगी सरकार। लेकिन 29 अप्रेल 1964 को, विजिलेन्स कमीशन किस प्रकार नियुक्त किया जावेगा, विजिलेन्स कमीशन का क्या- क्या फंकशन होगा, विजिलेन्स कमीशन के क्या क्या अधिकार होंगे और किस प्रकार का व्यक्ति इसका चेअरमैन होगा इस सम्बन्ध में एक नोटिफिकेशन जारी किया इस नोटिफिकेशन का उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहूंगा। इसकी जो आज्ञा है 12, आयोग का अध्यक्ष वह मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि आयोग का अध्यक्ष किस प्रकार का होगा :—

(क) उसका पदाभिमान राज्य सतर्कता आयुक्त होगा,

(ख) राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा। तीसरा लिखा है :

(ग) उसी प्रकार हटाया जा सकेगा जिस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य,

(घ) छः वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण कर सकेगा। यह शर्त प्रथम राज्य आयुक्त पर लागू नहीं होगी। तो मैं मुख्य मंत्री से जानकारी करना चाहूंगा कि 1964 में यह आर्डर निकला, 1964 में 65 वर्ष की अवधि का सवाल, पांच वर्ष तक पद ग्रहण करने का सवाल प्रथम नियुक्ति पर लागू नहीं होता, तो मैं जानकारी करना चाहता हूं कि आपकी नजर में श्री टण्डन ने कौन-सा ऐसा काम किया है कि जिस काम की वजह से उनको इससे हटाने की आवश्यकता महसूस हो गई ?

(1 म. प.)

जब आप यह मान कर चलते हैं कि अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में हनुमंतैया ने और पहले संथानम् कमेटी ने विजिलेंस कमिश्नर के बारे में, लोकपालों और लेखा पालों के बारे में जो व्यवस्था दी, मैं गिरधारीलालजी की जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं, कि ऐसे आदमी को जिसमें सारी जनता का विश्वास हो, जो इन्डिपेन्डेन्ट हो, जिसकी इन्टेग्रिटी में किसी प्रकार का शक न हो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय। मुख्य सचिव मेनन को मुख्य आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के पद पर नियुक्त करें, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या नहीं, इसको ताक में रखदें पर श्री मैनन चीफ सैक्रेटरी रहे, उनकी गलतियां, उनके प्रेज्युडिसेज और फेवेराइट्स, यह सारे फैक्ट्स विजिलेन्स कमीशन के सामने होंगे। इनएडवरटेंटेली, डायरेक्टली, उनके द्वारा जो इस तरह के कार्य किये गये

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, उन आरोपों से बच नहीं सकते. जो कुछ भी उन्होंने किया है, कुछ अधिकारियों के पक्ष में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो कुछ किया है, वह सब विजिलेंस कमीशन के सामने आयेगा तो उन हालात में उन मामलों में क्या वे विजिलेंस कमिश्नर के पद पर न्याय कर सकेंगे ? यह संभव नहीं है। तो या तो आप यह कहिये कि विजिलेन्स कमीशन के वर्तमान आयुक्त श्री टंडन आयु की वजह से नहीं रखे जा सकते या यह कहिये कि वे अयोग्य हैं, या यह कहिये कि उनके द्वारा जो विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट्स रखी गई हैं, वे रिपोर्ट्स स्टेन्डर्ड की नहीं हैं। यह आप कह नहीं सकते क्योंकि इसी विधान सभा में गृहमंत्री जी ने श्री टंडन की तारीफ जब विजिलेंस कमिशन की रिपोर्ट पेश की गई थी तब की थी कि श्री टंडन बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उनकी तारीफ राजस्थान विधान सभा ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में उनकी तारीफ है। वे इन्डिपेन्डेन्ट हैं, हाईयेस्ट इन्टेग्रिटी के व्यक्ति हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे हाईएस्ट इन्टेग्रटी के, हाइयेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज के व्यक्ति को न रख कर चीफ सैक्रेट्री को विजिलेंस कमिशन का आयुक्त क्यों बनाया जा रहा है ?

इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और छाती ठोक कर घोषणा की थी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों की रिटायरमेंट की आयु 58 से घटा कर 55 की जायगी और भारत सरकार को लिखा जायगा कि इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के और इण्डियन पुलिस सर्विस के लोगों की भी रिटायरमेंट की आयु जो 58 है उसको घटा कर 55 वर्ष किया जाय, तो क्या आपके पास श्री मैनन के सिवाय और कोई व्यक्ति नहीं था जिसको विजिलेंस कमीशन का मुख्य आयुक्त बनाते जो गरीब आर.ए.एस. के लोगों को तो 55 साल की उम्र में निकाल दिया और मुख्य सचिव को 58 की आयु में रिटायर होने के बाद 73 तक की जिन्दगी का पट्टा देते हैं ? यह आपका कहां का न्याय है ? क्या आर.डी. माथुर, श्री खेमचन्द, श्री गजेन्द्रसिंह, श्री जोरावरसिंह झाला आदि जो रिटायर हो रहे हैं, उनको भी आप रिएम्पलायमेंट देने की व्यवस्था लेकर चलते हैं ? इस तरह आप राजस्थान की सर्विसेज में करप्शन और पोलिटिक्स के आधार पर नियुक्तियां करना चाहते हैं और अपने हुक्म के गुलाम मैनन को मुख्य आयुक्त विजिलेंस कमीशन का बनाना चाहते हैं। सन्थानम कमेटी ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि विजिलेंस कमीशन का मुख्य आयुक्त इन्डिपैन्डेन्ट होना चाहिये, सारी जनता का उसमें विश्वास होना चाहिये। तो इसके अनुसार राजस्थान के विरोधी दल का भी उसमें विश्वास होना चाहिये, पर हमारा उसमें कोई विश्वास नहीं है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज भ्रष्टाचार को खत्म करने का वातावरण देश में चल रहा है, उस वातावरण में मेनन को विजिलेंस कमीशन का मुख्य आयुक्त मुकर्रर न करें, नहीं तो हमारा आपके खिलाफ सीधा आरोप होगा कि मुख्य मंत्री ने अपने और अपने साथियों के पापों को छुपाने के लिए मैनन को विजिलेंस कमीशन का मुख्य आयुक्त बनाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है इस बात का कि इस विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए जो बातें कहीं, जिनके तथ्यों के बारे में डिटेल्स में जाने से पहले जो व्यक्ति यहां अपना स्वयं का बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बातें नहीं हो, ऐसी परम्परा मैं समझता हूं हमें स्वयं को बनानी होगी।

मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक श्री टंडन का सवाल है, टंडन ने राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया, यह इस सदन में हमने भी कहा है। श्री टंडन को समय से पहले रिटायर कर देने या और कोई कदम उठाया जाता तो आपत्ति की बात हो सकती थी। उनको करीब 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया था जबकि इनकी उम्र 65 वर्ष की हो जायेगी। इनका रिटायरमेंट का पीरियड अक्टोबर में आता है, उस वक्त इनकी 65 की उम्र पूरी हो जायगी। 65 की उम्र पूरी हो जाय, उसके बाद में उनको एक टर्म और देने के बारे में जावें, यह उचित नहीं।

श्री के पी यू मेनन के बारे में निवेदन कर दूं कि इन्होंने भारत सरकार में काफी काम किया है, यहां पर भी काम किया है। उनकी इन्टेग्रिटी के बारे में कहीं पर भी कोई चीज ऐसी नहीं आई है, जहां उनकी इन्टेग्रिटी पर शक किया जाय। भारत सरकार द्वारा कॉन्फिडेन्शियल रेकार्ड रखा जाता है, किसी वर्ष की एडवर्स रिपोर्ट भारत सरकार की उनके बारे में नहीं आई है। यहां करप्शन के बारे में जब कभी कोई बात उनके नोटिस में आई, काफी सख्ती के साथ कइयों की नाराजगी मोल लेकर भी उन्होंने कार्यवाही की है। ..

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं जानते हैं कि श्री गोकुल मेहता कि फाइल जो भारत सरकार से यहां आई थी, जिसके अन्दर 30 हजार की रिश्वत खाने का सबूत मिल गया था, मुख्य मंत्री ने और मैनन ने दोनों ने मिल कर उस फाइल को दबाया है। आपने सतीशचन्द्रजी के चैलेंज को स्वीकार नहीं किया मैं यह चैलेंज देता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करदूं कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ कामर्स के सामने यह प्रूफ नहीं है कि 30 हजार की रिश्वत ली...

श्री भैरोंसिंह : आपने अपने पिट्ठू लॉ डिपार्टमेंट से लिखवाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिये, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की... ..

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट को पिट्ठू बना रखा है मुख्य मंत्री ने और मेनन ने दोनों ने लिखवा कर भेजा है, गोकुल मेहता को बचाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतनी बात कह देने के बाद, जब उनके बारे में कैबिनेट और गवर्नर के लेवल पर स्वीकृति हो चुकी, उसके बाद भी मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि हम 7 रोज के अन्दर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इनके खिलाफ कन्क्रीट एलिगेशन्स सामने आयेंगे तो हम वेट करेंगे, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, कोई डेफिनेट कन्क्रीट एलिगेशन, 7 दिन के अन्दर अन्दर इनके खिलाफ रखें।

श्री भैरोंसिंह : आप इस मामले को इस तरह साइड ट्रेक करना चाहते हैं ...

(शोरगुल)

आप इस प्रकार के आदेश दे दीजिये कि हम गवर्नमेंट की फाइलें देख सकें, हमको फाइलें देखने दें तो 7 दिन के अन्दर अन्दर मैं डेफिनेट चार्ज पेश करूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप फाइलें दिखाने की बात करें ....

(शोर गुल)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करना चाहता था कि टंडन साहब को उनका पीरियड एक्सपायर होने की वजह से, 65 इयर की एज हो जाने की वजह से, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं। मेरी जानकारी में 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा का कोई व्यक्ति दूसरी जगह कहीं विजिलेंस कमीश्नर हो, ऐसी बात नहीं है। इस वजह से चेन्ज करने का गवर्नमेंट ने तय किया। जिन नये व्यक्ति को नियुक्त किया है, उनके लिए इस तरह की बात सदन में करते हैं, उसके लिये मैंने निवेदन किया कि कोई कन्क्रीट एलिगेशन 7 दिन में रखें तो उस पर हम सोच सकते हैं। जो एलिगेशन की बात कही कि एस.टी.सी. में थे उस वक्त में कहा गया कि टायरों की चेकोस्लोवाकिया से खरीद की गई उसमें गड़बड़ की। मैं स्वयं सतर्क हूं, कल ही मैंने गवर्नमेंट आफ इन्डिया के कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा कि क्या मैनन पर कोई इस प्रकार का रिफ्लेक्शन है तो उन्होंने कहा कि मैनन और नगेन बहादुर दोनों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करली है, कोई स्ट्रक्चर या ऐलीगेशन नहीं है। तो इसकी जाँच की मैंने जानकारी की है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देखिये आप हाउस को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं कि सी.बी.आई. ने इनके खिलाफ एन्क्वायरी की या नहीं? ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो कुछ एन्क्वायरी की गई रिपोर्ट आने पर गवर्नमेंट लेवल पर जांच की गई, किसी के खिलाफ केवल ऐलीगेशन लगाने से ही तो वह दोषी नहीं हो जाता है। उसको यदि मानेंगे तो रोज हरएक दोषी ठहराया जायगा, तो क्या उसी आधार पर उसको दोषी मानलिया जायगा, इस चीज को हम ऐक्सेप्ट नहीं कर सकते।

प्रूव एलीगेशन्स एन्ड वी विल एक्सेप्ट इट।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसका मतलब यह तो आपने स्वीकार किया कि सी आई बी. ने उनके खिलाफ इन्क्वायरी की?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह नहीं कहा कि सी आई.बी. ने इन्क्वायरी की। डिटेल्ड इन्क्वायरी हुई और उसका जो कुछ कान्क्लूजन है उसके बारे में मैंने बताया क्योंकि मैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया से सी. आई. बी. की फाइलें और रिपोर्ट्स नहीं मंगा सकता।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर मसला है। पिछली बार सदन में आरोप लगाये गये थे कि इस स्केन्डल के बारे में जो ऐलीगेशन्स लगाये गये थे उसकी सी.आई.बी. ने इन्क्वायरी की है•••

श्री गोकुल चन्द (खैरथल सु०) : प्रोन पोइन्ट ऑफ आर्डर सर•••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय •••• ••••

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री गोकुल चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित बहस होनी है सदन के अन्दर उसके लिए समय ही नहीं रहेगा। एक व्यक्ति के मामले को लेकर सदन का इतना समय नष्ट किया जा रहा है।

(शोरगुल–व्यवधान)

यह मैं बर्दाशत नहीं करूंगा कि महत्व-पूर्ण मसले पर बहस टालने के लिए इस प्रकार सदन का समय नष्ट किया जाय। और उस बहस को टाला जाय।

(शोरगुल–व्यवधान)

कल भी इसी प्रकार टाला गया और आज भी इसी प्रकार टाला जा रहा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े महत्वपूर्ण ••••

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर। आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : स्थगन प्रस्ताव पर•••

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मामूली नियमों की जानकारी तो रखिये। इस विषय पर काफी चर्चा हो गयी है और सदन के नेता ने भी आश्वासन दे दिया है फिर इस मामले को चर्चा में पटकना उचित नहीं होगा। इसलिये इस पर वाद-विवाद यहीं पर समाप्त किया जाता है और पोइन्ट ऑफ आर्डर माननीय सदस्य ने रखा है वह भी उचित है। जो मामला कार्यवाही पर ही नहीं है उस पर इतना लम्बा समय लेना उचित नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : स्थगन प्रस्ताव है और उसके लिए कहा गया कि यह लोकमहत्व का नहीं है ••••

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन ••••

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय •••

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगन प्रस्ताव के विषय में कुछ निवेदन करना है•••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा। बाकी जितने चार्जेज हैं उनके लिए सन्तोष करायेंगे लेकिन सी.आई.बी. की इन्क्वायरी श्री मेनन के खिलाफ हुई थी उसमें वे कहां तक इन्वोल्व्ड हैं, वह पैंडिंग है या कहां चल रही है या उनको एक्जोनेरेट कर दिया गया है यह माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन को अवगत करा दें।

श्री उपाध्यक्ष : यहां सदन में कहना उचित नहीं है, आप मालूम कर लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहीं पर वह जानकारी दे दें। यह उनके हित में भी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहस के लिए या तो अलग टाइम रख दें वरना अनुसूचित जातियों के लिए जो बहस हो रही है उसके लिए और समय बढ़ादें। कल का समय भी हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन यह विषय जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि श्री मेनन के खिलाफ चार्जेज हों तो वे एक सप्ताह में भी सामने रख दें....

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहस इस विषय पर समाप्त कर दी फिर भी उसी पर बहस हो रही है। जो पॉइन्ट ऑफ आर्डर पर आपने फैसला दिया, उसी विषय पर माननीय सदस्य वापिस लौट रहे हैं। माननीय सदस्य को मानना चाहिये, यह नियमों को जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी है उसके अनुसार हुकूमत करने का अधिकार है लेकिन गवर्नमेंट माइनोरिटी को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका न दें, जो व्यूज रखना चाहते हैं उसको फेट अकम्पली करके चलें तो यह डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं चल पायेगी। आपका बहुमत है तो क्या उस बहुमत के आधार पर यह आप चाहें कि हम बोलें ही नहीं....

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको बोलने का अधिकार है लेकिन आप धौंस नहीं दे सकते। (शोरगुल) (व्यवधान) धौंस जताना चाहते हैं वह धौंस नहीं चल सकती।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह उत्तेजना का वातावरण पैदा करना चाहते हैं यह जिम्मेदारी उनकी होगी। हम अपने अधिकारों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह इस तरह से नहीं कर सकते।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक इम्पोर्टेन्ट पद पर नियुक्ति का सवाल है जिस पर सारी जनता का कॉन्फिडेन्स होना चाहिये। इस सदन में उस निर्णय के बारे में विचार रखने का कभी अवसर नहीं मिला है। सदन के विचारों को सरकार को जानना चाहिये फिर भी गवर्नमेंट अपनी राय न बदले तो उसको अपने निर्णय पर रहने का अधिकार है लेकिन गवर्नमेंट इस पर डिस्कशन ही न करने दें...

Page No.76

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उचित नहीं है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। डिस्कशन का यह समय उपयुक्त नहीं है। स्थगन प्रस्ताव के रूप में आया वह अस्वीकार कर दिया गया। कुछ माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। इस पर अब लम्बी चर्चा नहीं हो सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या तो फिर आप समय रखें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : नियमों के अन्तर्गत मोशन दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप मोशन दे सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि एक सप्ताह में कोई एलीगेशन हो तो सदन के सामने रख दें।

श्री गोकुलचन्द : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर सर। मर्यादाओं का सवाल है।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर महोदय ने एक ......

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज उन्होंने मर्यादा सिर पर रख रखी है। इसलिये हम मानते हैं उनकी बात।

श्री गोकुलचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि

(शोरगुल–व्यवधान)

हमने आदेश को माना है। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं......

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज।

उन्होंने नहीं माना है आदेश को।

श्री गोकुलचन्द : आप उनको मना करिये।

श्री नत्थीसिंह : भाषण देने से नहीं सुनने से विरोध है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज।

उस आदेश को न उन माननीय सदस्यों ने माना ग्रौर न इन माननीय सदस्यों ने माना और न माननीय सदस्य मानने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं यह चर्चा यहीं पर समाप्त हो जानी चाहिये ग्रौर कार्यसूची में जो कार्य हैं वही लेना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब ग्राप एडजोर्नमेन्ट मोशन्स को दूसरे माननीय सदस्यों को साइन करने का मौका देते हैं ग्रौर एडजोर्नमेंट मोशन इम्पोर्टेन्ट है इसलिये साइन किया है, तो आपको उनको बोलने

Page No.77

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का थोड़ा समय तो देना ही चाहिये । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि श्री मेनन के खिलाफ कोई एलीगेशन हो तो एक सप्ताह में रख दें । जिस व्यक्ति को आप विजिलेन्स कमिश्नर नियुक्त करने जा रहे हैं उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आपको चाहिये कि आप उसके बारे में माननीय सदस्यों की बातों को सुनें ··

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : रामानन्दजी तो बहुत सेन्सीबल सदस्य हैं ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : न केवल उसके खिलाफ कोई इस प्रकार के चार्जेज होने चाहिये बल्कि वह तो इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिये कि राजस्थान की समस्त जनता को और इस सदन के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को स्वीकार हो ···

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रजातन्त्र के आप हामी हैं फिर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो विजिलेन्स कमिश्नर का पद है वह बहुत महत्वपूर्ण है··· ··

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : सब माननीय सदस्य जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण ओहदा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह जानते हुए भी हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आगे विचार व्यक्त नहीं करेंगे । चर्चा यहीं पर समाप्त हुई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बोलने देना भी नहीं चाहते ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, इससे आगे ये कुछ भी बोलें तो रिकार्ड नहीं होना चाहिये ।

श्री नत्थीसिंह : किस नियम के तहत?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब उपाध्यक्ष महोदय ने फरमा दिया कि चर्चा समाप्त हुई

श्री नत्थीसिंह : कौनसा नियम है ?

रामानन्द अग्रवाल : ऐसे ओहदे पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके विरुद्ध न केवल कोई आरोप होना चाहिये···ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं होने चाहिये । आमतौर पर सबका कान्फीडेंस प्राप्त हो ऐसे व्यक्ति को लगाया जाना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पदों के लिये जो हाइकोर्ट के जजेज हैं ···

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर): यह व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज······

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपसे यही पूछना है कि आपके निर्णय के बाद भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं । क्या आसन

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

का यह आदेश है? आसन के निर्णय के बाद भी कोई भी बोल सकते हैं? आसन की यह मन्शा है कि निर्णय के बाद भी लोग बोलें...(अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा भाषण जारी...... (अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने निर्णय दिया है, उसके बाद भी माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे हैं। आपकी आज्ञा की पालना नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी यह मन्शा है कि सदन के सब सदस्य निर्णय के बाद भी बोलते रहें? आप इसकी व्यवस्था कीजिये।...(भारी शोर गुल)...(अश्रव्य)...

श्री देवीदत्त गाड़िया (वारां) : सब बोल सकते हैं...... यह हमारा अधिकार है ..(भारी शोरगुल) ..

एक माननीय सदस्य : क्या आपकी राय ली जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल :...जोर से बोलते गये ...(अश्रव्य) (शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ... (साथ-साथ बोलते गये)...(अश्रव्य) (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज...

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस तरह से आप सदन को नहीं चला सकेंगे...हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।... (शोर-गुल) (अश्रव्य) ...आप ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ आरोप हैं.. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है .

(सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, गोकुल प्रसाद शर्मा एवं देवीदत्त गाड़िया एक साथ बोलते रहे...(भारी शोरगुल...व्यवधान .. अश्रव्य)......

श्री गिरधारी लाल व्यास (भारी शोर-गुल में) :उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पालना होनी चाहिये जो पालन नहीं करते हैं, उनको हटा दिया जाना चाहिये। उनके खिलाफ आपको नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज...

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारी शोर-गुल में जोर से बोलते रहे (अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : (शोरगुल में) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं .. एक हफ्ते के अंदर .. कोई भी सदस्य कोई आरोप हो तो मुख्य मंत्रीजी को दें। वे उसका जवाब दें...

एक माननीय सदस्य : (भारी शोर-गुल में) हफ्ते की तारीख दें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : (शोरगुल में) मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ऐसा महसूस करते हों इस प्रश्न पर, तो वे पहल करके हमें अपने ख्यालात पेश करने का मौका दें? ऐसा लगता है वे हमें अपने ख्यालात पेश करने का मौका नहीं देना चाहते? शायद हम ऐसे आरगुमेंट दे सकें....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। मै कोई ऐसी 'हरी' में

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

इसको नहीं भरना चाहता। मैंने निवेदन किया है कि जो कोई आरोप हों वे मुझे कह सकते हैं सात दिन के अन्दर-अन्दर। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा। इसके बारे में सदन में चर्चा करने का मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं होगा। मैं इसको क्लियरली कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप सात दिन की बात कह कर इसको दबाना चाहते हैं। मैं यहां इस सदन में आरोप लगाता हूं। कान्फीडेंस की बात कहकर आपने इस सदन को धोखा दिया है। इस सदन में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने……

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये……मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि वे अध्यक्ष महोदय से बात करके, इस पर चर्चा करना उन्होंने उचित समझा तो अवसर दिया जायेगा। अतः अलग अलग प्रश्न उठाना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी होशियार हैं। चर्चा करने का बहाना कर वे इसको टाल जायेंगे। वे यहां यह स्पष्ट कहें कि हाउस की मन्शा नहीं जानी जायेगी तब तक वे अपाइण्टमेंट नहीं करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक बात कह दी है। गवर्नर की सैंक्शन के बाद भी अपाइण्टमेंट आर्डर इश्यू नहीं करूंगा। और सदन के अन्दर चर्चा के लिये अध्यक्ष महोदय स्वीकृति देंगे तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। इसकी चर्चा के लिये अवसर दिया तो उसके लिये ना नहीं कहूंगा।

(सदस्यों द्वारा शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

चर्चा समाप्त हुई। शिक्षा मंत्रीजी अपना वक्तव्य चार बजे देंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री हरिबल्लभ शर्मा……

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है। जो राजस्थान के पांच कृषि कालेज हैं, जोधपुर, जोबनेर, उदयपुर, सांगरिया, बीकानेर उनमें हड़ताल है। यहां रीजनल मालवीया इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी भी हड़ताल पर हैं। इन सत्र के संबंध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है। विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। और आपको यहां समय नहीं है ऐसा समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ है। उनकी स्थिति को आप यहां खिड़की से देख रहे हैं। वे नारा लगा रहे है सुखाड़िया…… हाय हाय…… और इसका आप आनन्द ले रहे हैं। खैर …… सरकार की ओर से स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिये……

एक माननीय सदस्य : स्थिति बहुत खराब है। मुख्य मंत्रीजी इसको आप स्वयं अपने हाथ में लें और इसके जांच की व्यवस्था करें।

श्री मदनसिंह : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है……उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। बचे हुओं पर वे व्यवस्था दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : फसलें खराब हो गई। व्यवस्था किस बात की देंगे। गवर्नमेंट को जांच करना है। जिस फार्म से बीज खरीदा गया उसको दंड दें।

Page No.80

श्री मदनसिंह : मेरा निवेदन है कि शहर से जो माननीय सदस्य आते हैं और आप उनको बोलने देते हैं। वह बोलते रहते हैं और गांवों से जो चुनकर आते हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है… मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस पर कोई निर्णय दिया गया है……

श्री उपाध्यक्ष : पांच तारीख को वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो भूख हड़ताल चल रही है उसके बारे में कल वक्तव्य देने के लिये कहा गया था। कल नहीं हुआ इसलिये वह वक्तव्य आज होना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में रिप्लाई देंगे। स्टेटमेंट देंगे क्योंकि यह भूख हड़ताल इस प्रश्न पर…

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कल दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था… उसके संबंध में…

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चार बजे इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में शिक्षा मंत्रीजी वक्तव्य दे रहें हैं। आज चार बजे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज शाम को चार बजे जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में ही वक्तव्य देंगे या सभी कालेजों के संबंध में जहां हड़ताल चल रही है…

श्री उपाध्यक्ष : जोधपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज के संबंध में शिक्षा मंत्रीजी आज शाम को चार बजे यहां वक्तव्य दे रहे हैं। अन्य कालेजों तथा जयपुर के महाराजा कालेज में भी हड़ताल चल रही है। इस प्रकार से जो स्थिति पैदा हो गई है क्या सरकार, शिक्षा मंत्रीजी इस पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मन्त्री) : स्टूडेन्ट्स मुझसे मिले थे मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में। वहां उन्होंने कुछ मांगें मेरे सामने रखी हैं। उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। कुछ ऐसी मांगें हैं जिनके बारे में और जानकारी करना जरूरी है। इसलिये मैं जो कुछ भी कहूंगा वह पूरा स्टेटमेंट नहीं होगा और सदन को सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। आप चाहें तो देने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल दे दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : सिचुएशन जैसी अराइज हुई है…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम आग्रह नहीं कर रहे हैं। जितना समय आप चाहें उतना दे सकते हैं लेकिन पूरी तरह से तैयार होकर आयें।

श्री बरकतुल्ला खां : परसों दे दूंगा। कृषि से सम्बन्धित कृषि मंत्रीजी देंगे वह मुझ से ताल्लुक नहीं रखता है। इंजीनियरिंग के बारे में है वह मैं दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पत्रों के कर्मचारियों के बारे में…

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा कहा गया है कि वेतन मंडल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और उनका निर्णय भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है परन्तु उसको अमल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर निर्धारित होती है। उपाध्यक्ष महोदय, उस वेतन मंडल की सिफारिशें ऐसी हैं जो गैर पत्रकारों पर लागू होती हैं। स्टेटुटरी रूप से इसको लागू करना चाहिये जो लागू नहीं कर रहे हैं उन पर मुदकमा चलाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर जो समाचार पत्र के कर्मचारी हैं उन पर ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वेतन नहीं दे रहे हैं और श्रम मंत्रालय उस पर चुपचाप बैठा है। इस तरह की स्थिति है पिछले सदन में आई थी, अब भी आई है। केवल आश्वासन देना और उस वेतन मंडल की सिफारिशों को राजस्थान में लागू नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार गैर पत्रकार कर्मचारियों का मामला पड़ा हुआ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जन जीवन पर उसका असर पड़ा रहा है। इस बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट खुद अपने आश्वासन को पूरा करें और इसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखें। जहां तक गैर पत्रकारों का ताल्लुक है उसको कानूनी रूप से लागू करवायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में एक निवेदन करना है पत्रकारों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी गई है मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार को कुछ न कुछ अपने विचार प्रकट करने चाहिये। यह बात सही है कि यह केन्द्र का विषय है परन्तु इससे कोई भी राज्य अछूता नहीं है। राजस्थान पर भी उसका व्यापक असर पड़ता है। ऐसी परिस्थिति पर राज्य की नीति होती तो अच्छा होता। दुर्भाग्य का यह विषय है कि लम्बें समय से हड़ताल चल रही है। राज्य के जो पूंजी पति वर्ग हैं उनसे सरकार को पैसा लेना है। पंजाब के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव और फिर आम चुनावों में भी सरकार को उनसे पैसे लेने हैं इसलिये उनके सामने घुटने टेक ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने अपनी बात कह दी।

श्री श्रवणलाल : मेरा 24 तारीख का एक स्थगन प्रस्ताव है। सुदर्शनपुर की बस्ती पर है। उसका भी आज जबाब देना है वैसे तो उसका कल ही देना था। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि उसका जबाब इसी समय और अभी दिया जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन दिन से ऐजीटेट हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कल स्टेटमेंट दिया जायगा।

श्री श्रवणलाल : मैने उपाध्यक्ष महोदय, 24 तारीख को स्थगन प्रस्ताव रखा था। यह मामला जयपुर का जयपुर में था। यह पूर्ण पक्षपात है····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री श्रवणलाल : आज शिड्यूल कास्ट के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। मेरा स्थगन प्रस्ताव उन 25 हरिजन परिवारों के संबंध में है जिनको डकैतियों की तरह लूटा जा रहा है। उनके मकानात को तोड़ा जा रहा है। बच्चों व स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी होते हुये भी नहीं देना चाहते हैं। यह शिड्यूल कास्ट के संबंध मे पक्षपात किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हरि वल्लभ शर्मा।

श्री श्रवणलाल : कल समय मांगा, रोज कह देते हैं कल दे देंगे कल देंगे।

श्री नत्थीसिंह : कल समय मांगा तो आज दिलवाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट को पेरेलेसिस हो गई है क्या?

श्री नत्थीसिंह : कल स्टेटमेंट देने के लिये कहा गया पंचायतों के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरि वल्लभ शर्मा।

श्री दामोदर लाल व्यास : परसराम जी को बुलवाया है·····

(विराम)

श्री हरि वल्लभ शर्मा : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम 131 के अधीन में गृह मंत्री का ध्यान···

श्री नत्थीसिंह : ये आ गये पंचायत मंत्री जी। पंचायतों के व जिला परिषदों के चुनाव कराने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव था। आपने उसको टाला है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कल इस बात की सूचना मिली है कि पंचायत व जिला परिषदों के चुनाव के संबंध में स्टेटमेंट देना है मैं कल रात को ही विधान सभा का सैशन समाप्त होते ही अध्यक्ष महोदय से मिला था और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि 4 तारीख को स्टेटमेंट देना है। इसलिये कल दे दूंगा।

(1.35 म.प.)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरि वल्लभ शर्मा।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 131 के अधीन मैं गृह मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र में जयपुर उद्योग के बारे में जो चारों तरफ काश्तकारों के खेतों में खिलवाड़ कर रहा है, उनके मकानों को गिरा कर और पुलिस की सहायता से अतिक्रमण करता जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और इस प्रकार जयपुर उद्योग का भय उस वातावरण में बन गया है इससे ऐसा मालूम होता है कि जितनी पुलिस वहां पर हैं वह सब गृह मंत्री जी ने बना रखा है। जयपुर उद्योग के दायरे में

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

यद्यपि उनका पोस्टिंग वहां है ही नहीं। मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि दरअसल फैक्टरी ऐरिया में ऐसा आतंक का वातावरण बना हुआ है जिससे कि वहां के किसान, मजदूर वर्ग वहां के आस पास के रहने वाले पुलिस के भय से आतंकित है। मैं उदाहरण के रूप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चक चेमपुरा बहुत छोटी छोटी आबादी वाले गांव हैं। जिस समय से यह फैक्टरी स्थापित हुई है उस समय से सैकड़ों बीघा जमीन किसानों की ले ली गई है। 20 वर्ष हो गये और इन 20 वर्षों में जैसा हर सत्र में मैं बराबर यह कहता आ रहा हूं कि इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं यह मानता हूं अब भी बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिनका फाईनल फैसला नहीं किया गया है। फैक्टरी ने मई जून में अभी फैन्सी वायरिंग किया था। फैक्टरी ऐरिया की सीमा बढ़ाई और बाऊन्डरी वाल बनाकर बुड़ेड़ा की तरफ आने लगे। नाजिम के यहां, कलेक्टर के यहां दरख्वास्तें दी और वहां से मालूम हुआ कि वे तहसील से मालूम कर रहे है। थोड़े दिनों पहले मैं स्वयं 5-7 काश्तकारों को लेकर गया लेकिन कोई पता नहीं लगा। वे बाऊन्डरी वाल बढाते जा रहे हैं। उनके खेतों की उपेक्षा होती जा रही है। बुड़ेडा गांव में किसी के पूरे खेत, किसी के आधे खेत और किसी के चौथाई खेत आ गये है, किसी को कोई मुआवजा नहीं, कोई नोटिस नहीं। किस कारण वह खेतों पर अतिक्रमण कर रहे हैं? एक ताज्जुब बहुत यह है कि जो दरख्वास्तें उनको दी गईं उनका कोई पता नहीं लगा। मेरे ख्याल से जो दरख्वास्तें पहुंचाई गई हैं और उनकी जानकारी नहीं दी गई है उससे यह महसूस होता था कि फैक्टरी बराबर अतिक्रमण करती जा रही है वहां के अधिकारी चाहे पुलिस के चाहे किसी के भी हों, उनकी सहायता से कोई वहां नहीं पहुँचा। उस गांव के पांच छः आदमी घबराकर मेरे पास आये। एक व्यक्ति जिसकी चक्की लगी हुई थी सबसे पहले वह मेरे पास आया उसके बाद पांच छः आदमी और आये कि हमारे मकानात भी उस बाउन्डरी में मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैक्टरी के मजदूर लगे हुए हैं ओवर सीअर लगे हुए हैं पुलिस इधर उधर फिर रही है लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही है। मैंने उनसे कहा एस० पी० को दरखास्त दे दो, नाजिम को दे दो, कलेक्टर को दे दो। वे देखेंगे सुनाई करेंगे हैड क्वाटर पास ही है लेकिन कोई भी अफसर वहां आता नहीं है। किसी ने इस बात की सुनवाई नहीं की। मैंने इस बारे में टेलीग्राम दिये मुख्यमंत्री को दिये होममिनिस्टर को दिये आई० जी० पी० को दिये लेकिन किसी ने किसी किस्म की कार्य वाही नहीं की। भय और आतंक वहां छाया हुआ है उन लोगों को यह आशा नहीं कि वे वहां रह सकेंगे। चूंकि मैंने इस बारे में तार दिये तो उस जगह पर एक हैड कान्स्टेबिल को भेजा गया वहां उसने जाकर देखा किस तरह से लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया लेकिन वह बेचारा किस तरह से उस फैक्टरी वालों के खिलाफ कह सकता है उन्होंने किस तरह से अपनी सीमा बढ़ा ली। आज हालत यह है कि सौ पुलिस के आदमी हमेशा फैक्टरी के सामने रहते हैं हमेशा वहां आतंक का वातावरण फैला

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

हुआ है इस सारे किस्से में किसी की हिम्मत नहीं फैक्टरी ने जिन मकानात पर कब्जा कर लिया उस कब्जे से उनको हटाया जाय। कलेक्टर के पास जायें या एस० पी० के पास जाये तो वे कहते हैं तहसीलदार के पास जाओ लेकिन किसी से कुछ होना जाना नहीं है। इसीलिये मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है उसकी कापी वहां जाती है तो फिकर पड़ी और वास्तव में उन्होंने यह महसूस किया कि वहां जाकर देखना चाहिये कि आखिर इस प्रस्ताव में जो बात कही गई है वह कहां तक सही है। एस०डी०एम० जाता है डी०वाई०एस०पी० जाता है वहां यह स्पष्ट पता चलता है कि काश्तकारों की जमीन पर कब्जा कर रखा है उस जमीन पर गत साल भी काश्त नहीं हो सकी, इस साल भी किसानों को काश्त नहीं करने दी।

यह तो अच्छा हुआ कि वहां सीमेन्ट फैक्टरी आपने चालू की उसकी हम सराहना करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उससे वहां के जन साधारण को किसी प्रकार का नुक्सान उठाना पड़े। सवाई माधोपुर सब डिवीजन में राठी का शासन है। कलेक्टर, एस० पी० और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका किसी प्रकार का शासन नहीं है। आज जिस प्रकार का अधिकारियों का व्यवहार चल रहा है उससे यही साफ प्रकट होता है। फैक्टरी की गलती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है गृह मंत्री महोदय ने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देने के बाद उन्होंने क्या किया उसकी जानकारी सदन को दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी जयपुर उद्योग के बारे में धुरेड़ा गांव के लोगों की शिकायत के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है और यह कहा गया कि वहां के काश्तकारों के मकान तोड़े गये, उनका सैंकड़ों रुपयों का सामान उठाकर ले गये। जहां तक सीमेन्ट फैक्टरी का ताल्लुक है उसको कितनी जमीन दी गई उसको कितनी जमीन एक्वायर करनी चाहिए, उनको कितना मुआवजा दिया गया उसका ताल्लुक इस प्रश्न से नहीं है और मैं समझता हूं आपका भी इससे कोई मतलब नहीं है।

आपका कहना है कि किसी काश्तकार का मकान फैक्टरी वालों ने तोड़ दिया उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : खेत में टोबे बना रहा था...

श्री दामोदरलाल व्यास : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ लीजिए आपने कहीं नहीं लिखा है आपने जो लिखा है उसका जबाब मैं दे रहा हूं। मैं यहां कोई कलेक्टर का तो दफ्तर लेकर नहीं बैठा हर जानकारी का आपको जबाब दे सकूं।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : मैंने सब बातें लिखी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसी कि मुझे सूचना मिली है श्री वल्लभ नाम के साहब हैं जो आपके भाई लगते हैं शायद...

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा कोई भाई नहीं है यह गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : भाई नहीं होगा मेरी गलत इत्तला है। उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पेश हुई है उनका जो मकान है उनकी दीवार को गिरा दिया गया फैक्टरी ओवरसीयर उस मकान की ईटें भर कर ले गये। इस रिपोर्ट पर मुकदमा जुर्म रजिस्टर जेर तफतीश हैं उसके मुताबिक कानूनी कार्यवाही की जायगी।

राठी और सीमेन्ट फेक्टरी का राज्य है मेरा उनसे निवेदन है कि न राठी का न सीमेन्ट उद्योग वालों का राज हो सकता है और न मेरा, राज्य तो कानून और नियमों का रहेगा ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि राठी का राज्य है या जयपुर उद्योग वालों का राज्य है। आप आज के समय में यह समझ सकते हैं राठी को कौन मानेगा। आप मुझे और भी कोई बात हो तो बता सकते हैं जिसकी कार्यवाही नहीं हुई हो मैं उस में कार्यवाही कराने के लिए तैयार हूं।

जुर्म रजिस्टर हो गया है तफतीश हो रही है। तफतीश के बाद जो स्थिति होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। आपके प्रस्ताव के आने के बाद फिर एस० पी० को लिखा है वे खुद इस मुकदमें की तफतीश जल्दी से जल्दी समाप्त करावें और जो नतीजा निकले उसके अनुसार कार्यवाही करें।

इसमें चाहे राठी हो या अन्य कोई हो किसी के साथ रियायत नहीं बरती जायगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इस रिपोर्ट की दरख्वास्त पहले दी गई थी उस रिपोर्ट के कितने दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इत्तला मेरे पास नहीं है। यह बात ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में भी नहीं थी। आपका ध्यान आकर्षित करने का इरादा था मेरा ध्यान अच्छी तरह से आकर्षित हो गया इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। अनुसूचित जाति एवं जन-जाति आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस।

श्री उपाध्यक्ष : भाषणों पर समय सीमा 15 से 30 मिनिट।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जिन दलों को समय नहीं मिला, उनको पहले दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे ध्यान में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर। किसी प्रश्न से संबंधित एक प्रस्ताव मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया था जिसका प्रश्न मैंने कल भी उठाया था और जिसके लिये अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था देने के लिये भी कहा। व्यवस्था दे भी दी। उस प्रस्ताव को सरकूलेट करने की आज्ञा भी जारी कर दी। पर इसके बावजूद वह प्रस्ताव सरकूलेट नहीं हुआ। माननीय सदस्यों को वह नहीं मिला। मैं समझता हूं यह जिसकी भी जिम्मेदारी हो, सीधा माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का उल्लंघन है और इस समय माननीय सदस्यों के सामने वह प्रस्ताव है नहीं, जो इस समय डिसकस होना चाहिए था। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह किसने उल्लंघन किया है अध्यक्ष के आदेशों का और उस के बारे मे अब क्या किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसका सम्बन्ध कार्यालय से है। कृपया आप अध्यक्ष से मिल कर जो कुछ करवाना चाहें करवा सकते हैं।

श्री विट्ठल भाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस समय तो आप ही आसन पर विराजमान हैं। आपके सचिवालय से सम्बद्ध मामला है, आप यहां से आदेश दे सकते हैं।

(अल्प विराम के बाद)

फिर उसका होगा क्या प्रस्ताव का उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में 15/20 मिनिट बाद बात कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न बालकृष्ण कोल के सम्बन्ध में दिया था उसके सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं मिली है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : वह अध्यक्ष महोदय ही दे सकते हैं, आप तो स्वयं नियमों से परिचित हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में वे सब अधिकार आपको प्राप्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर अभी व्यवस्था नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष विचार करके सदन में कह सकते हैं कि क्या किया जा सकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विचाराधीन है फिर वह।

(1.52 म०प०)

अनुसूचित जातियों तथा अ० सू० आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के बारे में आयुक्त की 65-66 की रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि आज की मौजूदा सरकार इन जातियों को जो सुविधाएं संविधान ने दे रखी हैं उनको प्रदान करने में यह सरकार नाकाबिल साबित हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या है ? भारत सरकार ने चौथी योजना में करोड़ों रुपया इन जातियों पर खर्च करने का प्रावधान रखा, पर फिर भी ये जातियां जैसी की तैसी रहीं। इसका कारण क्या ?

इसमें मैं कहूंगा कि केवल राजनैतिक षडयन्त्र करने में यह सरकार लगी रही। जो जो संस्थाएं इन जातियों के नाम पर बनाई वे सब राजनैतिक अड्डे बनाये और आज भी वे राजनैतिक अड्डों के रूप में चल रहे हैं। इन जातियों की भलाई उन संस्थाओं से नहीं हो सकती और यह करोड़ों रूपया व्यर्थ जा रहा है।

आज तो शहरों में रहने को उनको जमीन नहीं दी जाती। उनकी झोंपडियां उखाड़कर फेंक दी जाती हैं। सदन में किस्से आते हैं उनकी झोंपडियां जला दी जाती हैं। और मांग की जाती है तो यह सरकार नहीं देती है देती किन को है ? जो मालदार है, जो मन्त्री लोगों के रिश्तेदार हैं जो सरकारी नौकर हैं। यह सरकार की नीति बीस सालों से चली आ रही है।

(श्री बिट्ठलभाई)

8,22,627 एकड़ जमीन सारे राजस्थान में इन जाति वालों को अलॉट की। ठीक है। की कोई अहसान तो नहीं किया। वे कदीमी काश्तकार थे। आज काफी भूमिहीन बाहर जिलों में रख रहे हैं। आदिवासी लोग काफी भूमिहीन हैं आज भी पर आज तो शहर में रहने को जमीन नहीं मिलती उनको, इसका क्या हो ?

जयपुर में आमेर रोड पर जाने वाली सड़क पर मेहर जाति के लोग बसते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी रेवेन्यू मन्त्री को कि बरसात में उनकी जगह पर पानी भर जाता है इसलिये कहीं ऊंची जगह पर उनको बसने के लिये जमीन दी जावे। बृजसुन्दर जी थे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर। उनसे कहा। उन्होंने जाकर जांच की और माना कि दूसरी जगह बसाया जावे। समाज कल्याण विभाग से मांग की कि यह बस्ती बसाने में मदद की जावे। समाज कल्याण विभाग ने जाकर जांच की और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और दूसरी जमीन थी जिसका नम्बर 165/166 व 167 था। उसके लिये मांग की कि यह जगह उपयुक्त है इनके लिये और यहां इन को बसाया जावे।

पर उस जमीन के लिये यू. आई. टी. के रामकिशोर जी व्यास मौजूदा रेवेन्यू मन्त्री हैं, उनके लड़के सेक्रेटरी हैं उनके पास चन्द्रभान टेमाणी राज्य बीमा विभाग के निदेशक हैं उनकी बीवी शान्तिदेवी के नाम से एप्लीकेशन आई। ट्रस्ट ने आदेश भी दे दिया कि दे दें तो उनको ऐतराज नहीं। वह हुकम दे दिया वहां कुकुक्टशाला खोलने के लिये। कलक्टर महोदय जयपुर ने आदेश दे दिया 18-5-68 को कि यह जमीन शान्ति देवी को दे दी जावे और वह जमीन उनको अलाट कर दी गई और उसी दिन 18-5-68 को कब्जा भी दे दिया गया।

(2 म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से एक दिन में उस तारीख को सभी विभागों से आर्डर हो जाता है और जाकर जबर्दस्ती जमीन पर कब्जा करवा दिया जाता है। क्यों इस तरह का अन्याय हुआ ? कहां समाज कल्याण विभाग का आर्डर था ? रेवेन्यू मिनिस्टर का आर्डर कहां गया और यू. आई. टी. का आर्डर लेकर व्यक्ति जो न हरिजन है, न कभी जमीन खेड़ी है उसने न कुक्कुटशाला पालने का तजुर्बा रखता था उनको दे दी जमीन और आज मकान बना दिया गया है।

तो इस तरह से यह अन्याय आदिवासी और हरिजनों के साथ होता है। इस तरह के एक नहीं हजारों केसेज होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले माननीय उद्योग मंत्री जी के खिलाफ इसी सैशन में था कि कन्जरों की जमीन को उन्होंने हड़प लिया था और फिर अंगूरों की खेती की। उसके लिए आज तक क्या कार्यवाही की ? नेताओं के लोगों को जगह दी जाती है, नेता लोग खुद हड़प लेते हैं और गरीब लोगों को नहीं दी जाती है

(2.02 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

और नेता लोग उसमें अंगूर की खेती कराते हैं और गरीबों को जमीन नहीं दी

(श्री विठ्ठल भाई)

जाता है आप कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं..................

श्री गिरधारी लाल व्यास : अंगूर खट्टे हैं ।

श्री विट्ठल : आपको इसके लिए कोई हक नहीं है, आपको गरीबों के ऊपर राज्य करने का या उनसे वोट लेने का अधिकार नहीं है ।

सभापति महोदय, इसी तरह के किस्से मैं आपको बताऊंगा । अभी बांसवाड़ा जिले में जोशीजी की करतूतों को बताता हूं । वहां पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मोहन लाल आचार्य उन्होने छेछ गांव में वहां के वे रहने वाले हैं और वहां के वह सरपंच हैं और दूसरी पंचायत पाटन है वहां आदिवासियों को जमीन एलाट हुई थी और उस जमीन पर उन्होंने नाजायज कब्जा किया और पंचायत समिति में लेण्ड लेकर कुआ खुदवा दिया और जब तहसीलदार बागीडोरा ने नोटिस दिया और मोहनलाल जी से कहा कि आपने नाजायज कब्जा किया इसके लिए आप जवाब दें । तो वह जवाब देता है कि मैने अपने निजी काम के लिए कब्जा नहीं किया है बल्कि मैंने तो पंचायती जमीन के लिए कब्जा किया है । उसके लिये तहसीलदार ने बी.डी.ओ. को लिखा कि मोहनलाल जी आचार्य ने जिस जमीन पर कब्जा किया है और जो लैण्ड ली है वह गलत है और वह आदिवासियों की जमीन है और मोहनलाल आचार्य सवर्ण जाती का है इसलिए उस पर कब्जा नहीं कर सकता है और आप उसको लोन नहीं दें । यह कार्यवाही चलती रही लेकिन आज तक कोई ठिकाना नहीं उसके लिए आपने क्या किया ? आप कहते हैं कि आदिवासियों को लाखों एकड़ जमीन दे दी लेकिन आपने नहीं दी । अच्छी जमीनों पर आपने कब्जा कर रखा है, सरकारी नौकरों ने कब्जा कर रखा है । हजारों की तादाद में कर रखा है लेकिन उनको नहीं हटाया गया और कोई आदिवासी या हरिजन 5 बीघा पर भी नाजायज कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करके उसकी फसल को चरा दिया जाता है और उसकी झोंपड़ी को फिकवा दिया जाता है । यह आज की सरकार है और आप कहते हैं कि हम आदिवासियों का और हरिजनों का भला कर रहे हैं । यह क्यों ऐसा हो रहा है ?

सभापति महोदय, इसी तरह से गढ़ी तहसील है बांसवाड़ा जिले में उस तहसील में करीब 10-12 आदमियों को 70 नम्बर का प्लाट मन्जूर हुआ और वह मन्जूर होने के कुछ ही दिनों के बाद वहां के प्रधान ने आदिवासियों को जमीन नहीं देने की मकसद से और उनके ही नेता और खुद के कब्जे में करने के लिए उस जमीन को जंगल एरिया में डिक्लेयर करा दी और उसके बाद में क्या होता है कि यह तो जंगल एरिया की जमीन है इसलिए यह उनको नहीं दी जा सकती और आज भी उसके लिए कार्यवाही हो रही है कि वह जमीन दूसरे नेताओं को और प्रधान को मिले और इसके लिए कोशिश हो रही है । सन् 65 में उस जगह को एलाट कर दिया और वह लोग लगान भरते रहे और वहां के लोगों ने उस जमीन को खेड़

(श्री विट्ठल भाई)

ली उसके बाद भी उस जमीन को आदिवासियों और हरिजनों से छीन ली। यह कहां का न्याय है? इसी तरह से यह जो जमीन है वह आपने हरिजनों को नहीं दी। उसके ऊपर आपने कब्जा किया, आपके नौकरों ने कब्जा किया। यदि किसी आदिवासी या हरिजन को जमीन एलॉट की होगी तो इस आधार पर की होगी कि उनको कहा गया होगा कि आप हमारे मेम्बर बनो और हमको वोट दो तब तो जमीन देंगे नहीं तो नहीं देगें। जमीनों का अलाटमेंट राजनैतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। जो उनके हक और सुविधायें हैं उनको आप नहीं ठुकरायें तो ठीक है।

आज बाँसवाड़ा जिले में बहुत सी जगह जिन लोगों ने दस साल से नाजायज कब्जा किया था और जो वन विभाग की जमीन थी और रेवेन्यू की मन्जूरशुदा जमीन थी उन लोगों के ऊपर आज वन विभाग ने चाहे वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हो तब कार्यवाही की हो तब तो ठीक है लेकिन रेवेन्यू विभाग की जमीन जो कि अलाटशुदा जमीन थी और जिसका लगान भर रहे थे उनको वन विभाग के रेन्जरों द्वारा बैल और हल गिरफ्तार कराके 25-25 मील कोर्ट में ले जाकर कार्यवाही करवाकर उनको परेशान किया जा रहा है। उनकी आज भी पेशियां चल रही हैं। इस तरह से उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो जो भूमिहीन लोग हैं उनको हक है कि जमीन उनको अलॉट की जाय। जितनी आपको जंगल की आवश्यकता है उतनी जमीन आप रख लें हमारा यह मकसद नहीं है कि जंगलों को बरबाद किया जाये लेकिन यह देखा जाय कि आबादी कितनी है और जंगल एरिया कितना है। अगर 50 प्रतिशत रेवेन्यू विभाग की जमीन है और 50 प्रतिशत जंगल विभाग की जमीन है और रेवेन्यू विभाग द्वारा एक्वायर करके उन लोगों को यदि जमीन दी जावे तो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं हो। इसलिए यह मैं कहूंगा कि उस इलाके के लोगों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। यह पक्षपात का नाता नहीं होना चाहिए। वहां पर हरिदेवजी जोशी हैं वह अपने आफिसर्स को कह देते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग जीतकर जाते हैं इसलिए उनके इलाके में ऐसा रेन्जर भेज देते हैं कि वहां के लोगों को वह परेशान करता है। वहां एक अम्बालाल रेन्जर है वह पीपलखूंट क्षेत्र में 5 साल से हैं और उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रखा है उसने झूठे आरोप लगाना और जमीनों के झगड़ों को करना और लोगों को कहना कि कांग्रेस में आ जाओ। ऐसा रेन्जर जोशीजी ने वहां पर रख रखा है। उसकी शिकायत होती है तो उसको सुना नहीं जाता है और उन्होंने आफिसर्स को कह रखा है कि उनकी कोई शिकायत नहीं सुनना। यह कोई प्रजातन्त्र है और प्रजातन्त्र के युग में आप इस तरह से अन्याय कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम इन लोगों को आगे ला रहे हैं। आप उनको आगे लाओगे भी नहीं और आप ला भी नहीं सकते। आपने 20 साल में कुछ नहीं किया तो आगे क्या करने वाले हैं। आपने जो करतूतें की है और हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। वह हम सदन के सामने बताना चाहते हैं कि जो आपने यह किया है। क्योंकि आज इस राज्य में, आज इस हकूमत ने

(श्री विठ्ठल भाई)

जितना अत्याचार किया है, यह राजनैतिक षड़यन्त्र आप चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। सीधे रास्ते चलने वाले आप नहीं है, क्योंकि आप की आदत पड़ गई है। मगर आप ईमानदारी पर चलेंगे नहीं। आपको बेइमान बनना पड़ेगा। तभी हकूमत बनेगी। कोई हमारे जैसा गरीब विधायक है, उसको आप 50–60 हजार रुपया दे सकते हैं। आप में उसे जमीन देकर, पैसा देकर, मिनिस्टरी देने की ताकत भी है। ये सारे धन्धे आप अपना सकते हैं। लेकिन यह शासन अधिक दिनों टिकने वाला नहीं है। यह अन्याय का शासन एक दिन मरेगा। उस दिन आप भागते फिरेंगे। आप को मजबूर कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : हमें भी आज मजबूर कर दिया है।

श्री विट्ठल भाई : जिस दिन आप गिरेंगे, जिस दिन आपके पलड़े गिरेंगे फिर ऊंचे होने वाले नहीं।

श्री नत्थीसिंह : पलड़े तो अभी गिर गए थे। वह तो बांध रखे हैं।

श्री विट्ठलभाई। आप शिक्षा में भी राजनीति चला रहे हैं। आप हरिजनों और आदिवासियों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। आपकी नीति नहीं है। क्योंकि आप चाहते हैं कि ये हमारे गुलाम बने रहें। तभी तो आप न तो मिडिल स्कूल खोलें। न छात्रावास खोलें। न हायर सेकण्डरी स्कूल खोलें। मैं जिस इलाके से आ रहा हूं वहां शिक्षा के नाम पर केवल पंचायत समिति पीपलाखूंट है। उस पंचायत समिति में 3 मिडिल स्कूल हैं। वह भी तब खुले जब कि पंचायत समिति का प्रधान सोशलिस्ट पार्टी का था। वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल की मांग थी।लेकिन वह नहीं खोला गया है। हर साल मांग आती है। इस साल भी मांग की गई थी। इन्सपेक्टर ने कहा था कि खोल दिया जाएगा। लेकिन नहीं खोला गया। बांसवाड़ा 25 मील जाना पड़ता है। हायर सेकेण्डरी कोई आस पास नहीं है। बीखाई में खोला जाता है। जो दानपुर में सेकेण्डरी स्कूल खोला। वहां जो मोहनलाल आचार्य है, उनके गांव में स्कूल खुला है। सेकेण्डरी स्कूल खुला है। बड़ोदिया में स्कूल चालू कर रहे हैं। और कहीं नहीं खुले। यह पक्षपात है। कहते हैं ये लाल टोपी वाले हैं। ये गरीबों के साथ कब तक अन्याय करेंगे। मैं दूसरी चीज और कहना चाहता हूं वहां होस्टल भी नहीं है। मैंने कई बार बात की है। तो कहा गया कि इस साल कोई प्रावधान नहीं है। इस साल कहां खुला, जोशीजी के क्षेत्र में। कहां खुले घाटोल में। मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है। वहां भी बच्चे पढेंगे। लेकिन यह पक्षपात है। अपने क्षेत्र में वोट लेने के लिए स्कूल खोलना, हमारे क्षेत्र में नहीं खोलना, क्या कारण है? दूसरी तरफ मैं यह भी बता दूं कि घाटोल एक तरफ पड़ता है। 90 लड़कों के लिए खुला। जोशीजी के क्षेत्र में घाटोल में 90 लड़कों के लिए खुला। क्या सुखाड़ियाजी ने कह रखा है कि गरीबों के लड़कों को कत्ल करो। हर बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम भीख मांगना नहीं चाहते। लेकिन आप बराबर समानता रखें। आप बराबर लाना चाहते हैं तो पक्षपात मत

(श्री विठ्ठल भाई)

करो। सबको एकसाथ मदद देनी चाहिए। लेकिन एक जगह तो आप होस्टल खोल देते हैं। जहां आवश्यकता होती है वहां नहीं खोलते हैं। तो सभापति महोदय, आप कब तक ऐसा करते रहेंगे। शिक्षा में भी हम लोगों को पीछे रखा। सुविधा में पीछे रखा। छोटे छोटे हकों के लिए पीछे रखा। जमीन के लिए पीछे रखा। आपने उद्योग धन्धों में भी पीछे रखा। आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग धन्धे नहीं खोलते हैं। आपने आदिवासियों को नौकरियां भी नहीं दी हैं। तो क्या हुआ आज कम से कम 5 लाख आदिवासी बांसवाड़ा जिले में रहते हैं। उन लोगों के लिए आप लोगों ने एक उद्योग धन्धा भी नहीं खोला है। कोई मिडिल तक ही पढा है। कोई हाई स्कूल है। कोई सेकेण्डरी तक ही शिक्षा पाता है। खर्च नहीं होने से वह आगे नहीं पढ़ता है। मिडिल वाले लड़के भी रोते फिरते हैं। खेती उनके पास है नहीं। नौकरी मिलती नहीं है। कभी किसी ने सेकेण्डरी कर लिया या हाई स्कूल कर लिया तो नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी अगर दी जाती है तो पैसे वालों को दी जाती है। बनियों को दी जाती है। या रिश्तेदारों को दी जायगी। या जोशी जी के ब्राह्मण होंगे उनको नौकरी दी जायगी। क्योंकि वह टीचर बनकर ग्रामसेवक बन कर जोशीजी की चुनाव में मदद करेंगे जिससे कि अपने अगले साल के लिए षड़यंत्र करें। नौकरी उसको दी जाती है जो चुनाव में उनकी मदद करें। आप अपने लोगों को नौकरी देते हैं। नियम यह है कि सबको मदद देनी चाहिए। लेकिन आपकी यह नीति नहीं है। यह क्यों नहीं है आप इस तरह इसलिये कर रहे हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, आपकी आदत खराब हो गई है। आप चाहते नहीं हैं कि इनका भला कर। आप यह कब तक करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर लें उनके साथ लेकिन आगे के लिए इसका बहुत बुरा नतीजा रहेगा।

आज हमारे आदिवासियों के बांसवाड़ा जिले में ज्यादा से ज्यादा लोग कर्जे में फंसे हुए हैं और कर्जे में फंसने के कारण भी न तो सरकार और न सरकारी समिति ही उनको पूरा कर्जा दे पाती है, न उनको समय पर बीज दे पाती है। फिर क्या करते हैं वह लोग कि स्थानीय व्यापारी से, बनिये से वह कर्जा ले लेते हैं और वह व्यापारी उस कर्ज से दुगुना, डेढ़ गुना या ढाई गुना साल भर में बना लेता है, वह ब्याज मन माफिक ले लेता है। उसके लिए कोई रोक नहीं है और उसके लिए सरकार ने भी कोई व्यवस्था नहीं की है। कोई भी कर्जा ले, कोई भी किसी भी काम के लिए तो कम से कम यह तो सरकार व्यवस्था करे कि काश्तकार को पूरा कर्जा दिया जाय, बीज की, खाद की जितनी जरूरत हो वह दिया जाय और काश्तकार को कर्जे से मुक्त किया जाय। सरकार यह नहीं कर पाती है, और यह न करने के कारण वह ब्याज में डूबे हुए हैं। उनको सहकारी संस्थाओं से कर्जा नहीं मिलता है।

इसके अलावा न्याय के लिए वहां के आदिवासियों के लिए ऐसा कोई वकील फी में नियुक्त किया जाय जो कि कोर्ट में उनको न्याय दिला सके। अगर उनके ऊपर कोई

(श्री विठ्ठल भाई)

दावा या डिग्री हो तो उनको मुफ्त में वकील की सेवा मिलनी चाहिए जिससे शुरू में उन्होंने कितना कर्जा लिया है, कितना कर्जा भर दिया है, कितना कर्जा बाकी है इसकी जांच वह वकील कर सके। इस प्रकार वकील की सेवा की व्यवस्था सरकार करेगी तो ठीक रहेगा नहीं तो वह लोग हजारों रुपयों के ब्याज में दबे हुए रहेंगे।

यह जो समाज कल्याण बोर्ड से हमारे यहां कर्जा मिलता है कूए वगैरह के लिए, तो आज जो काश्तकार को कर्जा दिया जाता है, वह चाहे हजार रुपये मिलें, चाहे पांच सौ रुपये मिलें वह कुए के लिए कर्जा एक मुश्त नहीं दिया जाता है, किश्त में दिया जाता है। हजार मंजूर हुआ होगा तो पांच सौ रुपये पहले दे देंगे, और फिर बारह महीने तक उसकी पूछ नहीं करेंगे और उसको दूसरी किश्त नहीं देंगे। वह काश्तकार पांच सौ रुपये लेकर जितना कुआ खोद सकेगा उतना खोद लेगा और जितना उसको श्रमदान देना होगा उतना श्रमदान देकर खोद लेगा, बाकी बारह महीने तक किश्त नहीं मिलेगी। इस कारण से बरसात में कुए धंस जाते हैं। कुए धंस जाने के बाद में दूसरी साल चाहे विकास अधिकारी या चाहे कोई दूसरा अधिकारी जब जांच करने के लिए निकलता है तो कहता है कि तुमने कुआ खोदा नहीं है, नियमानुसार कार्य नहीं किया इसलिए वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. के अनुसार कर दी जाती है। यह क्या है? सभापति महोदय, मैं दो मिनिट में खत्म कर देता हूं......

श्री सभापति : बहुत हो चुका। काफी बोल चुके हैं।

श्री विट्ठल भाई : तो कम से कम जितना भी कर्जा उसको मिलता है, चाहे वह हजार हो, कुछ भी हो, वह एक मुश्त दिया जाय। अगर नहीं तो जैसी मध्य प्रदेश में प्रणाली है कर्जे के विषय में, वह मैं आपको बता दूं। वहां पर काश्तकार को दो हजार, तीन हजार रुपया दिया जाता है। उसके बाद में काश्तकारों के लिए नियम बना रखा है। उनको कहा जाता है कि पूरा नियमानुसार कुआ खोद दोगे और पानी आ जायेगा, कुए को बांध दोगे तो इनाम के रूप में इतना पैसा काट देंगे। तो उन्होंने इस प्रकार का नियम बना रखा है। इसलिए वहां के जो काश्तकार होते हैं वह सोचते हैं कि हमें इनाम मिलेगा, हमें कर्जा नहीं भरना पड़ेगा इसलिए वह पूरा कुआ खोद देते हैं, उसको बांध देते हैं और कम्पलीट कर देते हैं। और फिर इनाम के रूप में पूरा कर्जा उसके नाम से काट देते हैं। हमारे यहां भी जो समाज कल्याण विभाग के अ. रुपया मिलता है, अनुदान मिलता है, उसमें से आधा रुपया मिलता है, अगर हजार मिलता है तो पांच सौ रुपये बीच में खा जाते हैं। पूरा पैसा न मिलने के कारण काश्तकार फलीभूत नहीं होते हैं और सरकार को फायदा नहीं होता है। इसलिए या तो पूरी रकम मिले या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का नियम बना रखा है उस माफिक काश्तकारों के लिए नियम हो तो उनको फायदा मिलेगा। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया। (अनुपस्थित)

श्री जय नारायण !

श्री नाथूराम करोल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, क्वेश्चन के बाद काल अटेंशन या किसी दूसरे विषय में या एडजोर्नमेंट मोशन को माननीय सदस्य मूव करते हैं, उनके अन्दर सदन का सारा समय समाप्त हो जाता है और जो अनुसूचित जाति और आदिम जाति की रिपोर्ट पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने दो दिन रखे थे, वह न मिल कर केवल दो घंटे तो कल मिले हैं और आज भी दो घंटे मिल रहे हैं। इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न है इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि कल तक के लिए समय बढ़ाया जाय क्योंकि जो माननीय सदस्य बोलने वाले बहुत हैं वह यह आशा करके चलते हैं कि समय बढ़ेगा और उनको बोलने का समय मिलेगा!

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! यह पांच बजे देखा जायगा। माननीय श्री जय नारायण !

श्री जय नारायण (लसाड़िया सु.) : माननीय सभापतिजी, आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट सदन के विचाराधीन है उसकी मुझे बड़ी खुशी है लेकिन अफसोस के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को जो काफी समय पहले इस सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वह हमारे विभाग की तरफ से प्रस्तुत नहीं की गई। मैं माननीय मंत्रीजी इस बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में आदिम जातियों की जो रिपोर्ट आये उसे समय पर इस सदन में यदि प्रस्तुत कर दिया जायगा तो माननीय सदस्य जो आदिम जातियों के विकास में रुचि रखते हैं उन्हें कुछ कहने का अवसर इस सदन में प्राप्त हो सकेगा।

माननीय सभापतिजी, इन दोनों वर्षों की रिपोर्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और कल जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकर लालजी ने इस रिपोर्ट में जो खामियां हैं उनके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला था। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे राजस्थान के समाज कल्याण विभाग ने जो बहुत कुछ तथ्य, जो आयुक्त के पास पहुंचने चाहिए थे, उन्हें प्रस्तुत नहीं किया। इसके साथ साथ जो कुछ बजट इस विभाग को प्राप्त हुआ, इस विभाग ने उस बजट को अच्छी तरह से खर्च नहीं किया। माननीय सभापतिजी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं शायद वह इन पिछड़े वर्गों के लिए काम करने की और उनका विकास करने की रुचि नहीं रखते हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि हमारा यह विभाग पिछड़ी जाति के प्रति बड़ा उदासीन है और जो कुछ भी बजट उन्हें दिया गया है उसको खर्च उन्होंने नहीं किया है। माननीय सभापतिजी, मैं आपका ध्यान पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह हाई स्कूल के पश्चात् कालेज की शिक्षा लेने में असमर्थ रहते हैं। ... ...

(श्री जयनारायण)

हमारे समाज कल्याण विभाग ने जो व्यवस्था कर रखी है उसके आधार पर हर एक विद्यार्थी को दिसम्बर में जाकर स्कालरशिप प्राप्त होती है। इन पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को खास तौर से कालेज में एडमिशन लेते समय पैसे की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को जो स्कालरशिप 6 महिने बाद देते हैं वह 6 महिनें बाद न देकर साल के शुरू में जिस समय कॉलेज और हाई स्कूलें खुलती हैं उसी समय दे दी जाय तो इन विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा चालू रखने में सुविधा होगी और एडमिशन में भी उनको आसानी होगी।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रावास चलाये जाते हैं उनमें विद्यार्थियों को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। खास तौर से उनको समय पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराई जाती है जब कि राजस्थान सरकार ने सुविधा दे रखी है कि हर विद्यार्थी को पुस्तकें स्टेशनरी और पढ़ने के लिये जो दूसरी आवश्यक सामग्री और सुविधाएं हैं, वह राज्य सरकार उन छात्रों को देगी पर मुझे कई छात्रावासों से इस प्रकार की सूचना मिली है कि समय पर छात्रों को पढ़ने की सामग्री पुस्तकें और स्टेशनरी नहीं मिलती है। इस लिए सभापति महोदय, मैं राज्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब कालेज और हाई स्कूल्स खुलें, उस समय सिलेबस के अनुसार विद्यार्थियों को स्टेशनरी, पुस्तकें और पढ़ने की अन्य आवश्यक सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जाय तभी इन पिछड़ी जातियों के ये छात्र आज के इस कम्पीटीशन के युग में और लोगों के बराबर आ सकेंगे, जो समाज के और काफी आगे बढे हुए लोग हैं उनके समकक्ष में ये पिछड़ी जाति के विद्यार्थी भी आ सकेंगे। आज जमाना बड़े कम्पीटीशन का है शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक विद्यार्थी को ऊंची नौकरी प्राप्त करने के लिए कम्पीटीशन में बैठना पड़ता है। गरीब अवस्था में साधन विहीन स्थिति में पढ़ा हुआ एक पिछड़ी जाति का विद्यार्थी जो गांव में रह कर विद्या प्राप्त करता है जैसा कि एटमोस्फीयर एक विद्यार्थी को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, आज कितने ही एम. ए. एलएल. बी. किये हुए पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी सर्विसेज के लिए कम्पीटीशन में बैठते हैं तो समाज के अन्य लोगों के छात्रों के मुकाबले में पिछड़ी जाति के छात्र कभी कम्पीटीशन नहीं कर सकते। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों को सर्विसेज में लेने के लिए जो हमने साढे बाहरा परसेन्ट का रिजर्वेशन तय कर रखा है उसमें भी हमें कुछ बढोतरी करनी पड़ेगी। यह रिजर्वेशन साढे बाहरा परसेन्ट तय किया था उस समय सिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के उस समय की जन संख्याके आधार पर किया था अब आज जब कि जन संख्या काफी बढ़ गई है और खासतौर से पिछड़ी जातियों के वर्ग की जन संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है इसलिए उस समय की जनसंख्या के आधार पर जो साढे बारह परसेन्ट का रिजर्वेशन इनके लिए किया था उसको रेज करना पड़ेगा और मैं एक खास बात

(श्री जयनारायण)

निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि साढे बारह परसेन्ट रिजर्वेशन शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए कहते जरूर हैं पर साढे बारह परसेन्ट नौकरियां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्राप्त नहीं होती हैं। यह इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारा फण्डामेंटल अधिकार है उसे दिलाने की बात करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, उनके दिल में इन पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों में स्थान देने के लिये जगह नहीं है। यह इसलिये कह रहा हूं कि एक कोटा फिक्स कर दिया साढे बारह परसेन्ट का पर आज स्थिति यह है कि आज किसी विभाग में 6 जगहें, किसी विभाग में 4 जगहें, और किसी में पांच जगह निकाली जाती है। यदि किसी विभाग में 6 रिक्त स्थानों को भरने के लिये निकाला जाता है तो, 6 स्थानों को रिक्त घोषित किया जाता है तो उसमें साढे बाहर परसेंट के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का औसतन पौन आदमी लिया जा सकता है। और यदि किसी विभाग में 5 या 4 स्थानों को रिक्त घोषित किया जाता है तो एक भी आदमी शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं लिया जा सकता। आज दिन तक हमने देखा है कि राज्य सरकार द्वारा जो वेकेन्सीज एडवरटाइज होती हैं तो कभी 5 स्थान, कभी 6 स्थान या कभी बहुत किया तो दस या 12 स्थान राज्य सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं··· ···

(2.31 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्षजी, ऐसी स्थिति में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नौकरियों में स्थान नहीं मिल सकता। कहने को कहते हैं कि साढे बारह परसेंट रिजर्वेशन नौकरियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कर रखा है पर हकीकत में उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं होते हैं। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग एम. ए. बी. ए. और एल एल. बी. वगैरह होकर भी इधर से उधर भटकते रहते हैं पर उन्हें सर्विसेज में स्थान प्राप्त नही होता। कहीं एप्लीकेशन भेजी जाती है तो यह लिख दिया जाता है :

Since suitable candidate is not available, hence vacancy is filled by other candidates.

इस तरह की बातें हमने कई बार गजट में पढ़ी हैं और दूसरे लोगों से इन सर्विसेज के रिक्त स्थानों को भर लिया जाता है। लेकिन मैं इस आयुक्त की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आयुक्त ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डिडेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो सिर्फ 3 महीने के लिये और जातियों के लोगों को नियुक्त किया जा सकता है और जब कभी उपयुक्त केन्डिडेट उपलब्ध होंगे, उस केन्डिडेट को हटा कर पिछड़ी जाति के केन्डिडेट को मौका दे कर उसे नियुक्त किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सर्विसेज में सुविधाएं दी गई हैं उनका शतप्रतिशत पालन

Page No.96

(श्री जयनारायण)

नहीं होता और सरकारी अधिकारी उदासीनता की मनोवृत्ति अपना कर इसका पालन नहीं करते। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों के प्रमोशन के बारे में भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके लिये हमने आज कोई प्रावधान नहीं बना रखा है। आज एक पिछड़ी जाति का कर्मचारी सर्विस में सीनियर है, उसकी कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट अच्छी है, तो भी ऐसे लोगों के प्रमोशन का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है। मैं राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने नियमों में परिवर्तन कर के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के प्रमोशन के लिये कोटा मुकर्रर करें, ताकि ऊंची नौकरियों में इनको जाने का मौका मिल सके।

आज आर. ए. एस., आई. ए. एस. और इसी तरह की राज्य-स्तरीय या देश स्तरीय सर्विसेज प्राप्त करने के लिये एक केन्डिडेट को आर. ए. एस., आई. पी. एस. जैसी परीक्षाओं में बैठना पड़ता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज समाज के अन्दर काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिससे अमीर और गरीब जैसी स्थिति आज हमारे सामने है, हम समाजवाद की बात अवश्य करते हैं पर हकीकत कुछ और है। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी गरीबी अवस्था में रह कर विद्याध्यन करते हैं। उसके बाद कोई ब्रिलियेन्ट केन्डिडेट हुआ तो कम्पीटशन में आर. ए. एस., आई. पी. एस. में आ सकता है। साधारण विद्यार्थी तो परीक्षा में बैठने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। अगर बैठता है तो हमारा जजिंग स्टेन्डर्ड हैं हम ऐसे विद्यार्थियों का जो स्टेन्डर्ड जज करते हैं वह अन्य फोरवर्ड लोगों के विद्यार्थियों के मुकाबले में ही जज करते है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं खास कर आर. ए. एस. और स्टेट लेवल की सर्विसेज हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग कम्पीटीशन में अपीयर होते हैं जो जजिंग स्टेन्डर्ड है उसको अन्य लोगों के मुकाबले में नहीं आंका जाय। उसमें कुछ रियायत देकर कम करना होगा ताकि इन पिछड़े वर्गों के लोग नौकरियों में आकर दूसरे पिछड़े भाई हैं उनकी कुछ सेवा कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यही नहीं हाई स्कूल में आर्थिक स्थिति से परेशान होकर इन जातियों के लोगों को पढ़ाई बन्द करनी पड़ती है। एक व्यवस्था भी इस तरह की है कि टाइप जानने वाले ही व्यक्ति नौकरी में प्रवेश ले सकते हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग टाइप नहीं जानते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिये एक कम्पलशन रख रखा है कि वह इन लोगों पर से उठा लिया जाय ताकि हायर सेकेन्डरी के बाद कोई विद्यार्थी सर्विस में आना चाहता है तो यह बाधा उसके सामने उपस्थित न हो।

Page No.97

(श्री जयनारायण)

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, इन आदिम जातियों की, पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति भी बड़ी सोचनीय है। आज हम देखते हैं कि आदिम जातियां, आदिवासी लोग ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, जंगलों से कुछ चीजें लाकर शहरों में बेच कर अपना गुजारा चलाते हैं। खेती भी उनका एक मुख्य व्यवसाय है। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि बड़े बड़े तालाब बनते हैं, डेम बनते हैं और उन तालाबों के नीचे, उन डेम्स के नीचे जो कमान्ड एरिया की जमीन होती है इन पिछड़े वर्ग के लोगों को अलाट नहीं की जाती है क्योंकि राज्य सरकार कुछ निश्चित पैसा उसका फिक्सअप करती है जिससे यह लोग उस पैसे को चुकाने में असमर्थ रहते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार के राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े डेम, बड़े बड़े तालाबों के नीचे कमान्ड एरिया की जमीनें हैं वह उन आदिवासी और हरिजन भाई जो खेती करते हैं उनको अलाट कर दी जाय। पैसे को चुकाने की बात आती है तो वह उसको चुका सकते हैं। कुछ किश्तें कर लीजिये। वे उसको चुका सकते हैं। एक साथ नहीं चुका पायेंगे। यह सुविधा उनको होनी चाहिये।

आज कल कुछ भाई सहकारी समितियां चलाते हैं। खास कर जंगलों की सहकारी समितियां। लेकिन उनको सहकारी समितियों में जंगलों का ठेका प्राप्त नहीं होता है। व्यवस्था इस प्रकार की है कि ठेकेदार लोग जो ज्यादा पैसा लगाते हैं उनको ठेका दे दिया जाता है। इसलिये आदिवासियों की जंगलों की सहकारी समितियां हैं उनमें कुछ ऐसी रियायतें दी जांय जिनसे उनको जंगलों के ठेके प्राप्त हो सकें। वरना कम्पीटीशन में आकर आदिवासी लोग जिनका जीवन जंगलों पर ही आधारित है वे कभी ठेका नहीं ले सकते और ठेकेदारों के मुकाबले में कम्पीटिशन में खड़े नहीं हो सकते।

यही नहीं, हमारे कई भाई जूता बनाने का काम करते हैं। हाथ से बना हुआ जूता कम्पनी से बने हुए जूते के मुकाबले में कहीं अच्छे से अच्छा होता है और कई स्थानों पर बने हुए जूते, मैंने देखा है, एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट लाइसेन्स उन जूता बनाने वालों को नहीं दिया जाता है। कुछ पूंजीपति लोग एक्सपोर्ट लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हैं और इन जूता बनाने वालों से खरीद कर बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। राज्य सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि जूता बनाने वाले लोग हैं या अन्य काम करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोर्ट लाइसेन्स मिले या जो कानून है उसके अनुसार उनके केसेज को रिकमन्ड करना चाहिये। वरना होता यह है कि एक पैसे वाला आदमी उनसे जूता खरीद कर एक्सपोर्ट करता है। उससे उसी को लाभ होता है और उस क्षेत्र में काम करने वालों को फायदा नहीं होता है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस रिपोर्ट में समन्वय समिति का जैसा गठन बताया

(श्री जयनारायण)

गया है आज तक समन्वय समिति की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। इसलिए जिम्मेदार कौन है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समन्वय समिति अगर सक्रिय रूप काम करे, जो काम उनको सौंपा गया है उसमें रुचि लेकर अगर काम करे तो बहुत सी समस्यायें आसानी मे हल हो सकती हैं। आज पिछड़े हुए लोगों के लिये किस विभाग में कितनी वेकेन्सीज हैं जो क्लेम करते हैं उनको प्राप्त नहीं। हमारा समाज कल्याण विभाग बहुत सोया हुआ है। उनके विभाग में पब्लिसिटी की ब्रान्च है। जो कानून कायदे पिछड़े हुए लोगों के लिए बनाये जाते हैं उनको पब्लिश किया जाना, उनकी पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी है। आज पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट सोया हुआ है। कानून मे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट चाहे कहीं का भी हो जो भी साधन सुविधायें भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की और से उपलब्ध होती हैं उनकी पब्लिसिटी करना चाहिये लेकिन हमारा पब्लिसिटी विभाग उसकी पब्लिसिटी नहीं करता है। इसलिए प्रत्येक विभाग जहां कहीं भी वेकेन्सीज हैं और सुविधायें पिछड़े हुए वर्ग को मिलती हैं, प्रत्येक क्षेत्र में काम करने लग जाय सक्रिय रूप से पब्लिसिटी विभाग तो प्रत्येक गांव में आराम मे प्रचार किया जा सकता है कि ये सुविधायें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये उपलब्ध हैं जो फायदा उठाना चाहें वे उनका फायदा उठा सकते हैं। न समन्वय समिति और न ही पब्लिसिटी विभाग किसी प्रकार का काम करता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, समाज कल्याण विभाग में एक हाउसिंग स्कीम भी चलती है उसकी मार्फत शायद एक हजार या 700 रुपया सब्सिडी के तौर पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के के लोगों के लिये देते हैं। उसके लिये समाज कल्याण विभाग में पंचायत समितियों की मार्फत कुछ प्रार्थना पत्र भेजे जाते हैं और प्रायोरिटी बेसिस पर हाउसिंग स्कीम के लिये उनको पैसा दिया जाता है लेकिन, उपाध्यक्षजी, मुझे पता नहीं हमारा समाज कल्याण विभाग बिना किसी प्रार्थना पत्र के प्राप्त किये, बिना प्रायोरिटी को देखे हुए कुछ स्थानों के लिये कुछ पैसा हाउसिंग स्कीम के लिए नियत किया है, मैं उनके नाम नहीं जानता. लेकिन फिर भी आपने जो कानून बना रखा है उसके बिना पालन के भी हाउसिंग के लिये पैसा दे दिया यह उपयुक्त नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो कानूनी सहायता राज्य सरकार से उपलब्ध हो उसके लिये आज तक कोई एडवोकेट नियुक्त नहीं किया गया है। और किसी को भी, हमारे यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनको खुद को, पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मैं खास करके आदिवासी क्षेत्र की बात करता हूं। आदिवासी क्षेत्र में जो बसते हैं, खास करके भील, मीणा गिरासिया। इन लोगों के रीति रिवाज अपने कुछ हिसाब के, रीति रिवाज हैं। उन के रीति रिवाजों के अनुसार औरतों के झगड़े बड़े होते हैं। हमारे को यह सुविधा है कि जाति पंचायतों की मारफत औरतों के ये झगड़े सुलझा दिये

(श्री जयनारायण)

जाने चाहियें। लेकिन जाति पंचायतों के काम में पुलिस के लोग काफी इन्टरफियर करते है और ऐसे कई कसेज में पुलिस ने चालान किया है जबकि यह सुविधा जाति पंचायतों को प्राप्त है कि वे इस तरह के झगड़े आपस में बैठ करके तय कर दें। लेकिन यह आज तक नहीं हुआ है और पुलिस का इन्टरफियर बराबर बना हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का हस्तक्षेप इन लोगों के रीति रिवाजों में बराबर होता है, वह अवांछनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आदिवासी लोगों के खास हथियार हैं. तीर, कमान, छुरी और बन्दूक। आज आदिवासी क्षेत्रों में बन्दूकों के लाइसैन्स की बड़ी समस्या है। अगर किसी आदिवासी के पास में बन्दूक के लाइसेन्स को रिन्यूअल नहीं कराया हुआ है तो पुलिस विभाग खासतौर से उन्हें परेशान करता है। धरियावद तहसील में ऐसे कई केसेज मैने देखे हैं। जिस किसी आदिवासी के पास बन्दूक का लाइसेन्स नहीं है तो ऐसे आदिवासी से पुलिस वाले काफी पैसा ऐंठ लेते हैं। इसलिये उपाध्यक्षजी मै निवेदन करूंगा कि बन्दूकों के लाइसेन्स को परमेंनेन्ट कर दिया जाय। आदिवासी भाई पढे लिखे नहीं हैं उनको रिन्यूअल की डेट्स कैसे याद रह सकती है। तो ऐसे भाई गलती कर सकते हैं। परमेंनेन्ट चाज करके उनको परमेंनेन्ट लाइसेन्स दे दिये जायं तो वे परेशान नहीं होगे।

अन्त में मै आपका ध्यान कोलोनी की तरफ भी आकर्षित करूंगा अभी हमने देखा है कि राजस्थान में जगह जगह पर हरिजनों और आदिवासी भाइयों के लिये राज्य सरकार द्वारा कोलोनी बसाई जाती है। माननीय उपाध्यक्षजी, कोलोनी बनाना अच्छी बात है। बेघरबार वालों को घर देना अच्छी बात है। लेकिन इससे हमारा जो प्रिन्सिपल है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का, वह पूरा नहीं होता। आज हम एक सेपरेट कोलोनी हरिजनों के लिये बनाते हैं। हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि अनटचेबिलिटी का हमें रिमूव करना है, दूसरी तरफ हम खुद ही उनकी कोलोनी को गांव से दूर ले जाकर स्थापित करते हैं। इस तरह पानी की व्यवस्था भी उनके लिये सेपरेट होती है। उनके लिए दूसरी सब बातें सेपरेट होती हैं। इस तरह से हम उन लोगों को समाज से अलग कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि उनकी जो कोलोनी बने, जो कुछ भी पैसा हमने उनके लिये निश्चित किया है, उस पैसे से आप उन्हें अन्य लोगों के साथ साथ प्लाट्स दें। कोलोनी बसाने के लिये जो सुविधा आपने दी है उसकी मैं तारीफ करता हूं लेकिन इस कोलोनी को गांव के एक तरफ बसाने की जो बात आप सोचते हैं उसकी मैं निन्दा करता हूं। यही नहीं शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के विद्यार्थियों के लिये अलग से होस्टल होते हैं। अलग से ही सारी बातें उनके लिये होती हैं। ये लोग अपने ही दायरे में अपने ही घर में, अपने ही भाइयों के साथ रहते हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि इन लोगों को भी समाज के अन्य जो सुधरे हुए लोग, विकसित हुए लोग हैं, उनके साथ रहने का अवसर दिया जाय ताकि एक अच्छे वातावरण में वे बढें, एक कम्पीटीशन की भावना

(श्री जयनारायण)

पैदा हो और रहन सहन, खाने पीने की सारी बातें वे उनसे सीख सकें। जो उनके ख्यालात हैं उनको हम आसानी से तब्दील कर सकते हैं। इसलिये समाज कल्याण विभाग और यूनिवर्सिटी जो होस्टल्स चलाते हैं, उनमें राज्य की तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिये कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित हो। उनको वहां एडमिशन प्राप्त हो सके और समाज के विकसित लोगों के साथ रह सके जिससे उनका मानसिक स्तर ऊंचा उठे। कम्पीटीशन की भावना उनमें रह सके।

अन्त में मैं समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग के राज्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट्स को समय पर इस हाउस में प्रस्तुत कर दी जाय ताकि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्राप्त हो, जो कुछ खामियां हैं, उन्हें हम तुरत उस समय पाइन्ट आउट कर उसका समाधान करा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय!

(श्री मदनसिंह दांता के बोलने के लिये खड़े होने पर'' आपकी पार्टी की तरफ से नाम नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये। कोई खास बात रखना चाहते हैं। उनको अवसर ''''''

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में शिड्यूल ट्राइब्स और शिड्यूल कास्टस, अनुसूचित जन जाति और और अनुसूचित जातियों का आयोग, कमीशन के गठन का प्रावधान है। आयुक्त का कर्त्तव्य है कि अनुसूचित जाति और आदिम जाति के सम्बन्ध में अनुसन्धान या शोध करे, उनके कल्याण के लिये जो काम किये हैं, उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार करके भारत के राष्ट्रपति को अर्पित करें। इन जातियों की सेवा के लिये जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं और जिन्हें केन्द्र और राज्यों के द्वारा सहायता, एड प्राप्त होती है उनकी इस बात की जांच करे और स्टेटस की योजना में, राज्यों की योजना में सलाह दे। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्यों ने अलग अलग बोर्ड स्थापित किये हैं। सब जगह, कुछ राज्यों में यह व्यवस्था की गई है। इसका मूल लक्ष्य यह है कि यह बोर्ड कमीशन को सहायता दे, सहयोग दे और मेरा यह निवेदन है कि सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जबकि सन् 1963 में 24 सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर सन् 64-65 में 52 सदस्य नियुक्त किये गये। क्या राजस्थान सलाहकार बोर्ड या सलाहकार कमेटी का गठन हुआ है? यदि हुआ है तो कितने सदस्य इस कमेटी के अन्दर हैं? यदि नहीं हुआ है तो सरकार के द्वारा उत्तर में इस समस्या को स्पष्ट करना चाहिये कि क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार इस कमेटी के गठन के सम्बन्ध में विचार रखती है और उस कमेटी का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो है, उसमें से किसी

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

व्यक्ति विशेष को कायम करने के सम्बन्ध में सरकार विचार रखती है ? इस बारे में भी मंत्री महोदय कृपा करके प्रकाश डालेंगे।

प्रतिवेदन में जहां तक मैंने देखा इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ दूसरी रिपोर्ट मेरी जानकारी में ऐसी नहीं है जिसके सम्बन्ध में प्रकाश डाला हो। रिपोर्ट में एक जगह यह भी उल्लेख है कि साल भर में बोर्ड की 4 मीटिंग होनी चाहिये किन्तु उसी प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं की गई। इसी प्रतिवेदन में सन् 1964-65 तक का है उसमें स्पष्ट मीटिंग के संबंध में सूचना नहीं होने के कारण उल्लेख है मेरे ख्याल से खेदजनक है और इससे यह स्पष्ट होता है कि इन आदिम जातियों और जन-जातियों की सरकार ने उपेक्षा की है।

(3 म. प.)

इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 5 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें सलाहकार बोर्ड के सम्बन्ध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना में उपाध्यक्ष महोदय 100 करोड़ का प्रावधान शिड्यूल कास्ट व शिड्यूल ट्राईब्स के कल्याण हेतु किया गया था। राज्यों ने समय समय पर रिपोर्ट या कोई प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में नहीं प्रस्तुत किया है कि कितनी धनराशि वास्तविक रूप में इन जातियों के कल्याण के हेतु खर्च की गई है लेकिन मेरा यह अनुमान है कि जितना प्रावधान है उतनी खर्च नहीं की गई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 61 करोड़ 51 लाख रुपयों का अनुदान था इस अनुदान में से खर्च किया गया है इसका पूर्णतया मूल्यांकन भी हम नहीं कर सकते जब तक राज्यों के द्वारा और खास तौर से राजस्थान सरकार द्वारा कोई प्रतिवेदन इस सदन के समक्ष नहीं आये। मेरा यह अनुमान है कि इससे भी कम रकम वास्तविक रूप में खर्च हुई है और केन्द्र के विवरण में इस सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इतना तो मैं समस्त भारत के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा और कुछ तथ्य राजस्थान के जो है उस सम्बन्ध में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राईब्स के लिये तीन करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है। लेकिन मुझे यह आश्चर्य होता है कि कोर आफ दी प्लान में तीन करोड़ 25 लाख का प्रावधान था उसको घटाकर दो करोड़ और 54 लाख कर दिया। मेरे ख्याल से दो करोड़ 54 लाख रु० कम किया जाना एक अच्छा शुभ लक्षण नहीं है और मेरे ख्याल में इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजनैतिक ईमानदारी का अभाव भी राजस्थान में सरकार ने प्रत्यक्ष किया है।

प्रथम तीन वर्षों में 72.16, लाख रु० खर्च किया है चौथे वर्ष में 40 लाख रु० इस सम्बन्ध में एस्टीमेट किया गया है यानि मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 112.16 लाख रु० इन जातियों के कल्याण के हेतु खर्च किया गया है। इस अवसर पर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

117.53 लाख आखिरी साल के लिये बिना खर्च किये हुए रखा गया है यानि 4 वर्षों में 50 प्रतिशत किया और आखिरी एक वर्ष के लिए 50 प्रतिशत क्यों रखा गया। इसका उत्तर स्पष्ट है कि 65 और 66 के लिये आगामी आम चुनावों को दृष्टिकोण में रखकर खर्च करने हेतु राशि रखी गई है ताकि कांग्रेस को बलवान बनाया जाय और विरोधी पक्ष को कमजोर बनाया जाय। मेरे ख्याल से यह नीति, यह परम्परा अच्छी नहीं है। यह अस्वस्थ परम्परा है।

शिक्षा के क्षेत्र में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 50 हजार स्कालरशिप शिड्यूल कास्ट और 50 हजार स्कालर शिप शिड्यूल ट्राईब्स के लिए और दो हजार स्कालरशिप घुमक्कड़ जातियों के लिये इस तरह कुल मिलाकर एक लाख दो हजार स्कालरशिप का प्रावधान मंजूर हुआ है। वास्तविक रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में शिड्यूल कास्ट को 23,689 स्कालर शिप मंजूर हुई, शिड्यूल ट्राइब्स के लिये 26,594 स्कालर शिप मंजूर हुई और घुमक्कड़ जातियों के लिये 577 स्कालर शिप मंजूर हुई। कुल मिलाकर 50,858 छात्रवृतियां मंजूर की गई। पांचवें वर्ष में क्यों किया गया, इसका विवरण बिलकुल नहीं है। पुरानी रिपोर्ट आप सदन के सामने लाते हैं। और पुरानी रिपोर्ट पर आप अवास्तविक रूप से बहस कराते हैं। मेरे ख्याल से यह अच्छी परम्परा नहीं है। सरकार को चाहिये कि कम से कम 65–66 के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख होता तब यहां वास्तविकता को लेकर बहस भी हो सकती थी। स्कालरशिप देने के आधार भी दूषित हैं जैसा कि माननीय सदस्य जो लसाड़िया से आये है उन्होने कहा है कि बहुत से योग्य व्यक्ति एम० ए०, बी० ए० हैं उनको राजनैतिक आधार पर या अन्य आधार पर नौकरी नहीं दी जाती है, उनका लिहाज नहीं किया जाता है। यहां पर पक्षपात की पराकाष्ठा पहुंच चुकी है। मैं समझता हूं इसके साथ साथ राजनैतिक कारण घुसे हुये हैं जिनके कारण प्राथमिकता दी जाती है और योग्य व्यक्तियों के गुणों को गौण रखा जाता है। सरकार को मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। गैर सरकारी जो संस्थायें है उनमें जो छात्र रखते हैं वह भी राजनैतिक कारणों से रखे जाते हैं। छोटी मोटी शिकायतों पर उन छात्रों को निकाल दिया जाता है और यह व्यवस्था मैं अनुभव करता हूं कि जितनी गैर सरकारी संस्थायें है ये सब राजनैतिक के अड्डे बनी हुई है। डूंगरपुर में ठक्कर बापा और कस्तूरबा हैं। वहां विशुद्ध आदिम जाति व जन जाति की रिजर्व संस्थाये हैं। मैं माननीय सदस्य जो लसाड़िया से आये हैं इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहा कि इनको एक्सक्ल्यूसिव इन्सटीट्यूट नहीं रखना चाहिये इसका मैं समर्थन करता हूं। वाटर टाईट एन्ड हाईट वाऊन्ड कम्पीटेन्ट कितने दिन तक आदिवासी को रखेंगे आदिवासी मनुष्य हैं, आदिवासी को प्रश्रय दीजिये, उनको प्रोत्साहन दीजिए लेकिन उनको इस तरह मत करिये। उनको समाज में घुलामिला दीजिये ताकि वे अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। दोनों संस्थाओं मे अत्याचार होता है, अनाचार होता है भ्रष्टाचार होता है तथा व्यभिचार होता है।

Page No.103

एक माननीय सदस्य : यह आपके लिये खतरनाक है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा) : यह आपको दर्द क्यों हो रहा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन संस्थाओं को 10 लाख सालाना मिलता है। 20 वर्ष के अन्दर इन संस्थाओं 30 को लाख मिल चुका है। (यह 30 लाख रुपये का मामला है। इस संबंध मे इन संस्थाओं की कोई कार्यकारिणी समिति नहीं है। इन संस्थाओं के हिसाब का कोई आडिट नहीं हुआ। इन संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट नहीं है और इनको अनुचित संरक्षण दिया गया है सरकार से और निरंकुश रूप से इसको चलने दिया गया है .....

श्री विश्वंभर नाथ जोशी : पोइंट ऑफ इन्फरमेशन सर। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य किस संस्था के बारे में फरमा रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य ? उनका आडिट होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कस्तूरबा छात्रावास और ठक्कर बापा छात्रावास। संचालक ने लगातार 20 वर्ष से मोनोपोली कर रखी है श्री भोगीलाल पांडियां जो राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं। आखिरकार यह आदिवासियों की संस्था हैं, इसमें आदिवासियों की कार्यकारिणी होनी चाहियें। इस संस्था का संचालन आदिवासियो द्वारा होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उसमें आदिवासी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार रखता हूं। आपको आपत्ति उठानी हो तो अवश्य उठा सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनुचित संरक्षण सरकार द्वारा दिया जाता है, आडिट नहीं होता है न इसकी कोई रिपोर्ट आती है। इसके कर्ताधर्ता श्री भोगीलाल है जिन पर व्यक्तिगत रूप से मुझे आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह जिला प्रमुख हैं, पंचायत समितियों के प्रधान हैं व उनके प्रमुख कार्यकर्ता हैं। मेरे ख्याल से यह दूषित परम्परा है कि रचनात्मक पवित्र क्षेत्र के अंदर आप अगर राजनीति को चुनाव हेतु लाते हैं तो यह परम्परा अस्वस्थ है।

20 वर्ष के शासन के अंदर आदिवासियों का कल्याण राजस्थान सरकार ने कितना किया, वह उदाहरण भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले के अंदर पीपलखूंट गांव में सर्वेक्षण दल ने जांच की। उसका प्रतिवेदन यह हुआ कि वहां 168 परिवार हैं उनमें से 118 परिवार ऋणग्रस्त है, अधिक से अधिक ऋण-ग्रस्त परिवार पर डेढ़ हजार का ऋण हैं। यह ऋण कैसे लिया गया ? इस संबंध में भी मैं प्रकाश डालता हूं:—

61.15 प्रतिशत ऋण घरेलू काम के लिए लिया गया।

34.67 प्रतिशत ऋण सामाजिक अवसरों के लिए लिया गया।

2.74 प्रतिशत केवल कृषि के लिए लिया गया।

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

1.44 प्रतिशत केवल गृह-निर्माण के लिए लिया गया।

इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। सस्ते सूद पर उनको कर्जा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूतपूर्व राजाओं की आप निंदा करते हैं, आप करें, किन्तु उदाहरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय सस्ते सूद पर कर्जा मिल सकता था किसान को, आदिवासी को, हरिजन को। हमारे डूंगरपुर जिले में ही बैंक की चार शाखाएं थीं सिवलवाड़ा, सावला, सागवाड़ा व डूंगरपुर। आज सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की ओर से कर्जा देने के लिए।

साहूकारी. विधेयक पास करने के पश्चात् अगर आदिवासियों और हरिजनों को कर्जा भी दिया जाता है तो शाहूकार लोग उस पर अनाप-शनाप सूद लेते हैं. 100) मांडते हैं और 50) देते हैं उस पर 2 रुपया सैंकड़ा या 3रुपया सैंकड़ा सूद लेते हैं। इस तरह शोषण नीति जो आपने कर रखी है, वह निंदनीय, घृणास्पद है, उसका मैं विरोध करता हूं।

आप कहते हैं कि सागड़ी प्रथा समाप्त कर दी, यह अवास्तविक बात है, मैं आपके दावे को नहीं मानता यह प्रथा अभी ज्योंकी त्यों है। इस संबंध में सर्वेक्षण डूंगरपुर तहसील के 12 गांवों में किया गया, उसके आधार पर अधिकांश सागड़ी 16 से 36 वर्ष की उम्र के स्त्री पुरुष पाए गए। संख्या बढ़ रही है दिनो दिन और 10 प्रतिशत सागड़ी ऐसे पाए गए जिनकी वार्षिक आय केवल 100) रु० मासिक आय केवल मात्र 8.25 और दैनिक आय केवल 27 पैसे है। आप लम्बी चौड़ी डींगे हांकते हैं। आप दावा करते हैं कि पर कैपिटा आमदनी बढ़ रही है और औसत पर कैपिटा आमदनी 343) पर जा चुकी है, किन्तु इसके मुकाबले में ये गरीबी के आंकड़े खासतौर से 27 पैसे के आंकड़े कहां तक आपके दावे का सामना करते हैं, आप स्वयं विचार करें और मैं आशा करता हूं कि इस प्रथा को हमेशा के लिए आप बंद करने की कोई ठोस योजना बनायेंगे वरना कागजी कार्यवाही से कुछ नहीं होगा।

सर्वेक्षण द्वारा पाया गया कि सागड़ियों ने कर्जा लिया— विवाहों के लिए इन लोगों ने 41.1 प्रतिशत कर्जा लिया। सरकारी कर्जा चुकाने के लिए 8.3 प्रतिशत कर्जा लिया, कृषि के लिए 14.5 प्रतिशत कर्जा लिया। घरेलू काम के लिए 11.4 प्रतिशत कर्जा लिया, खाद्य के लिए 5 प्रतिशत। इससे स्पष्ट है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। बहुत आदिवासियों के पास झोंपड़ियां भी नाम मात्र की हैं। उनके रहने के लिए घर नहीं हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं है, यह हमारी स्वतन्त्रता है। मैं समझता हूं कि इस आजादी के अंदर आदिवासियों का कोई हित नहीं हुआ है, आदिवासियों का अहित हुआ है बल्कि बरबादी हुई है। उनके कल्याण के लिए आपकी योजनायें भ्रामक हैं, दिखावे मात्र हैं, ये योजनायें नहीं हैं, यह शोषण नीति है।

मकानों के बारे में निवेदन है कि आपने प्रावधान रखा था 6,170 मकान बनाने का।

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

तीसरी योजना के प्रथम 4 वर्षों में 2,748 मकान पूरे किये गये। आदिवासियों के लिए जो आपने मकान बनाए वह मेरे खयाल से दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। जवाहर नगर खैरवाडा, काकदर और अन्य जगहों पर जहां मकान बनाए वह आपने इस तरह बनाये हैं कि आप उनको वाटर टाइट कम्पार्टमेंटस रखना चाहते हैं। आदिवासी स्वतन्त्रता प्रेमी हैं वे अपनी खेती के पास पहाड़ियों पर रहना चाहते हैं। आप अगर उनको गांवों के पास इकट्ठे रखेंगे या एक जगह पर रखेंगे तो वह कभी नहीं रहेंगे। आपकी सारी योजनाएं विफल हुई। जहां पर आपने मकान बनाए वहां पर दूसरे लोग किराये पर आकर रहने लगे। आदिवासी नाम मात्र के लिए वहां रहते हैं। अनुदान के लिए आपने यह प्रावधान रखा है 750) रु० मकान के लिए दिया जाय। 750 रुपये में कौनसा मकान आज की महंगाई के जमाने में बन सकता है, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। आपके पोस्ट डिवेल्यूड रूपी में क्रय शक्ति क्या है वह भी आप स्वयं विचार कर सकते हैं। इससे तो आप कुछ नहीं दें तो अच्छा है। मैंने इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लोगों को मकान बनाने के लिए अनुदान दिया गया मकान आधे बने, वह अनुदान ऋण के रूप में जब वसूल हुआ तो निर्दयतापूर्वक वसूली की गई, ज्यादतियां की गई उनको मारा गया, वे भाग गये। यहां पर श्री अमृतलाल यादव ने कहा था कि उनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

आज जगह जगह कच्ची बस्तियां हैं आदिवासियों के लिए हाउसिंग की कोई योजना नहीं है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपयों के बांध, सड़कें, भवन, अस्पताल व स्कूल बनाए लेकिन उसमें कुछ हिस्सा हाउसिंग के लिए आपका रखना परमावश्यक है और अनुदान के लिए या तो आप 3,000) अनुदान दें या स्वयं राज्य को चाहिए कि मकान बनाए और बनाकर आदिवासियों को और हरिजनों को दे। तब तो मेरे खयाल में कोई आपकी योजना स्लम क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में, आदिवासियों को मकान देने के सम्बन्ध में सार्थक हो सकती है, अन्यथा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधित्व के संबंध में लोक सभा में आपने आदिवासियों को 5 स्थान दिए हैं, विधान सभा में 48 स्थान दिए हैं और सरकारी नौकरियों में आपका लक्ष्य साढे बारह प्रतिशत है। साढे बारह प्रतिशत लक्ष्य कुछ ज्यादा है मैं मानता हूं लेकिन नियुक्तियां केवल आपने अभी 0.5 प्रतिशत ही की हैं। नियुक्तियों में भी अगर साढे बारह प्रतिशत की जगह एक प्रतिशत भी बताए तब भी मै कहूंगा कि आपका काम कुछ प्रशंसनीय है नहीं तो मैं कहुंगा कि या तो आप ऐसा प्रावधान न रखें अगर प्रावधान रखा है, रिजरवेशन देते हैं तो 0.5 प्रतिशत·······

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पोइन्ट ओफ इनफरमेशन। ऐसा मालूम पड़ता है कि विरोधी पक्ष के नेता के जो फिगर्स हैं मै नहीं कह सकता कि किस सोर्स से लिये हैं लेकिन सही नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रतिवेदन से लिया है। आप चाहेंगे तो आपके कक्ष में आकर बताऊंगा कि कहां से लिया

Page No.106

(महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह)

है। 0.5 प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख मैने देखा है। अगर 12 1/2 लक्ष्य और 0.5 प्रतिशत ही वास्तव में आपने स्थान दिए हैं तो यह कोई योजना नहीं हैं. जान बूझकर उनको नीचे दबाने की कोशिश की है। इस तरह का शोषण किया गया है। चुनाव के समय भी बहुत से हरिजन और आदिवासी विरोधी पक्ष से जीतकर आए थे आपने उन की गरीबी का लाभ उठाकर 1962 व 1967 में उनका दल परिवर्तन कराया मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग केवलमात्र आपकी कुर्सी पर बिठाने की योजना है, कांग्रेसी नेताओं का कल्याण करने वाला है, समाज का कोई कल्याण होता हो ऐसा मैं अनुभव नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक सूचना देना चाहता हूं। राजस्थान होम्योपेथिक चिकित्सा विधेयक 1968 पर जो प्रवर समिति नियुक्त की गई है, इसमें 22 सदस्य हैं। प्रभारी मंत्री ने अनुरोध किया है कि इस प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्यों को और नियुक्त किया जाय —

1. श्री समर्थराज

2. श्री कल्याणमल मीणा

3. श्री आईदान सिंह

क्या सदन की अनुमति है कि ये सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नियुक्त किये जायं ?

(स्वीकृत)

नियुक्त किए गए।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने 1964-65 व 1965-66 की आयुक्त की रिपोर्ट विचाराधीन है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि 1963-64 की रिपोर्ट में राजस्थान सरकार ने आयुक्त को यह सूचना दी कि हमारे यहां पर 35,602 गांवो में से सिर्फ 56 गांव ऐसे हैं जहां पर अस्पृश्यता मानी जाती है बाकी गांवों में अस्पृश्यता नहीं है. यह रिपोर्ट के पेज 24 पर दर्ज है। इसके बाद 1964-65 की रिपोर्ट जो निकली उसमें राज्य सरकार ने 39 गांवों का सर्वे कराया, उसमें राजस्थान का नाम भी दर्ज है उसमें यह बात दर्ज है कि आमतोर पर बहुत से गांवों में अस्पृश्यता मानी जाती है और बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर हरिजनों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। 1964-65 की रिपोर्ट पेज 24 में यह बात दर्ज है। बहुत सी जगह जिसमें राजस्थान का नाम भी है. हरिजनों के साथ आज भी. सर्वे का नतीजा निकला है, कई स्थानों पर तो बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कुत्ते जैसा वर्ताव किया जाता है। यहां मद्रास की मिशाल दी गई है, कहते हैं वहां तालाबों पर खास खास जगह मुकर्रर है वहां से ही हरिजन पानी ले सकते हैं। राजस्थान में ऐसी हजारों जगहें बता सकता हूं जहां पर हरिजन कुओं से या तालाबों से पानी लेने नहीं जा सकते। इसलिए यह कहना कि हमारे यहां तो अस्पृश्यता है ही नहीं। मैं समझता हूं बहुत गलत बात है। 1963-64 की रिपोर्ट में किस आधार पर सरकार ने कह दिया है, समझ में नहीं आता, यह उचित बात नहीं है।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

अस्पृश्यता निवारण के लिये क्या उपाय किये जायं इस सिलसिले में जो 1963-64 की रिपोर्ट है उसके पेज 23 पर यह बात दर्ज है कि राज्य सरकार ने अपने सारे मुलाजिमों को इस बात की हिदायत दी है कि जब कभी कोई मुलाजिम गांव में दौरे पर जाय तो उस समय

(3.27 म.प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल सभापति पदासीन)

अस्पृश्यता निवारण के संबंध में प्रचार करें और प्रचार ही नहीं करें यह भी रिपोर्ट में दे रखा है बल्कि उनका कर्त्तव्य है कि हरिजनों के मुहल्लों में जायं और अगर उनकी शिकायत हो तो दूर करने की कोशिश करें। यह 1963-64 के पेज 23 पर दर्ज है और राज्य सरकार ने इस तरह का सरक्यूलर जारी किया है।

मैं नम्रता से यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ सरक्यूलर जारी करती है और सरक्यूलर पर किस तरह अमल हुआ, इस बात की सरकार को चिंता नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह सरक्यूलर सरकार ने जारी किया है कि गांवों में तहसीलदार, कलेक्टर या एस०डी०ओ० जब कोई जाय, तो इस बात का प्रचार करे कि अस्पृश्यता दूर हो और हरिजन मोहल्लों में जाकर उनकी शिकायतें सुनें और जानकारी करें। अगर यह सरक्यूलर जारी भी हुआ है तो अमल कतई नहीं हुआ है, न अमल होने वाला है। सरकार इस तरह के सरक्यूलर जारी करके समझती है कि हरिजनों के वोट लेने के अधिकारी हो गए, ये सब फर्जी और दिखावे की बातें हैं।

हरिजनों की अस्पृश्यता के संबंध में जो सर्वे रिपोर्ट इस रिपोर्ट में दी गई है उसमें यह बात दर्ज है कि कम से कम 33 प्रतिशत आदमी जो हिन्दुस्तान में हैं, ऐसे हैं कि जो अस्पृश्यता निवारण के अन्दर दिखावे के तौर पर कम से कम विश्वास करते हैं, दिल के अन्दर वह विश्वास करें वह नहीं है लेकिन ज्यादातर आदमियों ने कहा हम विश्वास करते हैं। 66 प्रतिशत अस्पृश्यता मानकर चल रहे हैं इतने सालों से। पिछले 20 सालों में प्रगति बहुत कम हुई है। यदि सरकार प्रगति करना चाहती है तो जनता को मालूम होना चाहिए कि अस्पृश्यता निवारण क्यों आवश्यक है, इसको करने से हमारे देश को क्या लाभ होने वाला है। इसका प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और शिक्षा के हरएक स्तर पर समन्वय होना चाहिये और जितनी टेक्निकल संस्थायें हैं उनमें इस बात की शिक्षा विद्यार्थियों को देनी चाहिए कि अस्पृश्यता की वजह से हिन्दुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सैकड़ों सालों तक हम विदेशियों के गुलाम रहे। इस का एक कारण यह है कि हमारे देश में एकता नहीं हो सकी। जिसकी वजह से देश में रहने वालों ने भी इसको अपना देश नहीं समझा। हो सकता है कि हरिजन मंत्री और उपमंत्री बनें, कई हरिजन एम० एल० एज० गांवों के रहने वाले हैं जिनको बराबर समाज अधिकार देता है, चुनाव का अधिकार देता है। हम सबके सब दिल में

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

इस बात को सोचें कि आज जितने भी माननीय सदस्य हैं वे अपने दिल पर हाथ धर कर कहें कि आज आप में से कितने कार्यकर्त्ता ऐसे हैं जो अस्पृश्यता को नहीं मानते। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हरिजन को अस्पृश्य समझा जाता है। मेहतर आज भी उसी तरह से सिर पर मैला ढोता है। आज एक इन्सान के साथ कुत्ते का सा व्यवहार किया जाता है उसको इन्सान नहीं समझा जाता। सरकार की तरफ जो आज हरिजन सदस्य बैठे हुए हैं आज उनमें किसी प्रकार का ऐक्य नहीं जो अपनी मांगों को मनवा सके। आज सरकार ने इस विभाग को एक तरह से अस्पृश्यता का विभाग बना रखा है, इस विभाग को अस्पृश्यता का विभाग बना रखा है इससे मिनिस्टर को केबीनेट रेंक का मिनिस्टर नहीं बनाया गया। राज्य मंत्री स्तर के मंत्री का यह विभाग दे दिया गया। मुझे खुशी होगी अगर राज्य मंत्री महोदय को केबीनेट स्तर का रेन्क दे दिया जाय। इसको सेकिण्ड ग्रेड डिपार्टमेंट माना गया है और इस पर मंत्री भी राज्यस्तर का मंत्री दिया है। आज जोशी के लिये कह सकता हूं इनके बुजुर्ग भी कभी हरिजनों के प्रति उदार नहीं रहे और न हम इनसे आशा कर सकते हैं। इनका हमेशा छुआछूत में विश्वास रहा है ये इस विभाग को किसी भी प्रकार से ठीक करने वाले नहीं। वोट लेते समय जब लोग हरिजनों के पास जाते हैं लेकिन उनकी भलाई में ये विश्वास नहीं करते ....

श्री दौलतराम सारण : ये तो घर जाकर गंगाजल पीते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : गंगाजल तो दूर रहा आप तो घर का जल भी नहीं पीते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो इस छुआछुत में विश्वास नहीं करता।

श्री रामानंद अग्रवाल : आप तो अनुसूचित जाति से हैं हमारे यहां तो आपके लिये यह मशहूर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सन् 32 में हरिजनों के साथ खाना खाया जब गांधीजी ने उपवास किया। मैं उस समय बनारस युनिवर्सिटी में पढ़ा करता था सन् 32 में मैंने हरिजनों के हाथ का खाना खाया था।

श्री लादुराम सुलाणिया : (फागी सु.) अन्न का प्रभाव है कि आप निकम्मे मंत्री मंडल को छोड़कर चले आये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 32 से पहले मैं भी छुआछूत में विश्वास करता था। लेकिन गान्धीजी ने उपवास किया उसके बाद आजतक मैं उसी विश्वास पर चला आ रहा हूं। आज भी मैं उनके हाथ का पानी पीता हूं उनके हाथ का खाने को तैयार हूं। इस संबन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं आज हर स्तर पर हरिजन उद्धार क्यों आवश्यक है इस बारे में शिक्षालयों में शिक्षा दी जाय मुल्क की आजादी को मजबूत बनाने के लिये अस्पृश्यता निवारण क्यों आवश्यक है इसका प्रचार होना चाहिये।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्त।)

मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि चीफ सेक्रेटरी ने जो सरक्यूलर द्वारा हुक्म दिया है वह सरक्यूलर पंचायतों में पहुंचा है सब कार्यलयों में पहुंचा है लेकिन उस पर अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा है। आपको जहां सरक्यूलर इस्यू करने को कहते हैं वहां आपको स्ट्रिक्टली उसके अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी महसूस करानी चाहिये। यह एक प्रकार से कर्तव्य मानकर चलना चाहिये जब तक इस कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम इस देश से अस्पृश्यता को भगा नहीं सकेंगे और इसके बिना देश में सामाजिक क्रान्ति नहीं हो सकेगी। देश आजाद हुआ लेकिन अभी तक सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति शेष है। हमने संविधान में भी यह रखा है कि हरिजन उद्धार का कार्य और महिलाओं की उन्नति दो कार्य मुख्य सामाजिक क्रान्ति के लिये हैं। भारत के संविधान में उल्लेख है, अस्पृश्यता निवारण का। लेकिन इतने साल लगातार प्रयत्न करने बाद भी इसमें प्रगति नहीं हो पायी है। अब भी हरिजनों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता।

आज गांवों के अन्दर जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है आबादी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है। हरिजन लड़के जिनको नौकरी नहीं मिलती है वे सैकड़ों की संख्या में बेकार फिर रहें हैं। राजस्थान में पचासों हरिजन छात्र ऐसे बता सकता हूं जो मैट्रिक हैं ग्रेजुएट हैं लेकिन उनके पास कोई धन्धा नहीं है।

हरिजन के पास आज जमीन नहीं है। अलवर जिले की बात अर्ज करूं सिवाय चक की और सरकारी भूमि थी जिस पर अन्य लोगों ने नाजायज कब्जो कर लिया। इस तरह से जिन्होने 65,66 में नाजायज कब्जा कर लिया आज उन कब्जों को रेगूलेराइज किया जा रहा है इस कारण हरिजनों को एक भी बीघा जमीन नहीं मिल पाई। अकेले मेरे क्षेत्र में दस हजार एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया और आज हालत यह है कि सरकारी हिदायत के अनुसार वह रेगूलेराइज हो रहा है। जो बेचारे गरीब थे जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था वे बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। यही हाल सारे अलवर जिले का है। अब भी सरकार को चाहिये कि जितनी भी जमीन बाकी रही है उसमें हरिजनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। 25 प्रतिशत जमीन पहले हरिजनों को अलोट होनी चाहिये। आज होता यह है पहले दूसरों को जमीन अलोट करते हैं फिर बाकी कुछ नहीं रहती। सरकार को यह करना चाहिये कि जितनी जमीन बाकी है वह किसी को न देकर हरिजनों को मिलनी चाहिये।

जहां तक हरिजन पढ़े लिखे लड़कों को नौकरियां देने का सवाल है उसमें किसी को न देकर सब से पहले हरिजन लड़कों को नौकरियों में खपाया जाना चाहिये।

मकानों का हाल यह है कि आबादी बढ़ रही है। आज जहां पहले सौ रहते थे आज उसी में हजार भी रह रहे हैं किसी को हरिजनों के प्रति हमदर्दी नहीं दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिमान को परवाह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं। वे सरक्यूलर की परवाह नहीं करते आये होंगे क्योंकि वे अस्पृश्यता दूर करने में विश्वास नहीं करते। आज हरिजन लोग अधिकारियों की हरकतों से भी परेशान हैं। जो माननीय सदस्य सरकार की तरफ बैठे हुए हैं उनको भी इस बात की परवाह नहीं है आज सभी एम०एल० एज० एक हों तो वे सरकार पर दबाव डालकर सब काम करा सकते हैं लेकिन आज उनमें एकता नहीं है।

अभी कलेक्टर ने 25 हरिजनों के मकानों को तहस नहश करके जबरदस्ती उनको वहां से निकाल दिया यह जयपुर का मामला है। जो बेचारे काफा अरसे से वहां रहते आ रहे हैं। आज भी आपकी ताकत इतनी नहीं कि 25 हरिजनों के घरों को आप नहीं बचा सके। आज उनकी हालत को कोई देखने वाला नहीं कोई मिनिस्टर, डिप्टी मिनस्टर बोल नहीं सकता।

श्री श्रवणलाल : ये टोपी पहने हुए बैठे हैं, इनमें हिम्मत नहीं हैं सरकार को कुछ कहें। ये खरीदे हुए हैं। क्या बता सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये बैठे हैं। यह अगर गलत साबित हो कि वे पुराने बैठे हुए नहीं हैं तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूं।

श्री श्रवण लाल : ये तो सरकार के पिट्ठू हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इन्होंने क्या किया है ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इन्होंने तो मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं ? आपको शर्म आनी चाहिये। आप चापलूसी करने वालों में से हैं। चापलूसों को इस सरकार में मन्त्रिमण्डल में स्थान नहीं मिलने वाला है। यहां तो डंडे वालों को मिलने वाला है। डंडा हो तो बात करो, नहीं तो कोरे चापलूसों को मौका नहीं मिलने वाला है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मौका कोई आप देते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो ठोकर देकर आया हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कांग्रेस में बैठे हरिजन भाईयों में कुछ मजबूती हो और एक आवाज मिलाकर कहें तो ये झुक जाने वाले हैं। आप जोर से कहें। पर इनमें क्या पानी पड़ गया है। ये हिम्मत करके कहते क्यों नहीं है। ये व्हिप साहब दबा देते हैं और ऐं ऐं कह कर सब ठीक है कहकर रह जाते हैं। जब तक हरिजन भाई अपने पैरों पर स्वयं खड़े नहीं होंगे यह गर्वनमेंट कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझने वाली है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। गाड हैल्प दोज हू हैल्प दे मसेल्व्ज। वरना इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यही नम्रता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं।

Page No.111

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय । ... ...

श्री दौलतराम सारण : इनकी जरूरत नहीं है । इनको तो मिश्री मावा मिलता है । उनको दो न टोपी वालों को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरिजन गोकुलप्रसादजी को अपने साथ खाना खिला सकते हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : आप वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान रेडियो बोलता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके हाथ का पानी तो पीते नहीं हो ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप लोगों को मौका मिला तो आप बोलें । अब मुझे बोलने दीजिये हमने तो आपको डिटर्ब नहीं किया ।

मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में शिड्यूल कास्ट के लोग हैं । तो यह ठीक नहीं है कि भाई बद्रीप्रसादजी बोलें और दूसरे नहीं बोलें । मुझे भी इनके लिये दर्द होता है । अन्याय देखता हूं इनके प्रति तो । सभापति महोदय...

श्री दौलतराम सारण : ये कांग्रेस वाले हरिजनों की तरफ नहीं देखने सो तो नहीं देखने, पर हरिजन प्रतिनिधियों को कांग्रस में जो हैं, उनको बोलने भी नहीं देते ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने क्या फरमाया । आपके इलाके में हरिजन भाई सब जानते हैं । आपने उनके साथ क्या किया है ?

श्री दौलतराम सारण : हमने उनको आजाद करवाया । हरिजनों की बेगार बन्द करवाई । कुओं पर चढ़ाया । हरिजनों को प्रतिनिधित्व राजस्थान में दिलवाया ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई काम शेष नहीं रहा । सब इन्होंने करवा दिया ।

श्री भैरोंसिंह : आप हरिजनों के साथ बैठ कर भोजन तो करें, सब के साथ बैठ कर ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं तो आपके साथ नहीं करू । हरिजनों के साथ खाने में मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री लादूराम सुलानिया : आप अधिकार देने में बिलकुल पीछे रहे हैं ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं हरिजनों के साथ रहता था । आप किस होश मे बात करते हैं । आप उससे करें जो नया आया हो । जब आप जन्म में भी नहीं, अवतार नहीं लिया तभी से मैं इसमें काम कर रहा हूं ।

श्री अमृतलाल : म्यूनिसिपैलिटी में हड़ताल करें हरिजन तो मैला ये ढोते होंगे ।

श्री गंगासहाय : पूर्व जन्म में ये हरिजन थे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जितना उन को कहना चाहिए था, कह दिया। मैं पूर्व जन्म में क्या था उनको पता है। ये जैसे मर कर भूत बोल रहे है। यह तो इन्सान की शक्ल में आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपया समाज कल्याण विभाग खर्च कर रहा है। कितनी फिजूल खर्ची हो रही है और कितना सही तरह से खर्च हो रहा है यह जरा बता दें। इस मद का तीन बटा चार हिस्सा अधिकारियों और अफसरों और उनके स्टाफ पर ही खर्च हो जाता है। और बहुत कम राशि फिर सही माने में समाज कल्याण के नाम से बचती है।

आपके छात्रवास चलते हैं। वे बिल्कुल अव्यवस्थित हैं। उनके खाने का यह हाल है कि दूसरे होस्टल में 100 रु० खर्चा आता है तो आप के इन पर (30) ही आता है। इससे क्या होगा ? आज के मंहगाई के जमाने में विद्यार्थी को अगर आपने ठीक खाना नहीं दिया तो वह क्या पढ़ेगा और क्या अच्छे नम्बरों से पास होगा। उसका शरीर कैसे बनेगा। इससे एक बात और बात और होती है। शुरु से ही बचपन में ही बच्चों के हृदह में यह अंकित हो जाता है कि हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं और इस लिये हमें तो ऐसा ही खाना मिलेगा। उनके हौसले बुलन्द नहीं हो पाएंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो और कामों में कम खर्च करें। कम होस्टल चलावें पर जो चलावें तो उसमें सही खुराक उन को दें। पर बच्चों को कमजोर न बनावें। समाज में उनको ऊंचा उठाना है तो उनको भी बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। मेडिकल कालेज और अन्य कालेजों को और उनके होस्टलों को आप चलाते हैं उसी प्रकार इनको भी चलावें। यह क्यों समझते हैं कि आप कोई दान दे रहे हैं इनको। एक रुपया एक दिन में दे दिया तो बहुत है। इस एक रुपये में तो कपड़े भी नहीं पहने जा सकते आजकल तो। उसमें खाना क्या खावेगा। पचास को खिलावें। सौ को मत चलावें। और क्यों अलग चलाते हैं। जिलों में होस्टल चलाते हैं। 25 को एक जगह रखते हैं, 25 को दूसरी जगह। बीकानेर जिले की बात बताता हूं। मेरे जिले में शहर में 55 आदमियों का होस्टल है, नोहर में 25 का होस्टल है, नोखा में 25 का, कोलायत में 25 का, पूगल में 25 का। तो इस तरह 25-25 बच्चों को लेकर अपनी अलग अलग दूकान लगा कर बैठे हैं। इसमें सुपरविजन चार्ज का कितना खर्चा होता है और फिर बीस पच्चीस और तीस रुपया भी जयपुर तक लेने आवें तब देते हैं आप। तो आप इन सब छोटी छोटी दुकानों को उठा कर एक बड़ा होस्टल क्यों नहीं खोल देते। जिले में एक जगह 500 को पढ़ावेंगे तो खर्चा कम होगा।

यह आटोनोमस बाडी है, यह कहकर आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। यह मजाक है। प्राइवेट संस्था चलाते हैं। प्राइवेट चलाने वाले धर्मात्मा लोग हैं। खर्चा निकालते हैं उसी में से। कहते हैं हम कुछ परसेन्टेज पब्लिक से लेते हैं। नहीं लेते। गलत इन्द्राज दिखाते हैं। बच्चों का ही पेट काटते हैं। आप यह भावना बिठाते है कि सरकार धर्मादा देती है। उनको मालूम नहीं है कि वे अपना हक ले रहे हैं। वे तो जान

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रहे हैं दान ले रहे हैं। गरीब हैं इसलिये दान थोड़ा मिलेगा। तो फिजूलखर्ची कम करिये।

भिक्षा गृह आपने खोल दिये। जयपुर शहर में कोई आमोद-प्रमोद के स्थान खोल रखे हैं। पर उनमें एक भी हरिजन नहीं जाता। इसको दुबारा देखें कम से कम।

अधिकारियों के लिये कहा गया कि वे छुआछूत करते हैं। छुआछूत कितना हो रहा है, यह तो आज का सारा समाज जानता है। एक भाई साहब बोले सरकारी अधिकारी कई छुआछूत में विश्वास रखते है। मैं कहता हूं एक भी नहीं रखता। एक भी अधिकारी मैंने नहीं देखा। गलत आरोप मत लगाइये। सही दिशा में चलें पर हरिजनों का जीवन सुखमय नहीं है। गांवों में सामन्त लोगों के साथियों ने, पुराने जमाने के लोगों ने ज्यादतियां की हैं उनको मिटाना है।

श्री गंगासहाय (कठूमर): इन सामन्तों के ग्रुट्ट में आप ही हो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: अगर अकल से काम लेकर चुप रह जावें तो ठीक हो जावे।

मैं उन सामन्तों की बात कहता हूं और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े सुन्दर जो वर्षों से समाज सेवा करते थे और जो शिड्यूल्ड कास्ट के थे और जिनका नाम कालूराम था उसका एक ही कसूर था और वह यह कहता था कि वह हरिजनों का बड़ा भारी हामी था और उनके अधिकारों के लिए लड़ता था। उसको डाकू बहादुरसिंह ने गोली से मार दिया और इस कसूर से मार दिया कि तुम गरीबों का काम क्यों करते हो। बड़ा हल्ला हुआ. यहां से मंत्री महोदय भी गये श्री अमृतलाल जी यादव और उन्होंने उसका एक शहीद स्मारक बनाया और कहा कि यहां मेला भरा जायेगा, यहां पर लायब्रेरी खुलेगी और मन्दिर की तरह यह स्थान पूजा जायेगा लेकिन वहां आज तक कुछ भी नहीं करवाया गया। यह तय हुआ कि कालूराम समाज के काम में आया और उसकी पत्नि किस प्रकार से गुजारा करेगी, बहुत सी जगहों से लोगों ने प्रस्ताव भेजे, जिला कांग्रेस ने भेजे. जिले की जनता ने भेजे कि आप इनको पेन्शन दिलाइये तो यह तय हुआ कि एक मुरब्बा जमीन दे दी जाये। डाकुओं ने मार दिया बादर्डु गांव में और वह इन्दलिया था और मैं समझता हूं कि जितनी बातें यहां कही गयीं और जो हमारे उस इलाके के सदस्य हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और कालूराम को भूल ही गए। वह तो क्या भूल गए उनके भाई ही चुन्नीलाल जी इन्दलिया भूल गए। आज तक उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ जिनकी गोली से वह मारा गया।

इसके अलावा एक और झंझेउ गांव है उसमें मूलाराम नाम का व्यक्ति है उसको भी गोली मारी। उसके गोली के निशान अब भी हैं। उसको मारने में वैसे कोई कसर नहीं रखी उस गांव के सामन्ती लोगों ने। पूरा का पूरा गांव स्वतंत्र पार्टी का आज भी सदस्य है। 15 हरिजनों के घर थे। बोलने वाले ज्यादा जोर से बोलते हैं। मैं कहता हूं कि कुछ देखना है तो उस गांव में देखो कि जहां 15 हरिजनों के घर थे जिनको जान-

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

घरों की तरह से खदेड़ दिया गया और गांव के सब के सब लोग उनको घुसने नहीं देते हैं। जिनकी गांव के अन्दर खातेदारी की जमीन है। मैं कहता हूं कि उसको जिन्होंने मारा और जिन लोगों ने गांव खाली करा दिया उस समय कहां गई थी इन्तजाम करने वाली सरकार। क्या आप उन लोगों से डरते हैं? आप उनको पकड़ते और गिरफ्तार करते। खातेदारी जमीन थी उसके ऊपर उनका कब्जा करवाते। 15 घर हरिजनों के थे वह एक भी गांव के अन्दर नहीं जा सकते। उस गांव में समाज कल्याण कर रहे हैं? करोड़ों रुपया लगा दिया। 15 हरिजन आदमियों के घर छीन लिए। एक सेठ के यहां छोटी सी चोरी हो जाती है तो शाम को चोर को पुलिस पकड़ लेती है. किसी के यहां दो रुपये की चोरी हुई तो उसके लिए सजा हो गई। लेकिन आज उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। इस तरफ समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में समाज का कल्याण कैसे किया जाये ·····

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन सर। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इस गांव का नाम क्या है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : झंझेउ, झंझेउ। इस सदन में बीसियों बार इसका नाम आ गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब इसका नाम आता था तो मंत्री महोदय छुट्टी पर चले गये थे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, इस मामले में मैं विशेष जानकारी दूंगा। मैंने यह मामला कई बार उठाया है और गोकुलप्रसाद जी बोल रहे हैं उसके बाद में विशेष जानकारी दूंगा। यह घटना मेरे परिवार से संबंध रखती है और उन्हीं डाकुओं ने मेरे भाई को मारा है और मेरे रिश्तेदारों को उजाड़कर फेंका है और यही सरकार है जो उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं कर सकी है।

गोकुलप्रसाद शर्मा : और उन्हीं डाकुओं के साथ आप बैठते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह किसी एक ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठते हैं। इस झंझेउ काण्ड को मैं सदन में कई बार लाता रहा हूं और यह उनकी वकालत करते रहे हैं और यह मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार उन डकैतों को पनाह देती है और बार बार मैंने लिखा है और यह वकालात करते हैं। आप इस्तीफा देकर देखें अगर वकालात करते हैं तो ··········

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जिन लोगों ने मूलाराम के ऊपर गोली चलाई

(व्यवधान)

(3. 57. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह था कि झंझेउ के केस में जिन लोगों ने ज्यादती की गरीब परिवारों के साथ अब भी मौका है कि आप उनको जमीन पर कब्जा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

करवाइये और उनके घरों पर उनको बसाइये और उनके साथ कोई भी ज्यादती करें उनको कानूनन जो सजा मिलनी चाहिए वह मिलनी चाहिए । समाज कल्याण विभाग अपने हाथ में ले इस काम को । समाज कल्याण विभाग जिस तरह से चल रहा है उसके लिए मैंने पहले निवेदन कर दिया। समाज कल्याण कर रहे हैं हम आज तक पीने का पानी उन लोगों को नहीं दिला पाये हैं ।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा व्यवधान)

.. मैं अपने इलाके की बात करता हूं, मुझे आपके इलाके का क्या पता उनको पीने का पानी आप नहीं दिलवा पाये हैं। आपने पढ़ाई के मामले में उनको मुफ्त शिक्षा नहीं दी है । आप तय कीजिए कि जितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको आप मुफ्त में शिक्षा दिलवायेंगे और बड़ी से बड़ी शिक्षा दिलवायेंगे ।•••

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों को····

श्री गोकुप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं और यह बीच में बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, उनको शिक्षा पूरी मिलनी चाहिए और शिक्षा की जब मैं बात करता हूं तो कोई भाई बीच में बोलते हैं कि ये पढ़ लिख क्यों जायें गंगानगर जिले में नहरी इलाके की जमीन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं दी जा रही है जिस अनुपात में दी जानी चाहिए । कहने को उनके लिए रिजर्वेशन रख दिया गया है लेकिन जो जमीन खराब होगी वह रिजर्व रहेगी और जो जमीन अच्छी होगी वह नीलाम होगी । वह ग्रामीण पूंजीपति लोग लेंगे । मैं कहना चाहूंगा कि यह जमीन उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए और आधा गंगानगर जिला शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है । वहां से 4 एम. एल. ए. आते हैं ····

एक माननीय सदस्य : तीन आये हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : 3 आये हैं एक और आ सकता है अगर कुछ करें तो । मैं कहता हूं कि उन हरिजनों को जमीन मिलनी चाहिए और जो हरिजनों के नाम से मुंह बाये खड़े हैं उनको जमीन नहीं मिले जब तक कि गंगानगर जिले का शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को जो कि भूमिहीन हैं उनको नहीं मिल जाये तब तक दूसरों को जमीन एक इंच भी नहीं मिलनी चाहिए ।

(4. म. प.)

पहले इन लोगों को गरीबों को जमीन दो, उनके बाद सरमायेदारों को जमीन दो । मैं तो कुछ और निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के साथ साथ जब उनको जमीन देंगे तो उनसे कहा जाएगा कि पैसा दो । बिना पैसा उनको जमीन नहीं दे सकते हैं । उनसे कहा जाता है, पहले दो हजार रुपया लाओ, फिर 4-4 किश्त सालाना दो । अभी भी जो एलॉटमेंट हुए हैं, ये रेवेन्यू मिनिस्टर का प्रश्न है फिर भी मैं समाज कल्याण मन्त्री को पूछता हूं शिड्यूल्ड कास्ट

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के लोगों को जमीन नहीं दी गई हैं बल्कि दूसरे लोगों को दी गई है। (शेम-शेम) अगर आप के पास एक सूची भी नहीं है कि कितने लोग बैंकवर्ड हैं, तो यह करोड़ों रुपया खर्च किस बात पर किया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि गरीबों को जमीन दिलाने के लिए ग्रामीणों की सूची हो। उनको पहले जमीन मिले, उसके बाद दूसरों को मिले। शिड्यूल कास्ट जमीन नहीं बेच सकता है। उनकी जमीन नहीं बिक सकती है। वह शहरों में आकर बसते हैं। शहर में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उनको जमीन बेचने का अधिकार मिल जाता है। इस पर समाज कल्याण विभाग को सोचने की जरूरत है। आप यह तय कर लीजिए कि चाहे जो धर्म परिवर्तन कर ले लेकिन जमीन नहीं बेचने देंगे। जो थोड़ा सा कमजोर हैं, उसको बैंकवर्ड माना हैं। जो अछूत जाति में जन्म ले ले उसको बैंकवर्ड कहते है। जमीन बेची। जमीन का पैसा 15 हजार मिल गया। धर्म परिवर्तन वाले कहते हैं कि देखो धर्म परिवर्तन किया, 15 हजार रुपया मिल गया। इस पर समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिए। जमीन बेचने के लिए लोगों ने धर्म परिवर्तन किये हैं। आप उसको ध्यान में रखें। आज क्रिश्चियन बनकर जमीन ले सकता हैं, जमीन बेच सकता हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। कोई मुसलमान क्रिश्चियन बनता है या कोई क्रिश्चियन मुसलमान बनता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी को आर्थिक संकट में डाल कर धर्म परिवर्तन कराया जाये यह अत्यन्त लज्जा की बात है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जितना काम हो रहा है, उससे सन्तोष नहीं है। वैसे जो पंचायत समिति के ब्लाक हैं, उसमें विकास अधिकारी, बी. डी. ओ., ए. सी. ओ. है, उनमें जो पैसा विकास के लिए दिया जाता है वह इन अधिकारियों के स्टाफ में खर्च हो जाएगा। मन्त्री महोदय अपना उत्तर जब दें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल कास्ट के नाम से ब्लाक में जो फिजूल खर्ची हो रही है, उसका भी ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा थोड़े समय के लिए स्थगित की जाती है। शिक्षा मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : थोड़ा समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठिये।

श्री लादूराम सुलानियां : शिड्यूल कास्ट पर बहस हो रही है। शिक्षा मन्त्री कल वक्तव्य दे सकते हैं। कई सदस्य बोल नहीं पाये हैं। कल भी दो बजे बाद हुआ था। समय को बढ़ाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: अगर सदन की अनुमति हो तो ऐसा कर दिया जाये।

(स्वीकृति)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : मैं यह अर्ज कर दूं सरकार की तरफ से उत्तर देने को करीब एक घण्टे का समय आवश्यक होगा। क्या मैं यह मानकर चलूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप यह मानकर चलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा 5 मिनट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह मेरे से शुरू कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सुबह से ही चल रहा है। अधिक से अधिक 15 या 30 मिनट का समय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 64-65 और 65-66 को रिपोर्ट विचाराधीन है। इन रिपोर्टों को अध्ययन करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता है कि जिस गति से इस दिशा में चला जा रहा है, जिस गति से इस समस्या का समाधान हमारे प्रान्त में और सारे देश में खोजने की कोशिश कर रहें हैं, इससे हमें सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे किन्तु इस समस्या को हल नहीं कर पायेंगे। चाहें तो किसी भी अनुच्छेद को निकाल कर देख लें। चाहे उनकी नौकरी देने का, चाहे उनको बेरोजगारी से मुक्त करने का सवाल हो, ऐसी चीजें हैं जिनको लागू करना चाहिए था, इन सबकी प्राप्ति बहुत धीमी है। या ठीक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हरिजन समस्या या आदिवासी समस्या के प्रति एक दृष्टिकोण भारत सरकार या राजस्थान सरकार का बन गया है। दूसरे लोग भी बैठते हैं, जहां तक उनके बैठने का सवाल है, उसमें मुख्यतौर पर वही कुलीन लोगों का जो दृष्टिकोण है, सवर्ण लोगों का जो दृष्टिकोण है, जिनका दृष्टिकोण एक ऊंचे आसन पर बैठकर नीचे पड़े हुए लोगों को उद्धार करना अपना एक फर्ज मानकर वह यह कर रहे हैं। जैसे वह कोई एहसान कर रहे हैं। ऐसा दृष्टिकोण उस सारे के सारे वर्ग का दृष्टिकोण है और इस शासन का भी वही दृष्टिकोण हैं। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर से, कानून आप तब बनायेंगे जब कि आप जिस समाज में रहते हैं वह समाज पूरी तरह से, पूरी तरह से सवर्णों का समाज, उस बात को मंजूर कर लें। अस्पृश्यता की बात को आप उस हद तक लागू करेंगे जिस हद तक आपके घर में आपकी बूढ़ी दादी तैयार हो जाय, आपके घर में आपका बूढ़ा दादा तैयार हो जाय या आपके घर में आपकी मां तैयार हो जाय। ऐसी स्थिति में चाहे आपका यह कानून पड़ा रहे, अस्पृश्यता के कानून को आप लागू कर दें और अस्पृश्यता को आप गैर-कानूनी करार दे दें लेकिन आपके घर में अस्पृश्यता चलती रहेगी क्योंकि आपके घर में मां और दादी उस बात के लिए तैयार नहीं है, उनको मानसिक तौर से यह बात पसन्द नहीं है और तब चाहे मंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आयुक्त हों या कोई भी व्यक्ति हो जिसके हाथ में अधिकार है— वह बर्दाश्त करेंगे और उसको चुपचाप देखते रहेंगे। आप अपने दिल को टटोल कर देखें, आज हरएक व्यक्ति के घर पर इस प्रकार की हालत है। इस तरीके की हालत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है चूंकि समाज की सत्ता या राज्य की सत्ता उन लोगों के हाथ में हैं जो हरिजन नहीं हैं, जो ग्रादिवासी नहीं हैं और वही लोग राज्य के नेता हैं, वही लोग समाज के नेता हैं। और इसलिए ग्राज जो भी प्रोग्राम शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में अपनाया जा रहा है– यह उच्च वर्गों की सुविधा के अनुसार प्रोगाम है। यह आदि वासियों के मूल अधिकारों की रक्षा का—– प्रोग्राम या हरिजन या ग्रादिवासियों की पूरी आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने का प्रोग्राम नहीं है– चाहे वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति की आज फौरी आवश्यकता महसूस करते हों। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से युद्धस्तर पर, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जिस समय हमला किया तो हमने सारे राष्ट्र का आह्वान किया रक्षा के लिए, उसी तरह से ग्रगर ग्राप यह महसूस करें कि किन्हीं लोगों के अधिकार हैं और वह ग्रधिकार उन लोगों को देना चाहते हैं तो युद्धस्तर पर आज जमीन की समस्या को हल किया जा सकता है, युद्धस्तर पर रोजगार की समस्या को हल किया जा सकता है, युद्धस्तर पर हरिजनों की आर्थिक स्थिति को ग्रार्थिकरूप से दृढ़ किया जा सकता है और फिर इन समस्याग्रों का, जिनके बारे में आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा है या जिनके कारण माननीय सदस्य अपने आपको चिन्तित प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं समझता हूं उन समस्याओं का निदान हो सकता है। आज हरिजन भी, आदि-वासी भी उस विचारधारा को सीख रहे है जो कि उच्च वर्गों के द्वारा उनको दी जा रही है कि आपको हम चिन्ता मुक्त कर रहे हैं, हम अवतार हैं, हम गांधीजी के चेले हैं, हमारा फर्ज तुम्हारे प्रति कुछ करने का होता है, तुम थोड़ा और इन्तजार करो, हम तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं। हरिजन-उद्धार – इस प्रोग्राम का नाम हरिजन उद्धार है। मैं पूछना चाहूंगा वह लोग, जो सदियों से जिम्मेदार हैं, उन लोगों पर जुल्म करने के लिए, वह लोग जो सदियों से जिम्मेवार हैं उनको गुलाम बनाने के लिए, यह हिमाकत करें कहने की कि हम तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि महनत करने वालों के प्रति यह एक अन्याय है। आज उनके बुनियादी अधिकारों को रौंदते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके हाथ में सत्ता है। केवल उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ही नहीं, इधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी हैं जिनका सबका एप्रोच हरिजन-उद्धार का, गिरे हुए और पतित लोगों को उपर उठा कर पहले अपनी जूतियों के पास बैठाने का, फिर उसके बाद पीढ़े पर बैठाने का और उसके बाद पचास वर्ष के बाद अपने पास कुर्सियों पर बैठाने का प्रोग्राम है। आपका प्रोग्राम इस बात पर आधारित है कि एक हरिजन के घर का बनाया हुआ भोजन आपने खा लिया। पैसा उस हरिजन का खर्च हुआ, आपने बहुत भारी अहसान किया कि उसके घर का बनाया हुआ भोजन खा लिया। इसमें आप ग्रपने आपको बड़ा भारी नेता मानते हैं, ग्रपने आपको बड़ा भारी प्रोग्रेसिव मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस एप्रोच को, इस दृष्टिकोण को तिलांजलि देने की ग्रावश्यकता है। और हरिजन दोस्तों को और जनजातियों से आने वाले दोस्तों से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भीख

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मांगने की प्रवृत्ति छोड़ो, दुनियां में आज तक भीख मांगने से लोगों को अधिकार नहीं मिला है। आप चाहें बीस वर्ष तक, पचास वर्ष तक इन नेताओं की तरफ देखते रहो जो अपने आपको युग प्रवर्तक कहते हैं, इनसे आप यह आशा करके चलो कि यह आपकी झोली में समानता का बण्डल डाल देंगे, तो आप इन्तजार करते रहो, इस इन्तजार से वह समानता का बण्डल आज या कल आपकी झोली में आने वाला नहीं है। आज वास्तविकता देखो। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता क्या है? माननीय सदस्य चले गये गोकुल प्रसादजी, वह कह रहे थे कि मैंने किसी अधिकारी को नहीं देखा है जो छूआछूत में विश्वास करता हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह गलत बयानी कर रहे थे या उनको वास्तविक स्थिति से वाकफियत नहीं है। आज हालत यह है कि चतुर्थ श्रेणी में हरिजनों को चपरासी इसलिए नहीं बनाया जाता है कि कलेक्टर साहब यह सोचते हैं कि मेरे घर में रोटी यह कैसे बनायेगा, इस हरिजन चपरासी से मैं बर्तन कैसे मंजवाऊंगा। अगर मैं किसी मेहतर के लड़के को चपरासी रख लूं तो मुझे बर्तन मांजने वाले की और खाना बनाने वाले की सुविधा नहीं मिलेगी। इस कारण से आज किसी हरिजन के लड़के को चपरासी तक मुकर्रर नहीं किया जा सकता है। मुझे खुद को इस बात का एक्सपीरियेन्स है, ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें मेहतर के लड़के को चतुर्थ श्रेणी में इसलिए अपाइन्टमेंट नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पिछले बीस वर्षों में जमीन का वितरण हुआ, जमीन बंटी। इस राजस्थान में जहां डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन बंटने के लायक मौजूद है, जहां पर करीब, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पैंतालीस लाख एकड़ जमीन इन पिछले बीस-इक्कीस वर्षों में बंटी है, अब उसके हिसाब से देखें तो वह जमीन बंटी है सैंकड़ों वर्षों में और उसमें हरिजनों को क्या मिला है। हरिजनों को जितनी जमीन मिली है, आदिवासियों को जितनी जमीन मिली है उसमें हरिजनों का साढ़े पांच फी एलाटी आता है, आदिवासियों के साढे तीन फी एलाटी आते हैं। और आज स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि तमाम आपकी एक्जीक्यूटिव, तमाम आपकी मजिस्ट्रेसी, तमाम आपकी पालिसी ऊंचे और कुलीन लोगों के हाथ में है इसीलिए जो हरिजनों को एलाटमेंट हो गया, उन हरिजनों को उस जमीन का कब्जा मिलना मुश्किल है, अगर भूमि का कब्जा मिल गया है तो उनको मारमार कर निकाल दिया जाता है और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उनके ऊपर उल्टे मुकदमा चलाया जाता है। मुझे खुद अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के कुछ ऐसे उदाहरण मालूम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मेरे अलवर क्षेत्र के एक तेहड़पुर में जो कुछ पुरुषार्थी लोग बसते थे वह बम्बई और कलकत्ता चले गये और हरिजन लोग हैं जो उनकी जमीनों पर काश्त करते चले आ रहे हैं। उस जमीन के सम्बन्ध में झगड़ा पुरुषार्थी और हरिजनों में चलता आ रहा है। उस जमीन पर पिछले बीस वर्षों से या कितने वर्षों से हरिजन काश्त करते हैं, वहां पर कुछ दूसरे लोग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गूजर लोग हैं। इनमें आम इलेक्शन से पहले दोस्ती थी, इस इलेक्शन में एक दूसरे से इलेक्शन लड़े, उसमें हरिजन जीत गया और गूजर हार गया। अब वह उनमें लड़ाई का मुद्दा बन गया है। अभी 14 अगस्त को एक हरिजन, जो पांचू नाम का है, जो सरपंच है तेहड़पुर का, उसको खुले बाजार, अलवर में जो मुंशी बाजार है, उसमें दिन दहाड़े बुरी तरह से पांच छ: लोगों ने मिल कर पीटा, उसकी हड्डी तोड़ दी गई। मैंने खुद ने उसको अस्पताल में जाकर देखा है, पांच जगह उसके जख्म हैं, इसके बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट जो दर्ज की है, बावजूद इसके कि वह मरणासन्न था, उसको सीरिअस चोटें आई थीं, उसके केस में केवल 325 का मुकदमा दर्ज किया। बाद में जब उसके प्रतिनिधि मिले, तो उनके मिलने के बाद में 310 का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार की एक और घटना घटी, ग्राम मौजूपुर के अन्दर एक हरिजन के घर का छप्पर जला दिया गया क्योंकि उमसे कुछ लोग नाराज हो गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने एक मामला आया 25 परिवारों का जो जयपुर जिले में हुआ है, जो लोग कितने ही वर्षों से बैठे हुए थे और जिनमें से एक आदमी मिलिट्री में शहीद हुआ, उसके परिवार के लोगों को जमीन का एलाटमेंट हुआ—हम मिलिट्री में शहीद होने वाले व्यक्ति के परिवार को भूमि के एलाटमेंट के विरोध में नहीं लेकिन एक हरिजन को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाय और उसको एलाट हुई भूमि पर ही कब्जा क्यों किया जाय? उस जगह के लिए आप कहते हैं कि अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन किया। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, उसी जमीन के पास आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री भटनागर के अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन, बंगला बना रहे हैं, आपकी नजर उसकी तरफ क्यों नहीं गई? आपने उनके अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को क्यों नहीं हटाया? उनको सेक्शन 97 का नोटिस क्यों नहीं दिया? आपने इन हरिजनों को नोटिस दिया क्योंकि आप हरिजनों को कमजोर समझते हैं। उनमें यदि ताकत होती और आपके द्वारा भेजी गई फोर्स का मुकाबला कर सकते अपनी ताकत के जरिये तो किसी आदमी की उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों हुई हैं। अभी अजमेर जिले में कुछ घटनाएं हुईं, उनकी सूचना मेरे पास है। अजमेर के पास श्रीनगर गांव है, वहां होली के मौके पर हरिजन लोग ढोल बजाकर होली को जलाना चाहते थे। गांव के लोगों नें इकट्ठे होकर उनको बुरी तरह से मारा पीटा, बुरी तरह से उनको जख्मी किया कि ये लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। जब वे लोग गाड़ी वगैरह मंगा कर अस्पताल में जाना चाहते थे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, होस्पिटल वालों ने इन जख्मी हरिजनों का उपचार तक नहीं किया, गाड़ी में ये लोग आने लगे तो दूसरी गाड़ी से उनके रास्ते को रोक दिया उन लोगों को वहीं पर उतार दिया गया और दुबारा मारा पीटा। ये इस तरह के हालात, आज गांवों में कहीं कहीं पर इस तरह घटनाएं हो रही हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे लालसोट और बस्सी की तहसीलों में हरिजनों, बैरवों और आदिवासियों में झगड़ा हुआ, मैं नहीं कह सकता कि कौन दुरुस्त थे, कौन गलत थे पर एक बात साफ है कि गांवों में जो भूमि वाले हैं, जो लोग भूमि सम्पन्न हैं, साधन सम्पन्न हैं, वे हर तरह से हरिजनों को, कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं उनको शय मिलती है सरकार की तरफ से, सरकारी अधिकारियों की तरफ से। ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते, चुप्पी साध लेते हैं या चुपचाप इशारा कर देते हैं और इस प्रकार की कार्यवाहियां होती रहती हैं और हर तरह से इन गरीबों को दबाने की कोशिश की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का, नौकरशाही का इस तरीके का साम्प्रदायिक विचार बना हुआ है, जिन कुलीन लोगों के इस तरह के विचार बने हुए हैं, वे तो यह भी नहीं चाहते कि सदन में इस तरह की बातें हों। कई भले आदमी की तरह कहते हैं, सदन में इस तरह की बातों से उत्तेजना फैलने लगेगी। मारे भी और रोने भी नहीं दें। लोग अपनी बात न कह सकें इस तरह की मनोवृत्ति हमारे सदन में व्यवस्था करने वाले और कार्यालय के कुछ लोगों की नजर आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसेज के मामले को लीजिये नौकरियों में पिछड़ी जाति वालों के लिये 12½ परसेंट के रिजर्वेशन की बात कही जाती है पर वास्तविकता क्या है ? इस रिपोर्ट में आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार 2767 आदिवासियों ने एम्प्लोयमेंट के लिये दर्खास्तें दीं, उनमें से 2308 दरखास्तों को आगे भेजा गया, 300 को रखा गया 61 सीटें रिजर्व थीं, उनमें 20 स्थानों पर नौकरी दी गई। हरिजनों के लिये लिखा है कि 12015 ने दरख्वास्तें दीं, 9809 की दरखास्तें फारवर्ड की, 1077 लोगों को रोजगार मिला, 4062 स्थान रिजर्व थे उनमें से 219 को नौकरियां दी गईं।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर रेंज में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती करनी थी। थानेदार, ए.एस.आई. भर्ती करने थे 67 में। 160, ए.एस.आई. और 172 सब इन्स्पेक्टर्स भर्ती किये गये। हरिजन भी उसमें शामिल हुए। आप आश्चर्य करेंगे उपाध्यक्ष महोदय कि 12½ परसेंट की बात तो दूर एक हरिजन को भी न ए.एस.आई. लिया गया और न सब इन्स्पेक्टर लिया गया। 68 में 92 सीटें ए.एस.आइज. की भरी गईं पर उनमें भी एक भी हरिजन को नहीं लिया गया। ऐसी बात नहीं कि हरिजन प्रत्याशी के रूप में आये ही नहीं हों, मैं जानता हूं, अलवर जिले के कुछ लोग आये थे। वे रिटन टेस्ट में पास हो गये, परेड में पास हो गये पर इन्टरव्यू में पुराने लोग बैठते हैं वे नहीं चाहते कि जो हरिजन जूतियों में बैठते हैं वे अफसर बन कर बैठें वे इन हरिजनों को इन्टरव्यू में रिजेक्ट कर देते हैं। यह रुख हरिजनों के प्रति अपनाया जाता है और दूसरी तरफ हरिजनोद्धार की बात करते हैं हरिजनों को ऊंचा उठाने की बातें आप करते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का रवैया सर्विसेज में इन लोगों को नहीं लेने के बारे में लगातार अपनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज आपकी सर्विसेज में पता लगायें, चाहे कोतवाली में हैड कान्स्टेबल हो, अलवर में हैड कान्स्टेबल है, वह दूसरों की मटकी में पानी नहीं पी सकता, उसकी अलग मटकी है। पुलिस लाइन में सबके लिये खाना बनता है दूसरे लोग अपने आप अपना खाना ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं, अपनी रोटियां चुपड़ कर ले सकते हैं, पर हरिजन अन्दर नहीं घुस सकता अगर वह ज्यादा करे तो उसके साथ मारपीट कर दें, शहादत कोई नहीं देता और कहते हैं बोल बेटा क्या कहना चाहता है, और इस डर से वह चुपचाप बैठ जाता है।

आज देश की 21 साल की आजादी के बावजूद हरिजनों से, आदिवासियों से उन निग्रोज जैसा वर्ताव करें जैसे अमेरिका में आज नीग्रोज के साथ हो रहा है, वह हमारे देश के लिये, हमारी जनतांत्रिक गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिये ठीक नहीं है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है जिनका हमको जवाब देना पड़ेगा, आपके ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको देना पड़ेगा, आज हरिजनों और आदिवासियों की मनोवृत्ति आपके विरुद्ध बढ़ती जा रही है, आपकी राजनीति से आज हरिजन और आदिवासी चिढ़ चुके हैं। और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये वे अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ मिशनरीज, इसाई मिशनरीज आदिवासियों में गलत दृष्टियां, गलत भावनाएं भरने का प्रयत्न करती हैं, आज जरूरत है सब आदिवासी हरिजन साथियों को कि वे उनके इस दृष्टिकोण का शिकार न बनकर अपने पैरों पर खड़े हों। इस बात को महसूस करें, आज तक चाहे मनु महाराज की वर्ण व्यवस्था थी जिसके लिये उन तीन उच्च जातियों को जो काम नहीं करती थीं, दूसरों से मेहनत कराती थीं, उनको तो उच्च वर्ग कह दिया और जो मेहनत करने वाले थे, उनको नीचा वर्ग कह दिया, इस तरह की व्यवस्था चली आ रही है सदियों से, आज जरूरत है उसके खिलाफ बगावत करने की। हो सकता है कि किसी समय में समाज को आगे बढ़ाने के लिये उस व्यवस्था की जरूरत रही हो पर आज वह व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है, देश के लिए घातक है। इसलिये मैं कहूंगा आदिवासी और हरिजन दोस्तों से चाहे वे इधर बैठें हों, चाहे उधर वे अब अवतारों पर भरोसा करना छोड़ दें, इस बात का भरोसा करना छोड़ दें कि कुछ लोग जिनके दिलों में हरिजनों के प्रति प्रेम है, वे लोग कोई अनशन करके आपका उद्धार कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है दूसरों के द्वारा आपके उद्धार की। आपको अपने अधिकार लेने की आपको अपने हकों को लेने की जरूरत है। और लोगों ने आपके हकों को ले रखा है। आपको महसूस करने की जरूरत है। जब आप अपने हकों का, अधिकारों को पहचान जायेंगे कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपको आपके वाजिब हकों से वाजिब अधिकारों से वंचित रखा गया है, आज आपसे चिकनी चुपड़ी, मीठी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बातें करने वाले, आपके उस जुलम को लम्बा करना चाहते हैं मीठी बातों से आपके जुल्मों को लम्बा करें, उनके हित में यही है क्योंकि आपको डरा धमका कर तो इसको और लम्बा नहीं किया जा सकता।

इसलिए आज इन सब समस्याओं के समाधान के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सारे हरिजन, आदिवासी संगठित हो कर दृढ संकल्प के साथ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपने पैरों पर खड़े हो कर आगे बढ़ें। जो लोग उनके अधिकारों को छीने हुए बैठे हैं, उनसे अपनी ताकत की बुनियाद पर अपने अधिकार मांगे और इसके लिये जो भी कुर्बानी करनी हो करें। मैं समझता हूं इस किस्म की रिपोर्ट नहीं आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर मैं एक दृष्टान्त देकर बात समाप्त करना चाहूंगा। हम ही लोगों ने एक एमरजेंसी मेजर समझ कर नाथद्वारा टेम्पल अमेन्डमेन्ट बिल लाये थे उसको पास किया था। जरूरत यह थी कि महाराज श्री बहुत अर्से से मन्दिर छोड़ कर बम्बई रह रहे थे वह नाथद्वारा वापिस लौटे। उसके पीछे किसकी राजनीति थी किसकी नहीं मैं उसमें इस समय नहीं जाना चाहता। राजस्थान में अस्पृश्यता एक जुर्म है, एक क्राइम है। क्या आज यह बात नहीं है कि नाथद्वारा टेम्पल में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता? दर्शन मना है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस दल के उन पंडितजी महाराज से, वे अभी चले गये हैं, उस बिल का महारावल साहब ने भी समर्थन किया था, लेकिन मैं अकेला ही था जिसने उसका विरोध किया था। आज हमारी और आपकी ईमानदारी का टेस्ट है जिस तरह से जरूरी मेजर समझ कर उस बिल को लाये और अध्यक्ष महोदय ने आउट आफ वे जाकर उसको एजेन्डा में रखा और उसको यहां पर पास करवाया गया क्या इस सदन के सामने यह स्वयमेव सबूत नहीं है कि इस नाथद्वारा टेम्पल में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता? हरिजन क्या इसमे तिरस्कृत और अपमानित नहीं हो रहे हैं? क्या इस सदन के तमाम महानुभाव जो मगरमच्छ के आंसू अस्पृश्यता के लिये बहा रहे हैं इसकी मांग करेंगे कि नाथद्वारा टेम्पल को हरिजनों के लिये खोला जाय, हरिजन उसमें जावेंगे चाहे महाराजश्री नाराज हो और कोई नाराज हो? यह प्रिन्सिपल का सवाल है। यह दीवार खड़ी कर रखी है उसको तोड़ना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि अगर सुखाड़ियाजी इस दीवार को तोड़ने का नेतृत्व करना चाहें तो और अगर वह इसमें हिचकिचाते हैं तो अपने असली कलर में पीछे रह जायं और हम सब मिल कर उस दीवार को तोड़ें ताकि यह जो कलंक का टीका राजस्थान के माथे पर लगा हुआ है वह मिट सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेहतरों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि उनको मैला ढोना पड़ता है। मलकानी साहब की रिपोर्ट बहुत पुरानी हो गई है। जो मेहतर हैं वे आज किस मुसीबत में पड़े हुए हैं। अगर हरिजन यह कहें कि हम मैला नहीं ढोयें तो आपने इसको इसेंशियल सर्विसेज करार दे रखी है। आप उनको मुजरिम करार देकर जेल में डाल सकते हैं इससे बड़ा उपहार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज उन जुर्म और शोषण करने वाले कुलीन और सवर्ण कहलाने वाले लोगों का उन लोगों के प्रति क्या हो सकता ? आपकी टट्टी उठाने के लिये आप उनकी सर्विसेज को इसेन्शियल सर्विसेज हैं । इसेन्शियल सर्विस है तो आप टट्टी उठायें । क्या उन्होंने ही ठेका ले रखा है कि सारे जीवन भर आपकी टट्टी उठायें ? मिनिस्ट्री आप करो और टट्टी वह उठायें । यह क्या बात है ? यह अब चलने वाली नहीं है । बार बार इन रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि यह धन्धा अब समाप्त होना चाहिये । कहां से मिलेगा पैसा यह सवाल है ? क्या आप यह समझते हैं कि हरिजन समझते नहीं हैं कि कितना रुपया आप बजट में रखते हैं और कितना सरप्लस दिखा कर खत्म कर देते हो । यह कब तक चीज चल सकती है ? जब तक अधिकारों को नहीं समझते ।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में लाने के लिये मैंने एक प्रस्ताव भी रखा था । चौथे आम चुनाव के बाद जो जुल्म हरिजनों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे हैं उनकी एक नान ओफिसियल बोडी के द्वारा जांच पड़ताल की जाय और यह जांच की जाय कि आखिर यह परिस्थिति क्यों पैदा होती है । इसके रिपीटेशन को किस प्रकार से रोका जा सकता है । लेकिन मैं समझता हूं कि सदन में किसी दूसरे रूप में वह आवेगा इसलिये मैं उसको इस समय पेश नहीं कर रहा हूं ।

अन्त में यही हरिजन दोस्तों से, जन जाति के दोस्तों से कहना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बुनियादी एप्रोच में परिवर्तन की आवश्यकता है । आप अपने अधिकारों के लिये संगठित होइये तब ही आपको अपने अधिकार मिलेंगे । तब जाकर ही समाज में, देश में एक बढ़िया बहादुर देशवासी होकर आगे बढ़ सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द : नहीं बैठे हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे सदस्यों के नामों की हमने लिस्ट दे रखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसी अनुसार नाम पुकारा जा रहा है ।

श्री दौलतराम सारण : हमारे दल की ओर से आज केवल एक बद्रीप्रसादजी को मौका दिया गया है । चुन्नीलालजी बार बार खड़े हो रहे थे उनको समय ही नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : चुन्नीलालजी का नाम आता है तो वे यहां मिलते ही नहीं ।

श्री दौलतराम सारण : दिन भर से यहीं बैठे हैं । पानी पीने के लिए चले गये होंगे ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, पानी पीने गया तो आपने मेरा नाम पुकार लिया । मैं बार बार खड़ा हुआ । मुझे बार बार टाल दिया गया । मुझे बार बार इसलिए टाला जाता है कि मैं कांग्रेस में रहा हुआ हूं इसलिए मैं बोलूंगा तो कांग्रेस का भन्डा फोड़ करूंगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस वाले तुम्हारी ही बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो रिपोर्ट्स हमारे मंत्री महोदय ने प्रस्तुत की है उसके संबंध में आज बहुत ही अनभिज्ञता है। 64-65 और 65-66 की जो रिपोर्ट्स हैं, इस प्रकार रिपोर्ट्स प्रस्तुत होती रही हैं लेकिन हरिजनों के प्रति कुठाराघात किया जाता है इस दृष्टि से कि नियमों के अनुसार कानून के द्वारा बनाई हुई योजनाओं के अनुसार उनके अधिकारों के प्रति कोई कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा जाय और माननीय मंत्री महोदय से यह पूछा जाय जितनी भी आदिम जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए उन्होंने जो यहां पर रिपोर्ट्स पेश की है और जो बजट उनके लिए रखा जाता है उसके अनुसार उन आंकड़ों को उठा कर देखा जाय तो वे स्वयं भी महसूस करेंगे कि अधिकांश रकमें या तो लैप्स हो गई हैं या सरप्लस हो गयी हैं। मैंने कई बार सदन के अन्दर प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किये थे और यह कहा था कि समाज कल्याण विभाग का यह बजट लैप्स क्यों होता है। किसकी गलती से होता है और क्यों नहीं उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो अनेक प्रकार के मसले आपको देखने को मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक मात्र कारण यह है कि किस प्रकार से इसको सिद्धांतरूप में लिया जाय। मैं माननीय मंत्रीजी को एक सजेशन देना चाहता हूं। जो बजट यह मंजूर करते हैं हमारे यहां के प्रतिनिधि उसको देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा जो हमारे अनेक प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर हैं वे उनसे वंचित रह जाते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि बजट की एक कापी वह हरसाल सरपंच, म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर और प्रधान और जिला परिषद के अध्यक्ष को पहुंचानी चाहिये। उसके साथ साथ उनको यह भी जानकारी कराई जानी चाहिये कि हमारा पिछला बजट इतना था और उसके अनुसार इतना खर्च किया, इस मद में हमारा इतना बैलेन्स बाकी रहा। यदि यह प्रणाली लागू हो गई तो यह जो लैप्स की समस्या आती है और सरप्लस की समस्या आती है उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, जबकि हमारी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, मेरे से पूर्ववक्ताओं ने भी कई प्रकार की समस्याएं यहां उपस्थित की है। एक प्रकार से यह ढोल पीटा जा रहा है कि हम हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध कर रहे हैं। पीने के पानी की, रहने के लिए मकान की, अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा हम उनका उत्थान कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा मन्त्रीजी को प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूर्वज कच्चे घरों में रहते थे, कच्चे कुओं से पानी पीते थे। हमारे पूर्वजों ने अच्छा खाना नहीं खाया था। तो हमें यह सब नहीं चाहिए।

(श्री श्रवणलाल)

आज हमारे नाम पर अनेक प्रकार के संगठन बना रखे हैं। ये अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, इन योजनाओं के अन्दर। उनके नाम हैं आदिम जाति सेवक संघ, दलित वर्ग संघ। ये अनेक प्रकार के संघ हैं। इस प्रकार की जो संस्थाएं बना रखी है, उनमें सिवाय पैसे के गोलमाल के कुछ नहीं है। पैसे के गोल माल के लिए ही ये संघ बने हैं। ये संघ नहीं हैं ये तो कुटुम्ब पालक संघ हैं। (सदस्यों द्वारा तालियां)। इस संघ के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 55 में 69 लाख, 18 हजार, तीन सौ रुपया खर्च किया है। यह दलितवर्ग संघ का खर्चा है। इस संघ का काम क्या है ? हरिजनों को होटलों पर ले जाकर चाय पिलाना। नाइयों की दुकान पर हजामत कराना, मन्दिरों पर ले जाकर प्रवेश कराना ? सिर्फ यह काम है इस पर इतना खर्चा। नाई की दुकान पर जाते हैं, हजामत बनाते हैं, पैसा उसकी जेब से जाता है। चाय की होटल पर जाते हैं तो, चाय का पैसा उसकी जेब से देता है। तो यह है हमारे दलितवर्ग संघ के कारनामें। जिस पर चर्चा चूंकि गए बजट सैशन में हो चुकी है अतः आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। इस सदन में इसकी इन्क्वायरी करने को कहा गया था ? उसका क्या हुआ ? कोई पता है गोलमाल का ? कौन कौन इसके मेम्बर है ? इसका भी पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार योजनाओं के द्वारा हमारे लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उन सब योजनाओं को आप ठप्प कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए ये योजनाएं। हम कच्चे कुएं से पानी पीएंगे, कच्चे मकानों में रहेंगे। हमें इस प्रकार के साधन नहीं चाहिएं सिर्फ हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो योजनाएं हैं उनको चालू रखिए। ताकि वे आगे बढ़ें। जितना पैसा हमको मिल रहा है समाज कल्याण विभाग के थ्रू वह सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया जाय। इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार से भी खामी नहीं रहे। हम यह मानकर चलते हैं कि यह सही उपयोग होगा। इसमें हमारा कल्याण अपने आप हो जायेगा। अपने आप अच्छी सोसायटी बनेगी और अनेक प्रकार का ज्ञान, अनुभव होगा। अपने आप आगे बढते जायेंगे। हमारी उन्नति करना चाहते हैं यह कहना दिखावा मात्र है। हमको इस तरह से बनाया जाता है कि यह हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं ? इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के अन्दर किस प्रकार से क्या हो रहा है। एक श्रीमती है चैननीरानी। इन संस्थाओं के अन्दर किस प्रकार के घोटाले हैं, एक श्रीमती चैनीरानी थी, महिला सेवा सदन में एल.डी.सी.। उन्होंने कोई गबन किया। इस आरोप में उनके खिलाफ कोई इन्क्वायरी हुई। वे चाबियां लेकर गायब हो गईं। इतना ही नहीं जब चाबियां उनसे मांगी गईं तो इन्कार कर दिया। उनका कम से कम दो साल तक कोई पता नहीं रहा। वह कहां हैं ? किस जगह हैं ? क्या इसका होना चाहिए ? इस बीच में क्या होता है कि वह महिला, जिसके खिलाफ दो साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी प्रकार की डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी नहीं हुई, और तारीख 11-5-66 तक वह छुट्टियां लेती रही, छुट्टियां इस बात की कि कहीं

(श्री श्रवणलाल)

मुझे मुक्त न कर दें। छुट्टियों के बाद, उसके साथ क्या होता है, इस प्रकार का षडयन्त्र रचा गया, उसको हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा बुलाकर हमारे डिप्टी डाइरेक्टर के आफिस में रख लिया जाता है ? उसके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए, वह बात अलग रही लेकिन उसको बुलाकर डिप्टी डाइरेक्टर के आफिस में रख दिया जाता है। तब तक तो वह एल.डी.सी. थी और तब वह परमानेन्ट भी नहीं हुई थी। यहां आकर उसको परमानेन्ट कर दिया गया। इसके साथ क्या होता है कि उसकी सर्विस कन्डोन कर दी गई ? मुझे समझ में नहीं आता कि सर्विस कन्डोन कैसे कर दी गई ? सर्विस कन्डोन होती है। पैंशन के केस में दो साल के पीरियड में छुट्टी पर होते हुए भी उसके लिए सर्विस कन्डोन की गई और उसको परमानेन्ट कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला इस रिपोर्ट में आया हुआ है क्या ?

श्री श्रवणलाल : यह रिपोर्ट में नहीं है। यह चर्चा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत आ जाती है। जिसके लिए हमसे बजट पास कराया जाता है और उसको इस प्रकार से खर्च किया जाता है मनमाने तरीके से। अब आगे क्या होता है कि उसे यू.डा.सी. बनाया जा रहा है। डिप्टी डाइरेक्टर कितने मेहरबान हैं उसके ऊपर। जिसने गबन किया है। दो साल सस्पेन्ड रही है उसको अचानक रिइन्स्टेट कर दिया। उसको दो साल का पेमेंट भी कर दिया। उसे एल.डी.सी. से यू.डी.सी. बना दिया जाय। यह एक जीता जागता उदाहरण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। एक भरतपुर के अन्दर समाज कल्याण विभाग का होस्टल चलता है। उसका निरीक्षण करने के लिए हमारे विभाग के अधिकारी जाते हैं। वे निरीक्षण करते हैं रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, गेहूं का आटा और वहां पर खिलाया जाता है, जौ का आटा। निरीक्षक महोदय वहां जाकर निरीक्षण करते हैं। उसके बाद इन्चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उनका यहां से ट्रांसफर केन्सिल करके वहीं रहने दिया जाता है। वे वापिस जाकर बच्चों को पीटते हैं। और बच्चों की डाइट को फिफ्टी फिफ्टी करके खाते रहते हैं। इसके लिए दो शब्द मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"श्री बी० एन० पुरोहित : रिश्वत और बालाओं के भूखे ...."

रिश्वतखोर और बालाओं के भूखे हैं। पता नहीं वह बालाएं कौन हैं। इस प्रकार, मैं नहीं कह रहा हूं, यह पेम्फलेट निकलता है। इस प्रकार का पेम्फलेट वहां पर उनके खिलाफ निकला है। उन बच्चों के लिये, जिन बच्चों के लिये वहां पर खर्च होता है, उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। खामी को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। कपड़े ठीक नहीं हैं। किताबों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस पेम्पलेट को हाउस की मेज पर रखता हूं।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, सवाल आता है सर्विस का। सर्विस के लिये मुख्य मंत्रीजी ने एक बार बहस के समय

(श्री श्रवणलाल)

जब बजट सेशन चला था उस समय कहा था हरिजन कर्मचारियों को सर्विस से नहीं निकाला जायेगा। इन हरिजन कर्मचारियों की बीस साल, दस साल, पन्द्रह साल की सर्विस है जिस पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में खड़े हो कर ऐलान किया था। यहां पर कहा गया था कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इन आदमियों को वापिस उसी जगह पर लगायेंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप का वह आश्वासन कहां गया ? उन बीस आदमियों की लिस्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो हरिजन हैं बीस साल से, 15 साल से काम किया है। उनकी सर्विस खतम कर दी जाती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि 12½ प्रतिशत हर जगह में अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लिये सुरक्षित रखे जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न था जिसमें यह पूछा गया था किस किस डिपार्टमेंट के अन्दर हमारा जो परसेन्टेज 12½ प्रतिशत का कोटा रखा गया है, वह पूरा है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस लिस्ट को पढ़कर सुनाऊं तो उसके अन्दर दस के लिये यह लिखा है कि कोटा पूरा नहीं है यानि 10 विभागों ने यह लिखा है कि कोटा पूरा नहीं है। 40 इस प्रकार के विभाग हैं जिनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है। इस प्रकार के उत्तर यहां सदन में दिये जायं और कहें कि साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा पूरा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम पढ़कर सुनाऊंगा। कोई भी विभाग इस प्रकार का नहीं बचा होगा जो 40 और 15-55 इसके अन्दर दिये हैं, उसके तहत सभी विभाग आ जाते हैं। उन विभागों में एक भी विभाग नहीं बचा है जिन्होंने साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा पूरा किया हो। इस प्रकार के ढोल पीटकर आज हमारे भाई नौ जवानों को जो भूखे रह रह कर माता पिता पढ़ाते हैं, मेहनत और मजदूरी करके पढ़ाते हैं आज भी जो अकाल पीड़ितों के नाम से चल रहे हैं उसके द्वारा 20, 25, और 50 पैसे मजदूरी दी जाती है। वे अपने पेट को काट कर जिनको दस नये पैसे का नास्ता दिया जाता है वे गरीब अपने बच्चों को पढ़ाकर यह आशा करते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर बाबू गिरी करेंगे, कहीं जाकर अपने लिये पैदा करेंगे, वे हमारे सम्मान को ऊंचा करेंगे। आज वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। जगह जगह जाकर दरवाजे खटखटाते हैं किन्तु देखते हैं यहां पर कोई जगह नहीं है, यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियेट के अपाइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट के अन्दर इस बात को नहीं देखते हैं। कोई एम० एल० ए० कहीं शिड्यूल कास्ट का प्रमाण-पत्र देता है, उसको भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि शिड्यूल कास्ट का नहीं है।

आज कुछ इस प्रकार की भावनाएं पैदा हो गई हैं कि कुछ लोगों ने इस प्रकार हमारे उन अधिकारों के प्रति और उन अधिकारों द्वारा जो हमें फेसिलिटि मिलती थी, उनमें आना शुरू कर दिया है जैसा मेरे से पहले वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कई सज्जन इस प्रकार के चाहे मेडीकल कालेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलिज हो और चाहे

(श्री श्रवणलाल)

कोई कालेज हो अगर किसी को जगह नहीं मिलती है तो उन्होंने मौका अच्छा देखा चलो किसी हरिजन के यहां गोद चले जावें। देखें इसमें कौन कौन आते हैं। मैं एक जीता जागता उदाहरण रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के 22 केसेज हैं। इस प्रकार के जो कि हरिजनों के यहां गोद जा जा कर उन्होंने चाहे मेडीकल कॉलेज हो या अन्य किसी प्रकार की संस्था हो हमारे रिजर्वेशन के अधिकार से जो सीटें हमने रिजर्व कराई है उन पर लोगों ने कब्जा किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं वे स्कालरशिप ले रहे हैं और जो सुविधायें राज्य सरकार से मिलने वाली थीं वह ले रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य अभी अभी जिसका जिक्र कर रहे थे उसका जीता जागता उदाहरण, वह कहां के रहने वाले हैं वह मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक जोधपुर के अन्दर बड़े घराने के हैं जिनके पिता एल० एल० बी० हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने देखा मेरा लड़का अच्छे नम्बरों से पास नहीं हुआ है, मेडीकल कालेज में भरती नहीं हो सकता है। उसने एक तरकीब निकाली, पढ़कर सुना देता हूं। जोधपुर में एक अच्छा घराना है जिसने अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु अस्पृश्य जाति में गोद जाकर इस वर्ग को मिलने वाली समस्त सुविधाओं को प्राप्त करना आरंभ कर दिया है और मिलने वाली समस्त सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। इनका नाम नरेन्द्र कुमार भाटी है जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं। जोधपुर के एक घराने में गोद जा कर उस फैसिलिटि को प्राप्त किया है जो भी हमारे लिये सुविधा मिलती थी, आज उन सुविधाओं को वे ले रहे हैं। इस प्रकार के केसेज हैं। इस प्रकार की सुविधा है तो लोगों ने अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ मिलता था, उसको भी छीनना शुरू कर दिया है इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कई इस प्रकार की मिसालें रख रहा हूं जिनको आज सर्विस में होते हुए भी किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। सर्विस में होते हुए भी किस प्रकार का अत्याचार किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि एक पशु चिकित्सालय है,—बामनदास में उसमें एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आज से काफी समय पूर्व सर्विस में गया था। उसको 31 मार्च को, उसकी परमानेन्ट पोस्ट थी, उसको पे मिलती थी चाहे डाईरेक्टर ने लिखा हो चाहे डिप्टी डाईरेक्टर ने लिखा हो उसको पे बराबर मिलती थी। यहां के जिला अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और उस बेचारे को 9 महीने हो गये उसको पे नहीं दी जा रही है। उसके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि वह अनुसूचित जाति का है। अधिकारीजी कहते हैं इसके हाथ का पानी कैसे पीऊं, खाना बनाने की जरूरत हो तो खाना कैसे बनवाऊं। इस प्रकार की कार्यवाही जो हमारे लोगों के साथ में एक नहीं अनेक प्रकार की मिसालें है जो उनके साथ में होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी के साथ साथ मैं कुछ जमीनों के सम्बन्ध में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। सदन का समय समाप्त हो गया है। समय बढ़ाने के बारे में मैं माननीय सदस्यों से राय लेना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां : एक घंटा समय बढ़ाने के बजाय कल का पूरा दिन इसके लिये होना चाहिये। 64-65 और 65-66 की दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। अगर एक वर्ष के लिये रिपोर्ट होती है तो परम्परा के अनुसार दो दिन की डिबेट होती है इसलिये परम्परा के अनुसार दो दिन की डिबेट होनी चाहिये. ऐसी मेरी मान्यता है। परम्परा के अनुसार शिड्यूल कास्ट के लिये बहस हो तो एक दिन पूरा बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य समिति ने जो दिन नियुक्त किया था उसमें आज और कल का दिन था और परसों के दिन किसी और कार्य के लिये है इसलिये आज ही चर्चा समाप्त होगी। समय जितना माननीय सदस्य चाहें बढ़ाया जा सकता है।

श्री लादूराम सुलानियां : समय 1-2 घंटे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है सब सदस्यों से और आसन से भी है कि इसके लिये दो दिन का समय और बढ़ा दिया जाय। विधान सभा की कार्यवाही भले ही आज इसके बाद खत्म कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री पी० एन० जोशी : एक घंटा तो मुझे लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : और बढ़ा दिया जायगा।

श्री भवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज नहीं हमेशा इस प्रकार की व्यवस्था चलती आ रही है और पहले भी इस पर काफी आग्रह किया गया था कि समाज कल्याण की रिपोर्ट बजट सेशन में पेश की जाय। हमारी सरकार ने परसों पेश की है। जहां जमीनों का संबंध है, आज जमीनें किन को मिलती हैं। इस प्रकार की भावनायें ....

(5 म० प०)

आप देखेंगे तहसीलदार रखता है वह कब्जा पूंजीपतियों को दिलाता है। आज पहले तो हालत यह है कि इन हरिजन परिवारों को जमीन मिलती नहीं उनको किसी प्रकार से कब्जा नहीं मिलता दो चार साल तक चक्कर लगाने के बाद अगर कहीं मिल जाता है तो वे किसी प्रकार भी काश्त नहीं कर पाते। अगर हरिजन काश्त कर लेता है तो उसको डंडे मार मार कर ऐसी हालत कर देते हैं कि उसको काश्त नहीं करने दी जाती।

एक जिले को छोड़कर सारी जगह यही समस्या मिलेगी। हर जगह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को जो सुविधायें दी हैं वे उनको नहीं मिलती हैं। एक छोटीसी मिसाल आपको दूं यहां पर जोधपुर में एक जमीन का मामला चल रहा था उस जमीन पर 100 परिवार थे वे बेचारे 55 से इस फिराक में थे कि दो हजार बीघा जो पड़त

(श्री श्रवणलाल)

भूमि है वह भूमि हमें मिलनी चाहिये। कोशिश वे करते रहे मंत्रियों को यहां चक्कर लगाते रहे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। उन हरिजनों को आश्वासन मिलता रहा। भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं उनके सामने भी गये उनको लोक सभा के सदस्य श्री वारुपालजी ने भी लिख कर भेजा कि ये भूमिहीन हैं इनके पास एक इन्च भी भूमि नहीं है इनको यह दो हजार बीघा जमीन अलोट कर देनी चाहिये। इस प्रकार का आदेश दिया कि हरिजनों को यह जमीन अलाट होनी चाहिये। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतना होते हुए भी मुख्य मंत्री से भी मिले सभी प्रकार की कोशिश होते हुए भी उन्होंने जो वहां के मालदार थे जो लठैत थे जिनकी सांठ गांठ नेताओं से थी वह दो हजार बीघा जमीन उनको दे दी गई। मैं उनका नाम भी बता सकता हूं। इस लिस्ट में है वह मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। 68 में जाकर उन नेताओं ने अपने नाम उस भूमि को अलॉट करवा लिया लेकिन एक इन्च भी भूमि हरिजनों को नहीं दी गई। जो हरिजन प्रयत्न कर रहे थे वे मारे मारे फिर रहे हैं। आज इस प्रकार का भेदभाव सभी जगह देखने को मिलेगा।

एक बात मैं निवेदन और करना चाहता हूं। मैंने 24 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था हरिजनों के साथ में किस प्रकार वर्ताव किया जाता है ग्राम छबेड़ा बस्सी तहसील में है वहां पर हरिजन परिवार काफी अरसे से रहते आ रहे थे। वहां पर दो हजार बीघा भूमि भूमिहीन परिवारों को दी गई लेकिन उसमें से एक भी हरिजन परिवार को एक इन्च भूमि भी नहीं दी है। मैं इसके लिये एक कागज जो मेरे पास है पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्रवणलाल : अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा यही बताना चाहता हूं एक गरीब तबके के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है। इनके साथ किस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ही एक सुदर्शनपुरा नामक बस्ती है जो 15 अगस्त के दिन तोड़ी गई। यहां पर 25 हरिजन परिवार रहते थे। उनको वहां से उजाड़ा गया। रात को तीन बजे कलेक्टर महोदय पांच सौ सिपाहियों के साथ पहुंचते हैं और रात को तीन बजे जब कि सब परिवार सोते रहते हैं उनकी झोंपड़ियों को तोड़ा गया। वहां पर लूटमार की गई उनके बाल बच्चों को पीटा गया औरतों की बेइज्जती की गई। एक तरह से कलेक्टर ने अपने अधिकारों का इतनी मुस्तैदी से प्रयोग किया मानों तूफान आगया हो। जिस प्रकार एक डकैत किसी गांव को लूटता है उसी प्रकार यहां के कलेक्टर ने ५०० सिपाहियों के साथ इस बस्ती पर डाका डला है। क्या यही आपका प्रशासन है? इसी बल बूते पर आप शासन करना चाहते हैं? इस बारे में हरिजन उप मंत्रियों ने मुख्य मंत्री को जाकर कहा। रामचरणजी, मुल्कराज जी एवं श्री जसराज जी ने। मुखाड़ियाजी ने देखा यह तूफान आजायेगा उनको शान्त किया। यह कहा कि मै इसकी जांच कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कल स्टेटमेन्ट हो रहा है ।

श्री श्रवणलाल : 24 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था यह मामला जयपुर का ही है । क्या कलेक्टर उसी दिन इस बारे में सूचना नहीं दे सकता था ? लेकिन उनको क्या परवाह ? वे देखते हैं कि हमारी गलती किसी प्रकार जनता के सामने न आजाय । हरिजनों के लिये जो भी स्थगन प्रस्ताव दिये जाते हैं उनके बारे में यही हाल रहता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जिस शासन में पक्षपात होता रहे यह बड़े शर्म और खेद की बात है । आप समाज कल्याण के नये नये मन्त्री हैं, ओजस्वी भी हैं, काम करने की शक्ति है । आप घबराइये नहीं । कुर्सी चली जावे इसकी भी परवाह मत करिये । पर सच्चा न्याय इन गरीबों के प्रति करना ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं बहुत देर से इन्तजार में ही बैठा हूं, उपाध्यक्ष महोदय । मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी नम्बर आवेगा ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं तो निराश हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आपको अवसर दिया जावेगा ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : यह रिपोर्ट मैंने देखी, उपाध्यक्ष महोदय । जितना पैसा खर्च करने के लिये दिया जाता है वह सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि हमारी भलाई में खर्च हो । वे अपना आराम देखते हैं, उस पर अन्धाधुन्ध खर्च कर देते हैं पर गरीबों को आराम पहुंचाने और उनके हित के लिये खर्च करने की कोशिश नहीं करते ।

इसी प्रकार पंचायत समितियों में समाज कल्याण का पैसा जाता है । कुए बनाते हैं, छात्रवास खोलते हैं । छात्रवृत्तियों में दिया जाता है ।

(5.12 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी
सभापति, पीठासीन,)

ये सरकारी नौकर करते क्या हैं, दस्तखत तो करा लेते हैं एक हजार पर, पर देते हैं ७५०) ही । खर्चा पूरा नहीं करते, पर बिल पूरे का ले लेते हैं दस्तखत कराकर । इस प्रकार की ज्यादतियों पर इस विभाग को ध्यान देना चाहिये ।

जमीन का अलाटमेन्ट होता है । नियम बना रखे हैं इसके लिये कि पहले शिड्यूल-कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स वालों को देना चाहिये । पटवारी तहसीलदार एम. एल. ए. मिलकर नियमों की परवाह नहीं करते, मिलकर जिसको देना चाहेंगे दे देंगे । बाद में अगर किसी शिड्यूकास्ट ने ऐतराज भी किया तो कह देंगे कि महीने पहले नोटिस लगाया । तुम आये क्यों नहीं । इसलिये अब तुमको नहीं मिलेगा । इस प्रकार बीस साल में बराबर कहते आये हैं । मगर मांग पूरी नहीं हो सकी हमारी ।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

हमारे जिले में ट्रैस-पसार हैं जिनके पास जमीनें हैं। तहसीलदार अपनी मुट्ठी गरम करके उसको दे देता है।

इसी प्रकार पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों में मेम्बर लिये जाते हैं, पर वक्त पर उनको कहा जाता है कि आज मीटिंग है तुम खेत पर चले जाओ यहां मत आना। बड़ी बड़ी जात के लोग बैठे हैं। तुम हमारे बरा बर कसे बैठोगे।

कुओं पर पानी नहीं भरने दिया जाता। समाज मल्याण अधिकारी को लिखा जाता है। पर वे एक दिन भी नहीं देखते कि क्या शिकायत है। इस विभाग के अधिकारी आज दिन तक किसी गांव में नहीं पहुंचे। बांटने के लिये तनख्वाह भेजते हैं चपरासी को हुक्म दे देते हैं। खुद नहीं जाते। वही काम करता है। यह इस विभाग की हालत है।

सरकार अनुदान देती है। पर वह भी नहीं मिलता समय पर। और पूरा का पूरा। आदिवासी और हरिजनों को आपस में मिलने नहीं देते। इनको एक न एक बहाना लेकर आपस में लड़ाया जाता है। क्यों? वे जानते हैं कि अगर ये दोनों आपस में मिल गये तो हमारी नहीं चलने देंगे। यह लोग हर गांव में इनको लड़ाते हैं। दोनों का वोट एक जगह नहीं होना चाहिये यह नारा लगाते हैं। इनकी ताकत एक नहीं होनी चाहिये, इसकी कोशिश करते हैं। विभाग को इन बातों को देखना चाहिये। दोनों में से जिसकी गलती हो उसको समझाना चाहिये।

इसी प्रकार नौकरी का प्रश्न आता है। बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। पैसे खर्च करके अपने बाल बच्चों के पेट पर पट्टी बान्ध कर माता-पिता बच्चों को पढ़ाते हैं। इस आशा से कि नौकरी लगेगी तो आराम पावेंगे। कहीं मास्टर हो जावेगा। पर मैट्रिक पास और बी. ए. पास को जगह नहीं है। हजारों की तादाद में मारे मारे फिरते है। उदाहरण के तौर पर बताऊं। उदयपुर में एक हरिजन लड़का बी. ए. पास था। वह नौकरी करने की तलाश में जगह जगह गया। कहीं उसको नौकरी नहीं मिली। मजबूरन उसे चपरासी की नौकरी मन्जूर करनी पड़ी। हमें बी. ए. करने के बाद भी चपरासी की नौकरी मिलती है और दूसरी जाति के लड़के को मैट्रिक पास करने पर भी ऊंची जगह मिल जाती है। यह क्यों है? क्योंकि हम कौम से हरिजन हैं। आज भी यह हाल है।

इसी प्रकार कुछ दिन पहले जिला बूंदी में एक कालोनी बनी थी। पैसा कुछ खर्च किया ही नहीं, यों ही हजारों का खर्चा बता दिया। वहां नाम मात्र को एक रात्रिशाला बनी हुई है। उसको जब देखने गये तो वहां एक एक बिलान्द कबूतर की बींटे पड़ी थी। कोई जाकर वहां बसता नहीं है। इस प्रकार की हालत समाज कल्याण विभाग की है।

मैं कुओं के लिये अनुदान का फार्म लेने गया तो वहां पर चपरासी ने ऊपर पहले तो नहीं जाने दिया और जैसे तैसे मैं ऊपर गया भी तो मुझे कहा गया कि यहां कोई फार्म वार्म नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है।

इसी प्रकार से आज गांवों के अन्दर जितने भी हरिजन एम. एल. ए. जाते हैं और हरिजनों की समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं तो कोई भी सरकारी अधिकारी या

(श्री नन्दलाल बैरवा)

सरकारी कर्मचारी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है कि हरिजनों का उत्थान होना चाहिए यह मैं मानकर चलता हूं कि 20 साल के अन्दर जितना उत्थान हरिजनों का होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इसमें लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। आपके द्वारा जो मशीनरी नियुक्त की गई है उसमें कमियां हैं जिसके कारण से समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। वे लोग जो इस विभाग में बैठे है वे इनसे नफरत करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि इनको पैसा मिले और पढ़ लिखकर हमारे बराबर आसन पर बैठे और हमारे बराबर बन। ऐसे लोगों को वहां रखना चाहिये जो कि उनकी मदद करे।

श्री देवोदत्त गाड़िया (बांरा) : पाइन्ट आफ आर्डर सर, माननीय सभापति महोदय, कल बाढ़ और अकाल के ऊपर बहस है और राज्य सरकार जब कभी भी बाढ़ और अकाल के संबंध में डिबेट रखती है और इस विषय को रखती है तो उसके संबंध में एक नोट सदन के सदस्यों के लिए प्रसारित करती है लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस साल भी और अभी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी यह तय हुआ था कि सरकार इस संबंध में एक नोट सरकुलेट करेगी और आज सदन का एक घन्टे का समय बढ़ाया

(5.22 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

गया है उसके बाद भी और कल अब अकाल और बाढ़ के संबंध में सदन में बहस होगी और अभी तक राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई नोट सर्कुलेट नहीं किया है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप राज्य सरकार को बाध्य करें और राज्य सरकार इससे बाधित है कि जो कल बहस होने वाली है वह चाहे रात के 12 बजे जाये सदन के सभी माननीय सदस्यों को नोट सर्कुलेट करके राज्य सरकार भेजे और यदि राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई नोट सर्कुलेट नहीं किया तो मैं और सारा सदन इस बात को चाहेगा कि कल बाढ़ और अकाल के संबंध में सदन में बहस हो लेकिन इस नोट के सर्कुलेशन के अभाव में वह बहस नहीं हो सकेगी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कल बहस नहीं हुई तो इस समय सारे राजस्थान के अन्दर विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर और शेखावाटी के जिलों में मवेशी भूखों और प्यासे मर रहे हैं और गाय और बैल जिनकी कीमत हजार हजार और दो-दो हजार रुपया है वह मर जायेंगे। यह बड़ा गम्भीर मामला है और सैकड़ों की संख्या में मवेशी मर रहे हैं और आज वहां 2॥ रुपया किलो तक चारा उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल और बाढ़ की समस्या है इसलिये इस पर बहस के लिए सदन में दो दिन नियत किये गये हैं। उसके लिए आपकी ओर से सुझाव आयेंगे उसके अनुसार राज्य सरकार कार्य करेगी— ऐसा मानकर चलते हैं। इसमें नोट वितरित करना चाहिए या नहीं यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह नोट सर्कुलेट करती है या नहीं।

Page No.135

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह भी राज्य सरकार की नीति रही है कि जब कभी भी अकाल और बाढ़ के संबंध में सदन के अन्दर बहस होती है तो उसके संबंध में सरकार एक नोट सर्कुलेट करती है और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हो गया कि राज्य सरकार इस संबंध में एक नोट सर्कुलेट करेगी तो उसके लिए राज्य सरकार बाधित है और अगर नोट सर्कुलेट नहीं हुआ तो सदन में जो कल बहस होने वाली है वह बहस नहीं हो सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आपने अपनी बात कह दी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसके लिए राज्य सरकार बाधित है माननीय उपाध्यक्ष महोदय । आसन राज्य सरकार को इस प्रकार का आदेश दे कि वह इस संबंध में एक नोट सर्कुलेट करे और यदि माननीय सदस्यों के पास किसी प्रकार का इस संबंध में नोट सर्कुलेट होकर नहीं पहुंचता है तो इस पर कल बहस नहीं हो सकेगी...

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पोइन्ट आफ आर्डर पर दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । जैसा श्री गाड़ियाजी ने बताया है कि कल बाढ़ और अकाल के सम्बन्ध में बहस होने वाली है तो इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि कल के बिजनेस के ऊपर आज पाइन्ट आफ आर्डर कैसे उठाया जा सकता है । मेरे खयाल से कल जो कार्यवाही होने वाली है उसके सम्बन्ध में आज पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है । कल कार्यवाही शुरू होने से पूर्व कोई भी पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया जा सकता है लेकिन आज नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पाइन्ट आफ आर्डर इसलिए रेज किया गया है मेरे खयाल से कि एक तो सरकार निश्चित हो जाये एक बात और दूसरी बात यह है कि जो बहस करना चाहते हैं कल भी कर सकेंगे यदि बाढ़ वाले मामले पर बहस नहीं होती है तो । अब यह सदन के विचारने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज – खाद्य मन्त्रीजी ।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने अभी यह एतराज किया है कि खाद्य विभाग की तरफ से एक नोट सर्कुलेट होना चाहिए था—उपाध्यक्ष महोदय विभाग की ओर से क्योंकि बहुत लेट तय हुआ था और अकाल के सम्बन्ध में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है इसलिए कोई पुख्ता नोट तैयार किया जाना सम्भव भी नहीं था और मैं तो ऐसा समझ कर चल रहा था क्योंकि मैंने खुद ने यह मोशन मूव किया था इस सदन में कि बाढ़ और अकाल के ऊपर डिसकशन होना चाहिए । मेरे स्टेटमेंट के बाद में, जो कि ऊपर नोट के जरिये से मैंने माननीय सदस्यों को जानकारी के तौर पर दिया । मैं विशेष तौर पर यहां पर वक्तव्य में कहूंगा, उसको आधार मानकर बहस में हिस्सा ले सकते हैं । मैं टेलीफोन पर बात करने जा रहा था लेकिन मालूम हुआ कि एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है तो मैं लौट आया । अगर सम्भव हो सका तो मैं नोटिस सरकुलेट करवा दूंगा ।

श्री नन्दलाल : पंचायत समिति द्वारा जो स्कूलें चलाई जाती हैं, वह स्कूलें ज्यादातर मन्दिरों में चलती हैं। जो स्कूलें मन्दिरों में चलती हैं. वहां पढ़ने से हरिजन बच्चे वंचित रहते हैं। उनको वहां पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता है जब कि वह स्कूलें सरकारी हैं। जो स्कूलें मकानों में चलती हैं तो वहां भी हरिजनों के साथ में भेदभाव रखा जाता है। स्कूलें ऐसे स्थानों पर देखभाल कर चलाई जायें जिससे कि हरिजन बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। जो हरिजनों के साथ में भेदभाव रखा जाता है वह नहीं रखा जाना चाहिए। यह सरकार को देखना चाहिए। आज तो आज की समस्या में और पहले की समस्या में कोई अन्तर नहीं है। यह जो इस प्रकार की रिपोर्ट है, यह एक वर्ष में आनी चाहिए तीन वर्ष में नहीं। ताकि यह देख सकें कि क्या साल में प्रगति हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : शिड्यूल कास्ट पर यह रिपोर्ट 1964-65। 1965-66 बहुत ही देरी से प्रस्तुत की गई है। इस पर हम क्या विचार करें और क्या नहीं? इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े हुए समाज के लिए यह सरकार कितनी जागरूक है? इसकी एक एक लाइन देखने से इस बात पर पहुंचते हैं कि हृदय में वह सीन आज याद आता है, जो एक एक लाइन लिखते हैं इस रिपोर्ट की, वह राजस्थान के पिछड़े हुए लोगों के खून से छापी गई है। आज यह बीस साल में सरकार किस तरह से मखौल कर रही है? तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि सारे लोग कहते हैं कि देश को आजादी मिली है लेकिन मैं खुद इसको सही आजादी नहीं कहता हूं। न तो हिन्दुस्तान में कतई आजादी है, न आजादी मिली है। आजादी उन लोगों को मिली है जो विदेशी हुकूमत के गुलाम थे। उन लोगों को ही आजादी मिली है। जिनके हाथों में सरकार है, वह भी आज पूंजीवादियों के हाथों में काम कर रहे हैं। 20 साल की आजादी के बाद भी हरिजन कुचले जा रहे हैं। मेरा हृदय दुःख से भरा हुआ है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य गोकुलजी ने कहा है। मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन मेरा दिल दुःख से भरा हुआ है। यहां पिछड़ी हुई जाति के विधायक कांग्रेस में भी बैठे हैं। इसकी भी हमें खुशी है। आज बीकानेर में ही नहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस राज में क्या हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय आप जानते ही हैं, ये भी उसी इलाके के हैं। मैं जन्मजात से कांग्रेस में रहा हूं। अंग्रेजी राज था तब हम कांग्रेस में थे। आज आये दिन कांग्रेस राज में अन्याय हो रहा है। हत्याएं हो रही हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बिल्कुल गलत।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बिल्कुल सही है। मैं रिकार्ड दिखा सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा परिवार हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए जेलों में गया है। ये जो शक्लें दिखाई दे रही हैं, हिन्दुस्तान को आजाद कराने में एक भी दिन इनमें से कोई भी जेल गया हो, गोली से भी इनका कोई आदमी नहीं मारा गया हो अगर कोई मरे हैं तो खड़ा कर दो। या मैं खड़ा हूं। (हियर-हियर) तीन चार वर्ष पहले मेरे भाई को

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

गोली से मारा गया था। क्योंकि हमारा परिवार कांग्रेस को लिपट दे रहा था। इसलिए उसको खतम कर देना चाहिऐ। मेरे भाई कालूराम इन्दलिया को डाकुओं ने मारा है। इन लोगों के हाथ में शासन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जागीरदारों के खिलाफ लोगों को सुख शान्ति दिलाने के लिये संघर्ष किया। हम हरिजन तबके को ऊंचा उठायें। यह भ्रष्ट अधिनाययाकवाद है उससे समाज को मुक्ति मिले। इसके लिए हम लड़ें हैं। उसके बदले में हमने लाठियां खाईं। उलटे हमारे उपर लाठियां चलाई गईं। हम को पीटा गया। हम को पुलिस में बन्द रखा गया है। हम झुबानी बात नहीं कर रहे हैं। जो समाजकल्याण विभाग के मन्त्री हैं जब तक ये समाज कल्याण करने वाले रहेंगे तब तक यह समाज पिछड़ा हुआ रहेगा। बीस साल में समाज कल्याण के नाम से पम्प से हवा भर कर तो बड़ा कर देते हैं। यह समाज कल्याण विभाग के नाम से पिछड़े हुए लोगों को सहायता दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा परिवार पिछड़ा हुआ है। जिसके रिश्तेदारों को डाकुओं ने खदेड़ दिया। डाकुओं ने हमारे परिवार को गोली से उड़ा दिया। आज तक यह राजस्थान सरकार, यह समाज कल्याण विभाग उन लोगों को बसा नहीं सका है। जो गांव छोड़ कर दूसरे गांव में जाकर शरण लेनी पड़ी है। अगर यह बात झूठ हो तो मन्त्री महोदय जांच करा लें। दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं, मैं तो बहुत दुःख से भरा हुआ हूं। बात सही ढंग से नहीं कह सकता हूं। चार साल पहले की घटना है। हम न तो जनसंघ में थे। प्रजा सोशलिस्ट नहीं थे। हम कांग्रेस में थे। हम को यह फैसला देते हैं, कांग्रेसी के शासन में मेरे रिश्तेदारों को गोलियों से भून दिया गया है। इनका नामोनिशान भी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शासन ने पैंनशन दी है। अगर नहीं दी है तो इन्क्वायरी करा ली जाय। उपाध्यक्ष महोदय, एक पिछड़ा वर्ग और है जिसको भंगी कहते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीस साल की आजादी में क्या किया गया। भंगी टट्टी का टोकरा सिर पर उठा कर बाजारों में निकलते हैं। लानत है राजस्थान सरकार पर और हिन्दुस्तान की सरकार पर जो भंगी टट्टी सिर पर उठा कर निकलता है। राजस्थान के हरिजन मंत्री अगर समाज के सच्चे सेवक हैं अगर वह वास्तव में हरिजन मंत्री है तो टट्टी का टोकरा सिर पर उठाकर बड़ी चौपड़ तक जुलूस में हरिजनों के साथ जायें। उनको बेचारों को पता नहीं है कि समाज कल्याण क्या है, किस तरह इस जाति को ऊंचा उठाना चाहिए, क्या आज हो रहा है हरिजनों के साथ ? इस बात का मंत्री महोदय को पता नहीं है। उनको तो देखना इतना ही है, जैसा बाबाजी हुक्म देते हैं वैसा मंत्री जी करते हैं। समाज कल्याण नाम की कोई चीज ही नहीं है···

श्री लादूराम सुलानिया : बाबाजी क्या बला है ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बाबाजी को सारी दुनियां जानती है। बाबाजी की मेहरबानी से ही यह जिन्दा है और यहां बैठते हैं। यहां बैठाने में आपकी और मेरी मेहरबानी नहीं हैं, बाबाजी की है।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और खास तौर से जो पिछड़ी जाति के विधायक कांसग्रे में बैठे हैं उनका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि इस सरकार ने हरिजनों को कितना ऊंचा उठाया है। इस बात को मैं जानता हूं और सारा हरिजन समाज राजस्थान का जानता है कि आज की राज्य व्यवस्था ने हरिजनों की क्या इज्जत कर दी है। हरिजनों की इज्जत पर धब्बा लगाया है तो वह इस राजस्थान सरकार ने लगाया है, और किसी भी सरकार ने नहीं लगाया है। आज खुले आम हमारे विधायकों की इज्जत पैसे से खरीदी जाती है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो पैसा देने का बहाना करके उनके ऊपर लांछन लगाया जाता है कि हमने इनको पैसा देकर खरीदा है। इस तरह आज हरिजनों को, आज हरिजनों के प्रतिनिधियों को इस सरकार ने और इस राज्य व्यवस्था ने गुलाम बनाकर बैठा दिया है लेकिन इस सरकार को, इस शासन व्यवस्था को मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि जो हरिजन विधायक कांग्रेस में हैं वह भी मरे हुए नहीं हैं, वह जिन्दा हैं और वह इस राज्य व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करेंगे, और इस राज्य व्यवस्था को वह खत्म करके छोड़ेंगे। आज मैं उन विधायक बन्धुओं को बधाई देना चाहता हूं जिनसे मेरी बात हुई है और जिनके दिलों में दर्द है कि उनके अधिकारों के साथ यह राज्य सरकार किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। इस राज्य व्यवस्था को हम बदल देंगे। समाज कल्याण मंत्री जी कान खोलकर और चश्मा उतार कर समझलें, हम इस राज्य व्यवस्था को बदल कर छोड़ेंगे। हमारे भीतर आग है। जो हजारों हरिजनों के ऊपर गोलियां चली हैं उनके लिए आपकी राज्य सरकार जिम्मेदार है। जो राजस्थान में हजारों हरिजनों का कत्ल हुआ है, उन हरिजनों में से किनको आपने कोई पेंशन दी है? कई हरिजनों को गोलियों से और डाकुओं से उड़ाया गया है, वह इस कांग्रेस के शासन में आपने उड़ाया है। क्योंकि आप यह समझते हैं कि अगर इनको नहीं मरवायेंगे तो यह लोग आगे आयेंगे और कुर्सियों को आपसे खोस लेंगे। इसलिए आपने उनको मरवाया है। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं।

तो मैं कह रहा था कि इस सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों के लिए क्या किया है। यह सरकार के मंत्री बहुत लम्बे चौड़ भाषण देते हैं। नेता महोदय बहुत लम्बे लम्बे भाषण देते हैं कि हमने हरिजनों को बहुत ऊंचा उठाया है। मैं मानता हूं कि आपने बहुत ऊंचा उठाया है। आज भी हरिजन गांवों में कुत्तों के साथ खेलियों में पानी पीते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं क्योंकि आपकी रिश्तेदारी मेरे गांवों में है। आज इस राज्य व्यवस्था में क्या हरिजन कुओं पर पानी भर सकते हैं? हरिजन आज कुओं पर पानी नहीं भर सकते। इन लोगों को इतना गुलाम बना दिया है, इन लोगों को इतना दबा दिया गया है कि यह लोग कुत्तों के साथ खेलियों में पानी पीते है। इन्हीं हरिजनों के लिए आप कहते हैं कि हमने इनको काफी ऊंचा उठाया है। मैं आपको बताता हूं कि आपने इनको कहां तक ऊंचा उठाया है? हरिजन कुओं से पानी लेना चाहते हैं और कुत्तों के साथ पानी

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

नहीं पीना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनके लिए अलग से पेड़ी बनादी जाय। सरकार क्या कहती है कि चलो, जो नीचे नाली निकाली जाती है उसके अलावा तुम्हारे लिए ऊंची नाली देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ऊंची नाली निकालने के बाद में पानी नीचे जायगा या ऊंचा जायेगा ? उनको पानी नहीं मिलता है और लाचार होकर उनको कुत्तों की खेलियों में उनके साथ पानी पीना पड़ता है। अगर समाज कल्याण मंत्री ईमानदार हैं और सही स्थिति जानना चाहते हैं तो वह मेरे साथ चलें। यदि किसी भी गांव में हरिजन को शुद्ध पानी मिलता होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आपका इस्तीफा मैं दिला दूंगा। मैं विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आप हरिजनों को कुत्तों के साथ पानी पिलाते हो......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप किसी के पेट पर लात मार रहे हो।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह सरकार कहती है कि हमने हरिजन और आदिवासियों को ऊंचा उठाया है, इस सम्बन्ध में मुझे भादरा तहसील की बात याद आ गई। वहां नाला, जो पानी का है, उसका मोगा, जिसमें से पानी मिल रहा था, वह बन्द कर दिया गया। इस तरह आपने इन लोगों को ऊंचा उठाया है।

दूसरी बात और बताऊं कि कैसे आपने नको ऊंचा उठाया है। राजस्थान केनाल में हरिजनों को इतने लाख एकड़ भूमि दी गई—यह बताकर आप कहते हैं कि हमने उनको ऊंचा उठाया है। अब वहां कैसे ऊंचा उठाया है, यह कांग्रेस के विधायक माननीय बीरबलजी जानते हैं। हरिजनों को इस तरह ऊंचा उठाया है कि वहां जो ऊंची जमीन थी वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन दे दी गई है। वहां पर हजारों वर्ष तक भी पानी नहीं पहुंच सकता है। ऐसी जगह पर जमीन दी गई है। यह बात मैं सही कह रहा हूं, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है। हरिजनों को भूमि दी है, जहां पर टीबा है, हरिजन जहां चढ़ नहीं सकते जहां पर काश्त नहीं हो सकती। जहां तक इन्सान चढ़ नहीं सकते वहां जमीन देकर आपने हरिजनों को ऊंचा उठाया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऊंचा ले रहे है क्योंकि उचका रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको अपने दुःख की कहानी बता रहा हूं।

बीकानेर में साढ़े चार हजार घर हरिजनों के हैं अच्छी तरह से सुन लें समाज कल्याण मंत्री। मेरा खयाल है, आप अच्छी तरह से सुन रहे है। आपको सुनाई दे रहा है ? वहां साढ़े चार हजार पिछड़ी जाति के हरिजन लोग हैं लेकिन आज तक बीस साल की आजादी के बाद भी एक भी हरिजन को पट्टा नहीं दिया गया है, केवल इस कारण से कि यह लोग हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए इनको सवर्णों के पास में, उनके

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मोहल्लों में बसने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह यह सरकार ऊंचा उठा रही है। यह बात मैं सही कह रहा हूं, जिन हरिजनों के मकान तोड़ दिये गये, उसके सम्बन्ध में पिछले सेशन में......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाड़िया जी ने भी कहा था उसके सम्बन्ध में।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैंने सवाल उठाया था और सुखाड़िया जी ने कहा था कि हम हरिजनों को ऊंचा उठा रहे हैं वहां पर साढे चार हजार में से किसी को मकान का पट्टा नहीं दिया गया है। आप अच्छी तरह से सुन लें। आप पहले इन साढे चार हजार लोगों को पट्टा दिलवाइये। आप इन्हें ज्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश मत करिये, हमें तो इस मातृ भूमि पर ही रहने दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आज तक बीकानेर ही नहीं राजस्थान में पिछड़ी जाति के लोगों को, जो हर व्यक्ति को शिक्षा के सम्बन्ध में मिलने वाली सुविधा है, वह आज तक नहीं दी गई है। जो लोगों को मकान बनाने की सुविधा है वह आज तक उनको नहीं दी गई है। दूसरी बात मैं इसके बीच में और कह दूं, नोखा, जहां से में चुनाव में जीत कर आया हूं, उस क्षेत्र में एक गांव है पांचू. वहां पर साढ़े तेरह हजार बीघा जमीन आराजी पड़ी हुई है। हमने कहा कि यहां पर जो पांच सौ हरिजन परिवार भूमिहीन हैं उनको यह भूमि दे दी जाय। लेकिन आपके लाड़ले अधिकारियों ने, एक साल हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को साफ बताना चाहता हूं कि एक साल हो गया, उसके सम्बन्ध में स्टे आर्डर दे दिया है। यह भूमि उनको एलाट नहीं करेंगे। यह भूमि तो उनको एलाट होगी जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, जो आप लोगों की दलाली का काम करते हैं, आप लोगों के एजेन्ट का काम करते हैं। उन लोगों को यह भूमि मिलेगी। जिन लोगों ने उस भूमि पर नाजायज कब्जा किया है, हजारों लोगों ने नाजायज कब्जा किया है और जिन हरिजनों ने ऐसी भूमि पर काश्त करने की कोशिश की, तो उनको गिरफ्तार करके, उपाध्यक्ष महोदय, हवालात में बन्द कर दिया गया। उन लोगों के साथ में मार पीट की गई। आज तक उन लोगों को भूमि नहीं दी गई है। मैं आप लोगों को रिकार्ड की बात बता रहा हूं। मैं एलाटमेंट कमेटी में मेम्बर की हैसियत से बैठता था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन यह कहा गया कि सरकार हरिजनों को बहुत ऊंचा उठा रही है। मैंने कहा कि ठीक है, हम वास्तव में ही बहुत ऊंचे आ गये। आज इस सरकार की राज्य व्यवस्था में हरिजन दुःखी हैं। इस राज्य सरकार को हमने समझा है, इसकी पालिसीज को हमने समझा है। मेरे ख्याल में राजस्थान में कोई इतना दुःखी नहीं होगा जितने हरिजन लोग हैं। हरिजनों ने इस राज्य सरकार को समझा है। किसी के यहां पर काली ओढ़नी ओढ़े औरत आज नहीं बैठी होगी जो हमारे परिवार में बैठी है। मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आपके जो समाज कल्याण के छात्रावास चल रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है। मैं स्वयं छत्रगढ़ गया था पिछले साल, वहां आपने लावारिशों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का अड्डा खोल रखा है । मैं उसको छात्रावास नहीं कह सकता । मैं सुव्यवस्थित-रूप से चलने वाले हरिजन छात्रों का निवास नहीं कह सकता । वह आपने एक अड्डा खोल रखा है । वहां पर हरिजनों को लाचार बनाते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं । ऐसा आपने अड्डा खोल रखा है, वह कोई छात्रावास नहीं है । मैं वहां पर मौके पर पहुंचा, 2 बोरी आटे की राज्य के दलालों ने चोरी कर ली, चोरी कर ली, पकड़े और गये । उपाध्यक्ष महोदय, 2 बोरी गेहूं के आटे के साटे में (बदले में) पुरानी जवार जो सम्वत् 2020 में पशुओं के खाने के लिये दी थी उस का आटा दिया गया । यह समाज का कल्याण किया जाता है, यह समाज का कल्याण करने वाली सरकार और इस सरकार के मंत्री अच्छी तरह से सुन लें कि आपने हमारे समाज के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, किस प्रकार का अत्याचार किया है, हम इस बात का इस हाउस में बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप इस बात को याद रखना । जब हिन्दुस्तान को आजाद करने का सवाल था तो हिन्दुस्तान के शासक अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के लोगों की बात स्वीकार नहीं की, तो बहादुर भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद और दूसरे वीर नौजवानों ने तय किया कि यह अंग्रेजों की सरकार शान्ति से हमें आजादी नहीं देगी, और उन्होंने अपना बलिदान किया देश की आजादी के लिये । आज वही अंग्रेजों वाली भावना हमें आपके चेहरों पर नजर आ रही है । हम कोई दौलत नहीं चाहते, हम हमारे अधिकार चाहते है हम शान्ति के साथ हमारे अधिकार चाहते हैं पर हमें आपके चेहरों से नजर आता है कि आप हमें शान्ति से हमारे अधिकार नहीं लेने देंगे । 20 साल तक हमारी छाती पर बैठ कर आपने हमारी लाश बना दी और उस पर आपने अपने महल बना लिये हैं, आपने अपने महल खड़े कर लिये हैं । मुझे मन्त्रीजी के चेहरे से साफ नजर आरहा है, जिस समय खोड़ में जागीरदार ने मेरे को पीटा था और उस समय जसा उसका चेहरा नजर आ रहा था, उसी तरह का चेहरा मंत्रीजी का मुझे नजर आ रहा है ···

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत आक्षेप नहीं ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, यह इनके चेहरे पर लिखा है, वही मैं पढ़ कर कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दुस्तान की आजादी से सम्बन्धित बात कह रहा था । हमारे हिन्दुस्तान को आजाद कराने वाले बहादुर लोगों की बात को जब अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं सुना तो भगतसिंह ने फैसला किया कि यह विदेशी हुकूमत शान्ति से हिन्दुस्तान को आजाद नहीं होने देंगे तो उस नौजवान बहादुर ने फैसला किया कि मुझे बलिदान देना है और हिन्दुस्तान को आजाद करना है । उसी तरह से मंत्रीजी अगर हमसे बलिदान चाहते हैं तो हम बलिदान देंगे और हम मार कर नहीं, लड़ कर हमारे अधिकार लेंगे, इसमें दो राय नहीं है । अगर हमको ये भगतसिंह बनाना चाहते हैं, अगर हमें कत्ल करना चाहते हैं, अगर हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते है तो हमारी पिछड़ी जाति के लोग

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

हजारों की तादाद में अम्बेडकर बनेंगे, हजारों भगतसिंह बनेंगे और आपका नामोनिशान नहीं रहेगा, ऐसे आज अंग्रेज नजर नहीं आते पर आप जरूर अंग्रेजों के एजेंट का काम करते हैं, आप राजाओं के दलाल हैं, आप पूंजीपतियों के दलाल हैं, आप पूंजीपतियों की दलाली करते है, उनके एजेंट हैं। पिछड़े वर्गों के लोगों का कोई सुधार नहीं हो रहा है और न पिछड़े लोगों के मंत्री ही हैं। आपने हमारे समाज को, पिछड़े वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, समाज के घर घर से, गली गली से यह आवाज आ रही है कि आपने 20 सालों में हमारा किस तरह से शोषण किया है, किस तरह से हमें धोखा दिया है। हम आपसे बदला लेंगे यह मैं खुले कहता हूं। अगर किसी को भगतसिंह बनाना चाहते हैं तो खुले कहता हूं। अगर हममें से किसी को भगतसिंह बनाना चाहते हैं तो हम आपके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं।

हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं, कोई धन नहीं मांग रहे हैं, मांगने से दोगे तो ठीक नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, हम लड़ कर लेंगे इनके घुटने टिका देंगे, इनका नामोनिशान दुनियां में नहीं रहने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व वक्ताओं ने आज और कल की बहस के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की दोनों रिपोर्टों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। इतने सारे ढेर से विचार और अगर सरकार इन विचारों को क्रियान्वित करने का विचार करे तो मेरा ख्याल है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कार्य करने चाहिये वे सारे के सारे हो जायं, क्यों कि उन विचारों में सारी समस्याओं को रख दिया गया है, उन समस्याओं के निवारण के उपाय रख दिये हैं। दो बड़े पोथे इन दो रिपोर्टों के रूप में हमारे सामने पेश है। यदि हम इनकी तालिका को देखें तो उससे जाहिर होगा कि इसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसमें काम नहीं किया गया है, इसमें सूचना उपलब्ध की जा रही है, दसों काम होना शेष हैं, अधिकारियों से मांग की जा रही है। अगर इन रिपोर्टों का यही कार्य है तो यह बिलकुल बेकार है, यह कोई कार्य नहीं है, यह तो केवल तालिकाओं का दृश्य है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सामने रख कर षडयन्त्र करना चाहते हैं, शायद यही कार्य यह सरकार विगत 20 वर्षों से करती आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व वक्ताओं ने कई उदाहरण दिये हैं कि आज भी इस वर्ग के जन जीवन के साथ अमानवीय व्यवहार दूसरे वर्गों के लोग करते आ रहे हैं। मैं इसके सम्बन्ध में एक ताजा उदाहरण रखना चाहता हूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान कल के एक पत्र की ओर जो जयपुर से निकलता है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिले में बैरवा लोगों के साथ मार पीट और अमानवीय व्यवहार वहां के दूसरे लोग कर रहे हैं, उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

चाहता हूं। इसमें जो लिखा है, वह मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

इन लोगों के अनुसार गांवों में सवर्ण लोग बैरवाओं को मुर्दा मवेशी उठाने के लिए जबरन मजबूर करते हैं और उठाने से मना करने की स्थिति में विभिन्न प्रकार की अमानवीय यातनाएं देते हैं। इसमें कुछ गांवों के नाम दिये हैं, कांकोतिया, बवराना, नगर, बरन, गायरी खेड़ी, बायमांनियां, विजयपुर, स्पोइयां, दांता, मैलियास, पचपीपला, रिछड़ा भाखलिया, कुकेदिया, रघुनाथपुरा तथा दलेसिंह का खेड़ा आदि ग्रामों के बेरवा समाज में अशान्ति फैली हुई है और लोग भय व आतंक से परेशान हैं।

रघुनाथपुरा ग्राम के बैरवा लोग काफी अर्से से मुर्दा मवेशी उठाना बन्द कर कृषि और मेहनत मजदूरी से अपनी जीविका चला रहे हैं। उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बैरवा लोगों और उनके मवेशियों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब सुन कर ऐसा लगता है कि बावजूद आजादी के बीस साल के इस प्रकार की समस्याएं और यातनाएं इन लोगों को भोगने का अवसर रह गया, ऐसा लगता है कि ये समस्याएं देश की आजादी के बाद इतने लम्बे अर्से में बहुत कुछ हल हो जानी चाहिये थीं, उनका समाधान हो जाना चाहिये था पर वह समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिये इनके समाधान के लिये क्रमवार कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम इसके लिए व्यक्ति के जीवन में उसकी शुरूआत होती है तो परिवार के बाद हर व्यक्ति विद्यार्थी जीवन की ओर प्रवेश करता है। विद्यार्थी जीवन के लिए क्या सुविधाएं हों, इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए इस ओर मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कितनी सुविधाएं मिलती है और बाकी की सारी सुविधाएं दिलाने वाले लोग ही अपने हित के काम में लेते हैं। शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के एक छात्र को छात्रवृत्ति के रूप में संरक्षण देते है और पढ़ने के लिये सहायता देते हैं। हमारे यहां झालावाड़ जिले में 4 इस तरह के छात्रावास चलते हैं, वहां के अधीक्षकों का और अधिकारियों का यह रवैया रहा है, कि मुझ से कई बार होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने शिकायत की है कि हम यहां का कार्य सम्हालते हैं पर हमारे अधिकारी कहते हैं कि हमें तो 100) रु० माहवार दिये जावो फिर मर्जी आये जैसे चलावो, साल भर जो भी मांगोगे वही मंजूर कर दिया जावेगा, पर 100) रु० माहवार हमें दिये जावो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : हमारे एक होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट का लगभग 500) रु० का बिल रुका हुआ था, उन्होंने कहा कि पिछली किश्त जमा नहीं हुई है इसलिए 50 रुपये मुझे दे जावो और 500 का बिल ले जाओ। उन्होंने बिल वापिस लेकर 50 रुपये लिये। फिर उनके आपस में झगड़ा चला और धीरे धीरे समाज कल्याण विभाग द्वारा चलने वाले छात्रावास में भर्ती का सवाल

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

आया तो भर्ती के प्रश्न पर सुपरिन्टेन्टेडेन्ट से कहा गया कि छात्रावास में भर्ती करने के लिये जिन लड़कों को भर्ती करवाना चाहते हो, उनके लिये मुझे दे जावो, लिस्ट बनाने के उपरान्त और कुछ तय करलो और जितने चाहो उतने लड़के भर्ती करवालो।

(6 म. प.)

इस कमेटी के अन्दर मैं भी मौजूद था। मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रकार का षड्यन्त्र ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने मीटिंग बुलाई और हम लोग उसमें एडजस्ट हुए। कुछ विद्यार्थियों के प्रवेश पर मैंने आपत्ति उठाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को छात्रावासों में भर्ती करने का ही नहीं है किन्तु और भी कुछ विशेष बातें देखने की होती हैं कि वास्तव में वह गरीब छात्र है या नहीं और वह छात्रालय में ही रह कर पढ़ सकता है या उसके परिवार की ऐसी स्थिति है कि वह छात्रावास में न रह कर भी पढ़ सकता है। मैंने यह देखकर ही आपत्ति उठाई थी। अधिकारी महोदय थे वह कहने लगे कि हमारी इच्छा है जिनको हम लेना चाहते हैं उनको लें और यदि आपकी इच्छा है और आप जिनको लेना चाहते हैं, आपके कुछ लड़के हों मैं उनको भर्ती कर लूंगा आप उनके नाम बता दीजिये। मेरे सामने समस्या हो गई। चाहे जो हस्तक्षेप करेगा और उनके लड़कों को ले लिया जावेगा। ऐसा लगता है कि छात्रावासों के अधिकारी और बाकी के जो कर्मचारी हैं, विभाग के कार्य करने वाले लोग हैं उनकी ऐसी ही जमात बन गयी है जो जनता का कल्याण होना चाहिये उसका वे लोग पूरा ही कल्याण कर देते हैं।

झालावाड़ की एक नई बात और आपके सामने रखना चाहूंगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का सवाल आता है तो छात्रवृत्ति की मंजूरी दे दी जाती है। प्रश्नोत्तर के दौरान एक छात्र की छात्रवृत्ति के विषय में संकेत दिलाया गया था। एक छात्र की छात्रवृत्ति करीब 400 रु० के आई। अकाउन्टेन्ट ने चार सौ रुपया न देकर तीन सौ ही दिये और यह कहा कि सौ रुपया बाद में ले लीजिये। बाद में एक विद्यार्थी से कहलाया गया कि छात्रवृत्ति बड़ी मुश्किल से आई है। मेरे निजी खर्च में सौ रुपया काम में आ गया है मैं किश्त में उसको दे दूंगा। वह रुपया रख लिया गया और उसको लौटाया नहीं गया। विद्यार्थी ने कार्यवाही की। प्रिन्सिपल महोदय ने उस अकाउन्टेन्ट को डांटा और उससे सौ रुपया उसको दिलाया गया। इस प्रकार सुविधा दी जाती है उसमें भी इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है। दुविधा इसलिये आती है कि यह सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देती है।

झालावाड़ के अन्दर गरीब लड़कों के पढ़ने के लिये पुस्तकें आई। 18 हजार के लगभग वे आई। अभी तक स्कूलों में उनको नहीं बांट पाये हैं जब कि स्कूलों का इतना टाइम निकल चुका है। सब लोगों ने अपने पैसों से पुस्तकें खरीद ली होंगी। क्योंकि बिना पुस्तकों के थोड़े ही पढ़ा जाता है। सोचा होगा उन्होंने कि शायद सरकार ने नहीं भेजी होंगी। इसलिये उन्होंने अपने पैसों से खरीद ली होंगी। इतने रुपयों की

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

पुस्तकें सरकार ने खरीदीं वह उनको नहीं मिल पायीं इसका क्या कारण ? विद्यार्थियों के पास पहुंचनी चाहिये थीं सीधी वह नहीं पहुंच पायीं इसके लिये सरकार कोई उन लोगों के विरुद्ध ऐक्शन लेगी जिन्होंने समय पर पुस्तकें नहीं भेजीं और लड़कों मे नहीं वितरित कीं ? जिन अधिकारियों के द्वारा यह किया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उनको दण्ड मिलना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार किसानों की समस्या है। शहरों में तो इस प्रकार के लोग शहरी लोगों के साथ रहने से और उनके निजी सम्पर्क में आने से शिक्षा की दृष्टि से या शिक्षा की कमी हो तो भी अपनी व्यवहारिकता के नाते अपना एक अच्छा स्तर समाज में बना लेते हैं। उनका थोड़ा सा उचित स्तर समाज में बन जाता है। लेकिन गांवों में तो आज भी वही हालत है। जो लोग निजी व्यवसाय में लगे हुए हैं जिनको सहायता मिलनी चाहिये वह उन लोगों को नहीं मिल पाती है। आज तक पहले का रिकार्ड्स उठा कर देख लीजिये उसमें यह लिखा हुआ है कि उनको सहायता दे दी गई लेकिन वह अधिकतर उनको न मिल कर उच्च लोगों को ही मिली है। यह इसका प्रमाण है। या तो उनको डाइरेक्ट सुविधा दी जाय या जिनके माध्यम से सुविधा दिलाते हैं जो बीच में ही खा जाते हैं उनको माध्यम न बना कर उनको सुविधा दी जाय। जो माध्यम बना कर सुविधा देते हैं उनको समाप्त कर दिया जाय।

जहां तक इनको भूमि आवंटन का प्रश्न है यदि यह अपना कार्य छोड़ कर खेती करना चाहें तो उसमें भी थोड़ी देरी हो जाती है। आमतौर से यह देखा गया है, जैसी निर्वाचन प्रणाली है, इन लोगों में से पंच और सरपंच बहुत ही कम चुन कर आते हैं। जीत कर आने वाले उच्च वर्ग के लोग ही होते हैं और सरपंच तो सदैव उच्च वर्ग का ही देखा गया है। ऐसी मेरी आम राय है। भूमि आवंटन में जैसी व्यवस्था है, एक सरपंच, प्रधान, विधायक की राय होती है और तहसीलदार की राय होती है। फिर पटवारी की रिपोर्ट होती है और पटवारी की सही रिपोर्ट पर ही भूमि का आवंटन किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि पटवारी रिश्वत खोर होते हैं। तहसील में क्लर्क वगैरा ऐसे लोग बैठते हैं जिनके आपस में इनकम होती रहती है, रिश्वतखोरी के कारण वास्तव में जो भूमि का अधिकारी है उसको वह नहीं मिल पाती है। जो गरीब तवका है, रिश्वत देने की स्थिति में नहीं होता है और उनके अधिकारों के लिये लड़ने के लिये कोई तबका साथ नहीं होता है तो उसको भूमि मिल ही नहीं पाती है और उसके लिये दूसरे साधन जुटाना तो बड़ी मुश्किल की बात है।

मेरे क्षेत्र के लिये, पिड़ावा और अन्य क्षेत्रों के लिये अभी भूमि आवंटन की गयी। अभी मैंने उधर का दौरा किया था तो कुछ लोगों ने शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि आपने हमें भूमि दिलायी थी लेकिन उस पर कब्जा तो दिलाया ही नहीं, हम उस वक्त गये लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि खेती नहीं कर सकते, हमने भूमि तोड़ दी। उनको खेती करने से रोका गया। ये शिकायतें मेरे पास आयीं। आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती हैं जिससे सार्वजनिक

Page No.146

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

जीवन में बाकी तबकों का बड़ा दखल होता है। जहां कहीं भी सम्पर्क रहा है, चाहे प्रशासन से रहा हो शिक्षा से रहा हो, चाहे कृषि विभाग से हो. इस वर्ग के द्वारा सुविधा प्राप्त होने हेतु कई एप्लीकेशन्स आयीं और अधिकारियों के साथ घटने वाली घटनाओं का जिक्र आया तो यह कोई ऐक्शन लें भी तो सही! केवल समाज कल्याण विभाग पर टाल देना और रोना रोते रहने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। समाज कल्याण विभाग इस प्रकार की सुविधायें दिलाने हेतु कार्यवाही करता रहा। अधिकारों के लिये लोग लड़ते रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन आंकड़ों को देखा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसमें राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। बहुत बड़ा भाग राजस्थान के अंदर है और बहुत बड़ा भाग होने के नाते एक बहुत बड़ी शक्ति राजस्थान के अन्दर है। वह शक्ति संगठितरूप से काम करे और अपने अधिकारों के लिये लड़े तो मैं कह सकता हूं कि हम अपने समस्त अधिकारों को सरकार से मनवा लेंगे। आवश्यकता है हमारा संगठन रहे और इस संगठन में एक विश्वास के साथ काम किया जाय तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखा यह गया है कि उसकी गरीबी को, उसके निम्न श्रेणी के होने के कारण, उसकी अज्ञानता के कारण इस समाज के साथ खिलवाड़ होता रहा है। अभी जो निर्वाचन हुआ, वह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस वर्ग के लोगों ने बहुत अधिक संख्या में, विरोधी पक्ष को जिताकर भेजा था। चाहे अब वे सत्ताधारी पक्ष में बैठे गये हों। वे दलील देते हैं कि अमुक कारणों से विरोधी पक्ष छोड़ा है और सरकारी पक्ष में गये हैं। वह दिन कहां गया था, जब इन्हीं लोगों ने, निर्वाचन के समय, आम लोगों के सामने यह कहा था कि इस सरकार के कदमों को हिला देंगे (हीयर हीयर)। उस समय की उनकी मनःस्थिति, व्यक्तित्व कहां गया? आपकी वह बात कहां चली गई? समय के साथ समाप्त हो गई? आज ये लोग दूसरे खण्ड में हैं। इन लोगों के साथ अन्याय होने के कारण यह वर्ग पिछड़ा हुआ रह गया। इनके उत्थान के लिये रिपोर्टस् मंगवाई जा रही है। काम करने के आदेश दिये जा रहे हैं। काम किया जायेगा। योजना बनाई जा रही है परन्तु क्रियान्वित होता कुछ भी नजर नहीं आता? उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न समाज में केवल निम्न वर्ग वालों का ही नहीं है। भारतवासियों ने अपने स्वाभिमान के साथ अंग्रेजों को निकाल दिया है और उनका विकल्प ढूंढ लिया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। समाज में परिवर्तन जब आता है तो उसमें शक्ति अपने आप आ जाती है। यह वर्ग चाहे तो संगठित होकर शक्ति को बटोर कर अपने अधिकारों के लिये लड़ें। ये मानवीय अधिकार हैं जो इन्हें मिलने चाहिए। एक प्रकार से संगठित होकर इस सरकार को ललकारें (हीयर हीयर) अधिकार हमें मिलने चाहिएं। अगर ये अधिकार मिलेंगे तो हम तुम्हारे साथ हैं अन्यथा राजवी रूपसिंहजी ने उदाहरण पेश किया है, उस तरह आप भी इनका साथ छोड़ दें।

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वे इस ऐतिहासिक तथ्य पर पुनः एक बार विचार करें, मनन करें। यह समाज के सभी स्तरों का, सम्मिलित समाज का और उसके अन्दर निम्न श्रेणी का जो वर्ग है, उस वर्ग को समाज के समानस्तर पर लाने का हम प्रयत्न करें। यह एक बड़ा प्रश्न है। हम इस निम्न श्रेणी के समाज को अपने में आत्मसात कर लें। कोई व्यक्ति समाज में किसी प्रकार का अभावग्रस्त जीवन न बितावे। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किन्तु मुझे ऐसा होने में कठिनाई दिखाई दे रही है। इस सरकार का तो एक ही कार्य है, एक ही मन्तव्य है कि किसी प्रकार से प्रशासन को चलाना। प्रशासन को चलाने का अधिकार येनकेन प्रकारेण ये चाहते हैं। चाहे इसके लिये किन्हीं लोगों को खरीदना पड़े। खरीदने के लिये इन्होंने उन लोगों का उपयोग किया, जो पिछड़ी जाति के कहलाते थे। बिकने के उपरान्त इन लोगों का क्या आत्मसम्मान रहा होगा? मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये लोग सारे उठकर कहें कि हम लोग वास्तव में इस वर्ग के प्रतिनिधि हैं तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने आपको यह कहा था कि वह आपके लिए काम करना चाहती है। इसलिए आप उसके पक्ष में चले गये। परन्तु मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेजों का राज भी नहीं रहा। राजाओं का राज भी नहीं रहा। यह ऐतिहासिक परम्परा रही है कि राज्य कभी नहीं रहे हैं किन्तु समस्याएं रही हैं। समस्याएं प्रधान रही हैं। इसका निराकरण करने के लिये समाज को समय समय पर परिवर्तन करना पड़ा है। यह परिवर्तन समाज अपने आप करता है। आज भी यही समाज परिवर्तन कर सकता है। यदि संघर्ष करें तो यह कांग्रेस सरकार क्या, देश में कोई भी सरकार आयेगी, वह आपके अधिकारों के लिए कार्य करेगी। इस समाज के प्रति हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसको हम निभाना चाहते हैं। सभी वर्गों की समान समस्याएं हैं। अगर उनका निराकरण नहीं हुआ तो यह कांग्रेस तो क्या कोई भी सरकार टिक नहीं सकेगी। यह संघर्ष जीवित रहेगा और उस समय तक संघर्षरत रहेंगे जबतक कि समस्याओं का हल नहीं मिल जाता है। इस प्रकार से समस्त वर्गों का प्रश्न है, जो समस्याएं देश में हैं, उनका निदान मिलेगा तो देश में प्रजातन्त्र भी भलीभांति रह जायेगा अन्यथा वह नहीं होगा। अंग्रेजों को निकालने के लिए इस देश के लोगों ने क्रांति की। इस वर्ग के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके समाज की जिस प्रकार की समस्याएं आज विद्यमान हैं, यदि आप संगठित होकर इस प्रश्न को हल कराने के लिए अटल रहें। संगठित होकर अपना मत प्रदान करना चाहिये। मैं आज एक तथ्य के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आयेगा और इन लोगों ने एक साथ मिलकर कार्य करने का सोचा होगा तो सरकार से एक नहीं अनेक मसले आप मनवा सकते हैं। करवा सकते हैं। दो दिन से इस रिपोर्ट को लेकर माननीय सदस्यों ने अनेक उदाहरण दिये अभावग्रस्त जीवन के पहलू को रखा है। इन पहलूओं पर इस सरकार को निदान ढूंढ लेना है। आप यह सब

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

करवा लेंगे केवल संगठित होकर, एकमत का भाव लेकर चलने की बात कर लेंगे। यह होकर के रहेगा केवल सभी साथ रहें तो।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वाले और भी माननीय सदस्य हैं। अत: भाषणों की सीमा 15 मिनट की होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोकुलचन्द : (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री बी० एन० जोशी : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि सरकार की ओर से जवाब देने के लिए कब समय दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : सब भाषण समाप्त होने के बाद।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब देश का संविधान बना उस समय देश में से छुआछूत और जो पिछड़ापन का एक वर्ग है वह दूर हो जायगा ऐसा प्रावधान रखा था लेकिन 20 साल का अर्सा बीत जाने के बाद भी उस समस्या में उस स्थिति में अधिक अन्तर नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछड़ेपन, छुआछूत और जाति-पांति का भेद समाज और विशेष तौर से हिन्दू समाज पर एक कलंक है। आज इन तमाम बातों के लिए हम सरकार को दोष देकर चलते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार के जरिये, सरकार के माध्यम से इस सामाजिक समस्या का समाधान या हल नहीं खोजा जा सकता है इसके लिए हमें एक सामाजिक क्रांति के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और सामाजिक क्रांति करनी होगी। जब तक देश में सामाजिक क्रांति के लिए परिस्थिति पैदा नहीं की जायगी, उस प्रकार के हालात उत्पन्न नहीं किये जायेंगे और सामाजिक क्रांति के लिये अग्रसर नहीं होना पड़ा तो मैं नहीं मानता कि सारी समस्या का हल होगा। आज हमारी सरकार इस 20 साल के अर्से में करोड़ों, अरबों रुपया इस वर्ग विशेष के लिए शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्ज को आगे बढ़ाने के लिये, उनको ऊंचा उठाने के लिए अपने बजट में प्रावधान करती आ रही है, रकम खर्च करती आ रही है इसके बावजूद जो नतीजे सामने आने चाहिये थे वह नहीं आये इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मानसिक दृष्टि से इस बात के लिये तैयार नहीं है कि तब्दीली की जाय। सवर्ण लोगों की तैयारी इस बात के लिए नहीं है कि हम अपने विचारों को, रहन सहन के तरीकों में किस प्रकार का परिवर्तन लायें और हमारे पिछड़े हुए उन भाइयों को जिनको अन-टचेबल कहते हैं—शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स में गिनते हैं, गले से लगायें जिसके लिए हमें समाज में सामाजिकतौर पर तैयारी करनी पड़ेगी और आगे बढ़ाना पड़ेगा।

(श्री रामनरायण चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मिशन है और जब तक इसको मिशन के तौर पर लेकर नहीं चलेंगे तब तक समस्या हल नहीं होगी। आपने समाज कल्याण विभाग बनाया और राजस्थान में करोड़ों रुपया खर्च किया है। इस विभाग द्वारा उपयोगी काम हुये हैं, हमें इसको मानकर चलना चाहिए और जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं उसके मुताबिक वह कल्पना पूरी नहीं हुई है। इसके लिए हम किसको दोष दें। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता हूं। मैं तो यह मानता हूं कि जो हम इस देश के निवासी हैं, इस प्रदेश के वाशिन्दे हैं जो हम सवर्ण हैं, दूसरे लोग और हैं जब तक हम हमारे मानसिक विचारों में तब्दीली नहीं लायेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय हमने इस समस्या के समाधान के लिये काफी कार्यक्रम बनाया है और योजनाओं के जरिये भी हमनें कार्य को आगे बढ़ाया है हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुविधाएं देने का प्रावधान किया है लेकिन समुचित उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट में प्रावधान है, वह नहीं हो रहा है। हमारे यहां समाज कल्याण विभाग छात्रावास चलाते हैं उसकी तीन श्रेणियां हैं एक तो वह छात्रावास जो सरकार के पूरे खर्चे से चलते हैं दूसरे वे छात्रावास जो अनुदानित हैं और तीसरे वे छात्रावास जो अनुदान के नाम से चलाये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन छात्रावासों के जरिये समाज कल्याण विभाग के अन्दर छात्रों को, उस वर्ग के छात्रों को शिक्षा दिलवा रहे हैं। ऐसे छात्रावासों को बन्द कर देना चाहिये। इस रिपोर्ट में उपाध्यक्ष महोदय आया है हमें ऐसी संस्थाओं को अनुदान नहीं देना चाहिये जो इन छात्रावासों को अच्छी तरह नहीं चलाते हैं विशेष तौर से उनमें अच्छे सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं रखे जाते हैं उन छात्रों का शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ने का कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि जो अनुदानित है तीसरी श्रेणी के इनको बन्द किया जाना चाहिये और राजस्थान सरकार की तरह फुल फ्लेज्ड पूरे खर्च से छात्रावास चलाये जाने चाहिये। अलग छात्रावास अलग स्कूल और अलग संस्थायें जो समाज कल्याण विभाग चला रहा है वह बन्द की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय मैं इस मत का हूं अभी वह समय नहीं आया है कि हम सब को एक साथ लेकर चल सकते हैं मानसिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं और दूसरे लड़कों के साथ शैक्षणिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने चाहियें और उनको अच्छी तरह उनके लिए संचालित किया जाना चाहिये कॉलेज एज्यूकेशन में हमें सम्मिलित रूप से शिक्षा देनें की व्यवस्था करनी चाहिये। इन्टेलेक्चुअल और दूसरे लड़कों के साथ रहकर अपना विकास कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय पानी की समस्या के बारे में यह कहूंगा हम अलग कुओं का प्रावधान न करें अलग कुए बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता। आज गांव और शहरों में शिड्यूल कास्ट के लोगों को एक साथ पानी निकालने में कठिनाई है। उनकी बस्तियों के अन्दर अलग कुओं की व्यवस्था की जानी चाहिये जो हो रही है उनको प्रोत्साहन देना चाहिये।

Page No.150

(श्री रामनरायण चौधरी)

उनके कुए अच्छे बनाने चाहियें, साफ सुथरे होने चाहिये ताकि दूसरे लोगों को जलन हो कि हमारे लोगों से अच्छे कुए हैं अच्छी व्यवस्था है ताकि लोग उधर पानी निकालने के लिये आकर्षित हों। उपाध्यक्ष महोदय दूसरा मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में मैने देखा है कि लीगल असिसटेन्स के लिए हमारी सरकार प्रावधान करती आ रही है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मुकदमों में जो कानूनी सलाह करनी होती है उसमें सहायता राज्य सरकार से मिलती है लेकिन मैंने देखा है जो प्रावधान बजट में रखा जाता है वह अधिकांश में लेप्स हो जाता है। मैं अपने जिले की कह सकता हूं। लीगल असिसटेन्स के लिए समाज कल्याण ने खर्च नहीं किया। आज हमारे इस तबके के लोग मुकदमों से बहुत परेशान हैं।

जमीन के मामले और फौजदारी के मामले चल रहे हैं। वे अपने मुकदमों का खर्चा वहन करने में असमर्थ है। सरकार की तरफ से समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनको किसी तरह की फाईनेन्शियल असिसटेन्स नहीं मिलती है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको अधिक मुकदमों में न जाना पड़े। दूसरे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि समाज कल्याण विभाग जो ओल्ड ऐज पेंशन है वह शिड्यूल कास्ट के लिए 60 साल के लिये होना चाहिये। 60-65 के जो लोग जिनको कोई सहारा नहीं है, ओल्ड ऐज पेन्शन मिलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए 60 साल हो जाने के बाद ओल्ड ऐज पेन्शन कर सकते हैं। उनके डिपेन्डेन्ट हैं, उनके लड़के हैं उसके बावजूद भी 60 साल की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद चाहे उनके लड़के, पोते-बड़पोते हों सरकार की तरफ से अनिवार्य रूप से मैं यह मानता हूं कि इनको देनी चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि इस वर्ग के लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं और विशेष तौर से जो आज समस्या है वह आर्थिक दृष्टि की है न कोई छूआछूत की न कोई पिछड़े पन की और न किसी बात की समस्या है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने की वजह से यह समस्या सामने आई है। ओल्ड ऐज पेन्शन दी जानी चाहिये। आर्थिक अवस्था की हालत में उनके परिवार की हालत जर्जरित हो जाती है। मैं सुझाव देता हूं और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों को 60 साल के अन्दर ओल्ड ऐज पेन्सन देने का प्रावधान करना चाहिये। जो दूसरी फेसिलिटीज हैं, उनको कम किया जाना चाहिए। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को यह काम दिया जाना चाहिए कि वह 60 साल का मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फस्ट क्लास का प्रमाण पत्र जो लेना पड़ता है, गरीब लोगों के लिए पिछड़ी हुई जाति के के लिये इस प्रकार का प्रमाण-पत्र वह हासिल नहीं कर सकता जिसकी वजह से वह सुविधा से वंचित रह जाता है।

दूसरी बात आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं जहां आदिवासी

(श्री रामनारायण चौधरी)

ऐरिया है, जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति आबाद हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है। जिन सदस्यों ने आदिवासी क्षेत्र देखा है वे जानते हैं कि वहां के लोगों के पास न रहने को मकान है न पहनने को कपड़ा है ऐसी हालत में विशेषतौर पर आदिवासी क्षेत्र मे व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है।

आज हम बीस साल के बाद भी उन लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रखते हैं यह विचारणीय विषय है। सरकार को खास तौर से इन आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये। उनके लिये अच्छा पीने का पानी दवा दारू मकान की व्यवस्था हो इस प्रकार की सुविधा आदिवासी क्षेत्र को देने की जरूरत है।

दूसरी समस्या एम्प्लायमेंट की है अव्वल तो मिलता नहीं और मिल जाता है तो उनके मार्ग में इस प्रकार की समस्यायें पैदा हो जाती है कि उनको छोड़कर जाना पड़ता है। अपोइन्टिंग ओथोरिटी उनसे घर का काम कराने की अपेक्षा रखती है। दूसरा वर्ग जो पुराने मान्यता रखने वाला है वह उनसे घरेलू काम भी कराने को तैयार नहीं होता इससे होता क्या है कि महीने दो महीने बाद उसको छोड़ना पड़ता है। उदाहरण की तौर पर बताऊं एक व्यक्ति मेरे गांव के पास एक इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी की नियुक्ति की वह जाति का चमार था उसको प्रधानाध्यापकजी ने नियुक्ति दिलवायी लेकिन उससे काम करवाने में वह असमर्थ थे क्योंकि घर में श्रीमतीजी उस चमार जाति के व्यक्ति से काम कराना नहीं चाहती थी आखिर उसको किसी तरह बहाना बना कर तुम गैर हाजिर रहे आदि बहाना करके उसको निकाल दिया गया। ऐसे ऐसे जो मामले होते हैं उनमें समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिये। इस तरह से जिन लोगों को निकाल दिया जाता है समाज कल्याण विभाग को उनको संरक्षण देना चाहिये। अगर समाज कल्याण विभाग इसकी तरफ ध्यान दे तो अच्छा काम हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। 1964-65 एवं 1965-66 इन दोनों रिपोर्ट्स पर विचार हो रहा है। इस पर विचार तो पहले ही हो जाना चाहिये था लेकिन इसके बारे में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इन 19 सालों में इस तरह की 15 रिपोर्ट्स सदन में प्रस्तुत हुई हैं लोकसभा में हुई। इन रिपोर्ट्स में जो पहली रिपोर्ट्स में जो बातें लिखी हुई थी वहीं बातें मुझे आज भी इन रिपोर्ट्स में मिल रही हैं। आखिर इन रिपोर्टस् को सदन के सामने रखने से क्या फायदा ? यह एक परम्परा बन गई है आयुक्त जो अपनी तरफ से सिफारिश करता है सदन में उनपर भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत किये जाते हैं उनका अमल किसी प्रकार होता नहीं।

इस रिपोर्ट के बारे में मैं कहूंगा इस रिपोर्ट को रखने की एक परम्परा सी बन

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

गई है। रिपोर्ट्स को न रखी जाये तो कम से कम हम लोगों को यह तो मालूम नहीं हो हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये अब तक कुछ नहीं कर पायी है।

(6.37 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

जो अधिकार हमें संविधान में दिये गये है उनके अनुसार हमें उपलब्ध सुविधायें नहीं दे पा रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह एक प्रकार से जले पर नमक छिड़कने वाला काम है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सदन में विचारार्थ प्रस्तुत न हो ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्य का यह कहने का मतलब नहीं है यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है लेकिन इस पर दिये गये सुझावों का राज्य सरकार पर असर नहीं होता। डागाजी आप उचक उचक कर बोल रहे हैं आप कितनी ही चापलूसी करें मंत्री मंडल में स्थान आने वाला नहीं।

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : माननीय सदस्य का कहना है कि यह गलत ढंग है इसका प्रस्तुत करना गैर जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य की यह राय है कि इस प्रकार की रिपोर्ट को भविष्य में न रखा जाय। भारतीय संविधान के अनुसार इसको केवल पार्लियामेन्ट में ही रखा जाना आवश्यक है।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय मंत्री की समझ में कमी है माननीय सदस्य कह रहे थे हम जो कमियों की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं उसकी पूर्ति नहीं करते। इसमें दी हुई बातें आप पूरी नहीं करते।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरे कहने का आशय यह था कि ऐसी रिपोर्ट्स जिनमें हमारी भलाई के लिये सुझाव दिये जाते हैं उनका पालन होता नहीं हम सदस्य-गण जो सुझाव देते हैं उन पर अमल होता नहीं तो इस रिपोर्ट को रख कर आप हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो यह मेरे कहने का आशय था जिसको आप समझे नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट्स रखी जानी चाहिये मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि नहीं रखी जानी चाहिये। कोई भी सरकार की ओर से आयुक्त नियुक्त किया जाय उसमें जो कमियां बतायी गई हैं उसकी पूर्ति न की जाय तो आखिर इस प्रकार की रिपोर्ट मंगाने से आपका क्या आशय है यह तो हमारे पर जलेपर नमक छिड़कने का काम करती है। यह बात गलत नहीं, सही है।

जितनी भी सुविधायें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के लिये संविधान ने दे रखी है वह पूरी नहीं की गई है। मकानों की समस्या के बारे में निवेदन कर दूं इन जातियों के लोगों को सवर्णों के साथ नहीं बसाया जाता इसलिये कि सवर्ण लोग चाहते नहीं। इस योजना की तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया यह राज्य सरकार की भूल है। मकान वाली जो बात बतायी उससे बड़े लोगों को लाभ पहुंचाता है। छोटे लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दूसरी बात जहां तक गांवों का प्रश्न है वहां इनको जमीन नहीं मिलती है याने इन लोगों को गांवों में भी जमीनें नहीं दी जाती हैं। मकान बनाने के लिए ऋण व अनुदान भी नहीं मिलता है। यहां राजस्थान में किसी भी शहर में पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति को एक भी प्लाट नहीं मिला है सुरक्षित करने की बात तो दूर रही। इसके अलावा पीने के पानी के संबंध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि कुओं से सही पानी नहीं मिलता है। जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जो बातें इस रिपोर्ट में अंकित हैं और आज यही हाल है कि ऊपर से पानी दिया जाता है वह कुत्तों के साथ पानी पिलाना है। इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी कमियां बताई गई हैं। उन सारी बातों को रखने का तो समय शायद मुझे नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहली बात यह कहूंगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में जो सरकार कहा करती है कि हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से गांव वालों के लिए सारी सुविधायें उपलब्ध कराई हैं.........

श्री मूलचन्द डागा : सारा इतिहास मत कहो। खास खास बात कह दो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस रिपोर्ट के पृष्ठ 12 में अंकित है और पिछली रिपोर्ट में भी बताया जा चुका है कि जब से पंचायती राज शुरू हुआ है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं पर संतोषजनक ढंग से काम नहीं हो रहा है। इस वर्ष भी कुछ ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं जिससे यह बात पक्की हो जाती है। नीचे दी गई सूचना से यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है और यह सब राज्यों में है। मैं यह थोड़ी सी बात दो-चार पंचायत समितियों के बारे में निवेदन करूंगा जो कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिये गांवों में जो समाज कल्याण के जरिये पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए रुपया दिया जाता है। जयपुर जिले का दृष्टान्त आपके सामने रखता हूं। जयपुर जिले में 1967-68 में 2 लाख 37 हजार 317 रुपया दो वर्ष का बचत चला आ रहा है 18 पंचायत समितियों में, उसमें से इस वर्ष दूसरे मदों में 1 लाख 62 हजार 241 खर्च कर दिया और जयपुर जिले में 1 लाख 55 हजार 771 रुपया पंचायत समितियों के पास अब तक पड़ा हुआ है और वह पंचायत समितियों में नहीं बंटा है। इसका खास कारण यह है कि बाहर गांवों में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके प्रतिनिधि इनमें नहीं होने के कारण जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनमें आधा भी बजट काम में नहीं लिया गया और आधा बजट तो क्या चौथाई भी बजट काम में नहीं लाया जा सका। बाकी जो बजट काम में नहीं आता है वह दूसरे कामों में लाया जाता है जैसे शिक्षा में मास्टरों के लिए और इसी तरह के दूसरे मदों में यह पैसा खर्च कर दिया जाता है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर खर्च नहीं किया जाता है तो इसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि जो रुपया लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिये खर्च किया जाता है उसमें से रुपये में 4 आना भी खर्च नहीं करते हैं और यह कहें कि हम गांवों के पिछड़े लोग

Page No.154

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं और सहूलियतें दे रहे हैं यह कहां तक उचित हो सकता है ?

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि शिक्षा पर तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो खर्च किया गया है वह हमारे राजस्थान में बहुत ही कम किया गया है। एक बात यह भी है कि पहले दो प्रतियां रिपोर्ट की दी जाती थी उसमें एक में वितरण किस प्रकार का था राज्यों में अलग अलग और उससे अलग अलग मदों में क्या प्रगति की है वह एक प्रति में हुआ करता था। अब जो आयुक्त है वह भी थक गया है कि जो रिपोर्ट वह देता है वह कार्य रूप में परिणत नहीं होती है इसलिए उन्होंने एक ही प्रति देना चालू कर दिया। इसलिए मैं इस के बारे में निवेदन करूंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर जो खर्च करने के लिये रखा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा के लिये 32.00 करोड़ रुपये की केन्द्र से व्यवस्था की गई थी, पर उनकी शिक्षा पर क्रमश: 9.28 करोड़ रुपये तथा 6.03 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इसकी तुलना में द्वितीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा के लिए 79.00 करोड़ रुपये की केन्द्र से व्यवस्था की गई थी पर उनकी शिक्षा पर क्रमश: 11.89 करोड़ रुपये तथा 8.16 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। इस हिसाब से पहली योजना में से 16.69 करोड़ खर्च नहीं किया गया। दूसरी योजना में 79 करोड़ में से 22 करोड़ खर्च किया गया और उसमें 57 करोड़ रुपये बचा लिए गये, जो कि खर्च नहीं किये गये और रिपोर्ट के अनुसार बचा लिए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी किसी प्रकार से मैं जहां तक समझता हूं रिपोर्ट में खास हवाला नहीं दिया गया है और कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जिसमें लिख दिया है कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है और अमुक वजह से नहीं मिल सकी है। तो इसके अन्दर भी रुपया बचा लिया गया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस तरह से इस रिपोर्ट में यानि अलग अलग राज्यों का ब्यौरा चाहे शिक्षा हो या कोई दूसरे क्षेत्र हो प्रगति की या नहीं की है अलग अलग राज्यों के बारे में इस रिपोर्ट में नहीं है। पिछली रिपोर्ट में शिक्षा के आंकडे दिये गये थे उसमें राजस्थान सरकार दूसरे राज्यों से पीछे रही है। 1960-61 में उत्तर प्रदेश में 4357 छात्रों को सामान्य शिक्षा मिली है और 1961-62 में 3940 छात्रों को सामान्य शिक्षा मिली है। पश्चिमी बंगाल में 1960-61 में 5535 छात्रों को और 1961-62 में 5825 छात्रों को सामान्य शिक्षा मिली है। राजस्थान में 1960-61 में केवल 447 छात्रों को और 1961-62 में 443 छात्रों को ही सामान्य शिक्षा दे सके हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान सरकार बहुत ही ज्यादा शिक्षा के संबंध में पीछे रही है।

(6.47 म. प.)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

तो मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि दूसरे राज्यों का मुकाबला हम शिक्षा के मामले में नहीं कर सकते। इसमें आपको सुधार करना चाहिए वर्ना यह पिछड़ा हुआ तबका कभी आगे नहीं आ सकेगा।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दूसरी बात मैं छात्रावासों के बारे में निवेदन करूंगा । माननीय डागा साहब ने कहा है कि छात्रावासों को अलग नहीं रखा जाये । डागा साहब अलग यहां तो इनकी बस्तियां भी बसाई जाती हैं । क्योंकि बड़े लोग अपने साथ नहीं बसने देते । तो आप जो सुझाव देते हैं कांग्रेस की ओर से ये सुझाव कार्य रूप में परिणत नहीं होते हैं और आप सत्ता में रहते है । हां, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं वरना मैं तो कहूंगा कि जो भी कांग्रेस के माननीय सदस्य सुझाव देते हैं वह खाली विधान सभा में ही सुझाव देते हैं अगर वे जबरदस्ती करके कराना चाहें तो करा सकते हैं । यह उनका खोखला सा सुझाव है ।

सहकारिता के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं । केन्द्र ने कुछ रुपया दिया है बाकी राजस्थान सरकार ने कुछ भी इसमें सहयोग नहीं दिया है । सहकारिता के बारे में इस रिपोर्ट में दिया गया है:–

आलोच्य वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में सहकारिता का काफी विस्तार हुआ है । इस कालावधि के लिये अनुसूचित जातियों की सहकारी संस्थाओं के लिये 24.49 लाख रुपये का तथा अनुचित जातियों की सहकारी संस्थाओं के लिये 85.45 लाख रूपयों का विनिधान किया गया था और खर्च क्रमश: 24.07 लाख रूपये तथा 82.73 लाख रूपये हुआ है । तो भी तृतीय योजना के पहले चार सालों में प्रगति कुछ संतोषजनक नहीं रही है क्योंकि जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है इस कालावधि में केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन 205.58 लाख रुपये का (योजना के किये गये विनिधान का 75 परसेन्ट)तथा राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन 65.16 लाख रुपये का(योजना में किये गये विनिधान का केवल ४० परसेन्ट) खर्च किया गया है। जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, राज्य क्षेत्र के अधीन केवल 98.05 लाख रुपया खर्च किया गया, जो योजना में किये गये विनिधान का केवल 55 परसेन्ट है। इस प्रयोजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है ।

अब इसके बाद में जो तालिका दी गई है उसमें भी उल्लेख किया गया हैं कि राजस्थान राज्य ने कुछ नहीं किया हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि हमने सहकारिता में काफी योग दिया है तो मैं सहकारिता के योग के लिए यह कहूंगा कि आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जितनी भी सहकारी समितियां हैं वे केवल शेयर लेकर बना दी गई हैं। बाकी उनको किसी प्रकार की लोन की या काम करवाने की कोई भी राजस्थान सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। तो मैं इन सारी बातों को कहते हुए यह निवेदन करूंगा ।

जैसा कि कल मन्त्री महोदय कह रहे थे कि हमने 12॥ प्र. श. कोटा रखा है। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) तो मैं कहूंगा कि ये सारी बातें इस रिपोर्ट में हैं । मैं यह बताने के लिए कहूंगा कि सोचना राज्य सरकार और भारत सरकार को यह है कि इन जातियों को हमें किस तरह से ऊंचा

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

उठाना है। अगर हम नहीं उठायेंगे तो हमारे देश का क्या हाल होगा। अब इन जातियों का ख्याल तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार को करना ही होगा। देश का एक तिहाई हिस्सा एक तरह से पिसा हुआ है। मैं कहूंगा अगर इनको आप योग्य नहीं बनायेंगे तो देश का अहित होगा। आप भूल जायें उस युग को। जब द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति ने एक प्रगतिशील पिछड़े हुये तबके के बालक का अंगूठा चालाकी से कटवा दिया और उसे शिक्षा देने से इन्कार कर दिया था। आप यह भूल जायें। आप इन कौमों को पीसते चले जायेंगे तो देश को वही पोजीशन प्राप्त होगी जो कि दूसरे देशों को। अभी जैसे कि जैकोस्लोवाकिया को रूस के जरिये से हुई। आप भूल जायें कि अमरिका से मदद लेनी है। आप इन जातियों को शक्तिशाली बनायेंगे तभी आप भारतवर्ष का नाम रख सकेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय 15 मिनट का निर्धारित किया था। माननीय सदस्य 22 मिनट बोल चुके हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। समय ज्यादा नहीं हुआ है। अभी 12 मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है। आप कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब बोलता हूं, तभी इस प्रकार किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के लिए समय की सीमा है। आप ऐसा क्यों सोचते है कि आप के लिए ही निर्धारित किया गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जैसा कि आप चलाते आये हैं, तो मैं यह कहूंगा कि यह हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान नहीं रहेगा। यह देश टुकडों में बंट जाएगा। आप लोगों का मनोबल नीचा करने के लिए, हरएक का दमन करने के लिए कांग्रेस ने जो हथकण्डे अपनाये हैं, उससे दूर होना पड़ेगा। क्योंकि यह जो गलत हथकण्डे हैं देश को कमजोर बनाने वाले हैं। यह गरीब तबका गरीबी से परेशान होकर भारत के कोने कोने से चिनगारी बन कर भड़क गया तो कहीं ऐसा न हो कि एक तरफ तो यह चिनगारी देश में भड़के और कोई दूसरा देश इस कमजोरी का फायदा उठाये। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा आयुक्त पेश करता है और जो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की प्रगति के लिये सुझाव दिये जाते हैं और जिन सुझावों के साथ रिपोर्ट पेश की जाती है। उन सुझावों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये, अगर इस रिपोर्ट के सुझावों को नहीं मान कर काम करते हैं, तो देश के वफादार लोगों का भी मनोबल गिराने की बात है। जो भी रिपोर्ट सदन में पेश की गई है उस पर सरकार को विचार करना चाहिये जो भी रिपोर्ट में बातें लिखी हुई है, उन पर राज्य सरकार को ध्यान देना

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

चाहिए। ताकि हम यह देख सकें कि इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर राज्य सरकार ने अमल किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर सरकार अमल करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री किशनलाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछड़ा वर्ग है, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स, हमारे विधान में एक विशेष आर्टिकल है जिसके जरिये उनमें परिवर्तन लाया जा सके। आर्थिक स्थिति में सुधार हो। आज हम देखते हैं, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की माली हालत बहुत गिरी हुई है। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उनको कर्जा देने की जरूरत है। कर्जा देने का ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है जिससे कि उनको विशेष कर्जा मिल सके। गांवों में पंचायत समितियां कर्जा देती हैं। पंचायत समितियां उन लोगों को कर्जा देती हैं जो उनके अपने आदमी होते हैं। ऐसे आदमियों को कर्जा देती है जो काफी मालदार होते हैं। जो गरीब होते हैं, उनको कर्जा नहीं मिल पाता है। भूमि बन्धक बैंक कर्जा देती है, उसमें भी शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स····

श्री उपाध्यक्ष: सदन की अनुमति से समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है।

श्री किशनलाल वर्मा : वहां आने जाने का इतना समय खराब होता है कि बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। सहकारी संस्थाओं की को-आॅपरेटिव है, वह भी कर्जा देती हैं लेकिन वह भी शिड्यूल कास्ट को नहीं मिल पाता है। वह कर्जा वही लोग ले लेते हैं और शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, वह वंचित रह जाते हैं। इसके लिए

(7 म. प.)

मेरा यह सुझाव है कि कर्जा दिये जाने के बारे में एक विशेष प्रावधान होना चाहिए और हरएक जगह पर रिजर्वेशन होना चाहिये जिसकी वजह से शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सुविधा से कर्जा मिल सके। इसके अलावा कर्जा मिलने के सम्बन्ध में जो पंचायत समितियों में धांधले बाजी चलती है उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए, एक कमेटी या बोर्ड हो जो तहसील लेवल पर हो जिसमें पांच आदमी हों, जिसमें स्थानीय एम. एल. ए. हो, तीन प्रतिनिधि उसमें हों, एक शिड्यूल कास्ट्स का, एक शिड्यूल ट्राइब्स का और एक बैकवर्ड क्लासेज का और एक एस. डी. एम. इस प्रकार का बोर्ड बन जाय तो वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए कर्जे की व्यवस्था काफी ठीक हो सकती है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अनुदान दिया जाता है उस अनुदान की व्यवस्था पंचायत समितियों के द्वारा की जाती है। इस कारण हम देखते हैं कि अनुदान गरीब आदमियों को नहीं मिल पाता है। अनुदान के जरिये वह बीज खरीद सकते हैं, अनुदान के जरिये वह कुआ खोद सकते हैं और अनुदान के जरिये वह बैल खरीद सकते हैं। आज जिनकी हालत खराब होती है उनको

(श्री किशनलाल वर्मा)

अनुदान नहीं दिया जाता है और जो मालदार होते हैं, प्रभावशाली होते हैं उनको अनुदान दे दिया जाता है । मेरा निवेदन है कि अनुदान से लोगों की हालत ठीक हो सकती है, उनको लाभ हो सकता है इसलिए डिजर्विंग पर्सन्स को अनुदान दिया जाना चाहिए ।

इसके अलावा भूमि की समस्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के सामने बहुत ज्यादा है । आज उनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है जिसके द्वारा कि वह खेती करके अपना गुजारा कर सकें । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं इनमें अधिकतर पर्सन्टेज किसान वर्ग का है उनके पास जमीन नहीं होने के कारण वह अपना जीवन निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं । जमीन देने के लिए जो एलाटमेंट कमेटी बनती है, उसके द्वारा जो जमीन दी जाती है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, उनको जमीन दिये जाने के बाद में भी जमीन का कब्जा नहीं मिलता है । उनको जमीन का कब्जा मिलने में दिक्कत आती है । जो दूसरे लोग होते हैं, वह उन पर हमला कर देते हैं और उनके हमले के कारण शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जमीन पर कब्जा नहीं कर पाते हैं । कई बार उनको मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाता है और कई तरह के मुकदमें उनके ऊपर चलाये जाते हैं जिसके कारण उनको परेशानी होती है । इसके अलावा एलॉटमेंट का प्रासीजर इतना लम्बा चौड़ा होता है कि जिसके नाम एलाटमेंट होता है, उसकी अपील पहले कलेक्टर के पास जाती है । इसके बाद डेढ़ साल के बाद में कमिश्नर के पास पहुंचती है । और फिर इस प्रकार राज्य सरकार के पास पहुंचती है । एक जमीन के एलाटमेंट को लेने में चार पांच साल लग जाते हैं । इतने लम्बे समय के अन्दर उसका इतना खर्चा हो जाता है मुकदमेबाजी में और आने जाने में कि जितनी जमीन की कीमत होती है । इतना खर्चा उसका लग जाता है । इस प्रकार की दिक्कतें और रुकावटें उनके सामने आती हैं । इन बातों के ऊपर गौर करने के लिए नियम बनाने चाहिए, विशेष तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए जिससे उनको आसानी से जमीन मिल जाय और उस जमीन का कब्जा उनको मिल जाय और बिना किसी व्यवधान या बाधा के वह उसमें काश्त कर सके । ऐसा कोई नियम बनाना बहुत आवश्यक है ।

इसके अलावा इनको भूमि दिये जाने के लिए बहुत कुछ कार्य सरकार को करना है और बहुत कुछ कार्य समाज कल्याण को करना है । आज बहुत सी जमीन ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई है, उस भूमि को सुधार करके भूमि हीन काश्तकारों को दे सकते हैं । इसके अलावा जो सीलिंग कानून है, उसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है । उसको लागू करना बहुत आवश्यक है । सीलिंग कानून को लागू करने पर लाखों और हजारों बीघा जमीन आयेगी वह जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिल सकती है । इसके अलावा बहुत सी जमीन बंजर, बेकार और सिवाय चक की पड़ी हुई है । ऐसी जमीन लाखों एकड़ की तादाद में पड़ी हुई है, वह जमीन

(श्री किशनलाल वर्मा)

इनको दे दी जाय तो जो काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है उससे इनका गुजारा चल सकता है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सी जंगलात की जमीन है जो बेकार पड़ी है, और किसी काम में नहीं आती है। वह जमीन खेती के काम में आ सकती है। ऐसी जगहों पर बड़ी तादाद के अन्दर आदिवासियों को बसाया जाय तो इनको भूमि मिल जायगी और भूमि मिलने से यह अपना काम चला सकते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है।

इसके अलावा इनको बसाने के लिए बड़ी योजनायें बनानी चाहिए और ऐसी जगह बसाना चाहिए जहां पानी की सुविधा हो, सिंचाई की सुविधा हो। अच्छी तरह से पानी मिल सके जिससे अच्छी काश्त कर सकें और अच्छे काश्तकार साबित हो सकें।

एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, जो चौकीदार मीणा कहलाते हैं, वह सांसी हैं, कंजर हैं-इन लोगों की हालत खराब है। इनके पास जमीन नहीं है। इस लिए वह मजबूर होकर चोरी करते हैं और चौकीदारी करते हैं। इससे जुर्म बढ़ते हैं। यदि आपको जुर्म को रोकना है और वास्तविक रूप से इनकी हालत को सुधारना है तो इन्हें आप इतनी जमीन दीजिये जिससे कि यह अपने परिवार का गुजारा चला सकें। आज जमीन न होने की वजह से मजबूर होकर इन्हें चोरी करनी पड़ती है और चौकीदारी करनी पड़ती है। पुलिस भी उनको इस प्रकार के कामों में लेती है, उनको मजबूर करती है कि चौकीदारी करो, उनको मजबूर करती है चोरी की तलाश करने के लिए। इस प्रकार यह निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं और परेशान होते हैं। इसलिए इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं उनको विशेष रूप से जमीन दी जावे और ऐसी जगह इन्हें बसाया जाय जिस जगह पर जमीन मिल सके, जहां वह अपने परिवार का गुजारा कर सकें।

इसके अलावा इनकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए जो व्यवस्था पंचायत समिति के द्वारा की जाती है उसमें बड़ी कमी है। उस व्यवस्था में कई प्रकार की कमी होने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने जैसा निवेदन किया, एक बोर्ड हो और उस बोर्ड में पांच आदमी हों और वह इसके बारे में निर्णय करें तो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है।

इसके अलावा जो छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं उनकी तरफ भी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के पास कोई ऐसा उद्योग धन्धा नहीं है जिसके आधार पर वह कुछ काम कर सके और देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सके। उनको कोई भी उद्योग धन्धा लगाने के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। कारखानें खोलने के लिए उनको जमीन नहीं दी जाती है, उनको पावर कनेक्शन नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई लोन नहीं दिया जाता है। उनके पास कोई फाइनेन्स के साधन नहीं हैं। कोई

(श्री किशनलाल वर्मा)

ऐसा फाइनेन्स कोर्पोरेशन नहीं है जिससे वह लोन ले सकें और उसके द्वारा हर प्रकार की सहूलियत ले सकें। इसके लिए आवश्यक है कि कोई फाइनेन्स कोर्पोरेशन हो जहां से वह पैसा ले सकें और फाइनेन्स कोर्पोरेशन उनकी मदद कर सके।

इसके अलावा जो सहकारी समितियां हैं उनमें जगह जगह पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सहकारी समितियां होनी चाहिए। वह काम करें और बड़े बड़े ठेके उनको दिये जायं, जंगलात के ठेके दिये जायं, सिंचाई की नहरों की मिट्टी खोदने का काम होता है उसका ठेका उनको दिया जाय, और भी बहुत ऐसे काम है जिनका ठेका ऐसी कोपरेटिव सोसाइटी को दिया जा सकता है और उनके द्वारा उनकी माली हालत ठीक हो सकती है। आज इस सहकारी समिति के काम में बड़ी रुकावट डाली जाती है, कोई सहकारी समिति बन भी जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। इस काम में सालों लगा दिये जाते हैं। जहां कोओपरेटिव सोसाइटी बनाने मे लोगों को फायदा हो सकता है वहां ऐसी बात होती है और इस कारण उनकी वास्तविक रूप से मदद नहीं हो सकती है।

इसके अलावा सेवा सहकारी समिति का सवाल है, ऐसी सेवा सहकारी समिति जगह जगह खोली जाय, जिनमें उनको हर प्रकार की जरूरत की चीजें सस्ती रेट पर मिल सकें और जिससे उनको सहूलियत हो सके।

इसके अलावा वन श्रमिक सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी समितियों से भी इनको मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही इनके बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोले जायं जिससे खास तौर पर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पढ़े लिखे बच्चे हैं वह वहां पर ट्रेनिंग ले सकें और ट्रेनिंग लेकर अच्छे धन्धे शुरू कर सके। इस बात की बहुत आवश्यकता है कि खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोले जायं।

इसके अलावा आज हम सर्विसेज में हालत देखते हैं तो वहां भी बहुत खराब हालत है। सर्विसेज में हम देखते हैं कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन में इनका कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया जाय ताकि जो इन्टरव्यू लेने वाला बोर्ड है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी देख सकता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ न्याय होता है या नहीं। हम आज देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कोटा होता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है क्योंकि कमीशन में बैठते हैं वह कह देते हैं कि इनका कोई योग्य उमीदवार नहीं है, इसलिए दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं उनसे उनकी पूर्ति कर ली जाती हैं। मेरा निवेदन है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा है उसकी दूसरे लोगों के द्वारा पूर्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आदमी नहीं मिलता है तो कमीशन को

(श्री किशनलाल वर्मा)

लिख कर देना चाहिए कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है योग्य उम्मीदवार भेजिये। इसके लिए नियम होने चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन को पाबन्द करना चाहिए, जो इन्टरव्यू लेने वाले बोर्ड हैं उनको पाबन्द करना चाहिए जिससे जो कोटा है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का उसकी पूर्ति हो।

शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ऊंची जगहों पर नहीं लिया जाता, सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर, फूड इन्स्पेक्टर ट्रान्सपोर्ट इन्स्पेक्टर आदि पोस्टें इनको नहीं दी जाती हैं औरों को दे दी जाती हैं और यह लोग इन पोस्ट्स से वंचित रहते हैं सर्विसेज में दूसरी बात यह है.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज में एक अलग सेक्शन ऐसा होना चाहिये कि वहां इनको सुविधा मिल सके क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम जाते ही नहीं हैं और वे सर्विसेज से वंचित रह जाते है।

इसके अलावा इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्ल्ड ट्राइब्स की सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। आज भी छूआछूत की बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि जिससे इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। सार्वजनिक कुओं पर इनको पानी नहीं भरने दिया जाता, धर्मशालाओं में इनको ठहरने नहीं दिया जाता मंदिरों में इनको नहीं जाने दिया जाता। जो कच्ची बस्तियां हैं, वहां बड़ी गन्दगी है, जिससे सामाजिक जीवन इनका बड़ा खराब हो रहा है। इन बस्तियों की गलियों को साफ सुथरी रखा जाय, वहां सड़कों आदि का प्रबंध किया जाय, रोशनी और सफाई आदि की ओर ध्यान दिया जाय तो इनका सामाजिक जीवन ऊंचा हो सकता है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इनको मकान बनाने के लिये जमीनें नहीं दी जाती हैं. नजूल लैंड है, उसके नियम बना रखें हैं कि 1) रु. गज में इनको जमीनें दी जावें पर कहीं भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें शहरों में नहीं दी गई हैं। कोई कार्यवाही करते हैं तो कई वर्ष लगा देते हैं, खाली नाम का कानून बना हुआ है, इसलिए उनको कोई जमीन नहीं मिलती है।

सरकार की कोलोनीज बसाने की योजना है पर कोलोनीं नहीं बसाई जा रही है। कच्ची बस्तियां बसाने की प्लाट्स बनाकर योजना है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

इसके अलावा जहां तक राजनैतिक स्थिति का सवाल है, इसमें भी इनका काफी पिछड़ापन है। विधान सभाओं और लोक सभा में रिजर्वेशन है पर राज्य सभा में इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, दूसरी जगह चुनाव होते हैं, उनमें भी इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इन जगहों में भी इनका रिजर्वेशन होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री किशन लाल वर्मा)

इस तरह से इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की उपेक्षा की जाती है। इन लोगों के जो अधिकार और हक हैं, वे इनको नहीं दिये जाते हैं, दूसरे लोग ही फायदा उठाते हैं। इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसके अलावा पार्लियामेंटरी बोर्ड बना दिया जावे जिनको कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जिससे जो कमिशन हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का, वह जो रिपोर्ट पेश करता है। उसकी सिफारिशों का इम्प्लीमेंन्टेशन हो सके, उसकी सिफारिशों की तामील हो सके। इसके लिये आवश्यक है कि पार्लियामेंटरी बोर्ड बनाया जावे जिससे कि इनकी उन्नति का काम अच्छी तरह से चल सके।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने सुझाव दिये हैं, इनकी तरफ सरकार ध्यान देकर काम करे तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति सुधर सकती है। जिला स्तर पर बोर्ड बनाये जावें, जिसमें कलेक्टर, एस. पी., एम. एल. ए. हों, जिला प्रमुख भी रह सकते हैं और ये बोर्ड शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की उन्नति के लिये कार्य करें और उन लोगों से जवाब भी तलब करें जो किसी प्रकार की इन कार्यों के अन्दर गड़बड़ी करते हैं। तो इससे सुधार हो सकता है।

(अनेक माननीय सदस्य बलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने 1964-65 और 65-66 की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सम्बन्ध में यह जो कमिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

आज कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार हरिजनों के उद्धार की बातें करती है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार और कांग्रेस जो 14 तारीख को एक सदस्य का राज्य सभा के लिये चुनाव होने जा रहा है उसमें यदि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को राज्य सभा के लिये टिकट दिलाते तो मै समझता कि वास्तव में कांग्रेस हरिजनों का और पिछड़ी जातियों का उद्धार करने के लिये उत्सुक हैं लालायित हैं। कहने को कांग्रेस की पूर्ण नीति हरिजनों के उद्धार के लिए है पर कांग्रेस ने किसी हरिजन को राज्य सभा के लिये टिकट न देकर एक ऐसे बड़े आदमी को टिकट दिया है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इस रिपोर्ट तक ही सीमित रखें, चुनावों के सम्बन्ध में नहीं कहेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चुनावों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कांग्रेस में और कांग्रेस के शासन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्रति सच्चा अनुराग होता तो राज्य सभा का टिकट हरिजन जाति के किसी व्यक्ति को दे देते। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड़ है, उसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 33,59,640 और अनुसूचित जन जन-जाति की जनसंख्या 23 लाख हैं। इस प्रकार इस राजस्थान की 2 करोड़ आबादी में से 56 लाख हमारे हरिजन और अनुसूचित जन-जाति के लोग है 1/4 व्यक्ति राजस्थान की कुल आबादी में से राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं। पर उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार जो इस प्रकार का नारा देती है, जिसको यह कहती है कि हमारा कल्याणकारी नारा है, मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूं ...

श्री मूलचन्द डागा : यह गाड़िया पिछड़ी जाति के हैं या किसमें हैं ?

एक माननीय सदस्य : धुमक्कड़।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बैठिये।

तो उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने देश के स्वतन्त्र होने के बाद 21 साल के अपने कार्यकाल में जो भूमि का आवंटन किया है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को जो भूमि का आवंटन किया है वह 99,681 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को और 97151 अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दोनों को मिलाकर 1,96,732 व्यक्तियों को 67 तक भूमि का आवंटन किया है। इस प्रकार 56 लाख की आबादी में से अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन करना, इसका मतलब है कि आज के राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की उन्नति नगण्य सी है।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को छोड़कर जो दूसरे लोगों को भूमि का आवंटन किया गया है, उनकी संख्या 2,82,991 है, इस प्रकार 3 लाख अन्य जातियों के लोगों को भूमि का आवंटन किया गया है। लेकिन इस प्रकार यह आंकड़े बताकर कहें कि हमने राजस्थान के हरिजनों को और अनुसूचित जन जाति के 196 हजार लोगों को भूमि का आवंटन किया है, इसके लिए उनको भूमि कितनी दी है, दूसरे लोगों के अनुपात में यह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इन लोगों को जो यह भूमि दी है वह 87,60,011 एकड़ भूमि दी है, इसमें से अनुसूचित जाति के लोगों को 38,28,07 एकड़ और अनुसूचित जन जाति के लोगों को 3,82,151 एकड़ इन दोनों को कुल मिलाकर 8,76,000 एकड़ भूमि दी है। जो भूमि का आवंटन किया है उसके बारे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 18,81,756 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को छोड़कर अन्य लोगों को आवंटित की गई है।

इस प्रकार यह भूमि का आवंटन किया है, जिन व्यक्तियों को किया गया है, इनका अनुपात 3 और 5 का है, भूमि का क्षेत्रफल है उसका अनुपात 1 और 2 है।

जो भूमि हरिजनों को और आदिम जाति के लोगों को दी गई है, वह बंजड़, कांकरीली,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पथरीली और ऐसी भूमि है जिस पर अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग काश्त नहीं कर सकते और जो 18,81,756 एकड़ भूमि अन्य लोगों को दी है, वह उपजाऊ है। इस प्रकार यह सरकार कहती है कि हमने 196 हजार लोगों को भूमि का आवंटन किया है, वह 21 वर्ष में किया है।

66 में 20 हजार व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया दिसम्बर के महीने में। 67 में जिस समय आम चुनाव आ रहे थे तो उस समय राजनैतिक लाभ लेने के लिये चुनावों में जीतने के लिये उदयपुर में मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी ने अकेले उदयपुर में तीन हजार लोगों को अनुसूचित जाति के व जन जाति के लोगों को भूमि का आवंटन किया। इसका एक मात्र उद्देश्य चुनाव में वोट लेना था।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी होनी चाहिये कि वह आवंटन अब कैंसिल कर दिया है। आपको मालूम नहीं है चुनाव जीतने के बाद।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह से अपने स्वार्थ के लिये हरिजनों का हमेशा शोषण किया है। तरक्की उनकी कुछ नहीं की है। मैं पूछता हूं गंगानगर, भरतपुर और टोंक में भूमि का आवंटन हमें क्यों नहीं किया। सरकार ने जो भूमि सुधार संबंधी विवरण पेश किया है उसमें स्पष्ट बताया है कि उदयपुर में तीन हजार अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को भूमि दी है। इनके मुकाबले में दूसरे लोगों को 3465 व्यक्तियों को दी गई जिनमें से बहुतों के पास पहले से ही जमीन थी। इसका एक मात्र उद्देश्य चुनाव जीतना था।

गंगानगर में एक भी बीघा भूमि का आवंटन नहीं किया गया। भरतपुर, डूंगरपुर में नहीं किया इसलिये कि कांग्रेस को यहां से उम्मीद नहीं थी जीत की। और सोचती थी कि विरोधी यहां हार जावेंगे। पर फिर भी वे नहीं जीत सके।

अगर आप वास्तव में इन जातियों का भला करना चाहते हैं तो साहस के साथ यहां घोषणा करिये कि राजस्थान में जितनी अवेलेबल कृषि भूमि है उसका आवंटन उस जिले में या उस क्षेत्र में जितने भी अनुसूचित जाति या जन-जाति के लोग होंगे और जिनके पास भूमि नहीं है, उनको सबसे पहले अलाटमेंट होगा। किसी भी प्रकार से वहां भूमि का तब तक नीलाम नहीं होगा।

फिर यह नीलाम भी क्या है। राजस्थान के नागरिक भूमि के लिए तरस रहे हैं. पर इस कांग्रेस ने यह कहकर कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है इसलिए इस भूमि को बेचकर पैसा पैदा करना है इसलिये पंजाब से, बम्बई से और कलकत्ता से आने वाले व्यक्तियों को आमन्त्रित करके मुख्य मंत्री सौदा करके कांग्रेस के नाम पर और कुछ व्यक्तिगत रूप से लाखों का चन्दा लेकर उन जमीनों को नाम मात्र की नीलमी पर उनको दे दिया। वे उनको कहते हैं कि राजस्थान के किसान इतने पुरुषार्थी नहीं हैं कि वे इन जमीनों पर अधिक अन्न उत्पादन कर सकें। यह कह कर वे बाहर के लोगों को आमन्त्रित करते हैं। यह राजस्थान के

(श्री देवीदत गाड़िया)

जन जीवन के साथ खिलवाड़ हैं। आज राजस्थान नहर के आसपास काफी जमीन पड़ी है उस के लिये समाज कल्याण मन्त्री जी से कहूंगा कि और उनमें हिम्मत है तो वे स्वयं हिम्मत करके कह दें नहीं तो मुख्य मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवावें कि इस नहरी इलाके में जो भूमि है वह पहले अनुसूचित जाति और जन जाति के भूमिहीन लोगों को जो उस इलाके में रहते है, दी जावेगी । ये इलाके गंगानगर, बाडमेर, जैसलमेर जिले हैं। फिर जो दूसरे लोग भूमिहीन हैं उनका कोटा निर्धारित करिये और आश्वासन दीजिये कि इस इलाके के अनुसूचित जाति और जन-जाति को प्राथमिकता दी जावेगी भूमि के अलाटमेन्ट में। यदि वास्तव में आप ऐसी घोषणा करेंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा और विश्वास करूंगा कि इस जाति के प्रति आप के दिलों में हमदर्दी है, लगन है।

उद्धार की बातें आप बहुत करते हैं। पर यह केवल राजनैतिक ढोंग है। अगर यह ढोंग नहीं होता तो मैं राज्यमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अजमेर में नारी निकेतन जहां महिलाओं को चरित्र निर्माण का नाम लेकर रखा जाता है उस नारी निकेतन में जो व्यवस्थापिका थीं श्रीमती राजकपूर×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिना पूर्व सूचना ऐसी कोई बात नहीं कहीं जानी चाहिये जो डिफेमेटरी हो। और फिर इसका सम्बन्ध भी नहीं है इस रिपोर्ट से।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पर दुःख इस बात का होता है कि समाज कल्याण के नाम से यह नारी निकेतन चलता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जो शब्द माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहे है वे एक्सपन्ज कराये जावें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द कहे वे एक्सपन्ज किये जावें।

श्री देवीदत्त : ऐसी व्यवस्था जहां नारियों का सतीत्व लूटा जावे व्यभिचार और भ्रष्टाचार का जहां बोल बाला हो, उसे सुनकर आपको ताज्जुब होगा, उस व्यवस्था में आप यह पैसा बरबाद कर रहे हैं।

अजमेर में सहकारी बाजार है। उससे सामान आता था। जब उस संस्था का आडिट करने को पार्टी गई तो उसने रंगे हाथों पकड़ा और उसके अन्दर से हजारों रुपयों का सामान गायब था नमक, मिर्च, तेल, घी, चांवल। जांच की गई, पर जांच की उस रिपोर्ट को राजनैतिक दबाव के कारण दबाया जा रहा है। रेडियो खरीदे गये फिलिप्स के नाम से, पर खोखे फिलिप्स के थे मशीन उसके अन्दर दूसरी थी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मेरा 15 मिनट का समय समाप्त नहीं हुआ दो तीन मुद्दों की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मै पूछना चाहता हूं राजस्थान में कितनी हरिजनों की कालोनी बनाई गई। झुंझुनू में मैं गया वहां हरिजनों की कालौनी देखी।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

एक घर बना हुआ है, एक कमरा है। उसी में रोटी बनाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। उसी में स्नान करते हैं। बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है।

इतना ही नहीं बारां में हरिजनों की कालोनी बनाने के लिये राजस्थान सरकार ने छ: साल पहले एक करोड़ की प्लान बनाई। गया पर कालोनी आज तक नहीं बनी। वह कहां गया पैसा? बारां की पंचायत समिति ने एक चौकी बनाई चमार लोग रहते हैं। पैसा मंजूर भी किया। पर वह पैसा गया कहां ?

शाहवजाद क्षेत्र में आदिवासी सहरियों की बस्ती बसाई सरकार ने। यह तो बहुत बड़ा स्कैंडल है जो सब जानते हैं। सन् 63 तक 86 लाख रु० खर्च किया। मेरे दल के माननीय नेता ने भ्रष्टाचार का लाखों रुपयों का आरोप लगाया। एस. एल. खुराना ने जांच की। उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, पता नहीं। सहरियों के लिये जो मकान, कुए बनाये उनमें कुए आज तक नहीं है। कहा गया सौ कुए बनाये गये। एक कुआ इरिगेशन के लिये है। बाकी कोई दस फीट का खड्डा है, कोई पांच फीट का खड्डा है।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आज तक कोई व्यवस्था नहीं, सहरिये चले गये। बड़े बड़े जमीदारों और जागीरदारों ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार ने राजस्थान के हरिजनों और आदिवासियों को भूमि का आवंटन किया उस पर बड़े बड़े जागीरदारों ने किस प्रकार से कब्जा कर लिया आदिवासियों के लिए अन्न उत्पादन के लिये केन्द्रीय सरकार ने लाखों रुपया दिया बांध बनवाने के लिए, तालाब बनवाने के लिये, नहरों के लिये, उनके लिये बांध, तालाब और नहरें बनायीं लेकिन आदिवासियों को उनका उपभोग नहीं करने देते हैं। पूंजीपति लोग कमा रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अन्त में यह कहते हुए राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों में कितने टेक्निशियन हैं, कितने इन्जीनियर हैं, कितने डाक्टर हैं, कितने कलेक्टर आपने बनाये हैं? आज तक कोई टेक्निशियन, इन्जीनियर, डाक्टर, कलेक्टर नहीं मिलेगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री) : कलेक्टर और एस. पी. मौजूद हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे मालूम है वह पहले के हैं। आपने नहीं बनाये हैं। इतना ही नहीं, उस इलाके के अन्दर शहरियों के नाम पर एक कोओपरेटिव सोसायटी बनी हुई है और उसको रोयल्टी की दो दो लाख रुपये की छूट। उन सोसायटीज पर सहरियों का कब्जा नहीं है। कब्जा है माणिक्य लाल जी वर्मा का, कब्जा है बनवारी लाल का।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने 67 के सहरियों और दूसरी पिछड़ी जाति के लोगों को गृह निर्माण के लिये प्रति एक परिवार

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

एक हजार रुपयों का अनुदान दिया। इस लिए दिया कि जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, कच्चे मकान थे वे मकान बना सकें। लेकिन राजनैतिक नेता जो कांग्रेस में रहते हैं सूची बनायी जाती है उसको गायब कर देते हैं। मसूदा के गांव में जिनके लिये सूची बनाई गई, कांग्रेस के नेता उन पर हावी हो जाते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

काफी समय हो गया है।

एक माननीय सदस्य : अन्त में कहते हुए समाप्त कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो ये दो तीन दफा कह चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्रीजी यह बतायें कि 67-68 और 68-69 में कितने लोगों को गृह-निर्माण के लिए अनुदान दिया गया ? क्या उसकी आप जांच करवायेंगे जिनको अनुदान दिया गया ? बारां में कांग्रेस के नेताओं ने फर्जी कार्यवाही करके रुपया लिया उसकी जांच करवायेंगे ? मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में पुरानी रिपोर्ट्स मंगा करके जांच करवायेंगे? इन्हीं बातों को कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय उपाध्यक्षजी,

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री आलम अली : एक ही मनिट कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन दिन से समाज कल्याण विभाग की बातां सुनवा सुं पतो चाल्यो। झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र से आयोड़ा माननीय सदस्य एक बात कही कि समाज में क्रान्ति लाओ। कैसे क्रान्ति लाओ? वह कौनसी क्रान्ति है ? एक हरिजन की लड़की ने ब्राह्मण के लड़के से ब्याह दी। एक हरिजन की लड़की जो मंत्री हा। कोई गरीब की लड़की लाता तो जानता। 36 हरिजन बैठा है। कोई क्रान्ति लाओ चाहवे तो वां की हरिजन की लड़की ने ब्याह लावे। माननीय उपाध्यक्षजी, या बातां कहवां की है। हरिजनों ने और दूसरों ने बेवकूफ बणावा की है। या लोगों में कोई हिम्मत नहीं है। हिम्मत होवे तो समाज कल्याण मंत्री अपनी लड़की ने कोई हरिजन का लड़का सुं ब्याह करावे। गरीब हरिजन का लड़का ने अपनी लड़की देगा। उसके बाद दूसरां को नम्बर आवे है। जकी बात बतायी असलियत में करवो चाहो या करवा सूं क्रान्ति आवेला। समाज के सामने सफेद होकर खड़ा हो। आप घोषणा करोगा तो बच्चा 2 मानेगा। एक ही बात म्हारे दिमाग में आयी जकी कही।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी): उपाध्यक्ष महोदय ·······

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर दें उससे पहले मैं एक ही बात निवेदन कर दूं । आज दिन भर की बहस के दौरान माननीय मंत्री जी तो थोड़ी देर यहां पर बैठे हैं वह भी भाग दौड़ में लेकिन मुख्यमंत्रीजी बिलकुल नहीं बैठे हैं । मंत्रीजी उत्तर दें उस वक्त कम से कम मुख्य मंत्रीजी का यहां उपस्थित रहना अनिवार्य है ताकि उन लोगों को पता लगे कि मेरे दल के कितने-काबिल मंत्री हैं और वे कैसे उत्तर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: माननीय उपाध्यक्षजी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1964, 65 एवं 1965, 66 के प्रतिवेदनों पर सदन में दो दिन से बहस चल रही है उसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री रामानन्द जी ने एक लोक महत्व का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है खासकर बस्सी और दौसा क्षेत्र में चमार और मीणा लोगों की जातियों के बीच में कुछ केसेज हुए एवं अन्य कई बातों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये एवं उसके द्वारा यह मांग की है कि एक कमीशन बिठाया जाय जो यह जांच करे कि उनके साथ साथ क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, जहां तक मेरे विभाग से उस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि मैं उन बातों का भी इस बहस के उत्तर के साथ उसका भी जवाब दे दूं ।

एक चीज जो बहुत जोर शोर से कही और खास कर विरोधी दल के नेता महोदय ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सन् 1964-65 और 1965—66 की रिपोर्ट आज सदन में लायी जा रही है एक प्रकार से इसका पोस्टमार्टम सा डिस्कसन है । विभाग ने ढिलाई बरती और तीन वर्ष पूर्व इसको प्रस्तुत नहीं किया । माननीय सदस्य जो विधान सभा के सदस्य हैं उनको नियमों का ज्ञान होना चाहिये । यदि जानकारी होती तो कोई भी समझदारी से यह बात नहीं कहता । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह सूचना देना चाहता हूं कि किसी भी वर्ष की रिपोर्ट उस वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद अगले वर्ष राष्ट्रपति संविधान की धारा 340 के अन्तर्गत एक कमीशन शिड यूलकास्ट और शिडयूल ट्राइब्स के लिये अपोइन्ट करते हैं उसके बाद कमीशन रिपोर्ट सरकार के पास विचारार्थ भेजता है और इम्पलीमेन्टेशन के लिये गवर्नमेन्ट केबिनेट डिसिजन लेकर तैयार करती है तब वह उस फार्म में आर्टिकल 340 के सब-सेक्शन 4 के तहत पार्लियामेन्ट के सामने पहले पेश होनी चाहिए और भारत की पार्लियामेन्ट पहले उस पर डिस्कशन कर ले उसके बाद ही विधान सभा डिस्कस कर सकती है और पहले डिस्कशन करने की कोशिश करे तो कन्टेम्प्ट ओफ पार्लियामेन्ट होगा और वह कर भी नहीं सकती । दो ढाई वर्ष बाद जब भारत की पार्लियामेन्ट उस पर डिस्कशन कर लेती है तब ही वह यहां पर भेजी जाती है ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि सन् 64-65 की रिपोर्ट व 65-

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

66 की रिपोर्ट जिसके बारे में यह कहा गया कि डिपार्टमेन्ट ने इसके संबंध में बड़ी निष्क्रियता बरती है। यह रिपोर्ट अगस्त, 67 में राज्य सरकार के पास आई। 65-66 की रिपोर्ट अक्टूबर, 67 में राज्य सरकार के पास आई। उसके बाद विधान सभा का पहला सेशन हुआ है। बीच में राष्ट्रपति का शासन आ गया। उसकी वजह से सेशन नहीं हुआ। सिर्फ अप्रेल, मई में एक सेशन बीच में चला उसके बाद मैं अर्ज करूंगा यह सेशन हुआ। पहली अप्रेल को विभाग के लोगों ने इसको प्रचारित कर दिया। सचिवालय ने विधान सभा को भेज दिया। 4 अप्रेल को विधान सभा की टेबल पर रखने का तय हुआ। किन्तु पिछला सेशन दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति आने के कारण जल्दी स्थगित हो गया और इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सका। मैं समझता हूं कि कोई भी देरी विभाग की ओर से नहीं हुई। इसको पिछले सेशन में ले लिया गया था। सदन अपने कारणों से इसको डिस्कस नहीं कर सका।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : डिले का सदस्यों का सरकार पर आरोप है। उनका कहना है कि सरकार ने इसको लेट (Late) रखा है। उनका कहना था कि अर्लियेस्ट अपार्चुनिटी पर डिसकस होना चाहिये। क्या इस रिपोर्ट का महत्व कम था क्योंकि यह शिडयूल कास्ट और शिडयूल ट्राइब्स के बारे में रिपोर्ट थी ?

श्री वी० एन० जोशी : आप समझने की कोशिश कीजिये। माननीय सदस्य जो दोनों तरफ बैठे हैं, हम सब भारतीय संविधान की शपथ, वफादारी से लेकर इस सदन में बैठे हैं। हम सब लोगों का यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसकी रक्षा करेंगे और उनको बढ़ावा देंगे। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिसको दलीय आधार पर सोचा नहीं जा सकता। इसको दलीय आधार पर नहीं देखा जाना चाहिये। इनके हितों का संरक्षण, रक्षा करना है। इसके लिये सरकार और समाज का दोनों का उत्तरदायित्व है। जितना इधर का है, उतना उधर बैठने वालों का भी है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : भारत सरकार ने यह कमीशन बिठाया और जब भारत सरकार विचार कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी तब जाकर आप यहां विचारार्थ पेश करेंगे। हमारे राज्य में दस साल से समस्यायें बढ़ती रहीं और भारत सरकार उस पर कमीशन बिठावे ! यह कर्तव्य आपका था कि यहां की समस्या के लिये आप कमीशन नियुक्त करते ? तत्काल इसकी व्यवस्था कर कदम उठाते। यह जिम्मेदारी आपकी थी। आप जिम्मेदारी से परे चले गये। ये सब बुराइयां, गैर जिम्मेदारी आप कायम कर रहे हैं।

श्री वी० एन० जोशी : दिल्ली का मतलब ?

श्री हीराभाई : हमको पूछते हैं। दिल्ली की घंटी हम नहीं मानेंगे। यहां की समस्या, यहां के रोग के लिये दवाई आप दिल्ली से क्यों लायेंगे ? हमें इसका निदान यहां करना है। आप दिल्ली का नाम लेकर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : आपकी बात गलत है। इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है।

श्री बी० एन० जोशी : माननीय सदस्य ने जो बातें अभी कहीं, उसके लिये मुझे दुख है। माननीय सदस्य का इसमें कोई कसूर नहीं है। असल में उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत के संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को ही इस प्रकार के कमीशन नियुक्त करने का अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार ···

श्री हीराभाई : अगर राज्य सरकार समस्या हल न करे, अगर राज्य सरकार व्यवस्था करने में असफल हो तो राष्ट्रपति कमीशन बिठावे, ऐसी मेरी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य इससे तो आप भाषण दे देते।

श्री बी० एन० जोशी : मैं सदन का संविधान की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय······

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा। यह अकाट्य सत्य है कि अर्लियेस्ट अपॉरचुनिटी पर रिपोर्ट इस सदन में डिस-कस होने के लिए पेश नहीं की गई है। यह अर्लियेस्ट अपार्चुनिटी पर सदन में डिसकस होनी चाहिये। आप दूसरे मुद्दे रखें।

श्री बी० एन० जोशी : विभाग ने इसको 4 अप्रेल को ही भेज दिया था। यहां आपके सचिवालय को दे दी थीं। उसके बाद विधान सभा का पहला अधिवेशन अप्रेल, 68 में हुआ। पिछले सेशन में जिस दिन इसको रखा, हाउस इसको डिसकस नहीं कर सका था। यह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सत्य है कि रिपोर्ट आपको अक्टूबर, 67 में प्राप्त हो गई और 4 अप्रेल को आपने इसे रखा। तीन महीने तक जब सेशन चला तो आपने क्यों नहीं रखी ? 4 अप्रेल को सेशन समाप्त हो रहा था और उस दिन आप रिपोर्ट रखते हैं ?

श्री बी० एन० जोशी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है, जिसके लिये समाज के हम सभी लोगों को, सदन के सभी माननीय सदस्यों का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है, यह हम सब लोगों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। भारत के संविधान के अनुसार यह रिपोर्ट हमारे पास आई है, जिसकी वफादारी की शपथ खाकर हम यहां बैठे हैं। माननीय सदस्यों ने जो एटीट्यूट लिया भाषणों के दौरान और शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के कल्याण के विषय को दलगत राजनीति के दायरे में लिया है। यह उचित नहीं है। इस प्रकार हम अपने कर्त्तव्य से विमुख होते हैं। हम एक प्रकार से उनके हितों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। इसमें हम किसी का हित नहीं है। इस विषय पर हमें कम से कम संजीदगी से विचार रखने चाहिये थे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, रामानंद जी का प्रस्ताव है। कमीशन नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ..

श्री वी. एन. जोशी : उन्होंने कमीशन की मांग की है। यह डिपार्टमेन्ट से सम्बधित है••••••

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इधर देखकर बात करें।

एक माननीय सदस्य : (बहुत जोर की आवाज में)

एक बात का ध्यान रखियेगा आप जो कोई बात कहें वह आसन को सम्बोधित करके और आसन के सामने देखकर कहें। यह एक आदत बन जायगी माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहें हैं तो आप ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, उस पर कमीशन नियुक्त••••••••••

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय सदस्य का भाषण सुनने को तैयार नहीं है तो आप अपनी तरफ से दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री वी० एन० जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मेरा इस विभाग से सम्बन्ध बहुत ही अल्पकालीन रहा है जैसा माननीय सदस्य जानते हैं करीब 10-11 सप्ताह का सम्बन्ध है। इसलिये यह बात स्वीकार करने में मुझे संशय नहीं कि मेरा इस विभाग का बहुत लम्बा अनुभव नहीं है फिर भी मुझे खुशी है इस सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने कीमती सुझाव दिये हैं मैं इस बात के लिए, और मेरा विभाग जो सुझाव दिये हैं उससे लाभान्वित हो और उसकी रोशनी में इस विभाग के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाय, पूरा प्रयास करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सुझावों का सवाल है बहुत संजीदगी के साथ जो जन प्रतिनिधियों के सुझाव या जन प्रतिनिधि द्वारा बताये हुए तथ्यों पर जितना संजीदगी से विचार किया जाना चाहिये उतना जरूर किया जायगा। आप इस विश्वास को लेकर चल सकते हैं। विभाग यथासम्भव समाधान करने की चेष्टा करेगा।

एक बात मैं कहना चाहूंगा इस बारे में जो क्षोभ प्रकट किया गया है सदन के दोनों ओर के सदस्यों द्वारा कि आजादी के 20 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज अनटचेबिलिटि को पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर सके हैं। आज किसी न किसी रूप में अनटचेबिलिटि मौजूद है। गांवों में खासतौर से उग्र रूप धारण किया हुआ है। इसमें दो राय नहीं है। हम सबके लिये, सरकार के लिये, सदस्यों के लिए, जन प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही क्षोभ का मामला है, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती है। सरकार यथा शीघ्र इस बात पर विचार करेगी कि अस्पृश्यता का पूर्णरूपेण उन्मूलन कर दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं जहां तक सामाजिक प्रथाओं के सुधार का सवाल है, हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते हैं केवल लेजिसलेशन से, केवल कानूनी प्रावधानों से, केवल विधान सभाओं के द्वारा हम किसी प्रकार का कानून पास करदें और उसी से समझें कि सामाजिक सुधार हो जाएगा। सामाजिक सुधार के लिए यह आवश्यक है कि जनमत को जागृत किया जाय••••

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय······

श्री उपाध्यक्ष : बाधा उपस्थित नहीं कर।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं, कमिश्नर के द्वारा लिखी गई हैं कि जितना पैसा भारत सरकार से मिला है, वह खर्च करना चाहिए, राज्य सरकारों को वह सरकार ने पूरा नहीं किया है······

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : जो धन हरिजनों के कल्याण के लिए दिया गया वह खर्च नहीं किया गया है.····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो आप बराबर हस्तक्षेप करें, यह ठीक नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजनों को मिलना चाहिये थे वह नहीं मिला·······

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आपको कल याद नहीं आई ?

श्री लादूराम सुलानियां : ये तोभाषण दे रहे हैं जवाब थोड़े ही दे रहे हैं।

श्री बी० एन० जोशी : बड़े क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य धीरज नहीं रख रहे हैं। यह काम ऐसा नहीं है कि कानून बनाने से गवर्नमेंट आर्डर निकालने से सुधार हो जायगा। जनमत को जागृत किया जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि यह सम्मिलित जिम्मेदारी है। समाज में जो जन प्रतिनिधि हैं, उन सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है कि जनमत को विकसित करें, जागृत करें इस प्रकार शिक्षित करें कि समाज में वे इसको अभिशाप समझने लगें कि समाज में इसका उन्मूलन हो। मैं आपको बताऊं शारदा एक्ट बना, बहुत काफी अर्सा हो गया उसके बावजूद भी हजारों, लाखों परिवारों में 5-7 वर्ष के यहां तक के 6 महीने के बच्चे बच्चियों की शादियां इस हिन्दुस्तान में होती हैं। क्या कारण है, क्यों होती है कानून बना हुआ है। इसलिये होती है कि असलियत में जनमत नहीं है। केवल सरकारी आदेशों को निकालने से काम नहीं चलेगा। सारे सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं का काम है। मै अपील करूंगा सदन के समस्त माननीय सदस्यों से वे भी अपना योग दान दें।

श्री लादूराम सुलानिया : आप शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये अलग कुओं का निर्माण, उनके लिये अलग होस्टल वगैरह को खतम करके उसको खतम किया जाय। एक मकान हो जाय, इस प्रकार का पब्लिक ओपीनियन बनाया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आजादी के 20 साल बाद भी इस प्रकार की पब्लिक ओपीनियन नहीं बना पाये तो क्या भाड़ झोंका है।

श्री वी० एन० जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात का सब्र रखेंगे, पेशेन्श रखेंगे तो जो एक एक माननीय सदस्य ने मुद्दे उठाये हैं, उनका मैं जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप महत्वपूर्ण मुद्दों तक ही सीमित रखेंगे, बातें तो बहुत उठाई गई हैं।

श्री वी० एन० जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुःख कि बात यह नहीं है कि अस्पृश्यता समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बड़े दुख की बात तो यह है कि जो शिड्यूल कास्ट के भाई हैं, उनमें भी विभिन्न जातियां हैं और बदकिस्मती है कि उनमें आपस में भी एक दूसरे में अस्पृश्यता विद्यमान है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानियां : हम सारे हरिजन एक हैं। यह बिलकुल गलत उत्तर देते हैं। हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ×× बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ×× शब्द को एक्सपंज किया जाय। कृपया शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जितने भी मुद्दे इस रिपोर्ट में, जितने कार्य सरकार को करनें चाहिये थे, उनमें कितने कार्य सरकार कर पाई, उन बातों को नहीं बता करके····

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय माननीय मंत्री महोदय, के उत्तर समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री वी० एन० जोशी : मैने जो बातें कहीं हैं प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात को जानता है। एक कुंवा गांव में बनवाया जाता है चमार भाइयों के लिये लेकिन चमार जिस कुए से पानी लेते हैं रेगर या खटीक उस कुए से नहीं लेंगे। यह जो आप में जातीयता और उप-जातीयता है उसको आप दूर करें।

(8 म० प०)

श्री लादूराम सुलानियां : कौनसे गांव का यह किस्सा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कई गांवों में यह स्थिति है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पोइन्ट आफ ऑर्डर सर, माननीय मंत्रीजी यह चाहते हैं कि हम इनको आपस में लड़ा कर अपना उल्लू सीधा करें यह होने वाला नहीं। आप क्या ऐसा कोई मुकद्दमा बता सकते हैं जिसमें इस तरह का मामला हुआ हो और वह मामला अदालत में गया हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात बता दीजिये कि माननीय मंत्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं आप इस तरह से हर मिनट पर हस्तक्षेप करते जायेंगे तो किस तरह से कार्य चलेगा। आप कृपया सुन लीजिये उसके बाद अगर कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ लीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : आप सरासर ×× बोलते जाये और हम कुछ न कहें।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य काफी पुराने हैं आप यह जानते हैं ×× शब्द असंसदीय है। इसको संसदीय भाषा के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता आप इस छोटी सी बात पर ध्यान रखें। आपका कहा हुआ ×× शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया: उपाध्यक्ष महोदय, ×× बात को हम ×× ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं आप इनको ×× बोलने से रोकिये ये गलत बातें न कहा करें। आप एक भी मुकद्मा बताइये जो इस तरह का कहीं दर्ज हुआ हो।

श्री श्रवणलाल : आखिर यह समस्या किसने पैदा की हरिजनों के लिये अलग कुए क्यों बनवायें ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : कोई बात मंत्री महोदय द्वारा सदन में कही जाय और वह सत्य नहो तो उसके लिये क्या हम ऐतराज नहीं कर सकते ? जिस प्रकार का वातावरण मंत्री महोदय बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्ज को आपस में लड़ाना चाहते हैं क्या यह उनके लिये उचित है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

(अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, बार बार माननीय सदस्य कह रहे हैं मंत्री महोदय ×× कह रहे हैं। यह शब्द असंसदीय है अतः इसको कार्यवाही से निकालने के आदेश दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गिरधारीलालजी मैने जितनी दफा ×× शब्द प्रयोग हुआ उसको निकालने के आदेश दे दिये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बार बार इस तरह से उठ उठ कर मंत्री महोदय को बोलने में बाधा पहुंचाई जा रही है इस प्रकार की बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार का जोश ट्रेजरी बेन्चेज द्वारा बताया जा रहा है वह जोश बताने का समय नहीं है। माननीय सदस्य अपनी भावनायें प्रकट कर रहे हैं इसमें जोश का सवाल नहीं होना चाहिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्षजी

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है उसके बारे में वे बतावें क्या कहीं मुकद्मा भी चला है···

श्री उपाध्यक्ष : आप बाधा न डालिये। बोलने दीजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि हरिजनों में आपस में छुआछूत है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि समाज-कल्याण विभाग के सामने ऐसा कोई केस आया है क्या ? समाज कल्याण-विभाग द्वारा जो कुए बनवाये गये क्या उन कुओं पर पानी भरने में इस प्रकार की दिक्कत आई है। आपस में किसी का झगड़ा हुआ हो ऐसा कोई केस दर्ज किया है तो बतलाइये।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न मुद्दे उठाये अब मैं उनको लेना चाहता हूं। माननीय श्री सुखाड़ियाजी ने लेण्ड अलॉटमेंट के बारे में कहा कि कई तरह की अनियमिततायें हो जाती हैं और सब से खराब जमीन जो होती है वह दे दी जाती है। उसमें प्रोसीजरल लेकूना रहने की वजह से कब्जा होने में देरी हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल हरिजनों को ही जमीन अलॉट करने में इस प्रकार की देरी हो जाती हो यह बात नहीं है। कुछ कमियां रूल्स में और कानून में हैं जिसके कारण शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्ज के लोगों को जो जमीन अलॉट की जाती है उसमें देरी हो जाती है। अधिकारियों को कानून की जानकारी के अभाव में नियमों की जटिलता के कारण कुछ खामियां रह जाती हैं तो उनको दूर करने के लिये प्रयत्न करेंगे। अब हम यह अधिकारियों को सूचित कर देंगे जमीन के मामले में पूरा नोटिस दिया जाय, सूचना दी जाय किसी भी तरह का प्रोसीजरल लेकुना न रहने दें। जिससे भविष्य में इस प्रकार की अड़चनें न आने पावें।

श्री लादूराम सुलानिया : इस तरह के कब्जों में जो मुकद्में इन लोगों पर चलते हैं उनका खर्चा समाज-कल्याण विभाग दे।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दौसा और लालसोट में बस्सी क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण झगड़ा हो गया था उसके बारे में कहा गया कि राज्य सरकार उदासीन रही है। राज्य सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया झगड़ा होता रहा और आदमी मरते रहे।

मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं इन झगड़ों की शुरूआत के कारण करीब 200 आदमियों को जिनसे यह अन्देशा था कि ये लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के मार-पीट झगड़ा आदि कर सकते हैं इनके विरुद्ध 107 जा० फौ० के तहत कार्यवाही करके इनको रिटेन किया गया है। 66 व्यक्तियों को जुडिशियरी के सुपुर्द कर दिया और बाकी को मुचलके लेकर छोड़ा गया है। मुलजिम करार देने के बारे में अभी मैंने वहां एस. पी. को ट्रंककाल करके पूछा है उसने कहा है बिदरखा के मामले में 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनड़ का जो किस्सा था उसमें मर्डर केस में भी 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव के अन्दर पुलिस काफी मात्रा में उपस्थित थी जहां जहां पर भी हमें टेन्शन की आशंका थी, उन सभी स्थानों पर पुलिस को लगा दिया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई होती तो कितने गांवों में यह आग फैलती यह कहा नहीं जा सकता। सरकार की तत्परता से इतनी जल्दी शान्ति स्थापना हो सकी। इसकी जानकारी के लिये पार्लियामेंट की टीम भी आयी थी वे उन गांवों में गये उसके बाद जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जागरूक थी यह वक्तव्य पार्लियामेंट मेम्बरों ने दिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : सियालका गांव में जहां बैरवा का मर्डर हुआ वहां पर आपने क्या किया•••····

श्री उपाध्यक्ष : आप हर मिनट पर इन्टरप्ट करेंगे तो नहीं चल पायेगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : होस्टल्स के बारे में जो समाज कल्याण विभाग चलता है उसके बारे में जिक्र किया। कई सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि इन होस्टल्स को बन्द किया जाना चाहिए और जनरल होस्टल्स के साथ इनको मिला दिया जाय और उनमें इन छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर पढ़ाया जाना चाहिये अलग छात्रावास न रखे जायं।

माननीय सदस्य भावना से प्रेरित होकर यह बात कह गये अगर इस सुझाव को मान लिया जाय तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का ज्यादा नुकसान होगा। जनरल होस्टल्स तो सब जगह हैं नहीं। आज समाज-कल्याण विभाग की ओर से गांवों और कस्बों तक में छात्रावास खोले गये हैं। इनकी संख्या दर्जनों की तादाद में है। जनरल होस्टल्स में कितना खर्चा आता है यह अनुमान आप लगा सकते हैं। समाज कल्याण के होस्टल्स में किताबें फ्री, कपड़े फ्री, साबुन, तौलिया फ्री मिलते हैं जब कि जनरल होस्टल्स में यह सुविधा नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको खर्चा करना है तो फ्री दिलाकर सोसायटी के बराबर कीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दे रहे हैं हम।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ज्यादा खर्चा करके जनरल होस्टलों में रखिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं सुझाव दूं कि जो जनरल होस्टल्स हैं उनमें भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पढ़ने आवें तो वहां भी सुविधाएं दी जा सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि अलग होस्टल हों तभी वे सुविधाएं मिलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप उनके बराबर सब को साथ रखिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनावें तो समाज कल्याण के कामों को समझ सकते हैं। 212 स्थानों पर उसके होस्टल चल रहे हैं जबकि जिले के बड़े बड़े सदर मुकामों पर ही होस्टल मिलेंगे वहां ये लालसोट में मिलेंगे वहां जनरल होस्टल नहीं है, सिकराय में मिलेंगे, बांदीकुई में मिलेंगे। यहां कहीं जनरल होस्टल नहीं है। तो इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि जनरल होस्टल बहुत कम जगह पर हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यतीमखाने खोल रक्खे हैं ये आपने। भिक्षुकों की तरह रख रखा है।.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राजस्थान के समाज-कल्याण विभाग के नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है कि कोई भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का विद्यार्थी अगर जनरल होस्टल में रह कर विद्याध्ययन करना चाहता हो तो उसको हम 40) माहवार की विशेष सहायता देते हैं। अलावा उस सहायता के जो भारत सरकार की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट या मैट्रिक वाले विद्यार्थी को स्कालरशिप मिलती है उसमें चालीस रुपया और दिया जाता है।

(तालियां)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह सुविधा किन किन जिलों में कितने कितने विद्यार्थियों को दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : नया इश्यू डिबेट में नहीं इन्ट्रोड्यूस किया जावे ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके आंकड़े आप चाहेंगे तो अभी नहीं तो बाद में दे दूंगा ।

छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में काफी चिन्ता सदस्यों ने प्रकट की । वैसे यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । जहां तक इन होस्टलों का सवाल है उनके प्रबन्ध को ठीक करने के लिये हमने यह व्यवस्था की है कि पहले जहां एडमिशन तक के लिये एक कमेटी होती थी, अब हमने निर्णय लिया है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट को बाद में भी कभी गड़बड़ी करने का मौका न मिले, और पूरा फायदा विद्यार्थियों को मिल सके इस दृष्टि से पांच पांच व्यक्तियों की प्रत्येक होस्टल के लिये एक सलाहकार समिति बनाई जावेगी । जो एडमिशन के साथ-साथ इसके पूरे मैनेजमेन्ट को भी बराबर देखेगी, सुपरविजन करेगी और नियन्त्रण के विषय में सलाह देने का भी इसको अधिकार होगा । इन पांच व्यक्तियों में एक हैड मास्टर होगा, एक एम. एल. ए. होगा, वह नहीं जा पावे किसी कारणवश तो उसका मनोनीत सदस्य होगा, पंचायत समिति का प्रधान होगा, दो उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता होंगे । एक जनरल और एक शिड्यूल कास्ट या शिड्यूल ट्राइब्स का होगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आल इण्डिया रेडियो की न्यूज है कि एम. एल. ए. नोमिनेट करेगा तो नामिनी कौन होगा ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कोई भी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह अच्छी बात है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक सप्ताह में इसके आदेश जारी हो जावेंगे । निर्णय लिया जा चुका है ।

माननीय शंकरलाल जी ने अपनी डिबेट के दौरान में यह सुझाव दिया था कि इवेल्यूएशन और कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं होती । राजस्थान में पहली बार हमने समाज-कल्याण विभाग के माध्यम से जितना रुपया खर्च हुआ है उसका समुचित उपयोग हुआ है या नहीं, पहली मर्तबा जांच कराने के लिये, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिये हमने एक इवेल्यूएशन कमेटी मुकर्रर की है । उसकी पहली बैठक हो चुकी है । दूसरी बैठक सितम्बर महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने वाली है यह सूचना के लिये कह देना चाहता हूं ।

इसके अलावा यह भी फरमाया गया कि एक कोई राज्य कर्मचारी जाखेटिया है अकाउन्टेन्ट उन्होंने अपने दफ्तर में इस प्रकार का आदेश प्रसारित किया कि मेरे पीने के पानी के घड़े को एक व्यक्ति के अलावा हाथ न लगावे इसने इस तरह से छुआछूत की मनोवृत्ति का परिचय दिया । यदि माननीय सदस्य इस बारे में पूरे फैक्ट्स देंगे तो जांच कराई जाकर उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य के कहने मात्र से ही, या साबित होने पर ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जांच तो करानी ही पड़ेगी। साबित होने पर सजा दी जावेगी।

श्री लादूराम सुलानिया : आज तो गोकुल प्रसाद जी महात्मा गांधी बन रहे हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने लीगल एड के लिये कहा। जहां तक लीगल एड का सवाल है उसके लिये हम तो प्रावधान करते हैं। पर खेद है कि उसको काम में आज तक नहीं लिया गया और पिछले साल 10 हजार का प्रावधान था जो लैप्स हो गया। इसका कारण एक तो यह है कि या तो लोगों को पता नहीं था या विभाग लोगों को समझा नहीं सका और इस तरह से इस सहायता के लिये लोगों ने दरख्वास्तें नहीं दीं। मैं मानता हूं यह विभाग का कर्तव्य था उसको जानकारी करानी चाहिये थी। अब जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस साल हमने 10 हजार का प्रावधान किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे का इस साल उपयोग कर लिया जावेगा। कमी रहेगी तो ज्यादा रुपया लाने का प्रयास करेंगे। हम सारे राजस्थान में जानकारी भी दिलावेंगे। आपको मालूम होना चाहिये कि हमने इसके लिये काम शुरू भी कर दिया है। कोटा में, एक शहरियों को बड़ी दिक्कत आ रही थी। वे लोग मेरे पास आये और उनकी सहायता के लिए फण्ड्स में से रुपया इस साल दिया गया है और परमानेन्टली एक स्टेन्डिंग कौंसिल कोटा में और जोधपुर में रख दी गई है जो कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भाइयों को लीगल एड फ्री देंगे और पूरे 12 महीनों के लिए एक स्टेन्डिंग कौंसिल कोटा में नियुक्त कर दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें एक जानकारी करना चाहूंगा कि जो स्टेन्डिंग कौंसिल रखी है और दूसरे कोर्ट्स चाहे बारां में हो या दूसरी जगह हों सब जगह जाकर डिफेन्ड करेंगे ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जहां भी जरूरत होगी वहां जायें। उनको टी. ए., डी. ए. दिया जायेगा और समाज-कल्याण अधिकारी कहेगा तो वह जाकर डिफेण्ड करेगा केसेज को।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या यह व्यवस्था सब जिलों के अन्दर की जायेगी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर इस हेड में प्रावधान ज्यादा मिला तो सब जिलों के लिए रखना चाहते हैं। यह व्यवस्था पुराने डिविजनल केन्द्र जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है वहां यह व्यवस्था निश्चितरूप से की जायेगी।

श्री हीराभाई : जहां बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है वहां के लिए करेंगे या नहीं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (डूंगरपुर) : और बांसवाड़ा जो कि ट्राइब्स एरिया है वहां पर विशेषतौर से लीगल एड दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बातें पहले ही कह दी जातीं तो दिक्कत ही नहीं होती।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके अलावा माननीय सदस्य श्री गंगासहाय जी ने कहा पानी के लिए। मैं सदन की सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि पहले नियम यह था कि पानी के लिए कुछ आंशिक सहायता दी जाती है। अब उन नियमों में परिवर्तन किया गया है और जहां पानी में खर्चा ज्यादा होता है वहां पर एक कुए के लिए 4 हजार रुपये और दूसरे क्षेत्रों के लिए 2 हजार की शर्त है और श्रमदान की शर्त हटा दी गई है। ...

श्री लादूराम सुलानिया : आप हरिजनों के लिये अलग कुए बनाते हैं वह नहीं बनाकर सार्वजनिक कुओं के लिए क्यों नहीं दिया जाता है ? अलग कुए क्यों बनवाये जाते हैं ताकि छुआछूत मिट जाये और इस प्रकार के उनको अधिकार भी दिये गये हैं...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अधिकार तो भारत के ही विधान में ही दिये हुए हैं मगर उसके बावजूद भी जब उनको दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के लिये उनकी इच्छानुसार और उनकी मांग पर यह किया जाता है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह परम्परा बन गई है कि हरिजनों के लिए अलग कुए बनायें जायें उससे तो छूआछूत बढ़ती है। आज 20 साल के बाद ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह सब बातें चर्चा में आ चुकी हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : छात्रवृत्ति के बारे में कहा गया कि काफी देरी होती है और छात्रवृत्ति काफी विलम्ब से मिलती है। ठीक है, छात्रवृत्ति अक्सर नवम्बर, दिसम्बर या मार्च में कभी कभी मिलती है तो माननीय सदस्यों को एक पोजिशन को एप्रीशियेट करना चाहिये कि असलियत में समाज-कल्याण विभाग इस छात्रवृत्ति को डिस्ट्रिब्यूट नहीं कर रहा है बल्कि राज्य सरकार का निर्णय हुआ था कि छात्रवृत्ति की सारी धनराशि शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जाती है और उसके इन्स-पेक्टर और अधिकारी उसके लिये फार्म्स लेते हैं और वह रुपया बांटते हैं। हमारा उस रुपये पर कोई कन्ट्रोल नहीं होता है। असेम्बली में सवाल आता है तो जवाब जरूर देना पड़ता है लेकिन हमारा उसके मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं है। यह आज की स्थिति है। इसके बारे में समाज-कल्याण बोर्ड की आबू में मीटिंग हुई थी और शिड्यूल्ड कास्ट एडवाइजरी बोर्ड की याने दोनों की मीटिंग हुई थी और उसमें माननीय सदस्य भी थे और उसमें ऑफिशियल्स और नॉन-ऑफिशियल्स ने युनेनीमसली यह निर्णय लिया था कि छात्रवृत्ति का नाम वापिस समाज-कल्याण विभाग के अधिकारी अपने हाथ में ले लें और जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा इसके वितरण का प्रबंध करें जिससे कि देरी नहीं हो। इस तरह का प्रबंध हम कर रहे हैं, और मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि हम गुजरात के सिस्टम को राजस्थान में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे देरी का सवाल खत्म हो जायगा और वह सिस्टम यह है कि एक आइडेन्टिटी कार्ड समाज-कल्याण अधिकारी जारी कर देता है

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

विद्यार्थी को यह लिख कर कि यह उसका विद्यार्थी है और फला कक्षा में पढ़ता है और इसकी जो फीस है चाहे एडमिशिन की हो, गेम्स की हो उसका इससे एक पैसा भी नहीं लिया जाये और उस कार्ड को दिखाकर किसी भी हैडमास्टर से वह एडमशिन ले सकता है। इसको इन्ट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कब तक हो जायेगा ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जल्दी से जल्दी हो जायेगा। थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन हम इसको जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : इस वर्ष हो जायेगा ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : तारीख तो नहीं कह सकता लेकिन जल्दी से जल्दी हो जायेगा।

श्री कल्याणमलजी ने कहा था और उन्होंने लादूराम एक्साइज इन्सपेक्टर के लिये कहा, तुलसीराम कोई एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर हैं उनकी सर्विसेज को समाप्त करने के लिये कहा। वैसे यह व्यक्तिगत मामले हैं फिर भी संबंधित व्यक्तियों के साथ इन्साफ हो और उनके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होगी तो समाज-कल्याण विभाग उनकी यथा-सम्भव सहायता करने की कोशिश करेगा।

श्री मेहता साहब ने कहा था कि 2 अक्टूबर, 69 से पहले क्योंकि यह गांधी शताब्दी आ रही है उसके पहले मलकानी कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं वह कार्यान्वित हो जानी चाहिये और सर टोकरी की प्रथा जो कि एक कलंक की बात है और जिसको हम भी बहुत जल्दी से जल्दी खतम करना चाहते हैं, लेकिन उसके रास्ते में बदकिस्मती से बहुत सी कठिनाइयां हैं और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। उनके लिए हल निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौरपर कहना चाहता हूं कि जैसे व्हील बरोज हैं राजस्थान में बहुत से क्षेत्रों में मवेशियों के लिए पीने को पानी नहीं मिलता है और जहां पानी बहुत कम है तो व्हील बरोज को साफ करने के लिए पानी नहीं है तो उससे इतनी ज्यादा गंदगी फैलती है कि जिससे सेहत को नुकसान पहुंचता है ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पानी नहीं मिलता है पीने का गांवों के अन्दर और जहां हरिजनों को व्हील बरोज की जरूरत पड़ती है वह शहर है और वहां पानी की कमी नहीं है इसलिये पानी की मिसाल यहां लागू नहीं होती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि लाखों रुपयों के व्हील बरोज अभी तक म्युनिसिपैलिटीज में पड़े सड़ रहे हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यद्यपि हमने आबू कान्फ्रेन्स में फैसला लिया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज से यथाशीघ्र सम्पर्क स्थापित कर के इस बात की मांग की जाये कि सारी नगर-पालिकाओं के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या चेयर मैन हैं उनको पाबन्द करें कि यथासम्भव लोन लेकर वह व्हील बरोज खरीदें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यथासम्भव नहीं अनिवार्य कर दिया जाये ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अनिवार्य कर दिया जायेगा । दूसरी बात यह है कि व्हील बरोज जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं क्योंकि उसके टायर्स लोहे के होते हैं रबर के नहीं होते हैं और नीची ऊंची जमीनों में नहीं चल सकते हैं तो यह जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं वह हमारे सामने हैं । लेकिन इनके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं । राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें तारत की समस्या करीब करीब नहीं है क्योंकि वहां जंगलों में जाते हैं । लेकिन जहां म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं वहां व्हील बरोज स्टार्ट करके फ्लस लेट्रीन को तरजीह देकर और कंन्सट्रक्शन के लिए लोन वगैरह सेंक्शन करके इसका प्रयास जरूर करेंगे कि 2 अक्टूबर तक इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि इस टोकरी प्रथा को समाप्त किया जावे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय यह बता दें कि जिन लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं जो हरिजनों में काम करते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट में काम करते हैं, इसलिए मारे गये हैं, उनको क्या मुआवजा दिलाया गया है ? जिन 15 परिवारों के जमीन और मकान दखल कर लिये हैं, आपको मालूम है, सरकार को मालूम है ऐसे लोगों को मुआवजा दिलाने की बात आप करें । यह बताने का कष्ट करें । उनके परिवार वाले भूखों मर रहे हैं । उनके लिए क्या सोचा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, दूसरे विभाग द्वारा किया जाता है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप नहीं सोचें । आदमी मर जाये ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरा कहना यह नहीं है । मेरा काम नहीं है । सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क करके कार्यवाही की जा सकेगी ।

तो, माननीय सालोदिया जी ने सुझाव दिया था यह बात सही है इसका मुझे भी दुःख है। एक तरफ में कॉलेज स्कूल खुलाये । छात्रावास शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये खुले । पढ़े लिखे लोग बी.ए. और एम.ए. निकलने लगे हैं । मुझे खुशी है कि भीलों में ग्रेजुएट लड़कियां पढ़कर निकल रही हैं । जहां यह देखकर खुशी होती है वहां यह दुख भी है कि हम सब को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं । मैं यह कहूंगा यह बेरोजगारी की समस्या प्लान होल्ड अप हो जाने की वजह से, पंचवर्षीय योजना का प्लान हमारा बनकर निर्माणकारी कार्य ज्यादा तादाद में आरम्भ नहीं हो सके । इसका परिणाम यह हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जटिल हो गई है । इसका शिकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भी होना पड़ रहा है । जैसे कि सुझाव आये हैं कि सर्वेक्षण करा लिया जाये कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या है । उनको टैक्निकल शिक्षा देकर, उनको काम में लगाया जाये । उनको काम में लगाने की कोशिश करेंगे । मुख्यमन्त्री जी से हमने चर्चा की है । उन्होंने यह कहा है कि ग्रेजुएट्स हैं, उनको नये ढंग से खेती करने को हम लोन दें, जमीन भी दें ।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सर्वे करायेंगे। 15 प्र. श. का रिजर्वेशन देते हैं ····

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। श्री मूलचन्द डागा (अनुपस्थित) श्री विट्ठलभाई।

श्री विट्ठल भाई : मैंने यह कहा था कि पीपलखूंट में कोई छात्रावास नहीं है। वहां कोई मिडिल स्कूल नहीं है। संकेण्डरी स्कूल खोलने की चर्चा है, लेकिन है नहीं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ही ज्यादा है। ····

श्री उपाध्यक्ष : आपको वादविवाद में हिस्सा लेना चाहिए था।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पंचायत समिति के अन्दर लोग हैं ···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय विट्ठल जी ने जो सवाल उठाया है तो मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हाई स्कूल हैं। हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं वहां पर पीपलखूंट में नहीं है तो उसी वर्ष आनेवाले वित्तीय साधनों में राजकीय छात्रावास शिड्यूल्ड कास्ट के लिए 62 परसेंट अनुदानित घघर में खोला गया है। वहां से मांग आयी। अब माननीय सदस्य ने पीपलखूंट के लिए कहा है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि अगले वर्ष यथासम्भव जरूर किया जाएगा। और जैसा माननीय ····

श्री उपाध्यक्ष : जो सदस्य बोले हैं उनका नाम लेकर नहीं कहें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उन्होंने यह कहा, यह बात उठाई कि कुछ जातियां शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल ट्राइब्स में इनक्ल्यूड कर ली गई हैं, तो क्या पिछड़ेपन की कसौटी केवल किसी जाति विशेष में पैदा होते ही रहना चाहिए या आर्थिक स्थिति की कसोटी को स्वीकार किया जाना चाहिए? यह सुझाव डागा जी और अन्य माननीय सदस्यों की ओर से आया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 46 है। माननीय गोकुल जी ने रखा था ··· (व्यवधान) कई माननीय सदस्यों ने कहा था। भारत के संविधान में आर्टिकल 46 शिड्यूल्ड कास्ट के लिए;

Reg. Promotion of educational and economic interests of Scheduled castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the society.

इसलिए इस विधान का प्रावधान पढ़ दिया। राष्ट्रीय सरकार चाहे तो औरों को भी ले सकती है। मुख्यमन्त्री ने भी इसमें मुझे राय देने को कहा है। मैं ने जो राय बनाई है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यथासम्भव उनको बैनीफिट्स के लिये माना जाये। इसके लिए सम्भवतया मैं शीघ्र ही आवश्यक

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

कार्यवाही को पूरी कर सकूंगा।

अब मैं निवेदन कर दूं कि यह तो मैंने जनरलमुद्दों का जवाब दिया। अब जो कुछ खास बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उनका मैं जवाब दे दूं। माननीय सदस्यों ने एक बात चाही थी कि इस विभाग की जो प्रवृत्तियां और कार्य हैं उनके बारे में मैं जनरल तौर पर जवाब न देकर आंकड़ों के द्वारा बताऊं कि इस विभाग के कितने छात्रावास हैं, उन होस्टल्स की क्या प्रगति है, इस विभाग के फुल टार्गेट्स किस हद तक अचीव हुए हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने आंकड़ों की मांग की थी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बड़े उत्सुक थे, इसलिए मैं माननीय सदस्यों की सेवा में ········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साढ़े आठ बजे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप इनको रिपोर्ट में प्रकाशित कर दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप पांच दस मिनट शांति रखिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, यह रिपोर्ट में आ जायं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : रिपोर्ट में तो आते रहते हैं। लेकिन माननीय सदस्य उत्सुक थे···

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप रिपोर्ट प्रकाशित कर दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : खास खास मुद्दों के ऊपर ही मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक बात कही गई बहुत से माननीय सदस्यों के द्वारा कि इस विभाग की तनख्वाह और एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया जाता है और जो कल्याणकारी प्रवृत्तियां हैं उनके लिए काफी कम रुपया बचता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। इसके आंकड़े इस प्रकार के हैं। इसके लिए आप 1967-68 के वित्तीय प्रावधानों को ही ले लें। नॉन-प्लान में खर्चा हुआ 67,86,972 रु० और प्लान में खर्चा हुआ 42,96,483 रु०। इस प्रकार कुछ मिला कर 1,10,83, 455 का खर्चा हुआ। सेन्ट्रल एड मिला कर करीब डेढ़ करोड़ का प्रावधान समाज-कल्याण विभाग का था। इसमें से जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा हुआ वह 8,70, 464 हुआ, जो कुल खर्च का 7 परसेन्ट वर्क आउट होता है। इस प्रकार एस्टेब्लिशमेंट और स्टाफ की तनख्वाह पर कुल प्रावधान का 7 पर्सेन्ट खर्चा हुआ है और बाकी 93 परसेन्ट छात्रावासों और ····· ···

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह सारे स्टाफ और एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह सारे स्टाफ और एस्टेब्लिशमेंट का है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह नहीं है आप जानकारी कर लें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह आंकड़े आपके पास भेज दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : होस्टल्स के बारे में आप जानना चाहते थे, उसके लिये मैं बताऊं कि राजस्थान समाज-कल्याण

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

विभाग के द्वारा जो राजकीय छात्रावास चलाये जाते हैं उनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 42 हैं और अनुसूचित जन जातियों के लिए 44 है। अनुसूचित जातियों के 42 छात्रावासों से लाभान्वित छात्रों की संख्या 1,725 है और अनुसूचित जन-जातियों के 44 छात्रावासों से लाभान्वित छात्रों की संख्या 1,790 है। इतने छात्र इनसे लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावास चल रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति के छात्रावासों की संख्या 48 है जिनके अन्दर 1,477 छात्र हैं और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की संख्या 57 है जिनके अन्दर 1,820 छात्र हैं इस प्रकार 105 छात्रावासों के अन्दर कुल 3,297 छात्र लाभ उठा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि······

श्री मनोहरसिंह मेहता : समझ में आ गया। काफी अच्छा जवाब दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन आपको धन्यवाद देने के लिये तैयार है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : देखिये, एक बात और कही गई थी कि इस विभाग को दिया गया बहुत सा रुपया लेप्स हो जाता है······ ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आगे लेप्स मत होने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है कि समय इतना हो चुका है और आप आंकड़े जो बता रहे हैं उनको माइन्ड पकड़ नहीं पा रहा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : साहब वक्त चाहिये इन आंकड़ों को समझने के लिए। आपने अच्छा जवाब दे दिया है। धन्यवाद।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरे ख्याल में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं जिनमें माननीय सदस्यों की बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों की पूरी जानकारी के लिए······

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बहुत महत्व पूर्ण हैं और मंत्री महोदय की पूरी जानकारी के लिए दाद देते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : आप (श्री गोकुल प्रसाद शर्मा) यहां तक आ गये हैं। मंत्री जी तक पहुंचने में तीन चार कुर्सी और है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री जी चाहते हैं कि उनकी बोलने की ख्वाहिश है तो इसको कल के लिए रख लीजिये। ख्वाहिश कल पूरी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : आज ही पूरी हो जायगी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एक बात और कही गई कि इस डिपार्टमेंट में रुपया लेप्स होता है, काम में नहीं आता है, पिछड़ी जाति के लोगों के लिये मंजूर होता है वह खर्च नहीं होता है। मैं इसके लिये माननीय सदस्यों को ब्लेम नहीं करता······

श्री गिरधारी लाल व्यास : ठीक है। आगे बतायें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी: इसमें गलतफहमी क्या हुई है कि प्लान के जो ओरिजनल एस्टीमेट थे वह माननीय सदस्यों को मालूम हैं, लेकिन जो रिवाइज्ड में कटौती हो गई है उसकी सूचना उनको नहीं है......

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: मंत्री महोदय, हम फीगर्स देखते हैं और फीगर्स देखकर कहते हैं कि खर्चा फिजूल हो रहा है। हम आपकी जानकारी की दाद इसलिए ही देते हैं कि रात बहुत बीत गई है और आंकड़ों पर मन नहीं है।

श्री विशंभरनाथ जोशी: मैं पांच मिनिट में बता देता हूं, 1966-67 में.........

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: गोकुल प्रसाद जी, रात का समय इनके लिए अच्छा है।

श्री विशंभरनाथ जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरकार का जवाब न सुनना चाहें और जानकारी नहीं लेना चाहें तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इसलिए आप सुन लीजिये, 1966-67 में, अरे भई सुनिये, 1966-67 में ....

श्री लादूराम सुलानियां: मैं पूछना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से...

श्री गिरधारी लाल व्यास: आप बैठ क्यों जाते हैं। जल्दी जल्दी सुनाइये।

श्री मनोहर सिंह मेहता: आप सुनाइये। हम सुन रहे हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी: 1966-97 में...

श्री लादूराम सुलानिया: मैं प्रार्थना करूंगा...

श्री विशम्भरनाथ जोशी: बजट प्रावधान था 21 लाख 66 हजार का, इस प्रावधान में से 21 लाख 51 हजार खर्च हो गये। सेन्ट्रल प्लान में 26 लाख 10 हजार थे, यह 26 लाख 10 हजार पूरे खर्च हो गये ......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: इधर का उधर चला गया।

श्री विशंभरनाथ जोशी: 1967-68 में 29 लाख 50 हजार का प्रावीजन था इसमें 29 लाख 91 हजार खर्च हुए हैं, इसमें ज्यादा खर्च हो गया है। सेन्ट्रल प्लान में 22 लाख 18 हजार का प्रावीजन था, इसमें 33 लाख 18 हजार पूरे खर्च हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि विभाग ने कमी की हो खर्च करने में ....

श्री लादूराम सुलानियां: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री महोदय इधर क्यों देख रहे हैं। माननीय मंत्रीजी जोश में आ रहे हैं, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ही नहीं सुन रहे हैं।...

श्री उपाध्यक्ष: पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री विशम्भरनाथ जोशी: सॉरी सर। आई एम सॉरी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। वास्तव में राज्य मंत्रीजी ने बहुत तैयारी की है, मैं सोचता हूं कि जितनी तैयारी की है वह सामने आनी चाहिए, इसलिए प्रार्थना है कि वह डिनर की व्यवस्था कर दें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी: डिनर की व्यवस्था होस्टल में मौजूद है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आज ग्यारस है, किसी को जरूरत नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (श्री लादूराम सुलानिया से) सारा डिनर का खर्चा आपसे ले लिया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां : हमारा है सारा खर्चा, और है किसका।

श्री वी० एन० जोशी : प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में दी हैं 51,598, अनुसूचित जाति के छात्रों को दी हैं 70,411, और विमुक्त जाति के छात्रों को दी गई हैं 717 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियां अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी हैं 1,679, अनुसूचित जाति के छात्रों को दी हैं 3,859। इसी प्रकार राजकीय निःशुल्क छात्रावास हैं अनुसूचित जन जाति के 43, अनुसूचित जाति के 44 और विमुक्त जाति के 18 इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के निःशुल्क छात्रावास अनुसूचित जनजाति के हैं 57, अनुसूचित जाति के हैं 45 और विमुक्त जाति के हैं 5 सिंचाई के लिये कुएं अनुसूचित जनजाति के लिये 1,318, बांध एवं तालाब अनुसूचित जाति के लिये 122, पेय जलकूप अनुसूचित जन जाति के लिये 576, और भवन निर्माण में अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 880, यह पिछली साल के हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 17, विकास खन्ड 8, ट्राइबल डवलपमेंट ब्लाक पिछली साल खोले गये। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा

श्री आलम अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मंत्री महोदय कहीं खत्म करके भाग नहीं जायं।

श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा सु०): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बड़ा गम्भीर है कल यहां पर कहा गया था कि गोद जाकर शिड्यूल्ड कास्ट्स के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यह ऐसी खराब मिसाल तैयार हो रही है जो लोग इनके अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं…………

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : प्रिविलेज का क्वेश्चन कर रहे हैं।

श्री वी० एन० जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सर्विसेज के लिए कहा था कि क्योंकि ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है……

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गोद जाकर बहुत से सवर्णों ने उनके अधिकारों का प्रयोग किया है।

श्री वी० एन० जोशी : गोदी वाले मामले के बारे में सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। ऐसा एक मामला था……

श्री कालूराम आर्य : एक नहीं है, अनेक हैं। मेरे गांव के तीन कुम्हार हैं, एक सोनी है। मेडिकल कालिज की लिस्ट निकली है उसमें 21 केन्डिडेट इस साल हैं। ऐसे व्यक्ति इंजिनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज में गये हैं। इसके लिये क्या तरीका आपने कर रखा है ?

श्री श्रवण लाल : इस सम्बन्ध में मेरी जानकारी के अनुसार मैं बताऊं कि करीब नौ विद्यार्थियों की लिस्ट है। मैं नाम पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में दे दें, मंत्री महोदय।

श्री श्रवण लाल : मैं हाउस की टेबल पर रख देता हूं। यह लिस्ट है, इसके अन्दर जो नाम हैं वह मैं बता देता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने पास रख-लीजिये। फिर कभी काम आयेगी।

श्री श्रवण लाल : इसमें नौ लड़के हैं, एक का नाम है सुशील कुमार, यह सुशील कुमार वास्तव में अनुसूचित जन जाति का छात्र नहीं है.......

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को बाद में सूचना दे दें वह ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री श्रवण लाल : मैं स्पष्टीकरण इस-लिए चाहता हूं क्योंकि एडमीशन अभी हुए हैं, मान लें कि अभी कोई इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो उन जगहों पर जो एडमी-शन पाने वाले हैं उनकी जगह पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्र नहीं आ सकेंगे। वह विद्यार्थी आज परेशान हैं। उनकी इन छात्रों के स्थान पर भर्ती हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को यह सूचना दे दीजिये।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, एक औचित्य का प्रश्न है।

(शोर गुल)

मंत्री महोदय कह दें कि जिनकी हम सूचना देते हैं उनको तुरन्त निकाल दिया जायगा, और जिन्होंने ऐसे छात्रों को भर्ती किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जोशी साहब खत्म करो।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है और आप कहते हैं कि खत्म करो।

माननीय सदस्य ने एक चिंता व्यक्त की है, वास्तव में मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। यदि इस प्रकार की परम्परा रही तो जो अधिकार दिये हैं पिछड़ी जातियों को, उन अधिकारों का एक प्रकार से दूसरे ही लोग फायदा उठा जायेंगे और ये लोग उन अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। इस बारे में जो कानूनी स्थिति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह लॉ आफ दी लैंड का सवाल है देश के सामान्य कानून जहां तक सवाल है, उसमें कोई विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह मामला सामने आया है, प्राइमाफेसी यह इलीगल मालूम पड़ता है। हिन्दू लॉ के मुताबिक कोई भी ब्राह्मण, वेश्य या क्षत्रिय या सर्वण कहलाने वाले सदस्य किसी भी दूसरी जाति वाले के यहां गोद नहीं जा सकते इस प्रकार की जातियों के। उस हिन्दू लॉ के खिलाफ गोद नशानी है तो यह इल्लीगल है इसको केन्सिल किया जा सकता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो जातियों में विश्वास नहीं करते हैं और अपने आपको आर्य समझते हैं उनका क्या करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मान नीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सुविधा के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यह बहस बहुत लम्बी हो गई है, काफी समय हो गया है इसलिए इस बहस को कल कर लिया जाय, 9 बजने का टाइम हो गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमको आप के विस्तृत जवाब से बहुत संतोष हुआ है इस लिए अब इसे समाप्त कर दिया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दू लॉ का उदाहरण मंत्री महोदय ने दिया है कि सवर्ण लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बन जाते हैं, इससे भी ज्यादा बर्निंग प्रोब्लेम यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग दल बदल लेते हैं इसके लिए समाज कल्याण विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरा जवाब नहीं सुना। मैंने यह कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही हिन्दू लॉ के खिलाफ है। अदालत में चेलेंज की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति या कोई सामूहिक संगठन इसको चेलेंज करना चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के तो समाज कल्याण विभाग में इस प्रकार की गोदनशीनियों को चेलेंज करने के लिये कार्यवाही करेंगे उनके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से फ्री Legal एड दी जायगी।

(श्री लादूराम सुलानिया और श्री डूंगाराम राजोरिया एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समय का खयाल करें, डिबेट के नियमों का ध्यान रखें। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो बीच बीच में हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: अगर कानूनी कार्यवाही करना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप से तो समाज कल्याण विभाग के लीगल एड फंड से उनको इसके लिये फ्री सहायता देंगे।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी और श्री लादूराम सुलानिया दोनों एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका उत्तर नहीं दें। आसन की ओर मुखापेक्ष होकर जवाब दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इन्जीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेजेज में प्रवेश के समय जो बातें रखी हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इनको टेक-अप करेगी और वर्तमान कानून में प्रावधान है तो आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयास करेगी।

श्री लादूराम सुलानियां : प्रयास नहीं, यह साफ क्यों नहीं कहते कि उनको निकाल दिया जायगा और······

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वे महकमे मेरे अन्डर में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस बहस में पड़ते ही क्यों है ? अब समाप्त कर दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : राज्य की सेवाओं में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के परसेन्टेज के बारे में चिंता व्यक्त की गई, उसके सम्बन्ध में मैं आंकड़े देना चाहूंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक जानकारी चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक जानकारी चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा इस तरह से नहीं चलेगी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। जो सूची छात्रों की दी है, ये कह रहे हैं कि इस के लिए कोई कोर्ट में जाना चाहे तो खर्चा समाज कल्याण विभाग देगा ……

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इसका कोई उत्तर नहीं दे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सेवाओं में गजेटेड पोस्टस पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की नियुक्ति का प्रतिशत इस प्रकार रहा :

गजेटेड: 61-62 में 4.7 प्रतिशत। 62-63 में 6.1 प्रतिशत 63-64 में 8 प्रतिशत। 64-65 में 8.5 प्रतिशत और 65-66 में 6 प्रतिशत। जो इन्क्रीजिंग ट्रेंड है।

इसी तरह से सबोर्डिनेट सर्विसेज में 61-62 में 8.9 प्रतिशत। 62-63 में 13.3 प्रतिशत, 63-64 में 15 प्रतिशत, 64-65 में 14.8 प्रतिशत और 65-66 में 26.5 प्रतिशत रहा जो भी इन्क्रीजिंग ट्रेंड है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत अच्छा काम किया है, आपको केबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में इनका प्रसेन्टेज इस प्रकार रहा है :

61-62 में 25.9 प्रतिशत रहा 62-63 में 34 प्रतिशत रहा, 63-64 में 42 प्रतिशत रहा। 64-65 में 67.4 प्रतिशत रहा और 65-66 में 32.00 प्रतिशत रहा जो इन्क्रीजिंग ट्रेंड है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : होगया।

श्री लादूराम सुलानियां : मन्त्री महोदय बता दें कि पिछले महीनों में हरिजनों के साथ जो दंगे हो रहे हैं, अभी आपका इस पर क्या विचार है ? आप, आपकी सरकार और समाज कल्याण विभाग चित्तौड़ जिले में हुए हरिजनों के साथ दंगों के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष: यह नया प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब केवल एक मामले के आंकड़े और रखता हूं, वह आंकड़े हैं लैंड अलोटमेंट के बारे में।

श्री लादूराम सुलानियां: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिलाना चाहें, यह आसन का अधिकार है मन्त्री महोदय जवाब नहीं देंगे तो हम भी मन्त्री महोदय से बात नहीं करेंगे।

Page No.190

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो कुल भूमि अलोट की गई उसका क्षेत्रफल 1,83,561.49 एकड़ है। उसमें से अनुसूचित जाति के लोगों को 39,373.56 एकड़ भूमि अलोट की गई और अनुसूचित जन जाति के लोगों को 10,833.06 एकड़ भूमि अलोट की गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल लैंड अलोट की गई 8,68,306.72 एकड़ उसमें से अनुसूचित जाति के लोगों को अलोट की गई 1,19,433.27 एकड़ और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अलोट की गई 57,651.53 एकड़।

तृतीय पंच वर्षीय योजना में कुल अलोटमेंट 17,68,824.82 एकड़ भूमि अलोट की गई उसमें से अनुसूचित जाति के लोगों को 3,84,068.72 एकड़ और अनुसूचित जन जाति के लोगों को 2,41,639·76 एकड़ भूमि अलोट की गई।

वर्ष 1966 में अनुसूचित जाति के लोगों को 79,093.19 एकड़ भूमि अलोट की गई अनुसूचित जन जाति के लोगों को 37,147·19 एकड़ भूमि अलोट की गई।

वर्ष 1967 जून तक 37,27535. एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को अलोट की गई और 26,740.32 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को अलोट की गई।

जहां तक व्यक्तियों का सवाल है कि कितने व्यक्तियों को अलोट की गई मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5,273 जन जाति के व्यक्तियों को भूमि अलोट की गई और 3,917 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि अलोट की गई।

3,917 अनुसूचित जन जातियां।

23.723 अनुसूचित जातियां।

18,215 अनुसूचित जन जातियों को दी गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य मंत्रीजी आपने जो आंकड़े दिये उसको मैं चैलेन्ज नहीं करना चाहता। एक जानकारी चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी को और ऐसे किसान को जो भूमिहीन हैं, एक और भूमिहीन और दूसरी ओर शिड्यूल्ड कास्ट का, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, ऐसी हालत में जो भूमि अलाट की और आपने जो आंकड़े दिये उनके आधार पर मैं आप से जानकारी चाहता हूं, कि जो व्यक्ति भूमिहीन है, पिछड़े हुए हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, जमीन को साफ करके, काश्त करने के लिये बैलों की जोड़ी, बीज खाद आदि वह कहां से लावेगा ? इसलिये मैं आप से जानकारी चाहता हूं कि यह जो आंकड़े दिये कि इतने भूमिहीनों को भूमि दी तो एक्चुअली इस जमीन पर कितने लोग अब तक काबिज हैं आप बताने की कृपा करेंगे ? मैं मेरी जानकारी के आधार पर आप से कहना चाहूंगा कि यह जो आंकड़े आपने दिये हैं उनमें से 70 प्रतिशत लोग आज उन जमीनों पर काबिज नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि

(श्री हीरा भाई)

आपने भूमि अलाटमेंट के आंकड़े बता दिये, आपने बड़ी प्रगति बतायी कि इतने भूमि हीनों को हमने भूमि दे दी लेकिन कितने लोग उन पर मौजूद हैं उनकी तो कम से कम संख्या बता दीजिये ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : हमने आप से प्रश्न किया और आपसे निवेदन किया कि ये सारे के सारे आंकड़े हैं क्या आप इन आंकड़ों का दुबारा सर्वे करा सकते हैं और यह जांच करवा सकते हैं कि यह जो जमीन उनको अलाट हुई है वह उनके कब्जे में है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि यह उनकी भी जानकारी में है कि ये आंकड़े हम को राजस्व विभाग से प्राप्त होते हैं और माननीय सदस्यों ने जो जानकारी चाही है उसको मैं राजस्व विभाग से एकत्रित कराऊंगा और जो जानकारी होगी वह उनको दे दी जावेगी ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं आप जमीन शिड्यूल्ड कास्ट को देते हैं लेकिन जो धर्म परिवर्तन करके उसको बेच देते हैं उसके लिये क्या करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा । यह तो ट्यूटोरियल क्लास या विचार गोष्ठी में परिणत हो गयी । मंत्री महोदय ने जो उचित समझा वह उत्तर दे दिया ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : जान बूझ कर मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दिया जा रहा है ।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट काफी लम्बी हो गयी है और मैं क्लोजर मूव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : (मंत्री महोदय के खड़े होने पर) : कृपया स्थान ग्रहण करें क्लोजर मूव हो चुका है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : गवर्नमेंट रिप्लाई कान्ट स्टाप ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लोजर मूव हो जाने के बाद हर एक डिबेट क्लोज हो जाती है ।

श्री केशरीसिंह हाडा : मैं मूव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मूव करते हैं ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : मैं पांच मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने समापन का प्रस्ताव रखा है ।

प्रश्न यह है कि जो समापन का प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाडा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ? जो इसके पक्ष में हो वे हां कहें । (हां पक्ष की जोर से आवाज) जो इसके विरोध में हों वे ना कहें (ना पक्ष की धीमी आवाज) ।

श्री केसरीसिंह हाडा : हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : ना तो किसी ने कहा ही नहीं ।

Page No.192

कई माननीय सदस्य : देयर वाज नो ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है । पांच मिनिट में ही समाप्त कर दें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : अन्तिम आंकड़े देता हूं ।

सहकारी समितियों के बारे में आपने कहा था :

श्री लादूराम सुलानियां : व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने हां और ना करवाया । हां पक्ष जीता उसके बाद पांच मिनिट क्यों दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा है फाइनल ।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी :

61-62 :	3.47 लाख	111	समितियां
62-63 :	4.01 ,,	133	,,
63-64 :	5.86 ,,	150	,,
64-65 :	8.72 ,,	231	,,
65-66 :	5.00 ,,	137	,,

इस प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में 27.06 लाख अकेले ट्राईबल एरिया में दी गई ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : धन्यवाद ।

श्री लादूराम सुलानिया : कितने एम. एल. एज. कांग्रेस में गए उनको कितनी दी ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री आलम अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का तो जवाब दिलादो । हरिजन लड़का के साथे अपनी लड़की को विवाह करवा के वास्ते तैयार है या नहीं ऊंच नीच मिटावा के वास्ते या शुरूआत कद करेला ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 15 परिवार हरिजनों को बेदखल कर दिया गया क्या समाज कल्याण विभाग पिछड़ी जाति को मकान बनाने के लिए सहायता देंगे जिन्होंने मांगें रखी हैं ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : जरूर दी जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 4. 9. 68 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि में 9. 07 बजे बुधवार दिनांक 4. 9. 68 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

(सूची क)

आसामी वार सूची मौजा होथी गांव जिनको 1965 से 1968 तक भूमि आवंटन हुई मगर कब्जा नहीं दिया गया।

अनुसूचित जाति

क्र. सं.	नाम	किस साल में आवंटन हुई	रकबा
1.	कीजा पुत्र मगना भाम्बी	2022	15) बीघा
2.	हेमा पुत्र आबा भाम्बी	,,	15) ,,
3.	हाला पुत्र बेला भाम्बी	,,	15) ,,
4.	कमा पुत्र आसदान बागरी	,,	15) ,,
5.	पुजा पुत्र रूडा बागरी	,,	15) ,,
6.	प्रागा पुत्र जबा बागरी	,,	15) ,,
7.	तगा पुत्र कमा बागरी	,,	15) ,,
8.	धर्मा पुत्र रूपा बागरी	,,	15) ,,
9.	हाजा पुत्र प्रहलाद बागरी (शिवपुरी)	,,	15) ,,
10.	भीखा पुत्र प्रहलाद बागरी	,,	15) ,,
11.	ओखा पुत्र प्रहलाद भाम्बी हरियाली	,,	15) ,,

सूची (ख)

आसामी वार सूची मौजा डूठवा गांव जिनको दिनांक *3-5-67* के आवंटन की सूची

अनुसूचित जाति

क्र० सं०	नाम	रकबा
1.	श्री शंकर पुत्र धर्मा हरिजन	15) बीघा
2.	श्री केसा पुत्र रूघनाथ हरिजन	15) बीघा
3.	धर्मा पुत्र बरदा हरिजन	15) बीघा
4.	किसना पुत्र धर्मा कोरी	15) बीघा
5.	काला पुत्र धर्मा कोरी	15) बीघा
6.	वघा पुत्र भगा कोरी	15) बीघा
7.	तेजा पुत्र वघा कोरी	15) बीघा
8.	सोना पुत्र धर्मा कोरी	15) बीघा
9.	हरिसिंगा पुत्र बागा कोरी	15) बीघा
10.	पीरा पुत्र धर्मा कोरी	15) बीघा
11.	किस्तुरा पुत्र बूडा कोरी	15) बीघा
12.	रामजी पुत्र धूडा कोरी	15) बीघा
13.	नागजीडा पुत्र धूडा कोरी	15) बीघा
14.	सोना पुत्र धूडा कोरी	15) बीघा
15.	हरचन्द पुत्र धूडा कोरी	15) बीघा
16.	माना पुत्र वासा कोरी	15) बीघा
17.	भगवाना पुत्र स्वरूपा कोरी	15) बीघा
18.	गोर्धन पुत्र समरथा	15) बीघा
19.	चोखा पुत्र सीमा भाम्वी	15) बीघा
20.	जीवडा पुत्र चीमा भाम्बी	15) बीघा
21.	मला पुत्र अना भाम्वी	15) बीघा
22.	परबता पुत्र बना भाम्बी	15) बीघा

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची)

माफीदारान की सूची जिन्होंने मुवावजा लेने से इन्कार कर दिया : —

1. वहादुरसिंह वल्द किशोरसिंह, अरठ भांगर।
2. अमरसिंह वल्द लक्ष्मणसिंह, अरठ खीदावा नव।
3. मोडसिंह वल्द भगतसिंह, अरठ देवीलाल, जेईवाला।
4. हरीसिंह जयसिंह वल्द जूजारसिंह अरठ बेडावा सनकावा सेणा।
5. मूलसिंह वल्द चीमनसिंह अरठ नवार आधारा।
6. जीवतसिंह वल्द भोपसिंह अरठ कोटा आधारा।
7. जुहारसिंह वल्द केसरसिंह, वरठ खीदावा आमली वाला आगणावा।
8. रावल ब्राह्मण रगा अरठ रावला वाला।
9. जुहारसिंह वल्द भोमसिंह अरठ वेरेवाला, नोक, कोटा आधारा।
10. रतनसिंह वल्द हेमसिंह अरठ रगटी व ढीबी।
11. जोवतसिंह वल्द भापसिंह अरठ नोक जूना आधारा।
12. दलपतसिंह वल्द वख्तसिंह अरठ वरवा व कुम्हारा वाला।
13. भीकसिंह वल्द भैरूसिंह, अरठ रोडिया व ढीवरा।
14. भोमासिंह वल्द भीमसिंह, अरठ मोरगडा वाला।
15. मानसिंह वल्द रावतसिंह, जीवावाला
16. जोवतसिंह वल्द चीमनसिंह, अरठ नवतर।
17. हीरसिंह वल्द प्रेमसिंह, अरठ गोगावा।
18. गुमानसिंह वल्द वख्तसिंह, अरठ खीदावा।
19. जोरसिंह वल्द वख्तसिंह अरठ पीपलिया।
20. लालसिंह वल्द मेघसिंह अरठ भदवा, उपरला।
21. भवूतसिंह वल्द नारसिंह, अरठ नोक जूना आधार।
22. वादरसिंह वल्द रूगनाथसिंह अरठ, पीपलिया व पीडाजप।
23. धुलासिंह वल्द लखसिंह, अरठ भदावा निचला।

परिशिष्ट 3

(स्थगित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

चार्ज लिस्ट कस्बा मकराना माफिक आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब परबतसर संख्या 2224 दिनांक 18–11–67 के पटवारी श्री छोटूमल शर्मा को सम्भलाया गया दिनांक 28-11-67

खसरा गिरदावरी तीन जिल्द नक्शा लट्ठे का फटा हुआ सं० 2022 से 2026 तक।

जमा बन्दी खतौनी 2018 से 2021 दो जिल्द 2022 से 2025. पड़त सरकार व पड़त पटवार ढाल बाछ संख्या 2022/1 का 2023/1 मागशत्रु बुक रजिस्टर कूप विवरण 2014 से 2017/1 2018/1 से 2021 का एक 2022 से 2025/1-सरफेन्स रेन्ट की खतौनी 2016/1 से 2021/1 खसरा परि परत शील 2022/1 2021/2 2020/1 2019/1 2018/1 नामान्तरकरण रजिस्टर पुराना 1 से 100/1, 101 से 200/1, 201 से 300/1, 301 से 351 जिसमें खारिज तथा वगैर पास के नामान्तरकरण शामिल हैं जो तादादी 12 है।

सुरक्षित भू-माप पत्रों की पंजिका, आदेश पुस्तक चालू जिसमें 352 आदेश दर्ज है। लेखा पंजिका रजिस्टर 2022 दिन चर्या वही 1—10—63 से 30—9—64 तक वो 1-10-64 से 30-9-65 व 1—10—62 से 30—9—63 व 1–10—63 से 30—9-64 व 1—10-64 से 30-9-65 व 1-10-65 से 30-9-66 तक 1-10-66 से चालू जिसके 16 घटना दर्ज हैं। नामान्तरकरण शुल्क माग रजिस्टर व वकाया 351 दर्ज ही मासिक सारांश अक्टूबर 65 से 66 तक/1 64 से 65/1 1963 से 64/1 1962 से 63/1

रजिस्टर पशु धन में प्रसारित संक्रमा रोगों का रजिस्टर फार्म नं० 9 रजिस्टर फार्म 24/1

रजिस्टर फार्म नं० 8/1 रजिस्टर फार्म 24/1 रजिस्टर फार्म नं० 17/1 रजिस्टर नजूल/1 रजिस्टर

आउट वार्ड नकल/1 रजिस्टर फार्म नं० 35 पोते बाकी 104 अखरे एक रुपया चार पैसा

रजिस्टर सियाह सम्वत् 2023 का मय वाउचरों के पोते कुछ नहीं टी० आर० ए० द्वारा चैकिंग करवाया हुआ। निरीक्षण फायल व नक्शा फायल पुरानी ओ चालू फायल हुक्म तैकायात पुरानी व चालू कागजात वजफ प्रोपरटी लेवी के सिल सिले की खतौनी (तीन) लिस्ट तकावी फायल, जाजम, प्रकार, राइट रोगान, कर्त स्केल, पीतल की, गुणिया, जरीब, सुवा परियो खाघु की 5 जिसमें एक टूटी हुई का ताना 5 फुट का 1 मुडा पत्थर का 4 पत्थर का 4 का तला 4 छोटा ढावा का, किआड़ टूटोड़ा, ढोलनी निवार, की टूटी हुई, निवार अलग, मांचा एक बिना मूंज का, मांचा तक टूटा हुआ, जिसके पागे नहीं है, बिखरा हुआ। लकड़ियों की गाड़ी 1 उसमान गनी के मुकदमे की रसीद बुकें नं. 7461/1+050 44295/1+050 44296/1+050 44297/1+050 44298/1+050 44299/1+050 44300/1+050

18543/1+090 तक कटी बाकी कोरी रसीद नं. 18544/1+0100 तक कोरी बिल बुक कटी हुई नहीं है।

रजिस्टर सीमा क्षेत्र 2022 से 2025/1 व 2018 से 2021/1 खारजी मतालबा सड़क

मकलाना से मकराना का 1 फायल रकम हासल वो सेटलमेन्ट का आर्डर आदेश 6 सरवार्ज खतौनी पास बुक सुबु 11 खतौनी 25 बीघा से कम की 1 आदेश नं० 2484 दिनांक 8-11-67, 1195 दिनांक 4-11-67 व 303 दिनांक 8-2-67 के आदेश सम्भलवायें।

जमा बन्दी खतौनी सं. 2010 से 2013/2 तक सं. 2014 से 2017/2 तक का खारजी

मतालबा घास मारी का मय आदेश नं. 918 दिनांक 28-7-67 साथ द्रू कोपी 1 आदेश 1 रकम नन्नू 5103 समान की बिगोड़ी बढ़ाने की 1 हैक्टर प्रणाली 1 नामन्तरकरण फाल नं. 71 से 100 तक भीगा हुआ वो फार्म नं. 18,19,30,58 और 123,228, 266,27 रु. 273, 275,279, 329 वगैरा पास सुदा जो फाईल में श्यामील हैं।

उपरोक्त चार्ज सम्भलाया गया—

चार्ज सम्भालने वाला	चार्ज देने वाला
ह. छोटमल शर्मा	ह. नवाब खां
पटवारी सबलपुर	पटवारी मकराना
29-11-67	29-11-67.

समयाभाव के कारण प्रश्नोत्तर काल में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर का स्टाफ

159. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर में पूरा स्टाफ नहीं है? अगर हां, तो उसमें कब से कितनी कमी है और उसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर में पिछले एक साल से दवाइयां, रूई, पट्टियां एवं दीगर सामान जो रोजमर्रा उपचार के लिये चाहिये बड़ी भारी कमी रही है ? अगर हां, तो वहां की मांग के अनुसार उपरोक्त सामान क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार की उपरोक्त सामग्री न होने से रोगियों को बाजार से खरीद कर सामान लाना पड़ा ? अगर हां तो क्या गरीब रोगियों के लिये अह अनावश्यक भार नहीं था ? अब यह कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नहरों की सफाई की मजदूरी का चुकारा

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन में मूंडल्या खेड़ी तालाब व गोमती सागर तालाब की नहरों की सफाई सन् 67 में हुई जिसकी मजदूरी का पेमेंट सन् 68 में किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि आज तक भी सफाई करने वाले कुछ मजदूरों को जिनकी मजदूरी बकाया है विभाग द्वारा नहीं दी गई ? यदि हां, तो कितने मजदूर हैं और कितना रुपया पेमेंट करना बाकी है ?

(3) इन नहरों की सफाई में मजदूर अमानी से लगाये गये हैं अथवा ठेकेदार द्वारा कार्य हुआ है ? कृपया ठेकेदार का नाम बताने का कष्ट करें।

(4) मजदूरों की रेटें किस दर से दी गई अथवा ठेकेदार को ठेका किन शर्तों से दिया गया है।

उत्तर

1. झालरापाटन में तालाब मूंडल्या खेड़ी व गोमती सागर की नहरों की सफाई माह नवम्बर सन् 1967 में हुई। तालाब मूंडल्या खेड़ी की नहरों की सफाई की मजदूरी दिसम्बर सन् 1967 में ही चुका दी गई परन्तु गोमती सागर नहर की सफाई की मजदूरी मार्च सन् 1968 में चुकाई गई है।

(सिंचाई मंत्री)

2. जी नहीं, सिर्फ एक आदमी जो भुगतान के समय मौजूद नहीं था जिसकी राशि केवल 23) रुपये हैं।

3. गोमती सागर की नहर पर मजदूर अमानी में लगाये गये थे व मूंडल्या खेड़ी की नहरों का काम ठेके पर श्री जगदीश प्रसाद ठेकेदार को दिया गया था।

4. मजदूरों की रेट अमानी में 2-31 रु. प्रति मजदूर प्रति दिन थी और ठेके की दर शिड्यूल रेट 28) रु. प्रति हजार घन फुट मिट्टी खोदने व डालने की है और इसी रेट पर ठेका दिया गया था। ठेकेदार को कार्य वर्क ऑर्डर पर दिया गया था।

अनाज को नुकसान

161. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में जुलाई सन् 1968 की वर्षा के फलस्वरूप सरकार एवं फूड कारपोरेशन द्वारा खरीद किया हुआ अथवा इकट्ठा रक्खा हुआ कितना अनाज कहां कहां खराब हुआ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस खराबी के लिए कौन जिम्मेवार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं व चना जुलाई 1968 की वर्षा में निम्न स्थानों पर उनके सामने अंकित मात्रा में खराब हुआ :--

	चना		गेहूं	
	क्वीं.	किलो	क्वीं.	किलो
बीकानेर	—	—	2	70
जोधपुर	170	00	110	00

राज्य सरकार के गोदामों में रखा हुआ अनाज निम्न स्थानों पर उनके सामने अंकित मात्रा में खराब हुआ :—

बांसवाड़ा (भमीसोर गोदाम) आयातित गेहूं 20 बोरी

डूंगरपुर आयातित गेहूं 95 बोरी

(2) खाद्य निगम द्वारा गंगानगर में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं व चना खरीदा गया था जिसको रखने के लिए गोदाम कम पड़ जाने से खाद्यान्न खुले रेल्वे वेगन्स में बीकानेर तथा जोधपुर में जुलाई, 1968 में भेजा गया रास्ते में वर्षा की वजह से कुछ वेगन्स में खाद्यान्न भीग गये जिसके फलस्वरूप प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में बताई गई मात्रा में खाद्यान्न खराब हुये जिसके लिये निगम द्वारा रेल्वे से क्लेम करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बांसवाड़ा में भीमसोर स्थित पक्का गोदाम .. 31 जुलाई, 68 की रात को वर्षा से गिर जाने के कारण 20 बोरी आयातित गेहूं की भीग गई जिसको बाद में सुखाकर दूसरी बोरियों में भरा दिया गया तथा उस गोदाम का पूरा स्टोक दूसरे गोदाम में रखा गया।

(खाद्य मंत्री)

डूंगरपुर में जुलाई 68 में भारी वर्षा के कारण रात में बन्द गोदामों में रखा हुआ 95 बोरी आयातित गेहूं भीग जाने से खराब हुआ ।

चूंकि आकस्मिक भारी वर्षा की वजह से उपरोक्त जिलों में खाद्यान्न खराब हुआ जिस हेतु किसी व्यक्ति विशेष को जुम्मेवार नहीं माना जा सकता ।

सिंचाई कर की वसूली

162. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में जिन खेतों में किसानों ने गुरचनी, बेजर की काश्त की है उस पर भी सिंचाई की बढ़ी हुई दरों से सिंचाई कर वसूल किया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों एवं राजनैतिक दलों ने इस संबंध में राज्य सरकार को अनेक स्मरण-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के उन गांवों से जिनमें पिछली साल बाढ की वजह से पानी भर गया था और फसल नष्ट हो गई थी उनसे भी सिंचाई कर वसूल किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1. जी हां, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 18 (6) सिंचाई/60, दिनांक 23-1-67 के अनुसार से खरीफ 1967 से सिंचाई दरें बढ़ा दी गई हैं ।

2. यह मसला सरकार के ध्यान में लाया गया था पर सरकार ने नियमों में कोई संशोधन करना ठीक नहीं समझा ।

3. जी नहीं, जिन खेतों में माह अक्टूबर के अन्त तक पानी सूख गया हो या खाली कर दिया गया हो उन्हीं पर आबयाना कायम किया गया है। बाढ की वजह से यदि कोई खरीफ की फसल नष्ट हो गई हो तो उसका आबयाना वसूल नहीं किया जाता ।

इ. एस. आइ. डिस्पेन्सरी बनीपार्क में दवाइयों की कमी

163. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इ. एस. आइ. डिस्पेन्सरी नं. 2, बनीपार्क, जयपुर, में दवाइयों की कमी है और जो स्टेन्डर्ड मिक्सचर मुकर्रर हैं वो भी पूरे नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वहां पच्चीस मरीज टी. बी. के हैं परन्तु दवा आदि केवल पांच मरीजों को दी जा सके, उतनी ही दी जा रही है ?

(3) वहां का ब्लड प्रेसर लेने का इन्स्ट्रूमेंट कितने दिनों से खराब पड़ा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त डिसपेन्सरी के मरीज बीमा के रुपये जमा करते हैं और दवा आदि की रकम राज्य सरकार नहीं देती है, कारपोरेशन देता है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(5) दवाइयों की कमी का कारण क्या है ?

उत्तर

1. जी नहीं, और तमाम स्टेंडर्ड मिक्स्चर भी डिस्पेंसरी में उपलब्ध है ।

2. जी नहीं, उक्त डिस्पेंसरी में टी. बी. के करीबन 100 मरीज हैं और सभी मरीजों को दवा दी जाती है ।

3. वहां का उक्त यंत्र ठीक काम कर रहा है ।

4. बीमित श्रमिक का चन्दा, उसके मासिक वेतन से कटता है, जिसका हिसाब क्षेत्रीय निदेशक, क. रा. बी. निगम, जयपुर के कार्यालय में रहता है । इसके बदले में निःशुल्क चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकार का है ।

यदि कोई दवा डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं होती है, तो श्रमिक को केमिस्ट से दवा मंगा कर उसको दी जाती है या श्रमिक को अगर वह स्वयं दवा खरीद लेता है तो उसको उसका पैसा बाद में दिया जाता है ।

5. दवाइयों की कमी नहीं है ।

गांव देवड़ा पीपली में भूमि का आवंटन

164. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गांव देवड़ा पीपली, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में निम्न व्यक्तियों को 20-6-65 को भूमि आवंटित की गई है :—

(1) श्री सवा पिता दोला जाट, नि. देवड़ा पीपली ।

(2) श्री सोला पिता गेहरीलाल जाट नि. देवड़ा पीपली

(3) श्री नवलदास पिता उंकारदास	देवड़ा	पीपली
(4) श्री किशोर पिता हजारी जाट	,,	,,
(5) श्री गोदू पिता किशना जाट	,,	,,
(6) श्री डालू पिता हीरा जाट	,,	,,
(7) श्री टोडू पिता बरदा जाट	,,	,,
(8) श्री शंकर पिता भुवाना जाट	,,	,,

यदि उपरोक्त व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है तो किस आराजी नम्बर की है ?

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है, उनके परिवार के मुखियाओं के नाम पर काफी भूमि है जिससे ये लोग भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं ? यदि हां, तो इनको भूमि क्यों आवंटित की गई और इसमें किस का दोष है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई ?

(श्री शंकरलाल जाट)

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि आवंटन केवल तहसीलदार और सरपंच दोनों ने ही कर दी थी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि भूमि एलॉटमेंट कमेटी की बैठक की सूचना क्षेत्रीय विधायक और प्रधान को नहीं दी गई थी ?

(5) क्या यह सही है कि भूमि आवंटन में भूमिहीन व्यक्तियों और अनुसूचित जन जाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हाँ, तो वहां के निवासियान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई थी थी ?

उत्तर

(दिनांक 10-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत किशनगढ रेनवाल में जमीन को नीलामी

165. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डोन-सु) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत किशनगढ रेनवाल के उप-सरपंच श्री भैरव दास ने ग्राम पंचायत की जमीन को 1) रु. प्रति गज की दर से श्री सुलेमान, पंच, ग्राम पंचायत किशनगढ़ रेनवाल को दिया है ?

(2) क्या यह सही है इसी जमीन के ठीक सामने की जमीन को ग्राम पंचायत किशनगढ रेनवाल ने नीलाम किया है ? यदि हां, तो बोली प्रति गज कितने में खत्म हुई ?

(3) उपरोक्त जमीन 1) रु. प्रतिगज किस आधार पर दी गई है ?

उत्तर

1. जी नहीं ।

2. जी नहीं ।

3. प्रश्न नहीं उठता ।

हालोलाव बांध

166. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा निवाई के पास बांध हालोलाव का निर्माण कब किया गया और उससे कितने बीघा जमीन की सिंचाई होती रही थी ? 10 वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस बांध से अब उतनी सिंचाई नहीं होती है जितनी पहले होती थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध की समय समय पर मरम्मत नहीं की गई है इसलिए इसमें पूरा पानी नहीं आता है और इसकी वजह से आसपास के कुओं का पानी भी गिर गया है ?

(4) क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

1. यह बांध बहुत पुराना है पिछले 10 सालों के सिंचाई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	सिंचाई एकड़ों में
1955-56	21
56-57	32
57-58	58
58-59	21
59-60	103
60-61	19
61-62	61
62-63	—
63-64	31
64-65	43
65-66	—
66-67	—
67-68	—

2. वर्षात की कमी या तालाव में पानी कम आने के कारण सिंचाई कम होती है।

3. जी नहीं, वांध में पानी कम आने का कारण वर्षा की कमी है बांध में पानी कम आने के कारण आसपास के कुओं में पानी का लेवल कम हो गया है।

4. आवश्यकतानुसार बांध की मरम्मत कराई जाती है।

चाड़वास ग्राम में पशुओं की नीलामी

167. **श्री लाभचन्द दैद** (सुजानगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिला स्थित सुजानगढ़ तहसील के अन्तर्गत चाड़वास ग्राम में ता. 14 अगस्त, 1967 को फाटक के पशु किस किस किस्म के कितने कितने मूल्य में नीलाम किये गये ?

(2) उपरोक्त ग्राम में उसके तत्काल वाद किस तारीख को किस किस किस्म के कितने कितने मूल्य में पशु नीलाम किये गये ?

उत्तर

(1) कोई पशु नीलाम नहीं किये गये।

(2) दिनांक 16 अगस्त, 1967 को पशु नीलाम किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.205

चूरू जिला स्थित सुजानगढ़ तहसील के ग्राम चाड़वास द्वारा दिनांक 16-8-67 को नीलाम किये गये पशुओं का विवरण।

क्रमांक	नाम पशु उसका विवरण	रकम
१	२	३
1.	टोगड़ियों (लीला)	180) रु०
2.	नारा (चितरी)	
3.	भेड़कियों (पीलोणरा)	
4.	गाय (सफेद)	45) रु०
5.	गाय (पीली)	46) रु०
6.	गाय (धोली बड़ी)	30) रु०
7.	,, (धोली कानकटा)	32) रु०
8.	,, (धोली पतलासींग)	4) 50
9.	,, (मुटिया सींग सफेद)	5) रु०
10.	,, (लीली)	4) 50
11.	,, (सफेद पीली)	4) रु०
12.	,, (धोली)	4) रु०
13.	बेड़की (पीली)	3) 50
14.	बेड़की (धोली मोडी)	4) 50
15.	टोगड़ी (पीली)	3) रु०
16.	,, (मुगली)	3) रु०
17.	,, (पीली)	3) रु०
18.	,, (छोटी लीली)	3) रु०

Page No.206

1	2	3
19.	टोगड़ी (धोली)	2) ह०
20.	,, (वड़ी पीली)	3) 50
21.	,, वेड़की (पीली)	4) 50
22.	,, ,, ,,	4) 50
23.	,, ,, ,,	5) ह०
24.	,, ,, ,,	7) ह०
25.	गाय (गूगली)	5) 50
26.	वेड़की (लीली)	4) 50
27.	गाय (धोली)	4) 50
28.	वेड़की (गूगली)	4) 50
29.	वेड़की (धोली)	4) 50
30.	गाय (धोली)	4) 50
31.	,, (पीली)	4) 50
32.	,, (लीली)	4) 50
33.	,, (पीली)	4) 50
34.	,, (काली मोडी)	4) 50
35.	,, (लीली)	4) 50

तहसीलदारों का स्थानान्तरण

168. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसीलदारों के स्थानान्तरण के मामलों में सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या स्थानान्तरण के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) गंगानगर जिला में तहसीलदारों का तबादला करने के लिए कोई अलग नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो फिर क्या क्राइटेरिया रखा गया है ?

उत्तर

1. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 1 (20) जी. ए/ए/ग्रुप— 2/63, दिनांक 21-10-63 द्वारा तहसीलदारों के स्थानान्तरण दो साल से पूर्व नहीं किये जाने चाहिये और एक तहसीलदार को एक ही तहसील में पांच साल से अधिक नहीं रहना चाहिये। परन्तु प्रशासनिक कारणों से दो साल से पूर्व स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। परिपत्र संख्या एफ 1(177) रा/ग/67, दिनांक 29-2-68 द्वारा तहसीलदारों के स्थानान्तरण उनके अपने जिले में नहीं किये जाने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

2. जी नहीं। प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं जिसकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

3. जी नहीं। कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच, ग्राम पंचायत दूनी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

169. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सरपंच, ग्राम पंचायत दूनी पंचायत समिति दूनी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया गया है? यदि हां, तो कब ? इस मिटिंग में कौन अधिकारी था ?

(2) क्या यह सत्य है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा कुछ सदस्यों को इस अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने से रोक दिया गया था ? यदि, हां तो ऐसे आदेश कब जारी किए गए थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि इन आदेशों की अनुपालना तहसीलदार देवली द्वारा नहीं की गई और उन सदस्यों को उस मीटिंग में भाग लेने की स्वीकृति दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सत्य है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के आदेश समय से पूर्व तहसीलदार देवली को मिल गए थे ? यदि हां, तो उसने पालन क्यों नहीं किया ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

1. जी हां, दिनांक 8-5-67 व 28-6-68 को मीटिंग का सभापतित्व तहसीलदार देवली ने किया।

2. जी हां, 8-5-67 को जो प्रस्ताव पेश हुआ उस सम्बन्ध में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट टोंक ने 4 सदस्यों को बैठक में भाग लेने के विरुद्ध अस्थाई निशेध आज्ञा, दिनांक 3-5-67 को जारी की।

3-4. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट टोंक का उक्त आदेश तहसीलदार को 8-5-67 को बैठक के समय प्राप्त हुआ। निशेध आज्ञा का पालन इस कारण नहीं हो सका कि बैठक उप जिला विकास अधिकारी द्वारा आमंत्रित की गई थी और उसको ही निशेध आज्ञा की सूचना होनी चाहिए थी। तहसीलदार को किसी आमंत्रित व्यक्ति के आमंत्रण को वापस लेने का अधिकार नहीं था।

तहसील खारची के सिंचाई बांधों का सर्वे

170. **श्री सुरेन्द्रसिंह** (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील खारची, जिला पाली में कितने सिंचाई बांधों की सर्वे हो चुकी है?

(ख) इनमें से कितनों की बनवाने की सरकार ने स्वीकृति दे दी है?

(ग) कादू बांध की सर्वे किस वर्ष में हुई थी?

(घ) इनमें से कितने बांध कब से बनवाने शुरू किये जायेंगे?

उत्तर

1. तहसील खारची जिला पाली में तीन बांधों का सर्वे हो चुका है।

2. इसमें से किसी को भी बनाने की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है।

3. 1965 में।

4. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

सरपंच ग्राम गुलर द्वारा सांड की खरीद

171. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरपंच, ग्राम गूलर ने सांड खरीदने के लिए पंचायत समिति परबतसर से कितनी रकम ली?

(2) जब गांव वालों ने चन्दा करके सांड खरीदा तो सरपंच को रकम क्यों दी गई?

3. क्या सरपंच के खिलाफ कलेक्टर नागौर द्वारा सांड न लेने व पंचायत समिति से रकम लेकर हड़प करने के सम्बन्ध में जांच कराई गई थी? यदि हां तो उसका क्या नतीजा रहा?

उत्तर

1. 950) रुपए।

(पंचायत मंत्री)

2. पंचायत समिति के ध्यान में नहीं लाया गया था।

3. जी हां, कार्यवाही चालू है। निर्णय अभी नहीं हुआ है।

तहसील लक्ष्मणगढ़ में चिकित्सालय

172. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि ग्राम बड़ौदा, तहसील लक्ष्मणगढ़ में आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक दोनों प्रकार की डिस्पेन्सरियां हैं? एक ही स्थान पर दो डिस्पेन्सरियां रखने का क्या कारण है?

2. क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में बहुत से ऐसे ग्राम हैं जहां पर 20-20 ग्रामों के बीच में एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है?

उत्तर

1. आयुर्वेदिक औषधालय सन् 1949 से चल रहा है एवं ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी 30-6-60 से पंचायत समिति गोविन्दगढ़, मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ के प्रस्ताव के अनुसार चल रही है। ऐसे स्थानों से जहां आयुर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सालय मौजूद हैं वहां से एक चिकित्सालय हटाने के प्रस्ताव आयुर्वेद विभाग द्वारा मांगे जा चुके हैं।

२. जी नहीं।

शामलात की भूमि

173. फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जमींदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 अजमेर जिले में लागू होने से पहले जिले में खेवटदारी प्रथा प्रचलित थी जिसके अन्तर्गत कब्जेशुदा शामलात-भूमि के किसान मालिक माने जाते थे?

2. क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अजमेर जिले में उपरोक्त अधिनियम लागू होते समय ऐसी भूमि थी जो किसानों के घास के बीड़ों के रूप में काम में आती थी और उस पर किसानों का कब्जा कई पीढ़ियों से लगातार चला आ रहा था?

3. क्या सरकार को यह विदित है कि ग्राम टाड़गढ़ के लगभग 60 काश्तकारों को ऊपर वर्णित प्रकार के पुश्तैनी कब्जेशुदा घास के बीड़ों से बेदखल करने के लिए नायब तहसीलदार ब्यावर ने भू-राजस्व अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत नोटिस दिये थे जिसकी पेशी ता० 15-7-68 को ग्राम टाड़गढ़ में निश्चित थी?

4. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मुकदमों के कारण ग्राम टाड़गढ़ की तथा आसपास की किसान जनता में बड़ा असंतोष उत्पन्न हो रहा है?

5. क्या पुराने खेवटदारी क्षेत्र में किसानों के कब्जेशुदा पुश्तैनी घास के बीड़ों पर किसानों के अधिकार व कब्जे को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोई आदेश प्रसारित करेगी?

उत्तर

1. जमींदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 लागू होने से पूर्व इस जिले में

(राजस्वमंत्री)

खेवटदारी प्रथा प्रचलित थी अधिनियम जारी होने पर शामलात देह का रकबा सरकारी भूमि माना गया।

2. जो रकबा खेवटदार या काश्तकार के कब्जे में होकर रेकार्डेड था वह उसका खातेदार माना गया चाहे वह रकबा काश्त के काम में आता था या घास बीड़ के रूप में।

3. राज्य के रकबे पर वह जांच इन लोगों का नाजायज कब्जा पाये जाने के कारण नियमानुसार इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। अगर कानूनन ये सुनवाई में अपना कब्जा साबित कर पायेंगे तो रेग्यूलराइजेशन की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा हो सकेगी।

4. नियमान्तर्गत कार्यवाही से असंतोष का कोई कारण ही नहीं है।

5. अधिनियम में सब प्रावधान हैं।

विकास अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आदेश

174. **श्री देवीदत्त गाढ़िया** (बारां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

1. क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के वर्तमान विकास अधिकारी ने समिति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि को लिखित ऐसे आदेश दिए हैं ताकि वे प्रधान के बुलाने पर नहीं आवें तथा उनके कहने पर कोई कार्य नहीं करें ?

2. क्या यह सही है कि दो-तीन माह पूर्व कोटा जिला परिषद् की बैठक में अतिरिक्त विकास कमिश्नर व जिलाधीश कोटा की उपस्थिति में इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई थी ?

3. क्या यह सही है कि उक्त अतिरिक्त विकास कमिश्नर श्री जोशी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रीजी के पास भेजी थी ?

4. यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1. जी हां।

2. स्थानापन्न विकास अधिकारी के विरुद्ध कुछ अनियमितताओं के संबंध में चर्चा हुई थी।

3. जी नहीं।

4. प्रश्न नहीं उठता।

तहसील टीबी के ग्रामों में डिग्गियों का निर्माण

175. **श्री बीरबल** (सांगरिया सु०) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. राजस्थान कैनाल क्षेत्र में तहसील टीबी के जो पन्द्रह ग्राम पड़ते हैं उनमें से पीने के पानी के लिए कौन कौन से ग्रामों में डिग्गियों का निर्माण किया गया है ?

2. क्या यह सही है कि इन डिग्गियों में से एक में भी पानी नहीं ठहरता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री बीरबल)

3. क्या यह सही है कि ग्राम केहूर-वाला की डिग्गी में ओवरसीयर व ठेकेदार द्वारा पूरी सीमेन्ट का उपयोग न करके उसे बेच देने की शिकायत ग्रामवासियों व पंचायत द्वारा की जाकर जांच की मांग की गई है ? यदि हां, तो जांच क्यों नहीं की गई है और अब कब तक की जायगी ?

उत्तर

1. राजस्थान कैनाल क्षेत्र में तहसील, टीबी के जिन गांवों में पीने के पानी के लिए डिग्गयों का निर्माण कराया गया उनकी सूची निम्न प्रकार हैं—

1. रामपुरा उर्फ रामसरा 3 चक नं० 3 आर० डब्लू०डी०।

2. डबली कला–चक नं० 13 डी.बी. एस.

3. केहरवाला–चक नं० 10 आर०डब्लू०डी०।

4. मुहरानपुर 1–चक नं० 11-2-चक नं० 14 बी.पी.एम.।

5. मसीतावाली चक नं० 1 एम.एस. टी. एम.एस.।

6. मोहन मगरिया चक नं० 8 एन. डी.आर.

7. मैनावाली चक नं० 5 एम.डब्लू. एम.

2. इसकी जानकारी की जा रही है।

3. इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिए जांच करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची)

सूची जायदाद जो बेची गई मन्दिर कल्याणरायजी की

नाम बेचने वाले का :- हरिदास।

1–हिन्डौन दरवाजा 3 दुकान खाम पाटौर पोश व कुआवजे– दुर्गालाल पुत्र रामहेतलाल ब्राह्मण, मुख्त्यार मन्दिर को रजिस्ट्री, तारीख 12–7–58 को रजिस्टर नं० 5 बुक नम्बर 115–116

2–हिन्डौन दरवाजे मकान एक खाम व मुआवजे में 500 रुपये दुर्गालाल पुत्र रामहेत लाल, तारीख 12–7–58 रजिस्टर नं० 5, पेज नं० 113–114

3–दुकान एक पुख्ता हिन्डौन दरवाजे व मुआवजे में 2000 रुपये श्रीमती रुकमणी देवी धर्मपत्नि श्री दुर्गालाल, मुख्त्यार व अनन्तप्रसाद नाबालिग पुत्र दुर्गालाल, मुख्त्यार को दिनांक 6–10–59 रजिस्टर नं० 181 पेज नं० 1

नाम बेचने वाला:—घनश्यामदास।

4–मकान सामलिया कलाहरवाला रुकमणी धर्मपत्नि श्री दुर्गालाल व मुआवजा 2500 रुपया मोहन चन्द नाबालिग, पुत्र दुर्गालाल, तारीख 7–2–62, बुक नं० 1 पेज नं० 21·22.

सूची देवस्थान विभाग दी जाने वाली सहायता

प्रश्न दो (2) के अन्तर्गत :—

क्रमांक	नाम मन्दिर	एड	मासिक घास	सूगधंना मासिक
1.	श्री कल्याण राय जी	4	23-25	2-12
2.	श्री प्रतापजगत जी रतियापुरा	1		

इस मन्दिर के तहत निम्न मन्दिरान भी हैं लेकिन विभाग से कोई सहायता नहीं मिलती है।

1– श्री महादेवजी।

2– श्री श्यामसुन्दरजी जगायात के पास।

3– श्री मन्दिर भावली सब-तहसील मासलपुर में।

4– एक मन्दिर ग्राम मोचा, तहसील हिन्डौन में।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 163 की सूची)

सूची 'अ'

1. तिल्की बाई पत्नि श्री मोहनदास
2. समीबाई पत्नि श्री कस्तू
3. श्री तीरथदास पुत्र श्री दयालदास
4. श्रीमती मूली पत्नि मोती नाई
5. श्री मंघाराम पुत्र राजूराम
6. श्रीमती जेठीबाई पत्नि किस्तूरचन्द
7. श्री किस्तूरा पुत्र केतू
8. श्री भागचन्द वल्द केशरीमल
9. श्री हरिराम पुत्र किसनचन्द
10. श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नि चेलाराम
11. धनीबाई पत्नि मगा
12. श्री नगराम पुत्र मानीराम
13. श्रीमती जमना देवी पत्नि जमनादास
14. श्रीमती गोमतीबाई पत्नि साधाजी खत्री
15. श्रीमती देवी पत्नि खेताराम
16. श्रीमती अलोरी पत्नि सामु
17. श्री जैठमल पुत्र शिवबक्सजी
18. श्री भोजराज पुत्र नरोत्तम जोशी
19. श्रीमती किशमा पत्नि तिलोकचन्द

Page No.214

20. श्रीमती वैरनबाई पत्नि कुन्दोमल

21. श्री नरसिंगा वल्द मुल्ला जाट

22. श्रीमती पैवी पत्नि सुमारमल

23. श्री सुमार वल्द कोजा

24. श्रीमती नंदू पत्नि रणजीताजी दर्जी

25. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि शेवाजी

26. श्रीमती मानी पत्नि कन्हैयालाल

27. श्रीमती छोटी पत्नि सोनाजी

28. श्री सुओ पुत्र विरनोमल

29. आसोदोमल लिछमन दास

सूची 'ब'

1. कु० दुर्गा पुत्री पांचा, सा० मडरा रोड़, तहसील शिव ।
2. श्रीमती लछमी पत्नि प्रहलाद देसान्तरी, तहसील चोहटन ।
3. श्री मीरन पुत्र रहीम, सा० कपूरड़ी, तहसील बाड़मेर ।
4. श्रीमती कस्तूरी पत्नि गणेशाजी, तहसील बाड़मेर ।
5. श्रीमती मोसी पत्नि पोकरजी, तहसील बाड़मेर ।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 170 की सूची)

सूची भूमिदाता ग्राम कृष्णपुरा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर।

क. सं.	भूमिदाता	बीघा	विशेष विवरण	
1.	श्री बालाराम पुत्र गणेशराम जाट	88।।।)1	17-8-60	को भूमि
2.	,, मोटाराम पुत्र देवा जाट	66।।)1	18-8-60	दान
3.	,, नन्दराम नारायण राम श्री देवाराम	39)1	,,	,,
4.	,, अमरा राम पुत्र गणेशराम जाट	37।।)4	,,	,,
5.	,, सोहाण नारायणराम पुत्र केसाराम जाट	48।।)2	,,	,,
6.	,, लालाराम पुत्र श्री सनाराम जाट	27।।।)1	,,	,,
7.	,, अमनराम पुत्र लालाराम जाट	18।।।)1	,,	,,
8.	,, लूणाराम पुत्र उदाराम जाट	95)	,,	,,
9.	,, गोपाराम पुत्र गणेशराम	41।।।)	,,	,,
10.	,, नारायणराम मुकनाराम पुत्र मूलाराम जाट	63।।)	,,	,,
11.	,, खूमाराम मालाराम पुत्र सोलाराम	38)	,,	,,
12.	,, गुमानराम पुत्र रूपाराम जाट	66।।।)4	,,	,,
13.	,, मुलाराम पुत्र किसनाराम जाट	18)	,,	,,
14.	,, कुमाराम मानाराम गूजर	55।।)4	,,	,,
15.	,, भूराराम पुत्र रूपाराम, जाट	120।।)	,,	,,
16.	,, कालू पुत्र रूपाराम जाट	36)2	,,	,,
17.	,, मोडाराम पुत्र पोखरराम जाट	58)1	,,	,,
18.	,, दानाराम दशरा पुत्र डूंगाराम जाट	42।)	,,	,,
19.	,, कुमाराम पुत्र गणेशराम जाट	30।।।)3	,,	,,
20.	,, देवाराम पुत्र मोतीराम जाट	12।।)	,,	,,
21.	,, खुमाराम बालाराम पुत्र सोलाराम	43)4	,,	,,
		1056।।।)4		

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 174 की सूची)

प्रश्न 3 के भाग 3 की सूची

स्थान का नाम	एक्स-रे	रेडियोग्राफर	टेक्नीशियन	ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स
अजमेर	9	1	1	7
अलवर	3	—	3	2
बांसवाड़ा	3	—	—	3
बाड़मेर	1	—	1	—
भरतपुर	4	—	1	3
धौलपुर	2	—	1	1
भीलवाड़ा	1	—	1	—
बीकानेर	6	2	1	3
बूंदी	1	—	1	—
चितौड़गढ़	4	—	2	2
चूरू	8	—	4	4
डूंगरपुर	2	—	—	2
गंगानगर	4	—	1	3
जयपुर	9	4	5	—
जालोर	1	—	—	1
झालावाड़	2	—	1	1
झुंझुनूं	3	—	—	3
जोधपुर	6	2	1	3
जैसलमेर	2	—	1	2
कोटा	3	—	2	1
नागौर	6	—	3	3
पाली	3	—	2	1
सवाई माधोपुर	2	—	1	1
सीकर	3	—	1	2
सिरोही	2	—	2	2
टोंक	3	—	—	3
उदयपुर	6	1	3	2

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूची)

वर्ष, 1967-68 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाये गये मलेरिया केसेज की जिलेवार सूची:—

क्र० सं०	नाम जिला	मलेरिया केसेज
1.	अजमेर	916
2.	अलवर	572
3.	बांसवाड़ा	1451
4.	बाड़मेर	510
5.	भरतपुर	1199
6.	भीलवाड़ा	2210
7.	बीकानेर	120
8.	बूंदी	804
9.	चितौड़गढ़	1414
10.	चूरू	87
11.	डूंगरपुर	4328
12.	गंगानगर	362
13.	जयपुर	319
14.	जालौर	350
15.	झालावाड़	646
16.	झुन्झुनूं	18
17.	जोधपुर	1264
18.	जैसलमेर	3
19.	कोटा	2794
20.	नागौर	260
21.	पाली	1822
22.	सवाई माधोपुर	1035
23.	सीकर	37
24.	सिरोही	162
25.	टोंक	369
26.	उदयपर	1376
	राजस्थान कुल योग	24,428

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची)

प्रश्न संख्या 36/व० मं० द्वारा श्री जुझारसिंह (43) के प्रश्न 1 की सूची

	फारेस्ट डिवीजन	रकबा हैक्टेयर में	इमारती व चालू जलाऊ लकड़ी का अनुपात
1.	अजमेर	1,82,461	मुख्यतया जलाऊ लकड़ी।
2.	भरतपुर	6,19,309	,,
3.	जयपुर	2,58,973	,,
4.	जोधपुर	1,48,473	,,
5.	बारां	2,33,373	106.5
6.	बूंदी	1,52,623	मुख्यतया जलाऊ लकड़ी।
7.	कोटा	1,35,020	,,
8.	टोंक	1,27,426	,,
9.	झालावाड़	1,31,984	1.244
10.	बांसवाड़ा	2,82,127	5.6.1
11.	चित्तौड़गढ़	3,15,958	1.4
12.	सिरोही	1,63,071	मुख्यतया जलाऊ लकड़ी।
13.	उदयपुर	10,12,997	1.115

प्रश्न संख्या 3 की सारणी

जिला	आय 1966-67	क्षेत्रफल हैक्टर्स में
बांसवाड़ा	2,750	16,972
चित्तौड़गढ़	5,81,002	50,857
सिरोही	1,02,100	5,147
उदयपुर	9,17,398	1,56,993
कोटा	4,600	{ 5563 + 5068
झालावाड़	1,800	4625
अलवर	61,107	36419
	16,76,757	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न

पंचायत समिति पाली जिला पाली (राजस्थान)

क्र०सं०	नाम ग्राम पंचायत	वर्ष 1963 बीज	खाद	1964 बीज	खाद
1.	ग्राम पंचायत हेमावास	150 क्वि०	—	—	—
2.	,, ,, खेतावास	22 ,,	—	—	—
3.	,, ,, दयालपुरा	80 ,,	—	—	—
4.	,, ,, गुडासैन्डला	2 क्यु०	—	324 कु०	45 बोरी
5.	,, ,, खैरवा	20 ,,	—	—	—
6.	,, ,, सोनाई मांजी	2 ,,	—	—	—
7.	,, ,, बुमादड़ा	—	—	132·90 कु०	—
8.	,, ,, डिरी	—	—	49·33 ,,	—
9.	,, ,, रूपावास	—	—	—	—
10.	,, ,, लाम्बोया	—	—	—	—
11.	,, ,, टेवाली	—	—	—	—
12.	,, ,, भांवरी	—	—	—	—

नोट:—सन् 59 से पूर्व का रिकार्ड पंचायत समिति में नहीं है।

संख्या 193 की सूची)

पंचायतों को वर्षवार वितरण बीज खाद की सूची

1965		1966		योग	
बीज	खाद	बीज	खाद	बीज	खाद
—	—	—	—	150 क्विंटल	—
—	—	—	—	22 ,,	—
—	58 बोरी	—	—	80 ,,	58 बोरी
199 कु०	20 ,,	—	—	525 ,,	65 बोरी
—	—	—	—	20 कु०	—
—	—	—	—	2 ,,	—
24 कु०	—	-	—	156-90 कु०	—
—	—	—	—	49-33 ,,	-
109-74 कु०	266 ,,	—	—	109-74 ,,	266 बोरी
55 कु०	30 बोरी	—	—	55-00 ,,	30 ,,
31-91	46 ,,	—	—	31-91 ,,	46 ,,
70-00	10 ,,	—	—	70-00 ,,	10 ,,
			योगः-	1271-88 ,,	475 बोरी।

पंचायत समिति पाली (मारवाड़)

ग्राम पंचायत से हुई बीज की वसूली की राशि की सूची

नाम पंचायत	मूल	ब्याज	योग
1. ग्राम पंचायत बुमादड़ा	1877-59	1086-12	4246-73
2. ,, ,, खेनावास	330-60	49-40	380-00
3. ,, ,, हेमावास	4369-79	260-00	4629-79
4. ,, ,, गुडाएन्दला	3683-37	833-86	4517-23
5. ,, ,, खैरवा	67-20	286-40	335-60
6. ,, ,, सोनाई मांजी	107-16	43-99	151-55
7. ,, ,, लाम्बिया	77-67	122-33	200-00
8. ,, ,, देवाली	178-50	121-50	300-00
9. ,, ,, भांवरी	2612-07	27-93	2690-00
योग	13303-95	4146-95	17450-90

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूची)

पाली व रोहट पंचायत समितियों के जिन जिन व्यक्तियों को मुर्गी पालन के लिए दिये गए ऋण व अनुदान की सूची।

क्रमांक	नाम जिन व्यक्तियों को ऋण व अनुदान दिया गया	दिनांक	रकम	
	पंचायत समिति पाली			
ऋण				
1.	श्रीमती मिथलेशकुमारी पत्नि किशोरी लाल गर्ग हाल डेन्डा	9-6-67	500) रु०	उपयोग नहीं किया
2.	श्रीमती जानकीदेवी पत्नि लक्ष्मी-नारायण शर्मा एल. डी. सी. हाल पाली	21-1-67	1000) रु०	उपयोग नहीं किया
3.	श्री मुस्ताक अहमद / हकीम अमीर अहमद मुसलमान पाली	21-8-67	1000) रु०	उपयोग कर लिया
4.	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री मूलचन्द त्रिवेदी यू. डी. सी. पाली	25-11-67	2000) रु०	उपयोग नहीं किया
		ऋण योग	4500) रु०	
अनुदान				
1.	श्री मुस्ताक अहमद वल्द हकीम अमीर मुसलमान पाली	28-8-67	310) रु०	उपयोग कर लिया
2.	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री मूलचंद त्रिवेदी पाली	16-1-68	620) रु०	उपयोग नहीं किया
		योग अनुदान	930) रु०	
	पंचायत समिति रोहट			
ऋण				
1.	श्री अब्दुल गफार पुत्र गुलाम रंगरेज रोहट	64-65	300) रु०	उपयोग कर लिया
2.	श्री प्रभूसिंह पुत्र श्री धनसिंह रोहट	68-69	300) रु०	उपयोग कर लिया

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 198 की सूची)

सूची संख्या 134 अं० ता० द्वारा श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, राजस्थान विधान सभा

क्रमांक	नाम फर्म जिसे परमिट दिया गया	तादाद (टनों में)	तारीख
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल लि०, भिवानी ।	712	24- 6-66
		2075	27- 6-66
		980	2- 1-67
		705	31- 1-67
		86	13- 2-67
		70	23- 2-67
		750	3- 3-67
		1175	7- 4-67
		1400	3- 5-67
		1300	9- 6-67
		100	14- 9-67
2.	इण्डियन गम इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई ।	1000	24- 6-66
		600	16-12-66
		520	17-12-66
		205	24- 1-67
		275	4- 2-67
		200	10- 2-67
		1000	21- 2-67
		500	25- 2-67
		500	30- 3-67
		1040	14- 4-67
		1990	27- 5-67
		150	3- 6-67
		240	18- 7-67

1	2	3	4
		150	2- 8-67
		1100	23- 8-67
		100	14- 9-67
3.	प्रेमराम गम प्राइवेट लि०, बम्बई ।	1500	8-12-66
		160	5- 1-67
		140	4- 2-67
		1000	23- 2-67
		1000	3- 4-67
		90	15- 4-67
		1000	18- 4-67
4.	केलिको कोसिंग केमिकल्स, अहमदाबाद ।	300	8- 2-67
		330	19- 5-67
5.	हजरत एण्ड कं०, बम्बई ।	500	13- 7-66
		1200	9-12-66
		250	21-12-66
		475	2- 2-67
		75	10- 2-67
		250	6- 3-67
		400	24- 3-67
		100	6- 4-67
		50	27- 5-67
		2000	25- 8-67
6.	गम प्रोडेक्ट, अहमदाबाद ।	300	8- 2-67
		600	12- 5-67
7.	शक्ति गम इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद ।	428	17-12-66
8.	बोम्बे गम फक्ट्री, बम्बई ।	1000	21- 2-67

1	2	3	4
9.	शारदा गम इन्डस्ट्रीज, न्यू देहली।	160	4- 2-67
		209	8- 2-67
		500	17- 2-67
		100	26- 4-67
		42	30- 6-67
		42	3- 7-67
10.	श्री सरस्वती ग्रेन क्रासिंग मिल, बम्बई।	1000	13-12-67
		650	25- 1-67
		36	4- 2-67
		50	10- 2-67
		308	1- 3-67
		400	24- 3-67
		100	11- 4-67
		200	27- 5-67
		200	24- 6-67
11.	कृष्णा ग्रेन क्रासिंग मिल, बम्बई।	825	4- 2-67
		25	3- 2-67
		225	6- 3-67
		250	16- 3-67
		300	4- 4-67
		325	26- 4-67
		476	10- 5-67
		178	12- 6-67
		50	24- 6-67
		24	20- 7-67
		104	21- 7-67
		40	31- 7-68

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

क्रमांक	नाम	श्रेणी
1	2	3
1.	श्री भ० म० माछौगानो	सीनियर इन्जीनियर श्रीराम फरटेलाइजर, कोटा
2.	श्री म० नाजिया	इन्जीनियर, श्रीराम फरटेलाइजर, कोटा
3.	श्री के० ई० ओनिसान	असिसटेन्ट इन्जीनियर, गेमन एण्ड कम्पनी इण्डिया
4.	श्री आहूजा	फोरमैन श्रीराम फरटेलाइजर
5.	श्री प्रहलाद सिंह	मिस्त्री, श्रीराम फरटेलाइजर
6.	श्री बी० ओ० नारायण	कामगार, गेमन एण्ड कम्पनी इण्डिया
7.	श्री ओंकार टाक्का	—उपरोक्त—
8.	श्री मल्लका	कामगार, गेमन एण्ड कम्पनी इण्डिया
9.	श्रीमती इक्काबवो	कामगार, ,, ,, ,,
10.	श्री तुंगुप्पा	कामगार, ,, ,, ,,
11.	श्री समू	कामगार, ,, ,, ,,
12.	श्रीनारायण	कामगार, हिन्दुस्तान डेकोरेटर्स
13.	श्री रामराज	कामगार हिन्दुस्तान डेकोरेटर्स

क्रमांक	नाम	श्रेणी	मुआवजे की रकम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	श्री ग.म. मोकोगानो	सीनियर इन्जीनियर, श्रीराम फरटेलाइजर, कोटा।	55000) दिया गया तथा 100) प्रतिमाह उनकी पुत्री को दिया जायगा।	
2.	श्री म० नाजिया	इन्जीनियर, श्रीराम फरटेलाइजर, कोटा।	14000) दिया गया।	
3.	के० ई० श्रीनावासन	असि० इन्जीनियर, गेमन एण्ड कम्पनी, इन्डिया।	500) एक मुश्त दिया गया 9000) डब्लू०सी०सी० मद्रास को भेज दिये गये।	
4.	श्री आहूजा	फोरमैन, श्रीराम फरटेलाइजर, कोटा।	9500) एक मुश्त भुगतान।	
5.	श्री प्रहलाद सिंह	मिस्त्री, श्रीराम फरटेलाइजर, कोटा।	500) एक मुश्त दिये 6000) डब्लू०सी०सी० कोटा के पास जमा कराये।	आश्रीनों ने केश प्रस्तुत नहीं किये।
6.	श्री बी० वी० नारायण	कामगार, गेमन एण्ड कम्पनी, इण्डिया।	500) एक मुश्त दिये 6000) डब्लू०सी०सी० केरल को जमा कराये।	
7.	श्री ओंकार टाक्का	,, ,, ,,	1500) एक मुश्त दिये 7500) जमा कराये गये में से।	40) प्रति माह पत्नी को दिया जावेगा। बाकी 6000) में से

1	2	3	4	5
8.	श्री मल्लाका	कामगार गेमन एण्ड कम्पनी, इण्डिया	500) एक मुश्त 4800) डब्लू॰सी॰सी॰ कोटा के पास जमा।	12/3 व 19/3 को कोई उपस्थित नहीं था।
9.	श्रीमती इमामबी	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,
10.	श्री तु गुप्पा	,, ,, ,,	500) एक मुश्त दिये। 8000) डब्लू॰सी॰सी॰ कोटा के पास जमा कराये।	
11.	श्री सप्नू	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,
12.	श्रीनारायण	कामगार, हिन्दुस्तान डेकारेट्स	500) एक मुश्त दिये। 6000) डब्लू॰सी॰सी॰ कोटा को जमा कराये। 7000) मांग है।	मासिक ऊपर का कागज होगा या आगामी ता. 5-9-68 में
13.	श्री रामराज	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
3	अन्तिम से 9	बिश्नोई	विश्नोई
7	9	तह	तरह
7	अन्तिम से 2	विपय	विषय
9	अन्तिम से 8	डंगरपर	डूंगरपुर
11	2	है	हैं
19	2	पटवारा	पटवारी
26	13	पते	पत्ते
26	17	कन्सेंसनिस्ट	कन्सेसनिस्ट
26	अन्तिम से 7	ट्राईब्स के के	ट्राइब्स के
31	4	उर	उत्तर
33	15	हैं गई	गई हैं
51	अन्तिम से 4	थिति	स्थिति
62	11	छात्रों	छात्रा
71	अन्तिम से 1	निरस्तर	निरस्त
113	1	आर	और
113	5	करगे	करेंगे
116	अन्तिम से 9	मेकराना	मकराना
116	अन्तिम से 6	सिखवर्री	सिएादर्री
117	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों	अतारांकित प्रश्नोत्तर
118	1	पर अध्यक्षीय व्यवस्था	अतारांकित प्रश्नोत्तर
118	अन्तिम से 2	कब-कब न्याय	कब-कब से न्याय
119	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों	अतारांकित प्रश्नोत्तर
120	शीर्षक	पर अध्यक्षीय व्यवस्था	अतारांकित प्रश्नोत्तर
121	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों	अतारांकित प्रश्नोत्तर
122	शीर्षक	पर अध्यक्षीय व्यवस्था	अतारांकित प्रश्नोत्तर

1	2	3	4
123	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों	अतारांकित प्रश्नोत्तर
124	शीर्षक	पर अध्यक्षीय व्यवस्था	अतारांकित प्रश्नोत्तर
125	8	प्रकाशन का स्थगित	प्रकाशन स्थगित
126	7	पौन्इट	पॉइन्ट
128	अन्तिम से 9	महोदय अध्यक्ष	अध्यक्ष महोदय
128	अन्तिम से 8	सदन स्थगम	सदन में स्थगन
130	9	सर्विसेज के के	सर्विसेज के
130	अन्तिम से 12	आएग	आएंगे
132	5	करेगे	करेगा
132	12	नियुक्ति	नियुक्त
134	3	सदस्य	सदस्यों
134	अन्तिम से 5	कसेज	केसेज
135	11	हो सकता कि	हो सकता है कि
137	अन्तिम से 7	नसद	सदन
137	अन्तिम से 4	उपर	ऊपर
161	शीर्ष	श्री रामान्नद अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
161	7	उसको	उस पर
161	अन्तिम से 11	देर्स	दे रहे हैं।
161	अन्तिम से 3	पड़ा रहा है	पड़ रहा है
164	3	अधीन में	अधीन मैं
164	अन्तिम से 9	खेतों में	खेतों से
165	अन्तिम से 16	फैन्सी	फैन्सिग
165	अंतिम से 2	ताज्जुव वहुत	ताज्जुब की बात
166	18	क्वाटर	क्वार्टर
175	13	वहां	जहाँ
175	14	वहां	जहाँ
175	अन्तिम से 2	जाती	जाति
179	6	वेइमान	बेईमान
183	10	कूए	कुए

1	2	3	4
185	अन्तिम से 5	साथ में	साथ मैं
187	9	महिनें	महीने
187	10	महिनें	महीनें
188	अन्तिम से 12	बाहरा	बारह
188	अन्तिम से 10	बाहरा	बारह
188	अन्तिम से 9	कास्टस और शिडयुल्ड	कास्ट्स और शिड्युल्ड
189	अन्तिम से 14	रिक्त स्थानों की	रिक्त स्थानों को
189	अन्तिम से 12	बाहर	बारह
190	अन्तिम से 8	लोंगो	लोगों
190	अन्तिम से 6	उपब्धल	उपलब्ध
193	4	सोचनीय	शोचनीय
195	6	रूप काम	रूप से काम
195	15	कायद	कायदे
195	अन्तिम से 14	और	ओर
195	अन्तिम से 11	इसलि	इसलिए
196	4	सब्सि ी	सब्सिडी
196	10	पसा	पैसा
196	14	कीम	स्कीम
196	अन्तिम से 5	छ	कुछ
196	अन्तिम से 4	उ. के	उनके
197	4	कसेज	केसेज
197	15	आदिवासी क्ष ो	आदिवासी-क्षेत्रों
197	16	बदुकों	बन्दुकों
197	अन्तिम से 12	आदिवासी क	आदिवासी के
197	अन्तिम से 5	चाज	चार्ज
198	11	अनटचेबिलिटी का	अनटचेबिलिटी को
198	अन्तिम से 12	गांव क	गांव के
200	शीर्ष	(श्री लक्ष्मण सिंह)	(श्री लक्ष्मण सिंह)
200	4	जनजाति और और	जन जाति. और

1	2	3	4
203	10	खयल से	खयाल से
203	15	C हजार	50 हजार
204	3	अये हैं	आये हैं
205	7	30 को लाख	को 30 लाख
205	अन्तिम से 8	भोगीलाल पांडिया	भोगीलाल पांड्या
206	अन्तिम से 11	18 परिवार	148 परिवार
207	16	साहूकारी	साहूकार
207	अन्तिम से 13	2 रूदया	2 रुपया
208	9	बिचार	विचार
209	10	पंमी	प्रेमी
211	अन्तिम से 14	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
216	15	श्री लादूराम सुलाणियां	श्री लादूराम सुलानियां
219	14	बेचारे काफा	बेचारे काफी
219	अन्तिम से 13	डिप्टा मिनिस्टर	डिप्टी मिनिस्टर
220	8	०डा	डंडा
221	अन्तिम से 13	डिटर्स्ब	डिसटर्ब
223	अन्तिम से 11	एक बात और बात और	एक बात और
234	4	मुख्यतौर पर	मुख्यातौर पर
236	12	महनत	मेहनत
240	2	मंत्रा जी	मंत्री जी
241	अन्तिम से 6	अ र	और
252	5	थू	थ्रू
253	अन्तिम से 6	यू० डा० सी०	यू. डी. सी.
258	5	भी	कि
,,	12	जिनको	जिन पर
259	14	शिडयूल	शिड्यूल्ड
,,	18	के	का
,,	अन्तिम से 3	श्री उपाध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
260	,, 14	चकर	चक्कर

1	2	3	4
260	अन्तिम से 7	शिडूल्ड	शिड्यूल्ड
262	,, 8	डला	डाला
264	,, 11व6	शिडयूल	शिड्यूल्ड
265	2	ट्रेस-पसार	ट्रेस-पासर
,,	12	मल्याण	कल्याण
266	16	इरिजन	हरिजन
,,	अन्तिम से 11	बस्ता	सस्ता
268	15	सर्कुशन	सर्कुलेशन
,,	20	मवशी	मवेशी
269	17	राज सकार	राज्य सरकार
270	3	श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
273	10	अधिनाययाकवाद	अधिनायकवाद
,,	अन्तिम से 7	जो	जिन्हें
274	शीर्षक	दर	पर
275	4	कांसग्रे	कांग्रेस
279	5	सभ्बन्ध	सम्बन्ध
281	11	चोरीकरलोचोरीकरली,पकड़े और गये	चोरी करली, और पकड़े गये
287	2	सुपरिन्टेन्टेडेन्ट	सुपरिन्टेन्डेन्ट
287	13	प्रघेश	प्रवेश
,,	अन्तिम से 4	ऐमा	ऐसा
291	6	एलीकेशन्स	एप्लीकेशन्स
294	अन्तिम से 6	यले।ाप	मसले आप
300	,, 6	के के	के
302	12	श्री उपाध्य	श्री उपाध्यक्ष
311	शीर्ष	(डूंग । राम राजोरिया	(श्री डूंगाराम राजोरिया)
323	अन्तिम से 2	बलने	बोलने
324	4	6	65
326	19	मूमि	भूमि

1	2	3	4
328	5	किग्रा	किया
,,	7	उम्मीद नहीं थी	उम्मीद थी
330	6	श्री देवीदत्त	श्री देवीदत्त गाड़िया
333	6	रहते हैं सूची	रहते हैं के द्वारा सूची
335	अन्तिम से 5	साथ उसका भी जबाब	साथ जवाब
343	4	कर	करें
407	13 व 16	निशेध	निषेध
408	13	हय	यह